पंचम माला, खंड 52, अंक 41, सोमवार, 28 अप्रैल, 1975/8 वैशाख, 1897 (शक)

Fifth Series, Vol. LII, No. 41, Monday, April 28, 1975/Vaisakha 8, 1897 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF LOK SABHA DEBATES

[तेरहवां सत्र / Thirteenth Session]

[खंड 52 में अंक 41 से 49 तक हैं / Vol. LII contains Nos. 41 to 49]

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT

NEW DELHI

मूल्य : दो रूपये

Price : Two Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है]

[This is translated version in a summary from of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

विषय सूची/CONTENTS

अंक 41, सोमवार, 28 अप्रैल, 1975/8 वैशाख, 1897 (शक)

No. 41, Monday, April 28, 1975/Vaisakha 8, 1897 (Saka)

विषय	SUBJECT	PAGE
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	**Oral Answers to Questions—**	
तारांकित प्रश्न संख्या 793, 794, 796 से 798 और 802	Starred Questions Nos. 793, 794, 796 to 798 and 802.	1—16
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	**Written Answers to Questions—**	
तारांकित प्रश्न संख्या 791, 792, 795, 799 से 801 और 803 से 811	Starred Questions Nos. 791, 792, 795, 799 to 801 and 803 to 811. . . .	16—25
अतारांकित प्रश्न संख्या 7678 से 7793, 7795, 7796, 7798 से 7802, 7804 से 7823, 7825 से 7831, 7833 से 7851 और 7853 से 7877	Unstarred Questions Nos. 7678 to 7793, 7795, 7796, 7798 to 7802, 7804 to 7823 7825 to 7831, 7833 to 7851 and 7853 to 7877. . .	25—138
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table	138—39
राज्य सभा से सन्देश	Messages from Rajya Sabha .	139
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
पंजाब सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगमों का राज्य की अनाज मंडियों से गेहूँ खरीदने की अनुमति न दिये जाने का समाचार ।	Punjab Government's reported refusal of permission to Food Corporation of India for wheat procurement in the State during current session.	139—42
श्री हरी सिंह	Shri Hari Singh	139—40
श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे	Shri Annasaheb P. Shinde	139—42
लोक लेखा समिति—	Public Accounts Committee—	
141वां, 150वां, 153वां तथा 166वां प्रतिवेदन	Hundred and forty-first, Hundred and fiftieth, Hundred and fifty-third and sixty-sixth reports.	142
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति—	Committee on Public Undertakings—	
66वां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश	Sixty-sixth Report and Minutes	142

किस नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न का सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

नियम 377 के अधीन मामले—	Matters under rule 377—
(1) दिल्ली महानगर परिषद् का कार्यकारी परिषद् से श्री मांगे राम द्वारा त्यागपत्र दिए जाने से उत्पन्न राजनीतिक और संवैधानिक प्रश्न	Political and constitutional issues raise by Shri Mange Ram's resignation from the Executive Council of Delhi Metropolitan Council. . . 143
(2) मद्रास और मदुरै नगरों में पीने के पानी की कमी	Shortage of drinking water in Madras and Madurai cities . . . 144
(3) उत्तर प्रदेश के एक छात्र को पांडिचेरी में हुई एक शैक्षिक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर प्रोत्साहन देने की आवश्यकता	Need for encouraging a student from U.P who topped in academic test in Pondicherry. 144
अनुदानों की मांगें, 1975–76—	Demands for Grants, 1975-76—
उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय—	Ministry of Industry and Civil Supplies . . . . 144—82
श्री दीनेन भट्टाचार्य	Shri Dinen Bhattacharyya . 145—46
श्री वाई० एस० महाजन	Shri Y. S. Mahajan . . 156—57
श्रीमती रोजा देशपांडे	Shrimati Roza Deshpande . 157—59
श्री मूलचन्द डागा	Shri M. C. Daga . . 159—60
श्री वीरेन्द्र अग्रवाल	Shri Virendra Agarwal . 160—62
श्रीमती वी० जयलक्ष्मी	Shrimati V. Jeyalakshmi . 163—64
श्री वी० मायावन	Shri V. Mayavan . . 165—66
श्री स्वर्ण सिंह सोखी	Shri Swaran Singh Sokhi . 166—68
श्री जनेश्वर मिश्र	Shri Janeshwar Mishra 168—69
श्री डी० डी० देसाई	Shri D. D. Desai . 169—70
प्रो० एस० एल० सक्सेना	Prof. S. L. Saksena . . 171
श्रीमती प्रेमलाबाई चव्हाण	Shrimati Premlabai Chavan 171—72
श्री रामसिंह भाई	Shri Ram Singh Bhai. . 172—73
श्री के० एच० चावड़ा	Shri K. S. Chavda . . 173—74
श्री के० रामाकृष्ण रेड्डी	Shri K. Ramakrishna Reddy 174—75
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee . . 175—76
श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य	Shri Chapalendu Bhattacharyyia 176—78
श्री एस० एल० पेजे	Shri S. L. Peje . . . 178—79
श्री एस० ए० मुरुगनन्तम्	Shri S. A. Muruganantham 179—81

विषय	SUBJECT	PAGE
श्री श्रीकिशन मोदी	Shri Shrikishan Modi . .	181—82
श्री राजदेव सिंह	Shri Rajdeo Singh . .	182
आधे घंटे की चर्चा —	Half-an-Hour Discussion—	
सुपर बाजार दिल्ली को हुआ घाटा	Loss suffered by Super Bazar, Delhi	182—85
श्री मूलचन्द डागा	Shri M. C. Daga . . .	182—83
श्री ए० सी० जार्ज	Shri A. C. George . .	184—85

लोक-सभा

LOK SABHA

सोमवार, 28 अप्रैल, 1975/8 वैशाख, 1897 (शक)

Monday, April 28, 1975/Vaisakha 8, 1897 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Disparity in Rates of Wheat and Rice Supplied from Fair Price Shops in Srinagar and other State Capitals

+

*793. **Shri R. V. Bade :**
Shri Atal Bihari Vajpayee :

Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the rates at which wheat and rice are supplied to the poor people from the fair price shops in Srinagar, the capital of Jammu and Kashmir State and in the capitals of the rest of the States ;

(b) in case these rates differ, the extent and reasons therefor and the action being taken by Government to do away with this disparity ;

(c) the names of the places where rates are low due to Government concessions and the extent thereof; and

(d) the extent to which these rates have been increased or decreased during the last three years, year-wise ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अप्पा साहब पी० शिन्दे) : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

Shri R. V. Bade : It is seen from the statement that in Jammu and Kashmir wheat atta and rice were supplied to the Low income group at Rs. 44.00 and Rs. 40.00 per quintal respectively during 1974-75. the higher income group was supplied wheat and rice both at Rs. 80. 00 per quintal whereas in Maharashtraw heat is supplied at Rs. 138.00 per quintal and rice from Rs 139.00 to Rs 186.00 per quintal and in Manipur wheat is supplied at Rs. 150.00 per quintal and rice at Rs. 157.00 per quintal. May I know why there is so much difference in the issue prices of wheat and rice in different states of the country? Madhya Pradesh is a poor state and is inhabited by adivasis. The reason for supply of wheat and rice in Jammu and Kashmir at such low rates appears to be the subsidy given for these items. May I know why similar subsidy not is given to other states also?

श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे : प्रत्येक राज्य में निर्गम मूल्य राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित किया जाता है। यदि कोई राज्य उपभोक्ता के हित में सबसिडी देना चाहते हैं तो वे दे सकते हैं। निसन्देह इस विषय में सरकार के अपने कुछ सिद्धान्त हैं कि कितनी सबसिडी दी जाये। पर किन्हीं ऐतिहासिक कारणों से यह चलता आ रहा है और कुछ सरकारें सबसिडी दे रहे हैं। त्रिपुरा सरकार भी कुछ समय तक सबसिडी देती है। यह निर्णय करना जम्मू-कश्मीर सरकार का काम है कि निर्गम मूल्य कितना हो।

Shri R. V. Bade : The Honourable Minister has said that in Jammu and Kashmir subsidy is given on historical grounds. May I know the reasons why Madhya Pradesh, Maharashtra and other states are not given subsidy when all the states are under the centre? What are the reasons for keeping this double difference in the issue prices of wheat and rice in different states? Why do the Government not issue orders to the effect that prices should be reduced in other states also by providing subsidy and uniform rates should be fixed for all places?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : जम्मू-कश्मीर सरकार इस बात के प्रति जागरूक है। वास्तव में इस बारे में मेरी शेख अब्दुल्ला से बातचीत हुई है। वे इस भारी सबसिडी के हक में नहीं हैं। पर इस व्यवस्था को एक दम बदलना कठिन है क्योंकि उपभोक्ता इसके आदी हो चुके हैं। इस सम्बन्ध में कुछ आयोगों ने भी ध्यान आकृष्ट किया है। राज्य सरकार इस पर विचार कर रही है।

श्री राम सहाय पाण्डेय : वसूली मूल्य और उपभोक्ता मूल्य में काफी अन्तर है। मैं विशेषरूप से आदिवासी क्षेत्रों का उल्लेख करुँगा। वसूली मूल्य उपभोक्ता मूल्य की अपेक्षा बहुत अधिक है। कितना अन्तर होना चाहिए? मूल्य निर्धारण का क्या मापदण्ड होना चाहिए?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : हमारी अर्थव्यवस्था की वर्तमान हालत को देखते हुए भारत सरकार की आम नीति यह है कि अनाज किफायती लागत पर बेचा जाये यानि उस विक्रय दर में वसूली मल्य और प्रशासनिक खर्च शामिल किया जाना चाहिए। इस समय चावल किफायती लागत पर बेचा जा रहा है। पर गेहूँ का आयात मूल्य बहुत अधिक होने के कारण उसके लिए सबसिडी दी जा रही है। गेहूँ का वसूली मूल्य 105 रु० है और इसे राज्य सरकारों को 125 रु० के हिसाब से दिया जा रहा है।

श्री के० मालन्ना : राज्य सरकारों को खाद्य वस्तुओं के आवंटन की क्या नीति है? क्या यह राज्यों की आवश्यकता पर निर्भर है या उनकी क्रय शक्ति पर? मेरे राज्य में अनाज की कमी है। क्या राज्य सरकार को आदेश दिये गये हैं कि वह गरीब वर्ग के लोगों को अनाज सस्ते मूल्यों पर दे?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : आज भी अनाज सबसिडी के लिए 295 करोड़ रुपये रखे गये हैं। मेरे विचार में भारत सरकार के लिए सबसिडी के स्तर में वृद्धि करना सम्भव नहीं होगा।

श्री के० मालन्ना : मेरे दूसरे प्रश्न का क्या उत्तर है ? राज्य सरकारों को अनाज के आवंटन की क्या नीति है ? क्या यह राज्य की आवश्यकता पर निर्भर है या उसकी क्रय शक्ति पर ?

श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे : यह मुख्य प्रश्न की परिधि से बाहर है। मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ। अगर आप जवाब देने को कहेंगे तो मैं जवाब दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : श्री एच० एम० पटेल।

श्री एच० एम० पटेल : मंत्री जी ने कहा कि गेहूँ और चावल का विक्रय मूल्य निर्धारित करना राज्य सरकार का काम है। क्या इसका अभिप्राय यह है कि जम्मू कश्मीर अप्रत्यक्ष रूप से राज सहायता नहीं देते ? यह अन्तर इतना है कि इससे राज्य सरकार को बहुत अधिक नुकसान होगा। जब तक केन्द्रीय सरकार सबसिडी की इस मात्रा का किसी न किसी प्रकार अनुमोदन नहीं करेगी तब तक राज्य सरकार इसे नहीं दे सकती। क्या मंत्री जी इस मुद्दे को स्पष्ट करेंगे।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : जम्मू-कश्मीर सरकार सस्ते दर पर अनाज देने के लिए प्रति वर्ष लगभग 19 करोड़ रुपया खर्च कर रही है। यह रकम उसके अपने बजट और केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये जाने वाले अनुदान से पूरी की जाती है। केन्द्रीय सरकार सभी राज्यों को वित्त आयोग को सिफारिशों के अनुसार अनुदान देती है। पर जो क्षेत्र रेल से जुड़े नहीं हैं उन्हें अतिरिक्त सहायता इस मद में दी जाती है। अधिकांशतः पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण कश्मीर में अनाज की ढुलाई और परिवहन पर अधिक खर्चा आता है। इस विषय पर अनेक आयोगों ने विचार किया है और उन्होंने 50 लाख से 1 करोड़ रुपये तक की सहायता की सिफारिश की है। पिछले एक-दो वर्षों से हम $1\frac{1}{2}$ से लेकर 2 करोड़ रुपये तक की सहायता दे रहे हैं।

श्री टी० बालकृष्णैया : क्या सरकार दक्षिण के कमी वाले राज्यों विशेषकर तमिलनाडु, आन्ध्र, रायलसीमा और कर्नाटक को सबसिडी देने के प्रश्न पर विचार करेगी जिससे कि वहां सस्ते मूल्य पर अनाज उपलब्ध हो सके ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : जहां कहीं भी गेहूं वितरित किया जाता है वहां सबसिडी दी जाती है।

श्री इन्द्र जे० मल्होत्रा : मंत्री जी ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर में अनाज सबसिडी के बारे में उन्होंने वहां के मुख्य मंत्री से कुछ बात चीत की है। क्या केन्द्र ने किन्हीं ठोस प्रस्तावों पर विचार किया है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : इस सम्बन्ध में कोई ठोस प्रस्ताव नहीं थे। पर भारी सबसिडी से राज्य और केन्द्र दोनों सरकारें चिन्तित हैं। इस पर राज्य के उपभोक्ताओं और हमारी समस्याओं को दृष्टि में रखकर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या जम्मू-कश्मीर सरकार को कोई विशेष अनुदान दिया जाता है जिससे कि वह अनाज पर सबसिडी दे सके ? या उक्त राज्य सरकार वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर दिये गये अनुदान में से ही यह सहायता देती है ? यदि केन्द्र सरकार इसके लिये कोई विशेष धन देती है तो वह अन्य राज्यों को भी इसी प्रकार की सहायता देने पर क्यों नहीं विचार करती?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : जम्मू-कश्मीर को कोई विशेष आवंटन नहीं किया जाता । वस्तुतः अनेक राज्यों को अधिक सहायता अनुदान मिलता है और यह वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार दिया जाता है पर यदि इस सहायता को सबसिडी पर लगा दिया जाये तो इससे विकास कार्यों पर प्रभाव पड़ेगा ।

श्री सैयद अहमद आगा : जम्मू-कश्मीर के मुख्य मंत्री जनता से कहते जा रहे हैं कि खाद्य सबसिडी समाप्त की जायेगी । क्या सरकार को इसका पता है और क्या केन्द्र सरकार और मुख्य मंत्री के बीच कोई बातचीत चल रही है ? वे विशेष परिस्थितियां क्या हैं जिनमें जम्मू-कश्मीर को खाद्य सबसिडी के लिए अनुदान दिया जाता है और क्या उन परिस्थितियों में अब कोई परिवर्तन हुआ है ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इसके बारे में अभी कहा है कि कश्मीर को कोई विशेष अनुदान नहीं दिया जा रहा है ।

श्री सैयद अहमद आगा : मेरे प्रश्न के दूसरे भाग का क्या जवाब है ?

अध्यक्ष महोदय : आप वही प्रश्न पूछ रहे हैं जो श्री चटर्जी ने पूछा है ।

श्री सैयद अहमद आगा : क्या केन्द्रीय सरकार को पता है कि मुख्य मंत्री सबसिडी स्वयं ही वापस ले रहे हैं ? क्या वे आप से सलाह कर रहे हैं या नहीं ? उन्होंने कहा है कि वे इसे समाप्त कर रहे हैं । क्या वे ऐसा अपनी इच्छा से कर रहे हैं या आप की अनुमति से ? मैं यह भी जानता हूं कि वे विशेष परिस्थितियां कौनसी हैं जिनसे यह आवश्यक हुआ और उन परिस्थितियों में कौन सा परिवर्तन हुआ है जिनके कारण यह रियायत वापस ली जा रही है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : जहां तक पहले भाग का सम्बन्ध है, यदि जम्मू-कश्मीर के मुख्य मंत्री इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सबसिडी समाप्त कर देनी चाहिए तो भारत सरकार इसका पूरा समर्थन करेगी, ।

श्री के० एस० चावडा खड़े हुए ।

अध्यक्ष महोदय : इसकी कुछ सीमा होनी चाहिए । मुझे आशा थी कि तीन सदस्यों के बाद और कोई खड़ा नहीं होगा । पर यह चलता जा रहा है—3, 4, 5 या 6 । आप लोगों की स्वयं सोचना चाहिए ।

श्री हरि सिंह ।

दिल्ली में गन्दी बस्तियां हटाने के काम की धीमी प्रगति

*794. **श्री हरी सिंह** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में गन्दी बस्तियां हटाने के काम की प्रगति बहुत धीमी रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) तथा (ख) : गन्दी बस्तियां हटाने के काम में प्रगति जैसे कि अन्यत्र हुई, दिल्ली में समस्या की व्यापकता तथा आवश्यकता-

नुसार निधियों की अनुपलब्धता के कारण मजबूरन धीमी है। यथा संभव सीमा तक नागरिक सेवाएं तथा सुख-सुविधाएं देकर, गन्दी बस्तियों में सुधार करने के लिए अपेक्षाकृत अधिक प्रयत्न किए जा रहे हैं।

Shri Hari Singh : May I know from the Minister the name of the slum areas proposed to be cleared and of the new colonies to be constructed by the Government at present? To What extent the funds have fallen short and if they are not getting funds what are the reasons therefor? Whether it is a fact that the funds earmarked for slum clearance have been diverted to other works? May I also know further whether a 20-member team of the U.N.O. had come here which surveyed Calcutta, Delhi and other towns for extending financial assistance for slum clearance? Whether Government have received their report and also the amount Government are expecting through them for slum clearance purposes?

Shri Dalbir Singh : It is true that it is a very serious problem. The problem of slum clearance has been becoming more acute because large number of people has been migrating to the cities every year. This is not the question of one slum but of several ones. Each mohalla is facing this problem. Government have been reviewing this problem from time to time. The Delhi Municipal Corporation has chalked out certain programmes in this regard. The D.D.A. has also formulated several programmes in this behalf. The honourable member has said that there is no shortage of funds. In fact there is acute shortage of funds. This factor as also several other factors have impeded the implementation of those programmes. As and when funds become available the programmes will be taken up.

It has been found that during 1974 roughly 1.5 lakh people came in these colonies. I have no information with me at present about the visit of the team mentioned by the honourable Member. The D.D.A. has formulated a comprehensive programme. It proposes to spend about Rs. 185 lakhs in the 'Environmental Improvement of Slum Areas' scheme during 1975-76. About Rs. 8 crores have already been spent on slum clearance at different stages during the last years. About 10,000 tenaments have been constructed, approximately 39,316 house sites have been allotted. Such are the comprehensive programmes we are under-taking.

Shri Hari Singh : The Government had a target of construction of two thousand tenaments per year. But no tenament has been built by Government in slum areas during the last two years. May I know whether Government have no funds at all or there is shortage of them ? I want clarification on these two points.

Shri Dalbir Singh : This is not true that no house was built during the last two years. Rs. 47 lakh had been provided for this purpose for the year 1974-75 and 1376 tenaments were constructed. Thus the programme is being implemented.

श्री के० एस० चावड़ा : दिल्ली एक संघ राज्य क्षेत्र है। राज्यों को एक अच्छा उदाहरण पेश करने के प्रयोजन से दिल्ली में गन्दी बस्ती सफाई के मामले में क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने दिल्ली में गन्दी बस्ती सफाई के लिये चलनवार कार्यक्रम निर्धारित किया है और यदि हां, तो उसकी समय-सीमा क्या है।

श्री दलबीर सिंह : इन विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत ये कार्यक्रम चल रहे हैं। गन्दी बस्ती सुधार योजनायें हैं तथा पर्यावरणसुधार के लिये भी योजनायें हैं। ये सभी योजनायें हैं। परन्तु हम ऐसा कोई निश्चित समय निर्धारित नहीं कर सकते जिसके भीतर यह किया जा सके, क्योंकि यह धनराशि की

उपलब्धि पर निर्भर है और जैसा कि आप जानते हैं वित्तीय स्थिति बहुत खराब है। ऐसी स्थिति में एक थोड़े समय के भीतर समस्यायें हल करना कठिन हो जाता है।

श्री के० एस० चावड़ा : सरकार कह सकती है कि 100 वर्षों में यह किया जा सकता है। सरकार को कोई समय सीमा निर्धारित करनी चाहिये। यह तो केन्द्र शासित विषय है।

श्री दलबीर सिंह : ऐसी स्थिति में जैसा कि मैंने अपने पहले दिये गये उत्तर में बताया है कि यह सब धन की उपलब्धि पर निर्भर है।

श्री एच० एम० पटेल : क्या वह इस बात की पुष्टि करेंगे कि यह हमारे जीवन-काल मेरे नहीं, परन्तु आपके जीवन काल के दौरान किया जायेगा ?

श्री एच० के० एल० भगत : यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2 लाख लोग पड़ोसी देशों से दिल्ली आते हैं। एक लाख पैदा होते हैं। दिल्ली को प्रतिवर्ष 3 लाख लोगों का भार वहन करना होता है। पड़ोसी राज्यों के लिये एक प्रस्ताव था कि वे अपने चारों ओर नगर बसायें। इस बारे में क्या हुआ है। चूंकि गन्दी बस्ती सफाई का कार्य दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास चला गया है अतः क्या यह सही है कि स्थिति इतनी इसलिये खराब हो गई है, क्योंकि धन की कमी है ? निगम अपनी धन-राशि से 2 करोड़ रुपये अधिक खर्च कर रहा था। निगम अब यह धन राशि खर्च नहीं करता है। मैं जानना चाहता हूं कि जब से यह कार्य दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपने हाथ में लिया है तबसे गन्दी और अनधिकृत बस्तियों में सुविधाओं की व्यवस्था में बहुत कमी हो गई है। वास्तव में मैं तो यह कहूंगा कि अनधिकृत बस्तियों में यह कार्य तो रुक ही गया है। मैं जानना चाहूंगा....

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अब कृपया बैठ जायें। क्या यह प्रश्न है अथवा भाषण ?

श्री एच० के० एल० भगत : अब मैं प्रश्न रख रहा हूं। क्या माननीय मंत्री जी दिल्ली के संसद सदस्यों के साथ दिल्ली की समस्याओं पर चर्चा करेंगे, क्योंकि यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ?

श्री दलबीर सिंह : जब माननीय सदस्य यह कहते हैं कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है तो मैं इनसे सहमत हूं। उन्होंने कहा कि लाखों लोग प्रतिवर्ष यहां आते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि दिल्ली में काफी संख्या में लोग आते हैं। मैंने सभा को भी बताया है कि योजनायें हैं। इन योजनाओं पर कुछ कार्य शुरु हो गया है। पड़ोसी राज्यों में भी ये योजनायें उचित समय पर कार्यान्वित की जायेंगी। कुछेक वर्षों के भीतर शुरु की जायेंगी और हम इसे गम्भीरता-पूर्वक शुरू कर रहे हैं तथा इस कार्य के लिये जितना भी धन संभव होगा हम प्रदान करने की कोशिश भी कर रहे हैं। इस समस्या को निपटाने के लिये हमारे पास बड़ी व्यापक योजनायें हैं।

Shri Probodh Chandra : May I know from the Government—Axs the Government try to clear the slums, it goes on increasing, particularly at the time of elections and political parties increase them. Generally political parties were blamed therefor. I am not saying that only Congress is accused. All do it. May I know whether political parties can alive at a decision in the matter that so far as slum clearance. In Delhi is concerned, the parties will not chalkout any such programme as may grow slums and put hundles in the way of slum clearance in Delhi.

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : यदि लोगों का बाहर से आने का कारण राजनीतिक विवशता है तो मुझे विरोधी दलों के साथ इस पर चर्चा करने में खुशी होगी। किन्तु, ऐसी कोई विवशता नहीं है। जैसा कि हम इसे समझते हैं; यह इसके विपरीत है। रोजगार की कमी के कारण लोग महानगर क्षेत्रों में आते हैं। जैसा कि हमारे साथी ने बताया है, हमारे पास क्षेत्रीय तथा राजधानी विकास योजनायें हैं। इसे गम्भीरतापूर्वक शुरू किया जा रहा है। इस पर पड़ोसी राज्यों के मंत्रियों के साथ चर्चा करने की आवश्यकता है और हम इस पर आगे यथाशीघ्र कार्य-वाही करने जा रहे हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : महोदय, गन्दीबस्तियों की सफाई के लिये पर्याप्त प्रावधान न होने के कारण लाखों लोगों को पटरियों पर रहने को मजबूर होना पड़ता है। ऐसा हमने कलकत्ता में देखा है। परन्तु मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि मंत्री महोदय ने कहा कि लाखों लोग दिल्ली में आते हैं और स्वभावतः गन्दी बस्तियों की सफाई की असँतोषजनक स्थिति के कारण समस्या भीषण हो जाती है—दिल्ली की पटरियों पर कितने लोग रह रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस प्रश्न के लिये स्लम से सूचना दीजिये। हम सभी को इसके बारे में दिलचस्पी होगी।

श्री के० रघुरामैया : पटरियों पर रहने वाले लोगों के बारे में कठिनाई उस समय होती है जब हम वहां जाते हैं। हो सकता है कि वहाँ वे पटरियों पर न मिलें।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह मजाक का मामला नहीं है। आप कलकत्ता आकर देखिये कि पटरियों पर कितने लोग रह रहे हैं ?

श्री के० रघुरामैया : महोदय, मैंने इसे साधारण मामला नहीं माना है। मैंने गणना सम्बन्धी कठिनाई को केवल ग्राफ के रूप में रखा है (व्यवधान)।

भूमिगत संसाधनों के विदोहन के लिए छिद्रण रिगों का उपयोग

796. श्री मावलंकर : क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड के काफी संख्या में छिद्रण रिग कुप्रबन्ध तथा उचित आयोजन के अभाव में खराब/बेकार पड़े हैं अथवा उनका पूरा उपयोग नहीं किया गया हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1973–74 के दौरान प्रति रिग की मासिक तथा वार्षिक छिद्रण प्रगति का ब्यौरा क्या है तथा जी०एस०आई०, एन०एम०डी०सी०, एन०सी०डी०सी०, और एम० ई०एस०, जैसे अन्य केन्द्रीय सरकारी छिद्रण एजेंसियों के कार्य की तुलना में इसकी क्या स्थिति है;

(ग) गत तीन वर्षों में, वर्ष-वार, रिगों का प्रयोग कर के कितने उत्पादक नल कूपों की खुदाई की गई है तथा लगाये गये रिगों से कितने छेद किये गये और उनके क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) भूमिगत संसाधनों का लाभ उठाने के लिए रिगों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने हेतु क्या प्रभावी कार्यवाही की गई है/करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज़ खां) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) वर्ष 1972–73 के दौरान समन्वेषी एवं निक्षेप प्रकार के 156 उत्पादन नलकूपों का वंधन किया गया था जिन में से 124 नलकूप सफल सिद्ध हुए। जल-विज्ञान एवं प्रस्तर विज्ञान सम्बन्धी आंकड़ों का सँग्रह करने के लिये 104 प्रेषण कुओं और स्लिम बोर होलों की ड्रिलिंग की गई थी। वर्ष 1973–74 में समन्वेषी एवँ निक्षेप दोनों प्रकार के 203 उत्पादन नलकूपों का वेधन किया गया था, जिसमें से 176 उत्पादन नलकूप सफल सिद्ध हुए। जल विज्ञान एवं प्रस्तर विज्ञान सम्बन्धी आंकड़ों का सँग्रह करने के लिये 172 प्रेषण कुओं और स्लिम बोर होलों की ड्रिलिंग की गई। वर्ष 1974–75 में समन्वेषी एवं निक्षेप दोनों प्रकार के 177 उत्पादन नलकूपों का वेधन किया गया, जिसमें से 155 नलकूप सफल सिद्ध हुए। जल-विज्ञान एवं प्रस्तर-विज्ञान सम्बन्धी आंकड़ों का संग्रह के लिये 187 प्रेषणकुओं और स्लिम होलों की ड्रिलिंग को गई।

(घ) केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड रिगों की बड़ी तथा छोटी मरम्मत शीघ्र करके और रिगों के संचालन का समन्वय करके रिगों के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिये सतत प्रयास कर रहा है, ताकि दूरी तथा समय दोनों को कम किया जा सके। गत तीन वर्षों के दौरान 58122 मोटर, 63278 मोटर और 69670 मीटर वेधन कार्य किया गया। इससे स्पष्ट है कि इस कार्य के लिये प्रभावी कदम उठाये गये हैं।

श्री धामनकर : महोदय, प्रश्न के भाग (ग) और (घ) के उत्तर के सँदर्भ में मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह सही है या नहीं कि केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड की बड़ौदा यूनिट में अनेक संख्या में रिगें बकार पड़ी है। वर्तमान अभावग्रस्त स्थिति को देखते हुए सरकार गुजरात प्रदेश में अधिकतम सँख्या में रिगें लगाने के लिये कौन से कारगर कदम उठा रही हैं, जिससे गुजरात और कच्छ के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पीने का पानी सप्लाई किया जा सके ?

श्री शाहनवाज़ खां : महोदय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड की कुल 56 रिगों में से केवल 5 की मरम्मत हो रही है। यह सँख्या अधिक नहीं है क्योंकि इनमें अधिकांश रिगें बहुत पुरानी हैं। ड्रिलें डिवीजनवार समूचे देश में वितरित की गई हैं। मुझे गुजरात के लिये सही सँख्या की जानकारी नहीं है, क्यों कि यह प्रश्न विशेषरूप से गुजरात के बारे में नहीं है ।

श्री धामनकर : रिगों के लिये बढ़ती मांग को देखते हुए और रिगों के आयात को बन्द करने के लिये रिगों के देश में उत्पादन के लिये कौन से कारगर कदम उठाये गये हैं जिससे ये हमारी आवश्यकताओं के अनुकूल हों और हम रिगों के मामले में आत्मनिर्भर हों ?

श्री शाहनवाज़ खां : महोदय, रिगों के उत्पादन का सम्बन्ध दूसरे मंत्रालय से है ।

श्री डा०डा० देसाई : महोदय, मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि 56 रिगें हैं जिसमें से 5 रिगों की मरम्मत हो रही है। अन्य शब्दों में इसका मतलब यह है कि 51 रिगों से वे 177 उत्पादन नलकूप खोद सके हैं। इस सम्बन्ध में मैं कहता हूँ कि 1 रिग से हम एक महीने में 14 कुएँ खोद सकते हैं। अतः मैं कहता हूँ कि वह रिगों की बेहतर व्यवस्था नहीं कर सकते हैं ?

श्री शाहनवाज़ खां : यह छिद्रण कार्य भिन्न प्रकार का है। ये गहरी वेधन करने वाली रिगें हैं और औसतन प्रतिमाह एक छिद्रण स्थल पर लगभग 138 मीटर वेधन कार्य होता है जो उचित ही समझा जाता है ।

श्री के० एस० चावड़ा : महोदय, प्रश्न के (ग) और (घ) भागों के अनुसार मैं जानना चाहता हूँ कि बड़ौदा में कितनी रिगें बेकार पड़ी हैं ?

श्री शाहनवाज़ खां महोदय, गुजरात केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड के डिविजन संख्या 1 के अन्तर्गत आता है। इस डिविजन के पास 7 रिगें हैं, और हो सकता है कि इन सात रिगों में से 1 खराब हो ।

माडर्न बेकरीज द्वारा नान बनाने के लिए लगाया गया संयंत्र

797. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माडर्न बेकरीज ने नान बनाने के लिए एक नया संयंत्र लगाया है,

(ख) यदि हां, तो उस संयंत्र पर कितनी लागत आई है, उसकी अधिष्ठापित क्षमता तथा अन्य ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन्होंने इस संयंत्र का उद्घाटन करते हुए कहा था कि जिस प्रयोजन के लिये माडर्न बेकरीज को स्थापित किया गया था वह सिद्ध नहीं हुआ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस बारे में क्या उपचारात्मक उपाय किये जा रहे हैं/करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (घ) तक. एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) जी हां ।

(ख) नान का उत्पादन करने के लिए स्थापित उपकरणों की लागत लगभग 5 लाख रुपये है। स्थापित क्षमता प्रत्येक 8 घंटे की पारी में प्रत्येक 100 ग्राम के 10,000 नान है। इस संयंत्र का डिजाइन और उसका निर्माण देश में किया गया है ।

(ग) और (घ) . उल्लिखित कथन इस सँदर्भ में था कि कम्पनी को आलू का आटा टेपिओका आदि का प्रयोग कर होलसील आटे और अन्य तत्वों से सस्ता और अधिक पौष्टिक पदार्थ का अभी उत्पादन करना है। कम्पनी से इन पदार्थों को यथाशीघ्र उत्पादन शुरू करने के लिए कहा गया है ।

श्री ए० ए० मुरुगनन्तम : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या श्री जगजीवन राम ने मार्गदर्शी नान निर्माण संयंत्र का उद्घाटन करते हुए यह कहा था कि माडर्न बेकरीज से वह उद्देश्य पूरा नहीं होता है जिसके लिये इसकी स्थापना की गई थी ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : महोदय, मैंने पहले ही उत्तर दे दिया है । उल्लिखित बातें इस सन्दर्भ में कही गई थीं कि कम्पनी को होलमिल आटा और अन्य तत्वों से, जिसमें आलू का आटा टैपिओका का प्रयोग होता है, सस्ता और अधिक पौष्टिक पदार्थ का उत्पादन अभी शुरू करना था ।

श्री एस० ए० मुरुगनन्तम : मैं जानना चाहता हूं कि 45 पैसे का 100 ग्राम का नान कितने लोग खरीद सकते हैं । इसके बजाय माडर्न बेकरीज को अपनी अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग रोटी उत्पादन के लिये करना चाहिये जिसे आम आदमी खरीद सकता है । सरकार की इस बारे में क्या राय है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : महोदय, नान बनाने वाला यह कारखाना एक पृथक मार्गदर्शी संयंत्र है और इस समय यह प्रतिदिन 20,000 नान उत्पादन कर रहा है । नान लोकप्रिय पाया गया है और इस हैसियत से सरकार उसे प्रोत्साहन देना चाहेगी । मूल्य के बारे में हमें देखना होगा कि क्या यह सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराया जा सकता है ?

श्री भागवत झा आजाद : महोदय, मंत्री महोदय ने प्रश्न के (ग) भाग के उत्तर में आलू का आटा टैपिओका आदि का प्रयोग करने वाले अन्य तत्वों का उपयोग करने के बारे में जो विवरण दिया है, उससे मैं अपना संतोष व्यक्त करता हूँ । यह सही है कि माडर्न बेकरी के नान आज बाजार में बहुत सस्ते हैं और यदि मूल्य घटाने में सरकार की दिलचस्पी है तो क्या सरकार गेहूँ और आटा की कीमत घटाने पर विचार करेगी ? दूसरे, सरकार ने संयंत्र को लपेटन कागज का उत्पादन करने के लिए मंजूरी क्यों नहीं दी है ? आपके मंत्रालय के नौकरशाहों ने इसे स्थगित क्यों कर दिया ? क्योंकि वे गैरसरकारी क्षेत्र के लोगों की मदद करना चाहते हैं जो अधिक मुनाफा कमाना चाहते हैं । क्या सरकार की मूल्य घटाने में दिलचस्पी है ? क्या यह सही है कि माडर्न बेकरीज को जिसके अध्यक्ष एक अवकाश प्राप्त आई०सी० एस० अधिकारी थे, 12 लाख रुपये का घाटा हुआ ? अब उसी संस्था को, जिसके अध्यक्ष एक भूतपूर्व संसद् सदस्य हैं, चार वर्षों में 95 लाख रुपया का लाभ हुआ है । यदि यह सत्य है, यदि विक्रय-आय 3 करोड़ रुपये से-बढ़कर 6 करोड़ रुपये हो गई है तो आपका मंत्रालय, आपके मंत्रालय के नौकरशाह सरकारी क्षेत्र के इस उपक्रम के विरुद्ध क्यों हैं जो सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों से भी अच्छा कार्य कर रहा है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : जहां तक आटे के निर्गम मूल्य के कम करने का सम्बन्ध है, मैं नहीं समझता कि यह व्यवहार्य होगा । जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है लपेटन की कीमत वास्तव में अधिक है । बात यह है कि यह समाज के गरीब वर्ग के लिये है । जैसा कि मैंने कहा वर्तमान मूल्यस्तर काफी ऊंचा है । उसे लपेटने की लागत आदि कम करके और संभालने आदि की तकनीक का विकास करके इसका मूल्य घटाना होगा । माननीय सदस्य, शायद, इस मामले में बड़े भावुक हैं । माननीय सदस्य ने जो कहा है कि माडर्न बेकरीज़, जो मेरे मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र का एक उपक्रम है, बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, उसकी मैं सराहना करता हूँ । हम माननीय सदस्य के सरकारी क्षेत्र के इस उपक्रम के कार्यकलाप के विस्तार करने के समर्थन का स्वागत करते हैं । मेरे मंत्रालय का कोई भी व्यक्ति इसके विस्तार के मार्ग में बाधक नहीं बनेगा ।

श्री भागवत झा आजाद : आपने यह स्थगित क्यों किया है ? लपेटन कागज के लिये सरकारी क्षेत्र के एक उपक्रम की स्थापना के लिये मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा गया था । आप इसकी स्वीकृति क्यों नहीं देते ?

अध्यक्ष महोदय : इसी बात को थोड़ी विनम्रता से पूछा जा सकता है ।

Shri Bhagwat Jha Azad: The second point of my question about the proposal of rapping paper sent to his Ministry has not been replied to.

इसे स्थगित क्यों रखा गया ? कीमत कैसे कम की जा सकती है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : इस सुझाव पर विचार किया जा सकता है ।

श्री भागवत झा आजाद : यह सुझाव विचारर्थ नहीं है ।

श्री वसन्त साठे : महोदय, माडर्न बेकरीज ने जो अच्छा काम किया है, उसे देखते हुए क्या सरकार इस प्रस्ताव पर विचार करेगी कि माडर्न बेकरीज की शाखायें देश के सभी नगरीय क्षेत्रों में खोली जायें और उन्हें सहायता दी जाये या आटा मिलों से आटा तथा मैदा दिया जाये ? यदि आवश्यक हो तो आप अपनी आटा मिल खोलें जो माडर्न बेकरीज के नियंत्रण में हों और इस प्रकार नान की सप्लाई में वृद्धि की जाये । नान का एक पैकट हमारे पास आया है । मैं इसका विशेषज्ञ नहीं हूँ, पर मेरी पत्नी ने इसे बहुत अच्छा बताया है । मैं सबसे अधिक अपनी पत्नी का विश्वास करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : आपके पास दुसरा विकल्प ही नहीं है ।

श्री वसन्त साठे : मैं नान बड़े चाव से खाता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते हैं ।

श्री वसन्त साठे : नान का संयंत्र सफल सिद्ध हुआ है और इसने यह सिद्ध कर दिया है कि समुचित प्रबन्ध से सरकारी क्षेत्र के उद्योग बहुत सफल सिद्ध हो सकते हैं ।

श्री वसन्त साठे : महोदय, अब हमारे पास एक संयंत्र है जो सफल सिद्ध हुआ है और इसने सारे देश को सिद्ध कर दिखा दिया है कि अच्छे प्रबन्ध के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र बहुत सफल हो सकता है, क्या आपकी समस्त देश में पूर्ण विस्तार की योजना है जिसमें कम से कम 5 अथवा 10 लाख से अधिक की आबादी के कस्बों में मार्डन बेकरी की शाखाए हां ।

सभापति महोदय : केवल वे ही एक संसद् सदस्य हैं जो सभापति के रूप में इतने सफल हुए हैं ।

श्री भागवत झा आजाद : यह सत्य है ।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : जहां तक गेहूं का सम्बन्ध है यह मार्डन बेकरीज को नियंत्रित मूल्य पर दिया जा रहा है । और इस सम्बन्ध में कोई कठिनाई नहीं है । कठिन समय में भी मार्डन बैकरीज कारखाने को हम एक सरकारी क्षेत्र के कारखाने के रूप में उचित सप्लाई सुनिश्चित करते रहे हैं ।

जहां तक लोकप्रियता का सम्बन्ध है, चूंकि यह प्रयत्न हाल ही में आरम्भ किया गया है, हमारा मंत्रालय इस बारे में गहरी रुचि रख रहा है और हम यह सनिश्चित करेंगे कि यह प्रयोग सफल हो और तब हम अपनी गतिविधियों का अन्य शहरों में भी विस्तार कर सकते हैं ।

श्री एस० एम० बनर्जी: सर्व प्रथम मैं मार्डन बेकरीज के सभापति महोदय तथा श्रमिकों को उत्तम नान के लिए, जिसे न केवल गृहणियां ही पसन्द करती हैं किन्तु हर कोई व्यक्ति पसन्द करता है, बधाई देना चाहता हूं। मैंने इसका प्रयोग किया है। क्या यह एक तथ्य है कि मार्डन बेकरीज के वर्तमान सभापति ने शहर के प्रत्येक कोने में ब्रितानिया ब्रेड की हड़ताल थी जो वास्तव में अपनी रोटी की कीमत बढ़ाने के उद्देश्य से की गई थी मार्डन वेकरीज प्रशंसा के पात्र हैं। किन्तु क्या यह भी एक तथ्य है कि गेहूं अथवा आटे की प्रत्येक बोरी के लिए सभापति को मंत्रालय के साथ संघर्ष तथा लड़ाई करनी पड़ती है कभी कभी उन्हें बाजार से खरीदने के अलावा कोई चारा नहीं रहता है? क्या वे यह अश्वासन ेंगे कि इस सरकारी क्षेत्र के उपक्रम को गेहूं और आटा उचित मूल्यों पर तथा उचित समय पर सप्लाई किया जायेगा जिससे इन वस्तुओं को काले बाजार से न खरीदना पड़े।

चूंकि मार्डन बैकरीज ने नान भी बनाया है जिसको सभी ने पसन्द किया है और जो ब्रितानिया तथा दूसरों के लिए एक भारी प्रतिद्वन्दी है तो क्या इसे प्रोत्साहन दिया जायेगा और सभी शक्तियां दी जायेंगी ताकि वे नान सस्ते मूल्य पर तथा अधिक मात्रा में बना सकें। क्या मार्डन बेकरीज को सस्ता आटा देकर प्रोत्साहन दिया जायेगा ताकि जनसाधारण को लाभ हो न कि कुछ चुने हुए व्यक्तियों को लाभ हो?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे: मार्डन बेकरीज को हमारे मंत्रालय ने जन्म दिया है और हमें इस पर गर्व है। हम इसकी सहायता करते रहे हैं। यदि कुछ सदस्यों के मन में यह आशंका है कि कुछ कठिनाइयां आदि हैं तो मैं यह कहना चाहता हूं कि हम निरतंर इसकी सहायता करते रहे हैं और करते रहेंगे।

जहां तक सप्लाई किये गये गंहू को सस्ता करने का सम्बन्ध है यह बहुत कठिन है।

श्री एस० एम० बनर्जी: कम से कम उन्हें काले बाजार से तो न खरीदना पड़े।

Shri Narsingh Narain Pandey: Whether Hon'ble Minister has taken up some steps to reduce the rising price of rapping paper or to remove the obstacles coming in its way?

Secondly, whether Hon'ble Minister is aware that private bakeries are bringing pressure on Food Ministry and sending representation to him to the effect that Modern Bakeries should not be expanded and in this way Modern Bakeries have to face all these difficulties and as has been stated by the Hon'ble Member, they have to purchase wheat and flour from black market? Whether the Hon'ble Minister will make any efforts and take some steps to remove all these difficulties so that there may be expansion of Modern Bakeries?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे: मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि कहीं से भी विशेष रूप से गैर-सरकारी क्षेत्र से, ऐसा कोई दबाव नहीं डालने दिया जायेगा जो मार्डन वेकरीज के विस्तार में बाधक हो। वास्तव में जब यह परियोजना आरम्भ की गई तो हमने इन सभी बातों पर विचार किया और मेरे मंत्रालय तथा भारत सरकार ने इस सरकारी क्षेत्र के उपक्रम को पूरी तथा उदार सहायता दी, यही कारण है कि यह प्रगति कर रहा है यदि माननीय सदस्यों के मन में ऐसा कोई डर है कि नीचे के स्तर पर कोई व्यक्ति बाधा डाल रहा है तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम इसे उदार सहायता दे रहे हैं और देते रहेंगे तथा यदि कोई कठिनाइयां होंगी तो हम उनकी जांच करेंगे।

जहां तक लपेटने के कागज के कारखाने का सम्बन्ध है श्री आजाद ने भी इसका उल्लेख किया है। हम इसकी जांच करेंगे।

Shri Shashi Bhushan: The nan produced by Modern Bakeries successfully competes with the nan produced in Jama Masjid. It is Rs. 30 per kilogram in Ashoka Hotels and here it is about Rs. 4.50 per kilogramme. I would like to congratulate Modern Bakeries for this. Whether it is a fact that the *per capita* consumption of fuel for household cooking by the Indian woman and citizens is the largest in the world? Whether a flour mill will be set up in public sector in every town with a population of 5 lakhs and a modern bakery in a town with a population two lakhs for facility of working mothers and sisters and others? Whether except Burma, Ceylon and India people all over the world take bakery breads. Hon'ble Speaker visits hundreds of places and he must be aware that there is no need of rapping paper also. In France, etc. cheap breads are made in this way. Whether you are prepared to attach the research Centre to Modern Bakeries so that people are facilitated in future?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे: माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है वह बहुत संगत है, क्योंकि यदि प्रत्येक घर में पकाने की प्रक्रिया को अलग से लिया जाये मैंतो गृहणी की जो काम करना पड़ता है उसके अतिरिक्त, इससे ईंधन की कमी आदि की समस्याए भी पैदा होती हैं, और इससे घर का बजट भी बिगड़ जाता है। इस देश में तैयार रोटी सगठित रूप से सप्लाई किये जाने की आवश्यकता है। वास्तव में मार्डन बेकरीज की स्थापना वे नई सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए की गई थी। . मैं समझता हू कि जो अच्छे परिणाम निकल रहे हैं उससे हम ऐसा सुझाव देंगे जैसा कि माननीय सदस्य दे रहे हैं और सरकार इसके लिए प्रयत्न करेगी।

फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी के बारे में योजनाएं

798. **श्री अर्जुन सेठी**: क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों में 'फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी' के लिए किन योजनाओं को अन्तिम रुप दिया गया है तथा चालू वित्तीय वर्ष में इसके लिए बजट में कितनी राशि रखी गई है;

(ख) क्या उड़ीसा सरकार ने इस बारे में पहिले ही एक योजना प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) 'फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी' के लिए इस योजना के शीघ्र क्रियान्वित करने हेतु मंजूरी शीघ्र देने के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या विशेष कार्यवाही की है?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) से (घ). एक विवरण सभापटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) पांचवीं योजना के दौरान 30 मार्गदर्शी परियोजनाओं सहित 'फिश फारमर्स डेवलपमेंट एजेंसी' की योजना का कुल परिव्यय 9 करोड़ रुपये है। चौथी योजना के दौरान जिन राज्यों ने अग्रिम कार्यवाही के रूप में योजना के अन्तर्गत प्रस्ताव भेजे थे वे बिहार मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और असम थे, जिनके लिये अपेक्षित स्वीकृति जारी कर दी

गई थी। पांचवं योजना के दौरान, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल और हरियाणा से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन योजनाओं के लिये वर्ष 1975–76 के बजट प्राक्कलन में 65 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

(ख) जी हां।

(ग) गंजम जिले में एक एजेंसी स्थापित करने का विचार है, जिसका मुख्यालय बेरहामपुर में होगा। प्रारम्भ में 62 हैक्टार जल क्षेत्र का विकास किया जायेगा। 46 हैक्टार क्षेत्र में मछली के नए तालाब बनाए जायेंगे और 16 हैक्टार नाकारा तालाबों का सुधार किया जायेगा। मात्स्यकी प्रशिक्षण केन्द्र में 9 महीनों की अवधि के लिये मीन–पालन की तकनीकों में 32 चुनींदा अभ्यार्थियों और एक राज्य फार्म में एक पखवाड़े के लिये 75 मत्स्य–पालकों या पट्टेदारों को प्रशिक्षण देने का विचार है। बेरहामपुर के धोबाबन्धा नामक स्थान पर एक डिमोपना फार्म राज्य सरकार द्वारा एजेंसी को दिया जायेगा। इस फार्म का कुल क्षेत्र एक हैक्टार होगा और इसकी उत्पादन की क्षमता प्रतिवर्ष 7 लाख डिमोपना की होगी। वर्ष 1975–76 के दौरान इस योजना के लिये राज्य सरकार को ऋण तथा अनुदान के लिए क्रमशः 0.57 लाख रुपये और 4.53 लाख रुपये की आवश्यकता होगी।

(घ) इस योजना पर विचार किया जा रहा है और इसके शीघ्र स्वीकृत होने की सम्भावना है।

श्री अर्जुन सेठी : विवरण से यह मालूम होता है कि पांचवी योजना में किसी भी राज्य में, जिसने कृषि मंत्रालय को अपने प्रस्ताव पेश किये, कोई भी योजना स्वीकृत नहीं की गई है। इन परियोजनाओं को स्वीकृत करने में क्या कठिनाई है जिससे ये योजनाएं चालू हों ? उड़ीसा राज्य के सम्बन्ध में हमें कहा गया है कि कृषि मंत्रालय ने राज्य सरकार की स्थिति के बारे में बता दिया है राज्य सरकार को आदेश जारी करने में क्या कठिनाई है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : हम उन योजनाओं पर स्वीकृति देने ही वाले हैं और वित्त मंत्रालय सिद्धान्तरूप में सहमत हो गया हैं। ऐसे मामलों में हमें कुछ प्रक्रिया अपनानी हैं और हमें योजना वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के समक्ष रखनी हैं। वित्त मंत्रालय इस बात के लिए सहमत हो गया है कि इस मामले में प्रक्रिया अपनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वित्त मंत्रालय द्वारा मांगा गया कुछ स्पष्टीकरण हमने दे दिया है और ज्योंही हमें अन्तिम स्वीकृति प्राप्त हो जायेगी हम योजना चालू कर देंगे।

श्री अर्जुन सेठी : वर्ष 1974–75 के लिए मंत्रालय के प्रतिवेदन में पृष्ठ 83 पर यह कहा गया है कि जैसे ही चुने हुए क्षेत्रों में अपेक्षित सुधार हो जायेंगे, आशा है कि मत्स्यपालन आरम्भ किया जायेगा। वे अपेक्षित सुधार क्या हैं जो वे उन परियोजनाओं के बारे में करना चाहते हैं ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : इन परियोजनाओं का उद्देश्य छोटे मछली पकड़ने वालों की सहायता करना है। हम सभी जानते है कि मछली पकड़ने वाले हमारे समाज में सबसे निर्धन वर्गों में से हैं और उनकी सहायता के लिए संगठित प्रयत्न आवश्यक है। अतः देश में बीस राज्यों में मछुओं के विकास अभिकरण स्थापित करने का प्रस्ताव है। मुख्य उद्देश्य यह है कि छोटे मछुओं को यह कार्य वैज्ञानिक आधार पर आरम्भ करने के लिए प्रोत्साहित किया जाये।

श्री आदि चरण दास : सभा-पटल पर रखे गये विवरण से यह ज्ञात होता है कि उड़ीसा सरकार ने एक प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार को भेजा है । क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि योजनाएं क्या हैं, कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है और कितनी खर्च हुई है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : पांच राज्य सरकारों अर्थात् पश्चिम बंगाल, बिहार, कर्नाटक आसाम और मध्य प्रदेश के प्रस्ताव स्वीकृत किये गये । शेष राज्यों के सम्बन्ध में, वस्तुतः कोई भी राज्य छोड़ा नहीं गया है और सभी योजनाएं सक्रियरूप से विचाराधीन हैं । जैसा कि मैंने पहले कहा था कि जैसे ही अन्तिम सहमति मिल जायेगी स्वीकृति आदेश जारी किये जायेंगे ।

श्री बी० बी० नायक : क्या मैं जान सकता हूं कि मछुओं का एक सम्मेलन शीघ्र बुलाया जायेगा ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : यदि माननीय सदस्य प्रस्ताव करें तो हम इसका समर्थन करेंगे ।

गेहूं और धान का उत्पादन और वसूली

802. **श्री बी० वी० नायक** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गेहूं और धान की वसूली के राज्यवार लक्ष्य क्या हैं, उनमें गेहूं और धान का कितना कितना उत्पादन हुआ और उन राज्यों की जनसंख्या कितनी कितनी है; और

(ख) क्या विभिन्न राज्यों के बीच समानता सुनिश्चित करने के लिये उपरोक्त तीनों एक दूसरे के साथ सम्बन्धित हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 9533/75**]

श्री बी० वी० नायक : विवरण में अखिल भारतीय आबादी 5040 लाख दी गई है । मुझे आशा है कि यह मुद्रण की गल्ती है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि यह इससे ज्यादा है । आबादी तथा चावल के उत्पादन और वसूली के सम्बन्ध में यदि दो पड़ोसी राज्यों की तुलना करें तो आंध्र में चावल की वसूली 900,000 टन है तथा उत्पादन 53 लाख टन है जब कि आबादी 460 लाख है । तमिलनाडु में चावल की वसूली 300,000 टन है और उत्पादन 55 लाख टन है तथा आबादी 430 लाख है जो आंध्र से कम है । आन्ध्र की तुलना में तमिलनाडु का उत्पादन अधिक है और आबादी कम है तथा वसूली का लक्ष्य आन्ध्र की अपेक्षा एक तिहाई है । द्र०मु०क० सरकार को केवल एक तिहाई की वसूली करने के लिए कहा गया है जब कि आन्ध्र में सनाधारी दल की सरकार को तमिलनाडु से तिगुनी वसूली के लिए कहा गया है जब कि आंध्र की आबादी अधिक है और उत्पादन कम है । आपने कहा कि पारस्परिक समता है । कोई पारस्परिक समता नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप प्रश्न आधा मिन्ट में समाप्त नहीं करते तो मैं यह घोषणा करने जा रहा हूं कि प्रश्न-काल समाप्त हो गया है ।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मैं जन संख्या के इस आंकड़े की जांच करूंगा किन्तु मैं माननीय सदस्य को यह बतला दूं कि यह खाद्य की खपत के प्रयोजन के लिए वयस्क आबादी की द्योतक है । किन्तु यदि कोई गल्ती होगी तो मैं उसकी जांच करूंगा ।

श्री बी० वी० नायक : क्या आप का यह अर्थ है कि बच्चे खाना नहीं खाते हैं ?

श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे : जैसे मैं ने कहा है कि यदि कोई गल्ती हुई तो मैं उसकी शुद्धि करने के लिए नहीं हिचकिचाऊंगा जहां । तक वसूली का सम्बन्ध है यह कई कारणों से है । उदाहरणार्थ, आन्ध्र प्रदेश के समस्त डेल्टा क्षेत्र में उत्पादन बहुत ऊंचा है जबकि आबादी तुलना में कम है । स्वभावत: वसूली का लक्ष्य ऊंचा होगा । इसका सम्बन्ध केवल आबादी ही से नहीं है किन्तु अन्य बातों से भी है । वसूली का लक्ष्य निर्धारित करने से पूर्व न केवल आबादी तथा उत्पादन का ही किन्तु सभी बातों पर विचार किया जाता है ।

श्री बी० वी० नायक : भारत सरकार अपने आपको केवल आयातित खाद्यान्नों तक ही क्यों सीमित नहीं करती है और क्यों वसूली राज्यों पर नहीं छोड़ती है क्योंकि वे अच्छा काम कर रहे हैं और वे इसे करने के योग्य मालूम होते है ।

श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे : माननीय सदस्य का सुझाव माना नहीं जा सकता है क्योंकि इस देश में कुछ कमी वाले क्षेत्र हैं और यह भारत सरकार का काम है कि वह इन क्षेत्रों के हितों को देखे ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में चोरियों, धोखाधड़ियों तथा गबन के मामलों का समाचार

*791. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में धोखाधड़ियों, चोरियों और गबन के कितने मामलों की गत तीन वर्षों के दौरान सरकार को सूचना दी गई;

(ख) इस प्रकार सूचित किये गए बड़े-बड़े मामलों की मुख्य रूपरेखा क्या है;

(ग) प्रत्येक मामले से सम्बद्ध व्यक्तियों के नाम और ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक मामले में कुल कितनी राशि अन्तर्गस्त है; और

(घ) इनमें से प्रत्येक मामले पर यदि कोई कार्यवाही की गई है, तो वह क्या है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में द्वितीय श्रेणी के इंजीनियरों को भूतलक्षी प्रभाव से स्थायीकरण का लाभ

*792. **श्री पी० एम० सईद :** क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में द्वितीय श्रेणी के इंजीनियरों के स्थायी पदों के बारे में 24 फरवरी, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 983 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में द्वितीय श्रेणी

के उन सहायक इंजीनियरों को, जो पहले ही स्थायी हैं, भूतलक्षी प्रभाव से स्थायीकरण का लाभ देने की निश्चित तिथि क्या है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : अतारांकित प्रश्न संख्या 983 के सरकार के उत्तर में इस बात का उल्लेख नहीं है कि जिन सहायक इंजीनियरों की पुष्टि पहले ही कर दी जा चुकी है उन की पुष्टिकरण की तारीखों को और आगे बढ़ाने का विचार है। अतः ऐसा करने के लिए निश्चित तारीख बताने का प्रश्न ही नहीं उठता।

वेरावल पत्तन

*795. **श्री डी० पी० जदेजा :**
श्री एन० आर० बकारिया :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य का वेरावल पत्तन को मछली पकड़ने वाला बन्दरगाह घोषित कर दिया गया है ;

(ख) ऐसे बड़े एकाधिकार गृहों के नाम और संख्या क्या हैं जिन्हें वहां पर मछली पकड़ने का व्यापार करने की अनुमति दी गई है ; और

(ग) छोटे मछियारों के कारोबार की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पो० शिन्दे) : (क) से (ग). राज्य सरकार ने वेरावल पत्तन को मछली पकड़ने वाला बन्दरगाह घोषित कर दिया है।

मैसर्स दिल्ली क्लाथ मिल्स लि० को वेरावल में 3000 मीटरी टन की वार्षिक क्षमता से मत्स्य-परिसंस्करण की सुविधाएं स्थापित करने के लिए एक आशय पत्र जारी किया गया है। मैसर्स कोंक न मात्स्यकी (प्रा०) लि०, जो मैसर्स चौगुले एण्ड कम्पनी की सहायक कम्पनी है, ने वेरावल, तूतीकोरिन, काकिनाड़ा, विशाखापत्तनम अथवा गोपालपुरम में कुल 3,050 मीटरी टन की क्षमता से मत्स्य परिसंस्करण की सुविधाएं स्थापित करने के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन किया है। यह विचाराधीन है।

छोटे मछुओं के हितों की रक्षा करने के लिए छोटी नावों और ट्रालरों के लिए अलग-अलग मात्स्यकी क्षेत्रों की सीमांकन के उपायों पर सरकार विचार कर ही है।

माडर्न बेकरीज का नान

*799. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :**
सरदार मोहिन्दर सिंह गिल :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या अब बनने वाली माडर्न बेकरीज की नान आम आदमी की अपेक्षा होटल मालिकों के लिए अधिक आकर्षक होगी क्योंकि इसका मूल्य अधिक है,

(ख) क्या उत्पादन प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करने के लिए कि जनता इसे पसंद करती है उपयुक्त मार्केट सर्वेक्षण किया गया था और यदि हां, तो नान का उत्पादन आरम्भ करते समय इस पक्ष में क्या बातें उपलब्ध थीं, और

(ग) इस नये उत्पाद के प्रति बाजार की क्या प्रतिक्रिया हुई है तथा ऐसी अधिक वस्तुओं का उत्पादन करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है जिन्हें आम आदमी आसानी से खरीद सकें ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पो० शिन्दे) : (क) जी नहीं। प्रत्येक 100 ग्राम के वजन के दो नानों के ग्रुक पैकट का मूल्य 90 पैसे है, जोकि दिल्ली के भोजनालयों में बिक रहे खुले नानों की तुलना में कम हैं। मौजूदा संकेतों के अनुसार, इनको उपभोक्ताओं द्वारा अधिकांशत: सीधे खुदरा केन्द्रों से ही खरीदा जा रहा है।

(ख) इस उत्पाद को शुरू करने से पहले कम्पनी ने लगभग तीन महीने स्वीकार्यता परीक्षण और उपभोक्ता सर्वेक्षण किए थे। बाजार में और यहां तक कि आम जनता के छोटे भोजनालयों में उपलब्ध प्रतियोगी उत्पादों की तुलना में भी आधुनिक नान सस्ते पाये गए थे। जिस साफ़-सुथरे ढंग से इसे पेश किया गया है उपभोक्ता ने उसकी तारीफ़ की है और इसे सुविधाजनक आहार के रूप में स्वीकार किया है।

(ग) इस नये पदार्थ को बाजार में अब तक अच्छी तरह स्वीकार किया गया है और इसको चालू करने के कुछ ही दिनों में इसकी बिक्री 20,000 नान प्रति दिन तक पहुंच गयी। होल मील नान आदि सहित अन्य किस्मों के पदार्थ तैयार करने के लिए परीक्षण किए जा रहे हैं।

दिल्ली विश्वविद्यालय तथा कालेज कर्मचारी संघ द्वारा आन्दोलन

*800. **श्री डी० के० पण्डा** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय तथा कालेज कर्मचारी संघ ने अपनी मांगों के समर्थन में आंदोलन आरम्भ करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उन्होंने किन मांगों के लिए जोर दिया है तथा इनके बारे में सरकार का निर्णय क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) और (ख). विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, दिल्ली विश्वविद्यालय तथा कालेज कर्मचारी संघ ने विश्वविद्यालय--हालों तथा कालेज छात्रावासों इत्यादि के कर्मचारियों के वेतनमानों में परिशोधन, सेवा शर्तों और सेवा निवृत्ति लाभों से सम्बन्धित अपनी मांगों के समर्थन में 3 अप्रैल, 1975 से आंदोलन आरम्भ किया था।

गैर-अध्यापन स्टाफ़ के अधिकांश वर्गों के वेतनमानों को परिशोधित कर दिया गया है और विश्वविद्यालय प्राधिकारियों ने सेवा शर्तों तथा निवृत्ति लाभों से सम्बन्धित मामलों की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त की है।

संघने 20 अप्रैल, 1975 से आंदोलन बन्द कर दिया है।

दिल्ली के अध्यापकों द्वारा आन्दोलन समाप्त किये जाने के बाद उन्हें परेशान किया जाना

*801. **श्री के० एस० मधुकर :**
श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के अध्यापकों द्वारा 25 मार्च, 1975 को आंदोलन समाप्त कर दिए जाने के बाद, दिल्ली प्रशासन उन्हें विभिन्न तरीकों से परेशान कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो कितने शिक्षकों को परेशान किया जा रहा है और किस प्रकार परेशान किया जा रहा है; और

(ग) क्या सरकार का विचार अध्यापकों को परेशानी से बचाने के लिए इस मामले में हस्तक्षेप करने का है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी०पी० यादव) : (क) से (ग). दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार अध्यापकों की 'बैठ–हड़–ताल' की अवधि के दौरान ऐसा बताया गया है कि कुछ अध्यापकों ने अपने साथियों को अपने सामान्य कर्त्तव्यों को निभाने में भाग न लेने के लिये उत्तेजित किया तथा इच्छुक अध्यापकों को अपने कर्त्तव्यों के पालन करने से रोका था । ऐसे मामलों की जांच करने के पश्चात्, दिल्ली प्रशासन के एक पुस्तकाध्यक्ष सहित 49 अध्यापकों तथा दिल्ली नगर निगम के 25 अध्यापकों को मुअत्तल कर दिया गया था। अध्यापक–संघों की संयुक्त परिषद् के प्रतिनिधियों ने मुअत्तल आदेशों को रद्द कराने के लिये उपराज्यपाल को प्रतिवेदन दिया है। मामला दिल्ली प्रशासन के विचाराधीन ।

पंजाब से चोरी छिपे हिमाचल प्रदेश को खाद्यान्न ले जाना

*803. **श्री झारखण्डे राय:** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब से हिमाचल प्रदेश को बड़े पैमाने पर चोरी छिपे खाद्यान्न ले जाया जा रहा है,

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं, और

(ग) अन्तर्राज्यीय चैक पोस्टों पर नियुक्त कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शन्दे) : (क) से (ग) . राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार, पंजाब से हिमाचल प्रदेश को खाद्यान्नों की तस्करी बड़े पैमाने पर नहीं हो रही है। तथापि, तस्करी के इक्के–दुक्के, मामलों को पूर्ण-तया बन्द नहीं किया जा सकता है। राज्य सरकार इस दिशा में सतर्क है और यथा आवश्यक सख्त कार्यवाही करती है।

पांचवीं योजना में दुग्ध क्रांति (बाइट रेवोल्युशन) के लिये पशु पालन और डेरी विकास

*804. **श्री बसन्त साठे :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पांचवीं योजना के दौरान दुग्ध क्रांति लाने के लिए देश में पशु पालन और डेरी विकास संबंधी कोई समेकित कार्यक्रम तैयार किया है :

(ख) यदि हां, तो इसका राज्यवार, ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कार्यक्रम के लिये क्या-क्या वस्तुएं आयात की जायेंगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख). जी हां। सरकार ने पांचवीं योजना के दौरान पशु, प्रजनन, पशु स्वास्थ्य, दाने चारे और डेरी व्यवस्था के क्षेत्र में कई समेकित उपाय किये हैं, ताकि वर्ष 1973-74 में 232 लाख मीटरी टन के दुग्ध उत्पादन के स्तर को बढ़ा कर 1978-79 में 286 लाख मीटरी टन कर दिया जाये। दूध का उत्पादन बढ़ाने में समय लगता है। यह अनुमान लगाया गया है कि यद्यपि इन प्रयासों से दूध का उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिलेगी लेकिन इस पांच वर्ष की छोटी-सी अवधि के दौरान दूध की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये श्वेत क्रांति को लाना सम्भव नहीं है।

(ग) इन कार्यक्रमों के लिये आयात की जाने वाली वस्तुएं बहुत कम होंगी। भारत में निर्माण न होने वाले डेरी उपकरणों, संकर प्रजनन कार्यक्रम की सहायता के लिये विदेशी पशुओं तथा ऐसी अन्य वस्तुओं का ही आयात किया जायेगा जो देश में उपलब्ध नहीं हो।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के स्लम विभाग का कार्यकरण

*805. **श्री एम० कतामुतु :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्लम विभाग को दिल्ली नगर निगम से दिल्ली विकास प्राधिकरण को स्थानान्तरित किये जाने पर भी उसके कार्यकरण में कोई सुधार नहीं हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो विभाग के पास क्रियान्विति हेतु क्या योजनाएं हैं; और

(ग) इन योजनाओं को क्रियान्वित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग). गन्दी बस्ती विभाग का दिल्ली विकास प्राधिकरण में हस्तांतरण होने के पश्चात् इसके कार्य में प्रगति हुई है तथा सभी स्वीकृत योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

रबी की फसल का सम्भावित उत्पादन

*806. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष लगभग सभी राज्यों में रबी की फ़सल अच्छी होने की सम्भावना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख). 1974–75 के दौरान रबी फ़सलों के उत्पादन के पक्के अनुमान चालू कृषि वर्ष समाप्त होने पर अर्थात् जुलाई–अगस्त, 1975 में किसी समय उपलब्ध हो सकेंगे। तथापि, वर्तमान संकेतों के अनुसार रबी की फ़सल के आसार बहुत अच्छे हैं। इस वर्ष रबी फ़सलों के अखिल भारतीय उत्पादन में 1973–74 के उत्पादन की तुलना में काफी वृद्धि होने की संभावना है।

Central Assistant for use of Underground Water in Rajas than

†*807. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Agriculture & Irrigation** be pleased to state the areas in Rajasthan where underground water is available and the scheme proposed by the Central Government for giving assistance to Rajasthan for utilising underground water and to promote agriculture in that State indicating the nature of assistance to be given and the time by which the scheme is likely to be implemented?

The Miniter of State in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Shah Nawaj Khan) : On the basis of survey and exploration for ground-water conducted by the Central Groundwater Board potentiality for development of groundwater has been established in parts of the districts of Bikaner, Barmer, Churu, Jhunjhunu, Sikar, Nagaur, Pali, Ganganagar, Jaisalmer, Jalore and Jodhpur. Such areas are to be developed by the State Government. The Central Government provide assistance to the States in the form of grants and loans in bulk form for the annual Plan of the State Government for their overall development programme which include development of groundwater. Under certain schemes for rural development, it is proposed to tap ground water for promoting agriculture in the State. In drought prone areas programme during the Fifth Plan, it is proposed to construct 1525 medium duty tubewells, 775 dug wells, 4175 wells to be deepened by blasting, 1325 wells to be deepened by boring and installation of 2450 Pump sets in Jalore, Dungarpore, Baiswana, Pali, Bikaner, Barmer, Jaisalmer, Churu, Nagaur and Jodhpur. The Central Government would provide a total allocation of Rs. 33.8 crores for the districts under Drought Prone areas programme to be equally matched by the State Government. Besides, under 5 SFDA/MFAL Projects started in the Fourth Five Year Plan and continuing in the Fifth Five Year Plan there is a provision for subsidy of 25%/33 1/3% for small and marginal farmers respectively and of 50% for community irrigation schemes.

गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुदान

*808. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972–73, 1973–74 और 1974–75 के दौरान गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कुल कितनी राशि अनुदान के रूप में दी गई ;

(ख) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इसे दिए गए अनुदान के उपयोग के बारे में 21 मार्च, 1975 को विद्यापीठ के छात्रों ने जांच करने की मांग की है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ; और

(घ) छात्रों की मांग को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार उसने विद्यापीठ को पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित विकास अनुदान दिये हैं :—

1972–73	7,36,876/– रु०
1973–74 . .	7,72,711/– रु०
1974–75	9,04,767/– रु०

(ख) से (घ). न तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को और न ही गुजरात विद्यापीठ को छात्रों से ऐसा कोई प्रत्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें अनुदान आयोग द्वारा दिये गये अनुदानों के उपयोग के विषय में जांच करने से सम्बन्धित मांग की गयी हो। तथापि, 24 मार्च, 1975 को कुलपति को पेश किए गये एक ज्ञापन में छात्रों ने अन्य बातों के साथ साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की दो योजनाओं अर्थात् "छात्र सहायक कोष" और "छात्र सुख सुविधा" से सम्बन्धित सूचना मांगी है। जहां तक पहली योजना का सम्बन्ध हैं, छात्रों की स्थिति स्पष्ट कर दी गयी थी तथा वे उससे सन्तुष्ट थे और कुलपति छात्रों के इस अनुरोध से सहमत थे कि दूसरी योजना को कार्यान्वित करने के तत्काल पश्चात् उससे सम्बन्धित लेखों को प्रकाशित कर दिया जाये।

सूखाग्रस्त राज्यों द्वारा मांगी गई वित्तीय सहायता

*809. **श्री एन० ई० होरो** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूखे से उत्पन्न स्थिति पर काबू पाने के लिये विभिन्न राज्यों द्वारा 15 मार्च, 1975 तक खाद्यान्नों की और वित्तीय सहायता कितनी-कितनी मांगी गई; और

(ख) राज्यवार इनकी मांग कहां तक पूरी की गई है ?

कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (अण्णासाहिब पो० शिन्दे) : (क) तथा (ख). वित्तीय वर्ष 1974–75 के दौरान सूखे से प्रभावित विभिन्न राज्यों द्वारा मांगी गई वित्तीय सहायता, उनको स्वीकृत की गई और निर्मुक्त की गई धनराशि नीचे दी जा रही है:—

राज्य	मांगी गई धनराशि	स्वीकृत की गई धनराशि	निर्मुक्त की गई धनराशि
		(रुपये करोड़ में)	
बिहार (सूखा/बाढ़)	20.00	4.00	4.00
गुजरात (सूखा)	48.75	14.14	13.39*
हरियाणा (सूखा)	15.00	2.00	2.00
मध्य प्रदेश (सूखा)	30.00	6.50	6.50
उड़ीसा (सूखा)	25.33	7.91	7.91
राजस्थान (सूखा)	15.00	10.24	10.24
तमिलनाडु (सूखा)	25.00	7.50	7.50
पश्चिम बंगाल (सूखा /बाढ़)	15.00	2.25	कुछ नहीं

*(सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के लिये अतिरिक्त 3.50 करोड़ की राशि सहित)

2. इन राज्यों द्वारा मांगी गई खाद्यान्नों (गेहूं, चावल तथा मोटे अनाजों) की मात्रा और जुलाई 1974 से मार्च 1975 तक की अवधि के दौरान उनको अलाट की गई मात्रा नीचे दी गई है:—

('000 मीटरी टनों में)

राज्य	मांग	अलाटमेंट
बिहार	725.0	565.0
गुजरात	1575.0	672.0
हरियाणा	210.0	145.0
मध्य प्रदेश	188.5	95.0
उड़ीसा	290.5	182.3
राजस्थान	428.0	267.2
तमिलनाडु	416.0	189.0
पश्चिम बंगाल	1545.0	1163.0

विभिन्न खेल-कूद संगठनों को जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धान्त

*810. **श्री गजाधर माझी :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने विभिन्न खेल-कूद संगठनों को क्या मार्ग दर्शी सिद्धान्त जारी किये हैं; और

(ख) क्या इंडियन ओलम्पिक ऐसोसियेशन ने इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों में कतिपय संशोधनों का सुझाव दिया है; और यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

(ख) भारतीय ओलम्पिक संघ द्वारा जिन संशोधनों का सुझाव दिया गया है, वे अखिल भारतीय खेल परिषद् के विचाराधीन हैं । परिषद् की सिफारिशें प्राप्त होने पर सरकार उस मामले पर विचार करेगी ।

विवरण

15 सितम्बर, 1974 से राष्ट्रीय खेल-कूद फ़ेडरेशन/एसोसियेशनों को वित्तीय तथा अन्य सहायता 9 अप्रैल, 1974 को उन्हें परिचालित निम्नलिखित मार्गदर्शी रूप-रेखाओं के पालन करने पर दी जाती है:--

(1) कि राष्ट्रीय संगठन में कोई भी व्यक्ति अपने पद पर लगातार एक कार्य-अवधि अथवा 3 वर्ष से अधिक तक अथवा यदि वह दूसरी कार्य-अवधि के लिए सर्वसम्मति से चुन लिया गया हो, तो वह अधिक से अधिक दो कार्य-अवधियों अथवा 6 वर्ष से अधिक नहीं रहा है अथवा नहीं रह सकता।

(2) कि राष्ट्रीय संगठन का कोई भी पदधारी अपने पद पर रहते हुए, किसी अन्य राष्ट्रीय संगठन का पदधारी नहीं हो सकता ।

स्पष्टीकरण : धारा (1) और (2) में पदधारी शब्द का अर्थ इस प्रकार है:--

(क) अध्यक्ष

(ख) उपाध्यक्ष

(ग) कोषाध्यक्ष

(ख) सचिव/महासचिव अथवा कोई तदनुरूपी पद

(3) कि संगठन के वार्षिक लेखे समुचित रूप से रखे गए हैं तथा उनकी जांच नियमित रूप से कराई गई है और इसके विधान के अन्तर्गत विभिन्न अपेक्षित कार्यकारी बैठकें विधिवत् आयोजित की गई हैं ।

(4) कि प्रत्येक राष्ट्रीय फेडरेशन/एसोसियेशन विशेषज्ञता के अपने विशिष्ट क्षेत्र में; राष्ट्रीय शिक्षकों की नियुक्ति अखिल भारतीय खेल-कूद परिषद् की पूर्व अनुमति से कर रहा है अथवा करेगा ।

(5) कि विशेषज्ञता के अपने-अपने क्षेत्रों में, जहां सम्भव हो, राष्ट्रीय फेडरेशन/एसोसियेशन जूनियर तथा सब-जूनियर स्तरों पर विशिष्ट आयु-वर्गों के लिये कम से कम दो प्रतियोगिताएं प्रतिवर्ष आयोजित कर रहे हैं अथवा करेंगे । प्रत्येक राज्य में ये प्रतियोगिताएं अन्तर ब्लाक तथा अन्तर जिला प्रतियोगिताओं के माध्यम से आयोजित की जानी चाहिए, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता आयोजित की जा सके ।

(6) विशेषज्ञता के अपने-अपने विशिष्ट क्षेत्र के अन्तर्गत, राष्ट्रीय फ़ेडरेशनों/एसोसियेशनों की सदस्यता तदनुरुपी राज्य तथा राष्ट्रीय फ़ेडरेशनों/एसोसियेशनों से सम्बद्ध अन्य विशेष एककों तक ही सीमित होती है और जहां कोई राष्ट्रीय फ़ेडरेशन/एसोसियेशन अलग-अलग क्लबों अथा अलग-अलग व्यक्तियों की सदस्यता स्वीकृत करती है, वहां ऐसी सदस्यता किसी भी फ़ेडरेशन/एसोसियेशन की किसी भी बैठक में मत देने का अधिकार ऐसे सदस्यों को प्रदान नहीं करती है ।

आयातित गेहूं पर खाद्य राज सहायता

*811. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :** क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आयातित गेहूं पर कोई खाद्य-राज सहायता दे रही है; और

(ख) यदि हां, तो प्रति क्विंटल कितनी राज सहायता दी जा रही है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) 1974–75 में आयातित गेहूं के बारे में प्रति क्विंटल पर राज सहायता की औसत दर 55.92 रुपये प्रति क्विंटल थी ।

देश में बाल कल्याण केन्द्र और संस्थाएं

7678. **श्री कुशक बाकुला :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि, विश्व स्वास्थ्य संगठन और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा प्रायोजित और वित्तपोधित कितने बाल कल्याण केन्द्र और संस्थाएं हमारे देश में हैं; और

(ख) उनके नाम क्या हैं और वे कहां-कहां स्थित हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरन्विद नेताम) : (क) और (ख). यह जानकारी एकत्रित की जा रही है और उसे सभा के पटल पर रख दिया जाएगा ।

गूंगे, बहरे, नेत्रहीन तथा अपंग व्यक्तियों के लिए आरक्षण

7679. **श्री अरविन्द एम० पटेल :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गूंगे, बहरे, नेत्रहीन तथा अन्य अपंग व्यक्तियों के लिये नौकरियों में दो प्रतिशत आरक्षण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख). इस मामले में अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

सिंचाई सुविधाओं का विकास करने के लिए गोआ को केन्द्रीय सहायता

7680. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने सिंचाई सुविधाओं का विकास करने के लिए गोआ को वर्ष 1975-76 के दौरान कोई सहायता दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) और (ख). संघ शासित क्षेत्रों के लिये केन्द्रीय सहायता योजनावार अथवा क्षेत्रवार नहीं दी जाती । गोआ, दमन और दियु संघ शासित क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था हेतु 1975–76 के दौरान 1.37 करोड़ रुपये का परिव्यय परिकल्पित है ।

स्कूलों और कालेजों में शिक्षा का पाठ्यक्रम

7681. **श्री वयालार रवि :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि स्कूलों और कालेजों में शिक्षा का पाठ्यक्रम पुराना हो गया है और इसका पूर्णरूपण पुनरीक्षण किये जाने की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस दिशा में क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख). पाठ्यचर्या सुधार का कार्य एक सतत प्रक्रिया है। राज्य शिक्षा बोर्ड, तथा अन्य निकाय, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् तथा विश्वविद्यालय ऐसे सुधार कार्यों में लगे हुए हैं । राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् की एक विशेषज्ञ समिति ने हाल ही में स्कूल शिक्षा के प्रथम दस वर्षों के लिए पाठ्यचर्याओं की मार्गदर्शी रूपरेखाओं के संबंध में एक निबंध तैयार किया है। वे अब उच्चतर माध्यमिक स्तर के लिए पाठ्यचर्या पर कार्य कर रहे हैं । विश्वविद्यालय स्तर पर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भी विश्वविद्यालयों को आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करता है ।

नालन्दा में ह्यू न-सांग स्मारक का निर्माण

7682. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में नालन्दा में ह्यून-सांग स्मारक के निर्माण कार्य में अद्यतन क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या इसके निर्माण के बाद इसे किसी उपयोग के लिए रखा जा रहा है ; और

(ग) इस स्मारक के लिए प्रबन्ध किस प्रकार का होगा और वर्तमान प्रबन्ध समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) नालन्दा में ह्यू न-सांग स्मारक हाल पूरा हो गया है लेकिन सागौन की लकड़ी की दिलहाबन्दी छत पर पेरिस-प्लास्टर करना, छत पर फ़ीरोजा ग्लेज़ड टाइलें लगाने से सम्बन्धित जैसे जिन कुछ कार्यों की मूल रूप में परिकल्पना की गई थी, उनकी उच्च दरों को ध्यान में रखते हुए नहीं किय गया था ।

(ख) उसे किसी उपयोग के लिए नहीं रखा जा रहा है ।

(ग) इस समय स्मारक के लिए कोई प्रबन्धक समिति नहीं है । इस स्मारक तथा नव नालन्दा महावीर के समेकित विकास के लिए एक स्वायत्त रजिस्टर्ड निकाय को गठित करने का प्रश्न बिहार सरकार की विचार-विमर्श से सरकार के विचाराधीन है ।

Allocation of Nitrogenous Fertilizers to Madhya Pradesh

7683. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether Central Government have made any allocation of nitrogenous fertilisers to Madhya Pradesh during 1973-74 and this year; and

(b) if so, the quantities thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation Shri Prabhudas Patel) : (a) and (b). The following allocations of Nitrogen, in terms of plant nutrient, were made to Madhya Pradesh from the Central Fertiliser Pool and domestic manufacturers, during 1973-74 and 1974-75 :—

	Nitrogen (in tonnes)
1973-74 (Feb. '73—Jan. '74)	91,129
1974-75 (Feb. '74—Jan. '75)	1,14,684

भारतीय खाद्य निगम द्वारा कूच बिहार के लिए भण्डारण एजेंसी दिया जाना

7684. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले के लिये भण्डारण एजेन्सी एक ऐसी फ़र्म को दी है जिसके विरुद्ध अनियमितताओं और अन्य नियमों का उल्लंघन करने की शिकायतें हैं और पुलिस रिपोर्ट प्रतिकूल है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) :(क) और (ख). भारतीय खाद्य निगम ने सूचित किया है कि टेंडर में अंकित न्यूनतम दरों के आधार पर ही भण्डारण एजेन्ट नियुक्त किया गया था । उन्होंने यह भी सूचित किया है कि पुलिस द्वारा उसके विरुद्ध चीनी के स्टाक की घोषणा और उसकी मूल्य सूची न प्रदर्शित करने का मामला चलाया गया था और वह अब न्यायाधीन है ।

पूर्व और पूर्वोत्तर राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन श्रमिकों के लिए मकानों के प्लाटों की व्यवस्था

7685. **श्री शक्ति कुमार सरकार** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व और पूर्वोत्तर राज्यों में राज्य-वार ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन श्रमिकों के लिये मकानों के प्लाटों की व्यवस्था हेतु गत तीन वर्षों में कुल कितनी राशि मंजूर की गई है ;

(ख) उक्त योजना के अधीन इन राज्यों में भूमिहीन श्रमिकों के कितने परिवारों को राज्यवार किन-किन स्थानों पर लाभ हुआ है ;

(ग) इन राज्यों में, राज्यवार उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) पांचवीं योजनावधि में इन योजनाओं के इन राज्यों को राज्यवार कितनी धनराशि की मंजूरी दी गई ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क), (ख) तथा (ग). ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को आवास-स्थल देने की योजना, जो अक्तूबर, 1971 में चालू की गई थी, मार्च, 1974 तक केन्द्रीय क्षेत्र में थी । वर्ष 1972–73 तथा 1973-74 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में केवल निम्नलिखित 3 राज्यों के लिये परियोजनाएं

अनुमोदित की गईं । इन 3 राज्य सरकारों द्वारा आवंटन के लिए अभी तक विकसित किये गये आवास स्थलों की संख्या तथा किये गये खर्च के सम्बन्ध में सूचना नीचे दी गई है :—

राज्य का नाम	स्वीकृत आवास स्थलों की संख्या	अनुमोदित लागत	आबंटन के लिये विकसित आवास स्थलों की संख्या	खर्च
		लाख रुपयों में		लाख रुपयों में
बिहार	32608	62.87	8261	12.04
उड़ीसा	3349	8.40	498	0.15
पश्चिम बंगाल . .	11166	19.39	3910	3.50

पांचवीं पंचवर्षीय योजना अर्थात् 1-4-1974 के आरम्भ से योजना को राज्य क्षेत्र को हस्तान्तरित कर दिया गया है ।

(घ) 1974–75 तथा 1975–76 के दौरान न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के एक अंग के रूप में, इस योजना के कार्यान्वयन के लिये क्षेत्र में निम्नलिखित राज्यों के लिये योजना आयोग द्वारा अनन्तिम रूप से अनुमोदित राशि निम्नलिखित है :—

राज्य का नाम	अनुमोदित 1974–75	परिव्यय 1975–76
	(लाख रुपयों में)	
असम .	20.00	20.00
बिहार	50.00	30.00
मेघालय .	6.00	6.00
मणिपुर .	2.00	2.00
उड़ीसा	40.00	25.00
त्रिपुरा	3.00	3.00
पश्चिम बंगाल . .	50.00	50.00

पांचवीं पंच वर्षीय योजना के प्रत्येक शेष 3 वर्षों के दौरान योजना आयोग द्वारा, इन राज्यों के लिये वर्षवार नियतन अभी निर्धारित नहीं किया गया है ।

दिल्ली में जल सप्लाई और मल-निकासी के लिए सांविधिक बोर्ड की स्थापना

7686. **श्री भागीरथ भंवर :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में जल सप्लाई और मल निकासी की व्यवस्था की देखभाल के लिये सरकार का विचार एक सांविधिक बोर्ड की स्थापना करने की है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित बोर्ड की स्थापना कब की जायेगी ; और

(ग) उक्त बोर्ड के सदस्यों के नाम क्या हैं तथा इसके कार्य की मुख्य रूप रेखा क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग). दिल्ली जल पूर्ति तथा मल व्ययन बोर्ड की स्थापना के लिए एक विधेयक का प्रारूप विचाराधीन है ।

इस बोर्ड में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष तथा 10 अन्य सदस्यों के होने का प्रस्ताव है । जिसमें दिल्ली महानगर परिषद्, दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगरपालिका के प्रतिनिधि शामिल होंगे । बोर्ड का बड़ी मात्रा में जल उपलब्ध करना, उसका अनुरक्षण तथा जल की सप्लाई करना तथा मल एकत्रित एवं व्ययन करने जैसे सामान्य कर्त्तव्य का प्रस्ताव हैं ।

पश्चिम बंगाल में बड़ी तथा मध्यम दर्जे की सिंचाई परियोजनाएं

7687. **श्री टुना उरांव :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री देश में बड़ी तथा मध्यम दर्जे के सिंचाई योजनाओं के बारे में 17 मार्च, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3512 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल की तेरह बड़ी तथा मध्यम दर्जे की सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इन परियोजनाओं पर किस-किस तारीख को कार्य आरम्भ किया गया, इन पर कितनी राशि खर्च हुई और अब तक कितने प्रतिशत कार्य पूरा हुआ है ;

(ग) कौन-कौन सी परियोजनायें पूरी हो चुकी हैं और इन परियोजनाओं से लाभान्वित होने वाले गांवों के परियोजनावार नाम क्या हैं ;

(घ) क्या परियोजनाओं की पूर्ति में विलम्ब के बारे में कोई जांच की गई है ; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त जांच से क्या निष्कर्ष निकले तथा उसके आधार पर क्या कार्यवाही की गई ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) और (ख). सूचना संलग्न विवरण में दी गई है । [**ग्रन्थालय में रख दी गया । देखिए** संख्या एल०टी० 9534/75]

(ग) सूभानकर, बराई नहरें, काराटोआ और बन्धु परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। इन परियोजनाओं से लाभान्वित होने वाले ग्रामों के नामों की सूचना पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार से प्राप्त की जा रही है और यथासंभव शीघ्र ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) और (ङ). सूची में दी गयी 13 स्कीमों में से चार पूर्ण हो चुकी हैं, पांच पर कार्य काफ़ी हद तक पूरा हो चुका है और बाकी चार पर निर्माण कार्य चल रहा है। अतः किसी जांच कराने का प्रश्न नहीं उठना चाहिए।

सराय रोहिल्ला क्रासिंग पर सड़क-एव-ऊपरि पुल

7688. **श्री बरके जार्ज :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सराय रोहिल्ला क्रासिंग पर पिछले चार-पांच सालों से सड़क व ऊपरि पुल बन रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसका निर्माण अब तक पूरा न होने के क्या कारण है और यह यातायात के लिए कब तक तैयार हो जायेगा; और

(ग) इस ऊपरी पुल पर कितनी लागत आने का अनुमान है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) नेशनल प्रौजैक्ट कन्स्ट्रक्शन कार्पोरेशन की एजेंसी के द्वारा कार्य का निष्पादन किया जा रहा है। धीमी प्रगति के अलावा कुछ स्थानों पर भूमि को खाली करवाने में कुछ कठिनाई है। निगम को यह आशा है कि यह कार्य लगभग एक वर्ष में पूरा हो जायेगा बशर्ते कि उपर्युक्त कठिनाइयों को दूर कर दिया जाये।

(ग) 1.11 करोड़ रुपए।

दिल्ली स्कूल टीचर्स को-आपरेटिव हाऊस बिल्डिंग सोसाइटी

7689. **श्री नरेन्द्र सिंह :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री दिल्ली स्कूल टीचर्स को-आपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी के बारे में 9 दिसम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3739 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त सोसायटी के सदस्यों के नाम, पूरे पते, उनके सदस्य बनने की तारीखें उनके द्वारा जमा की गई तारीखवार जमाराशियां क्या हैं और दिल्ली/नयी दिल्ली में प्लाट के मालिक होने या न होने के बारे में प्रत्येक सदस्य द्वारा सहायक पंजीकृत, सहकारी समितियां, दिल्ली, को दिल्ली प्रशासन के 2 मार्च, 1974 के नोटिस के उत्तर न दिये गए शपथपत्र में दी गई जानकारी क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सिंचाई सुविधाओं के विकास के लिए राजस्थान को केन्द्रीय सहायता

7690. **श्री श्रीकिशन मोदी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने सिंचाई सुविधाओं के विकास के लिए राजस्थान को वर्ष 1975–76 के लिए कोई सहायता दी है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) और (ख). सिंचाई राज्य विषय है और सिंचाई स्कीमों का क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा उनकी विकासात्मक योजनाओं के अंतर्गत किया जाता है। राज्य योजनाओं को केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में दी जाती है और यह किसी विशेष स्कीम, स्कीमों के समूह या विकास शीर्ष से जुड़ी हुई नहीं होती । राजस्थान को 1975–76 की वार्षिक योजना के लिए 45.06 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता नियत की गई है ।

पोषाहार कार्यक्रम

7691. **श्री पो० गंगादेव :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974–75 में उड़ीसा के कौन से विकास खंड पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत थे और उन पर कितनी राशि खर्च की गई ;

(ख) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत इन पांच खंडों के अतिरिक्त किसी अन्य खंड को शामिल नहीं किया गया ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या पांचवीं योजना के व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम में खण्डों की संख्या उड़ीसा के लिए 30 से बढ़ाकर 50 कर दी गई है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) से (ङ). राज्य सरकार से आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

शीतल पेय के निर्माताओं को लेवी चीनी

7692. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने कोका-कोला को 2,541 टन लेवी चीनी देने की अनुमति दी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ;

(ग) क्या भारतीय ब्रांड नामों वाले शीतल पेय निर्माताओं को वर्ष 1968 में चीनी का ऐसा कोई कोटा नहीं दिया गया था;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या भारतीय ब्रांड नामों के शीतल पेय निर्माताओं को हाल ही में कोई लेवी चीनी का कोटा दिया गया था और यदि हां, तो उनके क्या नाम हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) कोका-कोला निर्यात निगम को निर्यात हेतु कोका कोला सांद्रण तैयार करने के लिए जून, 1967 और नवम्बर, 1967 के बीच, जबकि चीनी पर पूर्ण नियंत्रण था, 2,4541 मीटरी टन लेवी चीनी का आंवटन किया गया था ।

(ग) और (घ). 23-11-67 से आंशिक नियंत्रण की नीति लागू करने के बाद दवाईयों, शिशु आहार और निर्यात हेतु विधायित आहार के निर्माताओं को छोडकर, शीतल पेय के निर्माताओं सहित किन्हीं थोक उपभोक्ताओं को लेवी चीनी का कोई आंवटन नहीं किया गया था ।

(ङ) जी नहीं ।

पूर्वोत्तर राज्यों सिंचित क्षेत्र की प्रतिशतता

7693. श्री शंकर नारायण सिंह देव : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व और पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में इस समय राज्यवार सिंचित भूमि की प्रतिशतता कुल क्षेत्र और कृषि क्षेत्र की तुलना में क्या है ;

(ख) वर्तमान सिंचाई परियोजनाओं के पूरा हो जाने पर इन राज्यों में से प्रत्येक में उक्त प्रतिशतता पर क्या प्रभाव पड़ेगा ;

(ग) इनमें से प्रत्येक राज्य में अनाजों का प्रति एकड़ उत्पादन क्या है ; इन राज्यों में उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कार्यक्रम बनाया गया है ; और

(घ) इन राज्यों में इस समय राज्यवार, कितने पम्प सेट और ट्रैक्टर प्रयोग में लाये जा रहे हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) से (घ): उपलब्ध जानकारी संलग्न विवरण 1, 2 और 3 में दे दी गई है । [**ग्रंथालय में रखे गये । देखिए** संख्या एल० टी०-9535/75]

उद्योग समूह द्वारा पोटास उर्वरक की बड़ी मात्रा में आयात

7694. श्री जो० वाई० कृष्णान : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसी कम्पनियां अथवा उद्योग समूह हैं जो पोटास उर्वरक की आवश्यकता का बडी मात्रा में आयात करते हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और क्या उक्त कम्पनियां अथवा उद्योग समूह विदेशी पूंजी पर निर्भर करते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भारतीयकरण करने का है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) से (ग). तक. किसी कम्पनी अथवा कंसोर्टियम द्वारा पोटाश-युक्त उर्वरकों का आयात नहीं किया जाता है । इन उर्वरकों का आयात कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय आपूर्ति विभाग और खनिज तथा धातु व्यापार निगम के जरिए करता है ।

जिला संग्रहालय की स्थापना

7695. श्री रामहेडाऊ : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने कुछ समय पूर्व प्राचीन विरासत के प्रति जनसाधारण में जागृति पैदा करने के लिए जिलास्तर पर संग्रलाय स्थापित करने का विचार व्यक्त किया था ;

(ख).इस दिशा में अब तक यदि कोई प्रगति हुई है तो वह क्या है ; और

(ग) सांस्कृतिक सम्पदा की लूट-खसोट की समस्या के निदान के लिए पूरे राष्ट्र का सहयोग प्राप्त करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) तथा (ख). जी हां, केन्द्रीय क्षेत्रीय परिषद को एक बैठक में प्रधानमंत्री ने, मुख्य मंत्रियों को स्थानीय संग्रहालयों को स्थापित करने तथा कला-कृतियों के परिरक्षण के लिए स्थानीय कलेजों को सम्बद्ध करने पर विचार करने को कहा था । इस सुझाव पर राज्य सरकारों को कार्यवाई करनी थी ।

(ग) इस दिशा में केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए कुछ एक महत्वपूर्ण उपायों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है ।

विवरण

(1) तस्करों, बेईमान कला विक्रेताओं और व्यक्तियों के कार्यकलापों पर नियंत्रण में मजबूती लाने की दृष्टि से, 1947 के अधिनियम के स्थान पर एक व्यापक पुरावस्तु तथा कला निधि अधिनियम पारित किया गया है । अधिनियम, का उद्देश्य , पुरावस्तुओं और कला निधियों के व्यापर को नियमित करना, पुरावस्तुओं की तस्करी और धोखेबाजी से उसके लेन देन को रोकने के लिए व्यवस्था करना, सार्वजनकि स्थानों पर परिरक्षण के लिए पुरावस्तुओं और कला-संग्रहों का अनिवार्य अध्र ग्रिहण करने के लिए व्यवस्था करना और उससे संबंधित अथवा प्रासंगिक अथवा आनुसंगिक कुछ अन्य मामलों के लिए व्यवस्था करना है ।

राज्यों द्वारा राज्यों में संस्वीकृत पद भरे जाते ही उक्त अधिनियम लागू कर दिया जाएगा । इसी बीच, पुरावस्तु निर्यात अधिनियम, 1947 लागू रहेगा तथा सीमा शुल्क स्टाफ को पुरावस्तुओ को पहचान में प्रशिक्षण दिया गया है ।

(2) दूसरे किए गए उपाय हैं :—

(क) संग्रहालयों, महत्वपूर्ण मन्दिरों और पुरातत्व महत्व के स्थानों पर सुरक्षा उपायों को भी मजबूत किया गया है ;

(ख) संरक्षित स्थानों और स्मारकों पर बिखरी पड़ी मूर्तियों को एकत्र किया जा रहा है और उनकी अच्छी तरह से सुरक्षा के लिए उनको मूर्तिकला के शेडों में रखा जा रहा है। राज्य सरकारों को, उनके अधिकार-क्षेत्रों में आने वाले स्मारकों के संबंध में इसी प्रकार के कदम उठाने के लिए सलाह दी गई है, :—

(ग) केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों के पहरा और निगरानी स्टाफ को मजबूत किया गया है;

(घ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन, चुने हुए संग्रहालयों और स्मारकों पर पुलिस रक्षकों की व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है ; तथा

(ङ) केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों में मूर्तियों का क्रमबद्ध फोटो ग्राफिक प्रलेखन कार्य चल रहा है। इससे चोरी गई मूर्तियों को पहचानने में सुविधा होगी और कलावस्तुओं की तस्करी पर भी रोक लगेगी। राज्यों से पुरावस्तुओं का ऐसा ही प्रलेखन कार्य करने का अनुरोध किया गया है। इस प्रकार की संपत्ति की तस्करी को रोकने के लिए, राज्य सीमा शुल्क चौकियों, चैक-चौकियों आदि को चोरी के बारे में तुरन्त सूचित करने के लिए प्रबन्ध भी कर लिए गए हैं।

विभिन्न राज्यों में चावल तथा गेहूं की आवश्यकता

7696. श्री वीरभद्र सिंह : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973–74 के दौरान विभिन्न राज्यों में चावल तथा गेहूं की, राज्यवार, आवश्यकता कितनी थी ;

(ख) इन आवश्यकताओं का कितना भाग केन्द्रीय सरकार ने आवंटन द्वारा पूरा किया ; और

(ग) खाद्यान्नों का इस प्रकार आवंटन किस आधार पर किया गया ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग). केन्द्रीय पूल में समूची उपलब्धता, राज्यों की सापेक्ष आवश्यकताओं, स्थानीय मण्डी में उपलब्धता, मूल्य स्थिति, खपत का पिछला स्तर और अन्य संगत बातों को ध्यान में रखकर केन्द्रीय पूल से राज्यों को प्रत्येक मास खाद्यान्नों के आवंटन किए जाते हैं।

एक विवरण संलग्न है, [ग्रथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०–9536/75] जिसमें 1973–74 के दौरान (अप्रैल से मार्च) राज्य सरकारो द्वारा भारत सरकार को बतायी गयी आवश्यकताओं और उनकी मांगों को जिस हद तक पूरा किया गया था, का ब्यौरा दिया गया है।

राज्यों में भूमि की अधिकतम सीमा के क्रियान्वित के लिए सांविधिक अथवा सलाहकार समितियों का गठन

7697. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री भूमि की अधिकतम सीमा के सम्बन्ध में राष्ट्रपति की अनुमति के बारे में 10 मार्च, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2791 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्य सरकारों ने सांविधिक अथवा गैर-सरकारी सलाहकार समितियों का गठन किया है और किन-किन स्तरों पर और अब तक इन राज्यों में से किन-किन राज्यों में इन समितियों ने काम करना आरम्भ कर दिया है ;

(ख) सम्बद्ध राज्यों में क्रियान्विति की शर्तें क्या हैं और क्या राज्य सरकारों को भमि की अधिकतम सीमा कानून को, जिसमें आवश्यकता से अधिक भूमि का वितरण भी शामिल है, वर्ष 1975 के अन्त तक पूर्णतया क्रियान्वित करने की सलाह दी गई है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) कृषि जोतों की अधिकतम सीमा-सम्बन्धी राष्ट्रीय मार्गदर्शी सिद्धान्तों में राज्यों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वे उचित स्तरों पर गैर-सरकारी निकायों की स्थापना करें और अधिकतम सीमा-सम्बन्धी कानूनों का पालन करने के लिये सक्षम सरकारी संगठनों की स्थापना करें। निम्नलिखित राज्यों में विभिन्न स्तरों पर सांवधिक अथवा गैर-सांवधिक सरकारी निकायों की स्थापना की जा चुकी है :—

(1) केरल—तालुक स्तर पर सांवधिक सलाहकार निकाय। यद्यपि, कानून में ग्राम स्तर पर सलाहकार निकायों की व्यवस्था की गई है, परन्तु इनकी अभी स्थापना नहीं हुई है।

(2) कर्नाटक—तालुक स्तरों पर सरकारी और गैर-सरकारी सदस्यों के सहयोग से सांवधिक ट्रिब्यूनलों का गठन किया गया है और इन्होंने कार्य शुरू कर दिया है।

(3) उड़ीसा—राज्य स्तर पर सरकारी और गैर सरकारी सदस्यों को मिलाकर सांवधिक भूमि आयोग का गठन किया गय है। सरकारी और गैर-सरकारी सदस्यों को मिलाकर जिला कार्यकारी समितियों की स्थापना की गई है। तहसील स्तर पर भी गैर-सरकारी सलाहकार समितियों ने कार्य शुरू कर दिया है। ऐसी समिति में दो सरकारी और दो गैर-सरकारी सदस्य हैं। इनमें से एक सदस्य अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का होता है जबकि अन्य सदस्य भूमि सुधार कार्यकर्त्ता होते हैं।

(4) पश्चिम बंगाल—खण्ड स्तर पर सरकारी और गैर सरकारी सदस्यों को मिलाकर भूमि सुधार सलाहकार समितियां कार्य कर रही हैं। ये समितियां गैर सांवधिक हैं।

(5) उत्तर प्रदेश—सरकारी और गैर सरकारी सदस्यों को मिलाकर एक राज्य स्तरीय समिति की स्थापना की गई है और राज्य समिति की भी सिफ़ारिशों के आधार पर जिलों में इसी प्रकार के निकायों की स्थापना की जायेगी। यह समिति गैर-सांवधिक है।

(6) बिहार—राज्य स्तर पर सलाहकार निकाय के रूप में एक सांवधिक भूमि आयोग की स्थापना की गई है। राजस्व मन्त्री इसका अध्यक्ष है। कुछ विधायक भी इसके सदस्य हैं। इसका सम्बन्ध केवल भूमि तैयार करने से है।

(7) हरियाणा—राज्य स्तर पर राजस्व मंत्री की अध्यक्षता में एक गैर-सांवधिक सलाहकार समिति का गठन किया गया है। इसमें एक संसद सदस्य, चार विधान सभा के सदस्य, एक भूतपूर्व विधान सभा का सदस्य और तीन सरकारी सदस्य हैं।

आन्ध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और पंजाब में किसी भी प्रकार की सांवधिक अथवा गैर-सशवधिक सलाहकार समिति का गठन नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) :

प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित राज्यों में भूमि की अधिकतम सीमा- सम्बन्धी कानूनों की क्रियान्विति का ब्यौरा संलग्न विवरण में दे दिया गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०—9537/75] भारत सरकार ने राज्य सरकारों से कहा है कि वे एक निश्चित कार्यक्रम के अनुसार भूमि के संशोधित कानूनों की क्रियान्विति करें।

New Variety of Paddy in Madhya Pradesh

7698. Shri Dhan Shah Pradhan : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether any research has been conducted to evolve a new variety of paddy (seed) for deriving early yield in rice sown in adivasi areas of Madhya Pradesh;

(b) if so, the facts thereof; and

(c) if not, whether Government propose to conduct a research in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Shah Nawaz Khan : (a) Yes Sir.

(b) Research to evolve new varieties of rice specifically suited for rainfed conditions in adivasi areas of Madhya Pradesh is in progress at Jawaharlal Nehru Krishi Vishwa Vidyalaya Jabalpur, Rice Research Institute, Cuttack and under the All-India Coordinated Rice Improvement Project, Hyderabad. JNKVV has isolated early maturing cultures of rice namely JR 15-35-2, JR-15-55-2-8, JR 15-1-1 and JR 16-105-3-1. The maturity period of these varieties range between 85 to 110 days with yield potentials between 3,450 to 7,378 Kg. per hectare. These varieties are under final testing and are likely to be considered for release for the adivasi areas of Madhya Pradesh soon.

Similarly, the varieties namely Bala, Pusa 2-21, Cauveri have also been considered suitable for deriving early yields in the adivasi areas of M.P. Additional early cultures of CR-125, 131, 132, 133, 141, 142 and 143 have been developed at the Central Rice Research Institute, Cuttack and are ready for testing under these conditions. Under the All-India Coordinated Project on Rice Improvement, two varieties namely JR 729-14 and IET 1444 are also considered suitable for rainfed areas of Dandakaranya region. Both of these cultures are early maturing and can be directly seeded. Both these varieties exhibited good yield potential in the All-India trials and are now considered very suitable for large scale trials in the adivasi area of M.P. This is being planned for testing under the Coordinated Project.

(c) The above programme is proposed to be strengthened by establishing a research centre for rice research to tackle these specific problemes in Koraput adivasi areas. In the Fifth Five Year Plan of the All-India Coordinated Rice Improvement Project of Rice, special emphasis is being laid on conducting specific research for this region.

महिलाओं तथा बच्चों के कल्याण के लिए योजना

7699. सरदार स्वर्ण सिंह सोखी : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन योजनाओं के नाम क्या हैं जो कि बिहार राज्य के लिए वर्ष 1975 में महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए मंजूर की गयी हैं ;

(ख) उन प्रस्तावित योजनाओं के नाम क्या हैं जो कि देश में बिहार तथा अन्य राज्यों में केन्द्रीय सरकार की मंजूरी की प्रतीक्षा कर रही हैं ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा बिहार के लिए ऐसी योजनाओं हेतु कितनी राशि मंजूर की गयी है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) से (ग). शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में केन्द्रीय तथा केन्द्र द्वारा प्रवर्तित क्षेत्रों के अन्तर्गत वर्ष 1974–75 के दौरान बिहार में स्त्रियों और बच्चों के कल्याण के लिए निम्नलिखित योजनाएं स्वीकृत की हैं :—

(1) कार्यशील महिलाओं के लिए होस्टल बनाने की एक योजना के लिए 45,000 रुपये की धन राशि प्रदान की गई।

(2) निराश्रित बच्चों के कल्याण की तीन योजनाओं के लिए 61,943 रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई।

(3) स्कूल-पूर्व बच्चों और गर्भवती तथा दूध पिलाने वाली माताओं को पूरक पौष्टिक आहार प्रदान करने के लिए 58.57 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई।

(4) प्रमुख स्वैच्छिक समाज कल्याण संगठनों को संगठनात्मक सहायता की एक योजना के लिए 5000 रुपये की धनराशि प्रदान की गई।

2. बिहार तथा अन्य राज्यों के लिए निम्नलिखित योजनाएं मन्त्रालय के विचाराधीन हैं: —

(क) बिहार

(1) निराश्रित बच्चों के कल्याण के लिए चार योजनाएं।

(2) स्वैच्छिक समाज कल्याण संगठनों को अनुरक्षण अनुदान देने के लिए एक योजना।

(क) अन्य राज्य :

(1) कार्यशील महिलाओं के लिए होस्टलों की 10 योजनाएं।

(2) निराश्रित बच्चों के कल्याण के लिए 57 योजनाएं।

(3) अनुरक्षण के लिए स्वैच्छिक समाज कल्याण संगठनों को अनुदान देने की एक योजना।

3 मन्त्रालय द्वारा केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड को दिए गए अनुदान में से बोर्ड ने बिहार में 17 परिवार और बाल कल्याण परियोजनाओं, 18 कल्याण विस्तार परियोजनाओं (समन्वित ढांचा), एक कल्याण विकास परियोजना (शहरी), 79 स्वैच्छिक संगठनों को वार्षिक योजना अनुदानों और 18 स्वैच्छिक संगठनों को योजनावधि अनुदानों, प्रौढ़ महिलाओं की शिक्षा के संक्षिप्त पाठ्यक्रमों, 6 महिला मण्डलों, बच्चों के लिए 16 अवकाश शिविरों, कार्यशील महिलाओं के लिए होस्टल को विविध अनुदान की एक योजना तथा पौष्टाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत 153 बालवाडियों और दिवस देख भाल केन्द्रों के लिए सहायता प्रदान की। बिहार में इन योजनाओं के लिए केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा वर्ष 1974–75 के दौरान 30.26 लाख रुपये की कुल धन राशि स्वीकृत की गई है।

क्रिंग से उतावर तक नहर का निर्माण

7700. श्रीमती मुकुल बनर्जी : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने क्रिंग से उतावर तक एक नहर का निर्माण करने के लिए जिला गुड़गांव को पलवल तहसील के राजोला, महेशपुर, केरा गांवों के किसानों को कुछ भूमि का अधिग्रहण किया था; यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ;

(ख) क्या अधिगृहीत भूमि के लिए किसानों को कोई मुआवजा अदा किया गया था और यदि हां, तो प्रति हैक्टेयर किस दर पर और प्रत्येक ग्रामीण को कितनी धनराशि अदा की गई; और

(ग) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) हरियाणा सरकार ने सूचित किया है कि अभी तक किसी भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) भूमि की आवश्यकता राजाउल्का माइनर के लिए होगी, जिसके रेखांकन के संबंध में अंतिम निर्णय अभी हाल ही में किया गया है ।

जामिया मिलिया इस्लामिया के अध्यापकों द्वारा भूख हड़ताल

7701. श्री एम० एम० जोजफ : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जामिया मिलिया इस्लामिया के अध्यापकों ने 14 अप्रैल, 1975 को एक दिन की भूख हड़ताल की थी ;

(ख) क्या इस सांकेतिक हड़ताल के बाद वे बारी-बारी से भूख हड़ताल करेंगे ;

(ग) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संशोधित वेतनमान जामिया मिलिया के अतिरिक्त अन्य सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में लागू हो जाने से विसंगति पैदा हो गई है ;

(घ) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त की गई सेन समिति ने यह सिफारिश की थी कि पुस्तकाध्यक्षों और अध्यापकों के वेतमानों में समता बनी रहनी चाहिए; और

(ङ) यदि हां, तो जामिया मिलिया के अध्यापकों के अधिकारों की रक्षा के लिए क्या सरकार का कोई सहानुभूति कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरूल हसन) : (क) और (ख). जामिया मिलिया इस्लामिया द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार उक्त संस्था के अध्यापकों ने 14 अप्रैल, 1975 को एक दिन की भूख हड़ताल की थी। किन्तु उसके बाद बारी-बारी से कोई भूख हड़ताल नहीं की गई।

(ग) और (ङ). जामिया मिलिया इस्लामिया "विश्वविद्यालय समझी जाने वाली" एक संस्था है, यह केन्द्रीय विश्वविद्यालय नहीं है। तथापि, सरकार ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के लिए स्वीकृत संशोधित वेतन-मानों का लाभ जामिया मिलिया के अध्यापकों के लिए भी लागू करने का निर्णय किया है।

(घ). सेन समिति ने विश्वविद्यालयों और कालेजों में पुस्तकालयों के पुस्तकाध्क्षों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतनमानों में संशोधन के संम्बन्ध में कोई सिफारिश नहीं की थी और यह सुझाव दिया था कि उनके वेतनमानों को संशोधित करने के प्रश्न पर गैर शिक्षण स्टाफ के वेतनमान संशोधित करते समय विचार किया जाए। किन्तु, विश्वविद्यालयों और कालेजों में पुस्तकालय विज्ञान विभागों में शिक्षण के लिए नियुक्त अध्यापकों को अन्य अध्यापकों के बराबर समझा जाए बशर्ते कि वे अर्हताएं पूरी करते हों।

Moss as Main Food for Human Beings

7702. **Shri Lalji Bhai:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether according to the news-item published in the first fortnightly issue of March, 1975 of 'Rashtra Sangam', a grass named moss can be used as main food for human beings because it contains sufficient quantity of protein and starch;

(b) if so, whether Government have obtained information in this regard; and

(c) if so, the gist thereof?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Shah Nawaz Khan): (a) to (c). The news-item has not come to the notice of Government in its present form. It is, however, known that mosses constitute an important source of animal food in some Scandinavian countries. There is knowledge available in the country on our moss flora but as far as it is known, no research on the use of mosses as human food has been done.

गुजरात में सूखा-ग्रस्त क्षेत्र में राहत

7703. **श्री एव० के० एल० भगत :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि संसद् के गत सत्र के बाद से गुजरात के सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों को राहत देने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : राज्य सरकार ने राज्य के 16 जिलों के 9,526 गावों में अभाव और 3,220 गांवों में अर्ध-अभाव की स्थिति की घोषणा की ।

12 अप्रैल, 1975 की स्थिति के अनुसार 5,213 उत्पादक तथा अन्य राहत के निर्माण-कार्यों पर 9,03,956 व्यक्तियों को रोजगार दिया जा रहा था ।

प्रति मास प्रति वयस्क को 30 रुपये की दर से और प्रति मास प्रति बच्चे को 15 रुपये की दर से 53,588 व्यक्तियों को नकद अनुदान दिया जा रहा था ।

320 गांवों को टैंकरों और/या बैलगाड़ियों द्वारा पेय जल सप्लाई किया जा रहा था । 29 गांवों को निजी कुओं से पेय जल सप्लाई किया जा रहा था । 771 पुराने कुयें गहरे किए गए थे । 53 नये कुओं का निर्माण किया गया था और 1,551 नलकूप लगाए गए थे । निकट की सिंचाई प्रणालियों से पाइप लाइनें बिछाने का काम भी शुरू किया गया था ।

सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में खोले गए 398 डिपुओं के जरिए 624.04 लाख कि०ग्रा० घास, 38.34 लाख कि० ग्रा० धान का पुआल 9 लाख कि० ग्रा० अन्य पशु-आहार तथा 2,43 लाख कि० ग्रा० सांद्र वितरित किया गया था । उपयोगी मवेशियों की सुरक्षा और रख-रखाव के लिए बाड़े/मवेशी कैम्प शुरू किए गए थे । उपयोगी मवेशियों की सुरक्षा का काम शुरू करने वाली स्वेच्छिक एजेंसियों को प्रतिदिन प्रति पशु के लिए 1 रुपया की दर से राजसहायता दी जाती है । प्रवासी पशुओं के लिए विशेष आहार कार्यक्रम शुरू किए गए थे । राहत सम्बन्धी निर्माण-कार्यों पर काम करने वाले श्रमिकों में वटर-दुग्ध के वितरण की व्यवस्था के साथ-साथ सुखादी के वितरणका काम भी हाथ में लिया गया है । मुफ्त अथवा रियायती दरों पर खाद्यान्न वितरण का काम शुरूक करने वाली स्वेच्छिक एजेंसियों को 120 लाख रुपये का बिना ब्याज का ऋण मंजूर किया गया है । उन्हें चारे और खाद्यान्नों को लाने-ले जाने के लिए वेगन खरीदने के लिए भी सहायता दी गई थी और ऐसे संचालन के लिए परिवहन की राज सहायता दी गई थी ।

तुलू भाषा को मान्यता देना

7704. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साहित्य अकादमी ने तुलू को साहित्यिक भाषा के रूप में मान्यता देने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) साहित्य अकादमी को हाल ही में अध्यक्ष, तुलू कूटा, मंगलोर से तुलू की मान्यता के बारे में, एक आवेदन प्राप्त हुआ है ।

(ख) मान्यता के प्रश्न पर इस उद्देश्यहेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अकादमी द्वारा विचार किया जायेगा ।

हिमाचल प्रदेश के भूकम्प पीड़ित क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय सहायता

7705. श्री प्रबोध चन्द्र :
श्री हरी सिंह :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के किन्नोर और लाहौल स्थिति जिलों में भूकम्प से प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्विकास के लिए राज्य को वित्तीय सहायता देनेहेतु केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या निर्णय किया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी हां ।

(ख) राज्य सरकार से उनके द्वारा मांगी गई वित्तीय सहायता के संबंध में विस्तृत प्रस्ताव मांगे गये हैं । इन प्रस्तावों के प्राप्त होने पर हिमाचल प्रदेश को दी जा सकने वाली सहायता के संबंध में निर्णय लिया जायेगा ।

भिक्षावृत्ति रोकने के लिए कानून बनाना

7706. श्री गदाधर साहा :
श्री आर० वी० स्वामीनाथन :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिक्षावृत्ति रोकने लिए केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा कोई कानून बनाया गया है ; और

(ख) भिक्षावृत्ति समाप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और क्या सरकार ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में भिखारियों की देखभाल करने के लिये कोई योजनाएं बनाई हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) भिक्षावृत्ति को रोकने के संबंध में कोई केन्द्रीय कानून नहीं है । इस समय भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए 13 राज्यों तथा 2 संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के अपने-अपने कानून हैं । सरकार संघ शासित क्षेत्रों के लिए प्रगतिवादी सिद्धांतों के अनुसार विधेयक तैयार करने पर विचार कर रही है जो राज्यों द्वारा अपनाए जाने के लिए एक नमूने के रूप में होगा ।

(ख) देश के विभिन्न भागों में 88 गृह स्थापित किए गए हैं, जहां भिखारियों को पकड़ कर रखा जाता है, उनका इलाज किया जाता है और आवश्यकता अनुसार उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है । पांचवीं योजना के दौरान इसके विस्तार को बढ़ाने तथा गृहों में प्रशिक्षण के क्षेत्र को सुधारने के लिए प्रयत्न किए जाएंगे ताकि समाज में भिखारियों को और पुनर्वास करने की सुविधा हो सके ।

Allotment of Land to Landless Harijans in U. P.

7707. **Shri Mahadeepak Singh Shakya :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether Government have not been able to achieve the target in regard to allotment of land to landless Harijans in Uttar Pradesh; and

(b) the targets fixed in this regard for 1973-74 and the acreage of land allotted to them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Prabhudas Patel : (a) & (b) The information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha when received.

दिल्ली के यमुना पार क्षेत्र के गंदे नालों को ढकने का कार्यक्रम

7708. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की दिल्ली के यमुना पार क्षेत्र के गन्दे नालों को ढकने के लिये कोई विशेष योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

हरित क्रांति

7709. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :**

श्री राम सहाय पांडे :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान डा० स्वामिनाथन के इस आशय के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि देश में कृषि क्रांति असफल रही है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के महानिदेशक डा० स्वामिनाथन ने इस आशय का कोई वक्तव्य नहीं दिया है कि देश में कृषि क्रांति असफल रही है। समाचार पत्र में प्रकाशित इस तरह की एक गलत रिपोर्ट का तत्काल खंडन किया गया था।

(ख) इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

कोसी सिंचाई व्यवस्था में खामियां

7710. मौलाना इसहाक सम्भली : क्या कृषि और सचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोसी सिंचाई समिति ने कोसी सिंचाई व्यवस्था की बहुत सी खामियों का पता लगाया है और बहुत से सुझाव दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में सरकार की राय और निर्णय क्या हैं?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) से (ग). बिहार राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उनके द्वारा नियुक्त कोसी सिंचाई समिति की रिपोर्ट उनको हाल ही में प्राप्त हुई है और यह उनके विचाराधीन है।

उत्तरी क्षेत्र और मुख्यालयों में भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों को स्थायी न करना

7711. श्री बीरेन्द्र सिंह राव :
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी क्षेत्र और मुख्यालयों में वर्ष 1972 में नियुक्त भारतीय खाद्य निगम के बहुत से कर्मचारियों को अभी तक स्थायी नहीं किया गया है:

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय खाद्य निगम द्वारा जारी किये गये परिपत्र संख्या 3-6/73-ई०पी० दिनांक 31 अगस्त, 1973 में यह बताया गया है कि खाद्य निगम में नियमित रूप से किसी पद पर नियुक्त किये गये प्रत्येक व्यक्ति को उसकी नियुक्ति की तिथि से एक वर्ष से अनधिक तक की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहना होगा जिसे एक वर्ष से अधिक न होने वाली अवधि तक आगे बढ़ाया जा सकता है;

(घ) क्या ऐसे कर्मचारियों से कोई अभ्यावेदन मिला है जिन्हें अभी तक स्थायी नहीं किया गया है और उन्हें वेतन-वृद्धियां न दिये जाने के क्या कारण हैं: और

(ङ) क्या सरकार का विचार इस मामले की जांच करने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी शिन्दे) : (क) से (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

शिक्षा निदेशालय दिल्ली, द्वारा पुस्तकाध्यक्षों की नियुक्ति

7712. **श्री अचल सिंह** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन के शिक्षा निदेशालय ने विभागीय अर्हता-प्राप्त पुस्तकाध्यक्षों के नामों पर विचार किये बिना 18 जुलाई, 1963 से 31 मार्च, 1964 तक बाहर से पुस्तकाध्यक्ष नियुक्त किये थे; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली प्रशासन द्वारा सीधी भर्ती का तरीका भर्ती नियमों के अनुसार अपनाया गया था क्योंकि उपयुक्त विभागीय उम्मीदवारों के ब्यौरे उसके पास सीमित समय के अन्दर उपलब्ध नहीं कराये जा सके।

भू-कटाव, हवा अथवा पानी रुकने और क्षार द्वारा प्रभावित भूमि का क्षेत्र

7713. **श्री माधव राव सिन्धिया :**

श्री जगन्नाथ राव जोशी :

श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

श्री आर० वी० बड़े :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के कुल 32.8 करोड़ हेक्टेयर भौगोलिक क्षेत्र में से लगभग 15 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र भू-कटाव, हवा अथवा पानी से गम्भीर रूप से प्रभावित हैं, लगभग 70 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पानी रुक जाने से और क्षार से तथा 2 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ एवं अन्य 2 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र जल निकास की अपर्याप्त व्यवस्था के कारण प्रभावित है;

(ख) इस 19.7 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में से कितना क्षेत्र गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष में खेती योग्य बनाया गया है;

(ग) शेष क्षेत्र को खेती योग्य बनाने के लिये क्या क्या योजनाएं हैं; और

(घ) उन पांच राज्यों के क्या नाम हैं जहां ऐसे क्षेत्र सबसे अधिक हैं ?

कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) कुछ प्रारम्भिक सर्वेक्षण तथा अध्ययनों के आधार पर मृदा तथा जल संरक्षण की समस्याओं के संबंध में लगाये गये

मोटे अनुमान से पता चला है कि जल या वायु के भू-क्षरण अथवा मिट्टी की अन्य खराबियों के कारण लगभग 1750 लाख हैक्टार भूमि को हानि पहुंचती है। लवणीयता, क्षारीयता और जल-लग्नता से 70 लाख हैक्टार भूमि प्रभावित होती है। लगभग 200 लाख हैक्टार क्षेत्र में अपर्याप्त जल-निकासी की समस्या विद्यमान है और यह क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है।

(ख) अब तक भूमि संरक्षण एवं मृदा सुधार उपायों से उपचार किये गये 220 लाख हैक्टार क्षेत्र में से 1971 से 1974 तक की तीन वर्षों की अवधि के दौरान 52.6 लाख हैक्टार क्षेत्र का उपचार हुआ था। बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकास के उपायों से लाभान्वित हुए 80 लाख हैक्टार क्षेत्र में से 1971–74 के तीन वर्षों में 18 लाख हैक्टार क्षेत्र को लाभ पहुंचा था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत लिये गये क्षेत्र के वर्षवार आंकड़े नीचे दिये जा रहे हैं :—

(दस लाख हैक्टार)

वर्ष	भूमि संरक्षण	बाढ़ नियंत्रण
1971–72 . .	1.49	0.4
1972–73 . . .	2.17	0.2
1973–74 . . .	1.60	1.2
योग	5.26	1.8

(ग) पांचवीं योजना के दौरान भूमि संरक्षण उपायों से 50 लाख हैक्टार क्षेत्र के उपचार के लिये 289 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त, लगभग 18 लाख हैक्टार क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण एवं जल-निकासी के सुधार सम्बन्धी उपायों के लिये 281 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

(घ) देश में मृदा संबंधी सर्वेक्षण पूर्ण होने के पश्चात् ही भूमि के अपकर्ष की सही स्थिति का पता लगेगा। अनुमान है कि राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा कर्नाटक में मिट्टी के अपकर्ष की समस्या काफ़ी उग्र है।

White Revolution

7714. **Shri B. S. [Chowhan** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the steps taken by Government during the last three years to bring about white revolution; and

(b the results achieved ?

The Deputy Minister in The Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Prabhudas. Patel) : (a) & (b). Unlike crop production, milk production is a time consuming process involving substantial investment in the form of technical and financial inputs requiring attention at all levels, from breeding, feeding and management of dairy cattle. Though India possess 1/4th of the world's cattle population, milk production has not attained that

level as is noticed in some of the developed countries. This is because of age old neglect of our animal wealth consequent to which the performance of the cattle is diplorably low. In order to set right this condition, all efforts are being made to increase milk production in the country through the successive Five Year Plans dovetailing dairy development with animal husbandry activities as a unified approach.

Necessary measures have, and are being taken, to stimulate milk production in the country as a whole. One of the major measures introduced in recent years is the Intensive Cattle Development Projects. Besides, a massive programme of Milk Marketing and Dairy Development, commonly known as Operation Flood with assistance from World Food Programme has been launched for increasing milk processing capacities of public sector dairies in the four Metropolitan cities of Bombay, Calcutta, Delhi and Madras and also for increasing production of milk in the milk shed areas of these cities located in 10 States. Under the Intensive Cattle Development Projects and also under the massive programme of Milk Marketing and Dairy Development, cross-breeding programme with exotic plasma has been taken up to stimulate milk production. Other important Cattle Development Projects which have a direct bearing on the milk production are being continued. These are as under :—

1. All India Key Village Scheme.
2. Cross Breeding Scheme.
3. Feeds and Fodder Development Programme.
4. Goshala Development Scheme.
5. Strengthening and Expansion of Livestock Farms.
6. Calf Rearing Scheme.
7. Cattle Shows and Milk Yield Competitions.
8. Disease control programme :
   (a) Increase in the number of Veterinary Hospitals and Dispensaries.
   (b) Rinderpest Eradication Scheme.
   (c) Expansion of Biological Products Laboratories for production of vaccines and sera.

Since milk production is a long drawn out process, the impact of the programme can be felt only after several years.

खेती की जाने वाली भूमि और ट्रैक्टरों का उपयोग

7715. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1951 और 1974 में प्रत्येक राज्य में कितनी भूमि में खेती की गई; और

(ख) इन भूमियों में खेती करने के लिये 1951 और 1974 में कितने ट्रैक्टरों का उपयोग किया गया था ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) और (ख). उपलब्ध जानकारी देने वाले दो विवरण (1 तथा 2) संलग्न हैं। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी०–9538/75]

कीट, कृमि और रोगों के कारण फसल को हानि।

7716. **श्री अनादि चरण दास :**

चौधरी राम प्रकाश :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कीट, कृमि तथा रोगों के कारण फसलों की भारी हानि होती है;

(ख) इस वर्ष की गत तिमाही में फसलों को कितनी हानि हुई; और

(ग) यदि हां, तो क्या कोई ऐसे उपाय किये गये हैं जिनसे कम से कम हानि हो ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) :(क) कीटों, कृमि तथा अन्य रोगों के कारण फसलों को हुई वार्षिक हानि अनुमानत: 10—30 प्रतिशत है जो कीटों, फसल तथा मौसम पर निर्भर करती है।

(ख) 1974–75 की गत तिमाही में कीटों तथा रोगों के कारण फसलों को हुई हानि का कोई अनुमान नहीं लगाया गया है।

(ग) हानि को घटाने के लिए निगरानी और अनुसन्धान के आधार पर मुख्य कीटों के नियंत्रण के प्रभावी उपाय ढूंढ निकाले हैं। इन उपायों को केन्द्रीय तथा राज्य स्तर पर वनस्पति संगठनों द्वारा लोकप्रिय बनाया जा रहा है। अपेक्षित कीटनाशी दवाओं की सामायिक सप्लाई को सुनिश्चित करने हेतु भी पर्याप्त कदम उठाये गए हैं। भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद्, कृषि विश्वविद्यालय, राज्य सरकार अनुसन्धान केन्द्र आदि अनुसन्धान संस्थाएं भी विभिन्न फसलों की कीट तथा रोग रोधी किस्मों का विकास कर रही हैं।

गत तीन वर्षों में हुई परामर्शदात्री समितियों की बैठकें

7717. **श्री जम्बुवन्त धोते :**

श्री रामहेडाऊ :

क्या **संसदीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में, वर्षवार, परामर्शदात्री समितियों की कितनी बठकें हुई और वे किन-किन मंत्रालयों से सम्बन्धित हैं ;

(ख) उन पर कितना व्यय हुआ ; और

(ग) भविष्य में नियमित और निश्चित रूप में तथा सभी मंत्रालयों के सम्बन्ध में ऐसी बैठकें करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) तीन विवरण जिनमें अपेक्षित जानकारी दी गई है, संलग्न हैं। (ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—9539/75)

(ख) विभिन्न बैठकों पर किये गये खर्च के सम्बन्ध में संसदीय कार्य विभाग में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि यह खर्चा, सम्बन्धित मंत्रालयों के साथ संसद् के दोनों सचिवालयों द्वारा, जो कि सदस्यों को यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता देते हैं, किया जाता है ।

(ग) इन विवरणों से यह स्पष्ट है कि सलाहकार समितियों की बैठकें सामान्यतया समितियों के गठन और कार्यचालन के लिये मार्गानिर्देशिका में परिकल्पित, नियमित और निश्चित रूप में की जाती है। सलाहकार समितियों के पुनर्गठन के समय विभिन्न दलों के मुख्य सचेतकों/सचेतकों से परामर्श किया जाता है ।

कुआलालुम्पुर में अनधिकृत अधिकारी

7718. **श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान भारतीय हाकी फेडेरेशन के अध्यक्ष श्री रामास्वामी के 1 अप्रेल 1975 के इस आशय के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि भारत के कुछ अनधिकृत अधिकारी अन्तर्राष्ट्रीय फेडेरेशन के अधिवेशन के दौरान कुआलालुम्पुर में आई० एच० एफ० के मान्यता के लिए दावे के विरुद्ध सदस्यों को प्रभावित करने के लिए उपस्थित थे ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों के नाम क्या हैं, और वे सरकार की मंजूरी के बिना कुआलालुम्पुर गये थे ; और

(ग) क्या उनकी आई० एच० एफ विरोधी गतिविधियों के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). पूर्ण तथ्यों के सम्बन्ध में सूचना एकत्र व उसकी जांच की जा रही है और यथासम्भव सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

'नियंत्रणों के कारण भारत को खाद्य समस्या का पैदा होना' शीर्षक से प्रकाशित समाचार

7719. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिनांक 27 मार्च, 1975 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में नियंत्रणों के कारण भारत की खाद्य समस्या का पैदा होना "कर्बस लेड टू इंडियाज फूड प्राबलेम्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार को देखा है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) देश में मौजूदा खाद्य स्थिति के संदर्भ में फार्म और उपभोक्ता मूल्यों, खाद्यान्नों के आन्तरिक संचालन तथा विचरण जैसे व्यापक नीति विषयक मामलों पर प्रभावकारी नियंत्रण रखना सरकार ने आवश्यक समझा था ।

श्यामा प्रसाद मुकर्जी पार्क, नई दिल्ली

7720. **श्री शशि भूषण :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिलकनगर, नई दिल्ली के निकट श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क नामक कालोनी मंजूरशुदा कालोनी है ;

(ख) क्या235 मकानों और 23 दुकानों के लिये भू-स्थलों की मंजूरी दी गई थी और 10 मार्च, 1960 को ध्यान दिलाने वाली सूचना के उत्तर में निर्माण और आवास मंत्री ने बताया था कि उसके लिये 1,54,500 वर्ग गज के क्षेत्र को मंजूरी दी गई है ;

(ग) क्या इस क्षेत्र में से, जो 32.58 एकड़ बनता है, केवल 20 एकड़ का क्षेत्र 'रिलीज' किया गया है और दुकानों के लिये 12.58 एकड़ क्षेत्र अभी तक 'रिलीज' नहीं किया गया ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और 12.58 एकड़ का मंजूरशुदा क्षेत्र कब तक 'रिलीज' किया जाएगा ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ). तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री (और न कि निर्माण और आवास मंत्री) द्वारा दिये गये वक्तव्य में इस बात का उल्लेख किया गया था कि दिल्ली के मुख्य आयुक्त को कहा जा रहा है कि दिल्ली नगर निगम के परामर्श से "अनुमोदित" कालोनियों की भूमि को अधिसूचना के क्षेत्राधिकार से इस शर्त पर मुक्त कराने के लिये शीघ्र कायवाही की जाये जिसे वह इस बात को सुनिश्चित करने के लिये उपयुक्त समझे कि मुक्त किये गये प्लाटों को वास्तविक रूप से रिहायशी प्रयोजनों के प्रयोग में लाया जाता है । तदनुसार, 235 रिहायशी प्लाटों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र को अधिग्रहण से पहले ही मुक्त कर दिया गया है । शेष भूमि को अर्जित कर लिया गया है तथा उसे दिल्ली विकास प्राधिकरण हस्तांतरित कर दिया गया है जो इसे एक वाणिज्यिक केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिये कदम उठा रहा है ।

Working Days in Sugar Factory 1974-75 Season And Price Of Sugar Cane Paid

7721. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Agriculture And Irrigation** be pleased to state:

(a) the number of working days in each of the States, sugar factory-wise in the 1974-75 season; and

(b) the percentage of sucrose recovery from sugarcane on an average and per quintal price actually paid ?

The Minister Of State In The Ministry Of Agriculture And Irrigation (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) & (b). The 1974-75 sugar season which started on 1st October, 1974 will end only on 30th September, 1975, though individual factories start and stop crushing on different dates during the season. A statement showing factory-wise the duration and recovery upto 31-3-1975 is attached (Statement-I). Another statement showing state-wise the range of actual cane prices paid by sugar factories during 1974-75 season is also attached (Statement-II). [*Placed in Library. See* No L.T.-9540/75.]

Absorption Of F.C.I. Staff By Food Corporation Of Various States

7722. Dr. Laxaminarayan Pandeya : Will the Minister of **Agricultutre And Irrigation** be pleased to state:

(a) whether the Food Corporation of India used to procure foodgrains in various States and is still doing so in some states:

(b) whether various States have constituted their own State Trading Corporations or Food Corporations and these have gone into operation;

(c) whether thousands of employees working in the Food Corporation of India in these States will have no work to do as a result of these States having their trade in their own hands; and

(d) whether these employees will be absorbed for the procurement of foodgrains in the Food Corporations or State Trading Corporations of these States or whether they will be provided with alternative work?

The Minister Of State In The Ministry Of Agricuture And Irrigation (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) Yes, Sir.

(b) In some of the States such Corporations have been set up and are operating. The services of the Food Corporation of India are still being availed of in certain States even though their own Corporation have started functioning.

(c) & (d) The response from the State Governments, who have set up their own Corporations, for absorption of the surplus staff of the Food Corporation of India, has not been so far satisfactory. However, efforts continue to be made to persuade these States to absorb as much of the F.C.I. surplus staff as possible. The Corporation is presently utilising a part of the surplus staff towards the handling of imported foodgrains. The possibility of expanding the activities of the Food Corporation of India consistent with the objectives and functions as laid down in the Food Corporations Act, 1964 are being explored so that the available staff is fully utilised.

घरेलू खपत पर चीनी के निर्यात का प्रभाव

7723. श्री मधु दंडवते : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी दो वर्षों में ईरान को क्रमबद्ध से पांच लाख टन चीनी का निर्यात करने का निर्णय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे हमारे देश के लोगों की चीनी खपत की आवश्यकताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जिनकी प्रति व्यक्ति चीनी की खपत पहले ही कम है ; और

(ग) यदि हां, तो उपभोक्ताओं को अपर्याप्त मात्रा में चीनी मिलने से उत्पन्न कठिनाइयों को किस प्रकार दूर किया जायेगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग): उत्पादन और देश के अन्दर खपत के लिये उचित न्यूनतम आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये निर्यात करने की योजना बनाई जाती है ।

छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को किराने की वस्तुएं तथा खाद्यान्न की रियायती दरों पर सप्लाई

7724. **श्री के० मालन्ना :**
चौधरी राम प्रकाश :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को रियायती दरों पर किराने की वस्तुएं तथा अनियंत्रित खाद्यान्न सप्लाई करने के लिये नागरिक पूर्ति मंत्रालय से अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो जो वस्तुएं सप्लाई की जाएंगी उनका संक्षिप्त ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी हां ।

(ख) सिविल आपूर्ति तथा सहयोग विभाग ने इस सम्बन्ध में मुख्य मुख्य नगरों में आवश्यक प्रबन्ध करने हेतु, राज्य सरकारों को लिखा था । प्रबन्ध में खाद्यान्न (गैर-नियंत्रित वस्तुओं) दालें, मसाले, बनस्पति तथा अन्य खाने के तेल, चाय, काफी नहाने और कपड़े धोने का साबुन, चीनी, ब्रेड, अंडे, मक्खन, नमक, पंसारी का सामान, मौजा, बनियान, पुस्तकें तथा लेखन सामग्री और साइकिल टायर, ट्यूब, कंट्रोल का कपड़ा, सूखे बेट्री सेल जैसे उपयोग में लाई जाने वाली अन्य वस्तुओं को शामिल किये जाने की आशा है ।

अन्तर्राज्यीय नदी जल विवाद

7725. **श्री भान सिंह भौरा :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नर्मदा जल विवाद की तरह विभिन्न नदी-जल विवादों के मामले में सम्बन्धित राज्यों के बीच पारस्परिक समझौते कराने का प्रयास कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच समझौता कराने का प्रयासों का क्या परिणाम निकला ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केशर नाथ सिंह) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्यों के बीच, गोदावरी जल-विवाद न्यायाधिकरण के सम्मुख उनके दावों पर कोई प्रभाव डाले बिना, गोदावरी बेसिन में विकास के न्यूनतम कार्यक्रम हाथ में लेने के लिये कोई समझौता करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

(ग) पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच समझौते के सम्बन्ध में स्थिति इस प्रकार है :—

पंजाब और हरियाणा : व्यास परियोजना के परिणामस्वरूप बटवारे के लिये उपलब्ध जल को प्राप्त करने तथा उसका समुपयोजन करने के सम्बन्ध में किसी सामान्य समझौते पर पहुंचने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

हरियाणा और उत्तर प्रदेश : जनवरी, 1975 में हुई अन्तर्राज्यीय बैठक में उत्तर प्रदेश और हरियाणा के मुख्य मंत्री इस बात पर सहमत हो गये थे कि आगरा नहर की कुछ शाखा नहरों के नियंत्रण को उत्तर प्रदेश से हरियाणा को ट्रांसफर करने के सम्बन्ध में दोनों पार्टियां केन्द्रीय कृषि और सिचाई मंत्री के निर्णय को मानेंगी। प्रस्तावित नियंत्रण के ट्रांस्फर के विभिन्न पहलुओं को केन्द्रीय जल आयोग में जांच को जा रही है।

सम्बन्धित बेसिन राज्यों के बीच यमुना जल के बंटवारे के बारे में भी अध्ययन किये जा रहे हैं।

Land Eroded by Rivers

†7726. **SHRI JAGANNATHRAO JOSHI :**
SHRI ATAL BEHARI VAJPAYEE :
SHRI R. V. BADE :
SHRI HAMENDRA SINGH BANERA :

Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to states:

(a) Statewise area of land eroded by rivers during the last three years, year-wise;

(b) the alternative provision of land made for those who lost their land in this way ;

(c) whether any permanent legislation has been decided upon for rehabilitation of such persons and if so, the details thereof and if not, the reasons therefor; and

(d) Statewise steps taken to check soil erosion during the last three years?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Kedar Nath Singh) : (a) to (d). The information is being collected from the State Governments and will be laid on the Table of the House.

Tour by the Assessor Committee Appointed by the Narmada Tribunal

†7727. **Shri Phool Chand Verma :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether an Assessor Committee appointed by the Narmada Tribunal toured Madhya Pradesh in October, 1974;

(b) if so, the names of the places in the State toured by it;

(c) whether information in regard to the tour of the Assessor Committee was not given to the Members of Parliament, Legislators and public representatives of the concerned areas; and

(d) if so, the reasons therefor and the purpose of their tour?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Kedar Nath Singh): (a) Yes, Sir.

(b) The Team of Assessors visited the Tawa Dam and Canals under construction, Maheshwar, Barna and Bargi Dam sites, command of existing irrigation schemes, several farms in the Narmada Basin, sites of flood damage in Hoshangabad town due to floods in 1973 etc. during their visit of Madhya Pradesh in October-November, 1974.

(c) & (d) The Narmada Water Disputes Tribunal is a iudicial body similar to a court and its proceedings are regulated by the inter-State Water Disputes Act, 1956 and the rules framed thereunder. The programme of the visit of the Assessors to various places in Madhya Pradesh was drawn up by the State Government, which is one of the parties to the dispute and was approved by the Tribunal. The visit was made with a view to study the conditions at the dam sites and the projects proposed for irrigation, cropping pattern etc.

भारतीय डेरी निगम में आरक्षित रिक्त पदों का भरा जाना

7728. **श्री एस० एम० सिद्दय्या** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय डेरी निगम में वर्ष 1974 और 1975 के दौरान प्रत्येक श्रेणी के कितने रिक्त पद भरे गये ;

(ख) इन पदों में से कितने पद क्रमश: अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किये गये थे;

(ग) प्रत्येक श्रेणी के कितने आरक्षित रिक्त पद बिना भरे रह गये ; और

(घ) आरक्षित रिक्त पद बिना भरे रह जाने के क्या कारण हैं और इन पदों के भरे जाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) भारतीय डेरी निगम ने 1974 में 21 पद (प्रथम श्रेणी के 4, तीसरी श्रेणी के 13 और चौथी श्रेणी के 4) भरे थे जब कि मार्च, 1975 में केवल एक पद भरा गया है ।

(ख) अनुसूचित जातियों के लिये 5 पद (प्रथम श्रेणी का 1, तृतीय श्रेणी के 3 और चौथी श्रेणी का 1 पद) आरक्षित किये गये जब कि अनुसूचित जनजाति के लिये तृतीय श्रेणी का एक पद आरक्षित किया गया था ।

(ग) तथा (घ). यद्यपि भारतीय डेरी निगम अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की नियुक्ति करके प्रथम श्रेणी के एक, तृतीय श्रेणी के एक और चतुर्थ श्रेणी के 3 पदों को भर सकी ।: परन्तु, 1974 में अनुसूचित जनजाति से उपयुक्त उम्मीदवार न मिल सके । 1975 में तृतीय श्रेणी का पद जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित था, अनुसूचित जन जाति का उपयुक्त उम्मीदवार न मिलने के कारण जनरल केटेगरी में से भरा गया था। भारतीय डेरी निगम ने विज्ञापनों में आरक्षण के विषय में सूचना दे दी थी और उम्मीदवार भेजने के लिये इम्पलाईमेंट एक्सचेंज और अनुसूचित तथा अनुसूचित जनजातियों के संगठनों से अनुरोध किया गया था । इन श्रेणियों के पदों के लिये सलैक्शन बोर्ड द्वारा सामान्य स्टेन्डर्डों में ढील दे दी जाती है ।

डी०आई०जेड० क्षेत्र, नई दिल्ली में नल कूप

7729. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेक्टर डी और ई तथा 8 मंजिले फ्लेटों में जल सप्लाई को बढ़ाने के लिए डी०आई० जेड० क्षेत्र में लगाया गया नलकूप इस बीच चालू कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कब ;

(ग) यदि नहीं, तो उसे अभी तक चालू न करने के क्या विशेष कारण हैं ;

(घ) निर्माण कार्य कब पूरा किया गया था, और जल का परीक्षण कब किया गया था; और

(ङ) उसे कब तक चालू कर दिया जायेगा क्योंकि वहां के निवासियों को पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) 25–11–74 को ।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) पम्प हाउस का निर्माण कार्य बिजली कनेक्शन सहित 14–10–74 को पूर्ण हो गया था इसके पश्चात् नलकूप का विकास हुआ तथा नई दिल्ली नगरपालिका को जल का नमूना परीक्षण हेतु भेजा गया । परीक्षण परिणाम 25–11–74 को प्राप्त हुआ ।

(ङ) चालू हो चुका है ।

गेहूं मूल्य नीति

7730. श्री डी० डी० देसाई :

श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र की हाल ही की गेहूं मूल्य नीति के कारण कुछ राज्यों के किसानों में कोई असन्तोष हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या अनाज को एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने ले जाने पर लगे प्रतिबन्धों के कारण किसान के हित को और हानि पहुंचेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख). किसानों की संस्थाओं से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें यह सुझाव दिया गया है कि भारत सरकार ने गेहूं के जो अधिप्राप्ति मूल्य घोषित किए हैं, उनसे अधिक मूल्य निर्धारित किए जाने चाहिएं ।

(ग) और (घ). नई नीति के अधीन, अधिप्राप्ति में वृद्धि करने की दृष्टि से गेहूं के अन्तर्राज्यीय संचलन पर प्रतिबन्ध लगा दिए गए हैं । आशा है कि इससे किसानों के हितों को कोई हानि नहीं पहुंचेगी क्योंकि उन्हें जो मूल्य दिया जा रहा है वह उचित समझा जाता है और फसल भी अच्छी हुई बताई जाती है ।

दिल्ली में रिहायशी मकानों का दुरुपयोग

7731. **श्री बनमाली बाबू :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में बहुत से रिहायशी मकानों को वाणिज्यिक उपयोग के लिए काम में लाया जा रहा है ;

(ख) क्या इस बारे में कोई सरकारी सर्वेक्षण किया गया है ;

(ग) इन मामलों में कितनी चेतावनियां दी गई हैं और कितने मुकदमे चलाए गए हैं ; और

(घ) रिहायशी मकानों के दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) कुछ रिहायशी एककों का वाणिज्यिक प्रयोजनों के रूप में दुरुपयोग किया जा रहा है ।

(ख) इस प्रयोजन के लिए कोई सामान्य सर्वेक्षण नहीं किया गया है । तथापि, निगम ने अनुमोदित कालोनियों का सर्वेक्षण किया था तथा 3830 ऐसे मामले दर्ज किए गये जहां रिहायशी मकानों को वाणिज्यिक प्रयोजनों के रूप में दुरुपयोग किया जा रहा था । दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह सूचित किया है कि दुरुपयोग रोकने के लिए उचित निगरानी रखी जा रही है । पट्टे पर दी गई सम्पत्तियों का आवधिक मुआइना किया जाता है तथा पट्टे के नियमों तथा विनियमों एवं शर्तों के अनुसार किसी प्रकार के दुरुपयोग के मामले पर कार्यवाही की जाती है ।

(ग) दिल्ली नगर निगम ने 3830 मामलों में चेतावनी पत्र जारी किए हैं तथा 212 मामलों में मुकदमे चलाये गये हैं । मार्च, 75 के अन्त तक दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 3200 नोटिस जारी किये थे जिसमें मालिकों तथा दखलकारी से कहा गया था कि वे कारण बताएं कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 29(2) के साथ पठित धारा 14 के अधीन क्यों न उनके विरुद्ध मुकदमे चलाए जाएं । इन से 1992 मामलों पर उपयुक्त क्षेत्राधिकार के न्यायालयों में मुकदमे चलाये गये हैं । शेष मामलों के बारे में या तो दुरुपयोग समाप्त करवा दिया गया है, या न्यायालय में मुकदमे चलाने से पूर्व और अधिक सबूत एकत्र की जा रही हैं ।

(घ) कानून के मौजूदा उपबन्धों में नान-कनफार्मिंग प्रयोजनों के लिये रिहायशी भूमि या भवन का दुरुपयोग करने के विरुद्ध सख्त सजा का पर्याप्त व्यवस्था है ।

बदाऊं और बिलासपुर में चीनी मिलों की स्थापना का प्रस्ताव

7732. **श्री राम सहाय पांडे :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बदाऊं और बिलासपुर में निकट भविष्य में दो चीनी मिलें स्थापित करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें कब तक स्थापित किया जायेगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) :(क) उत्तर प्रदेश में 1250 मी० टन गन्ना प्रति दिन पेरने वाली दो नई सहकारी चीनी फैक्ट्रियां, जिनमें से एक बदायूं, जिला बदायूं और दूसरी बिलासपुर, जिला रामपुर में होंगी, स्थापित करने के लिए क्रमशः 31–1–74 और 20–4–1974 को लाइसेंस दिए गए हैं।

(ख) लाइसेंसों में निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार, लाइसेंस जारी करने की तारीख से दो वर्ष के अन्दर इन चीनी फैक्ट्रियों को स्थापित किया जाना है।

आंध्र और बम्बई विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के धन को गलत कामों में लगाया जाना

7733. **श्री मधु लिमये** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र और बम्बई विश्वविद्यालयों में भ्रष्टाचार तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के धन को गलत कामों में लगाये जाने के बारे में कोई शिकायतें मिली हैं ;

(ख) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिकारियों द्वारा परिसम्पत्तियों के एकत्रित किये जाने के बारे में कोई शिकायत मिली है;

(ग) क्या चान्सलरों/केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा किसी जांच के लिए आदेश दिये गये हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) से (घ). विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, आन्ध्र विश्वविद्यालय के विरुद्ध आयोग से प्राप्त अनुदानों का दुरुपयोग करने के सम्बन्ध में और बम्बई विश्वविद्यालय के विरुद्ध भवन निर्माण पर अत्यधिक खर्च करने के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई थीं। आयोग ने दोनों विश्वविद्यालयों के साथ यह मामला उठाया था। आन्ध्र विश्वविद्यालय से प्राप्त टिप्पणियों की आयोग जांच कर रहा है। बम्बई विश्वविद्यालय ने सूचित किया है कि इस मामले की जांच करने के लिए कार्यकारी परिषद द्वारा नियुक्त की गई एक सदस्यीय समिति ने अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। आदरणीय संसद सदस्य ने एक पत्र में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के एक अधिकारी के सम्बन्ध में कुछ आरोप लगाये थे। उनसे विशिष्ट आरोप, यदि कोई हों, बताने का अनुरोध किया गया था, ताकि उनकी जांच की जा सके। उनसे अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

केन्द्रीय पूल के लिये राज्यों का खाद्यान्न का योगदान

7734. **श्री ए० आर० दामाणी** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य केन्द्रीय पूल में खाद्यान्न देने के लिए अनिच्छुक हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यह रबी फसल की वसूली लक्ष्य को किस प्रकार प्रभावित करेगा ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी शिन्दे) : (क) से (ग). अधिप्राप्ति के लक्ष्य और केन्द्रीय भण्डार को खाद्यान्नों के के अंशदान अधिशेष राज्यों की सरकारों से परामर्श करके निर्धारित किए जाते हैं जिसमें सम्भावी उत्पादन और उनकी आन्तरिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है और इस प्रकार तयशुदा मात्रा को देने में किसी भी राज्य की ओर से कोई अनिच्छा व्यक्त नहीं की जाती है ।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित की गई बिहार राज्य की बड़ी सिंचाई परियोजनाएं

7735. श्री एम० एस० पुरती : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिहार राज्य को उन बड़ी सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें पांचवी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह): बिहार की पांचवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है । बहरहाल, बिहार सरकार ने अपनी पांचवीं योजना के प्रारूप में सात चालू बड़ी स्कीमों के अतिरिक्त 21 नई बड़ी सिंचाई स्कीमों को शामिल किया है । इन स्कीमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एलङ टी०—9541/75] । बहरहाल, इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन इन परियोजनाओं के तकनीकी तथा आर्थिक दृष्टिकोण से व्यवहार्य पाये जाने तथा राज्य के पास इन पर लगाने के लिए धन की उपलब्धि पर निर्भर करेगा ।

यू एस फूड फार पीस प्रोग्रैस द्वारा खाद्यान्न का दान

7736. श्री राजदेव सिंह : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनाइटेड फूड फार पीस प्रोग्रैस कोआपरेटिव फार अमेरिकन रिलीफ ऐवरी-व्हेयर (सी०ए०आर०ई०) के द्वारा वितरित किये जाने के लिए भारत को 50,000 मीटरी टन खाद्यान्न का दान कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो सी०ए०आर०ई० में जो व्यक्ति हैं उनका विवरण क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने उन सूखाग्रस्त क्षेत्रों में इस कार्य का पर्यवेक्षण करने के लिये कार्यवाही की है जहां इसे उन लोगों में वितरित किया जायेगा जो 'फूड फार वर्क' कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं ; और

(घ) क्या सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में सी०ए०आर०ई० के कार्य संचालन पर कोई शर्त लगाई हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) :

(क) यूनाइटिड स्टेट्स फूड फार पीस प्रोग्राम ने भारत में फूड फार वर्क कार्यक्रम के लिए 'केयर' को 80,000 मेट्रिक टन खाद्यान्न आवंटित किए हैं ।

(ख) भारत में 'केयर' के प्रधान मिस्टर एलन एस० टर्नबुल, निदेशक हैं । उनका पता है, केयर इण्डिया, वी० 28, ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली 110048 ।

(ग) खाद्यान्न का वितरण राज्य सरकारों द्वारा फूड फार वर्क परियोजनाओं के माध्यम से किया जाता हैं ।

(घ) भारत में केयर के कार्यों का नियंत्रण 6 मार्च, 1950 के भारत-अमेरिका समझौते द्वारा किया जाता है ।

उचित दर की दुकानें खोलना

7737. **श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर, 1974 से लेकर अब तक बाजार में इस समय दालों के मूल्य क्या हैं ;

(ख) क्या सरकार देश में और अधिक उचित दर की दुकानें खोलने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस समय उचित दर की कितनी दुकानें हैं और इस वर्ष कितनी दुकानें खोली जायेंगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है । [ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिए संख्या एल०टी०–9542/75**] ।

(ख) और (ग). खाद्यान्नों के वितरण और उचित मूल्य की दुकानों की स्थापना करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है । राज्य सरकारों से समय-समय पर कहा गया है कि वे जब कभी आवश्यक हो तब उचित मूल्य की नई दुकानें खोल लें । इस समय देश में कार्य कर रही उचित मूल्य की दुकानों/सांविधिक राशन की दुकानों की संख्या 2.07 लाख है ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित कालोनियों में प्रयुक्त सीमेंट के पाइपें

7738. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित उन कालोनियों के नाम क्या हैं जहां बरसाती पानी ड्रेन पाइपों के रूप में सीमेंट के पाइपों का प्रयोग किया गया है ;

(ख) क्या ये पाइप खराब सिद्ध हुए हैं और वर्षा-ऋतु में लगभग सभी फ्लैट चूने लगते हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे फ्लैटों के एलाटियों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए द० वि० प्रा० को अनुदेश देने का है कि वह सीमेंट के पाइपों के स्थान पर लोहे के पाइप लगाए ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग). दिल्ली विकास प्राधिकरण की ऐसी कोई कालोनी नहीं है जहां सीमेंट पाइपों को बरसाती पानी की नालियों के रूप में प्रयोग किया गया हो । किन्तु यदि संदर्भ बरसाती पानी की पाइपों से है जिनके द्वारा टैरेस से बरसाती पानी नीचे आता है, तो इसके लिए एस्बस्टास सीमेंट पाइप का प्रयोग एक मान्य

मानक है। दिल्ली विकास प्राधिकरण की कई कालोनियों में एस्बस्टास सीमेंट पाइपों को बरसाती पानी की पाइपों के रूप में प्रयोग में लाया गया है। ये पाइपें दोषपूर्ण सिद्ध नहीं हुई हैं तथा इन के स्थान पर ढालू लोहे के पाइप लगाने की जरूरत नहीं समझी गई। कभी कभार इन पाइपों से मकानों के अन्दर सील आती देखी गई है लेकिन यह इस कारण है कि आंबंटियों द्वारा टेरस को साफ नहीं रखा जाता। इन पाइपों में कूड़ा-कचरा डाल दिया जाता है जिस से वे बन्द हो जाते हैं। रुकावट को दूर करने के लिए छड़ का प्रयोग करने पर कभी कभी कुछ स्थानों से पाइप टूट जाते हैं जिस से पानी रिसने लगता है।

विश्वविद्यालय के गैर-अध्यापकीय कर्मचारियों द्वारा आन्दोलन

7739. **श्री सतपाल कपूर :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालयों के गैर-अध्यापकीय कर्मचारी तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित कराने के लिए आन्दोलन कर रहे हैं ;

(ख) क्या उनके मामले में तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) विश्वविद्यालयों के गैर-अध्यापकीय कर्मचारियों के मामले में तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों को कब तक क्रियान्वित किए जाने की सम्भावना है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) से घ). विश्वविद्यालयों के गैर-अध्यापन कर्मचारियों के संगठनों से, केन्द्रीय तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वेतनमानों को परिशोधित करने के लिए, कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। केन्द्रीय तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों के समतुल्य पदों के लिए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के अधिकांश अैर-अध्यापन कर्मचारियों के वेतनमान पहले ही से 1 जनवरी, 1973 से परिशोधित कर दिए गए हैं। जहां तक राज्य विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों का प्रश्न है, उनके वेतनमानों क. परिशोधित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है।

Books Purchased Under Raja Ram Mohan Roy Scheme

7740. **Shri Sankar Dayal Singh :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) the value of the books purchased so far from various firms, indicating their names as also the value of books purchased from each of them, under the Raja Ram Mohan Roy Library scheme;

(b) whether the selection of these books has been made by any selection committee and if so, the names of the members thereof and the number of meetings held by it during the last two years; and

(c) language-wise number of copies of each of the books purchased and how these books were distributed?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) & (b). A statement is attached. [Placed in Library *See* No. L.T.-9543/75].

(c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

तमिलनाडु के राज्य आवास बोर्ड को ऋण

7741. श्री आर० वी० स्वामीनाथन् : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाज के निर्धन वर्ग के व्यक्तियों को मकान देने या उनका आबंटन करने के लिए तमिलनाडु के राज्य आवास बोर्ड को आवास बोर्ड में अधिक राशि के ऋण नहीं दिए हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली और अन्य राज्यों की तरह मकानों का आबंटन करने के लिए तमिलनाडु में बहुत बड़ी संख्या में अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों को कोई सुविधा नहीं दी गई है;

(ग) तमिलनाड़ राज्य में कितने भूमिहीन श्रमिकों और निम्न तथा मध्यम आय समूह के व्यक्तियों को भूमि आबंटित की गई है अथवा मकानों का निर्माण करने के लिए ऋण दिया गया है;

(घ) राज्य में धीमी प्रगति के क्या कारण हैं ; और

(ङ) इस बारे में राज्य में पांचवीं पंचवर्षीय योजना का वर्ष 1975 और 1976 के दौरान कितनी सहायता दी जायगी या किन-किन योजनाओं का क्रियान्वयन होने की सम्भावना है और आवास बोर्ड द्वारा राज्य को अब तक कितनी धनराशि उपलब्ध की गई है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ङ) तक. तमिलनाडु आवास बोर्ड एक सांविधिक निकाय है जिसे राज्य सरकार ने अपने अधिनियमन के अधीन स्थापित किया है। तदनुसार, बोर्ड का संचालन उस अधिनियम के उपबंधों द्वारा प्रशासित होता है। यह निर्णय करना राज्य सरकार का काम है कि उन्होंने तमिलनाडु आवास बोर्ड को कितनी ऋण सहायता प्रदान करना है। किसी अन्य आवास बोर्ड द्वारा तमिलनाडु आवास बोर्ड को ऋण देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

इस मंत्रालय की प्रायः सभी सामाजिक आवास योजनायें राज्य क्षेत्र में हैं। राज्य क्षेत्र योजनाओं के लिए जिसमें आवास-शामिल है, केन्द्रीय वित्तीय सहायता राज्य सरकारों को "समेकित ऋणों" और "समेकित अनुदानों" के रूप में दी जाती हैं जो किसी योजना, परियोजना या विकास शीर्ष विशेष से संबद्ध नहीं है। राज्य सरकारें इस समेकित सहायता को अपनी आवश्यकताओं तथा प्राथमिकताओं के अनुसार विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के नियतन करने तथा प्रयोग में लाने के लिए स्वतन्त्र हैं।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिए तमिलनाडु की सभी राज्य क्षेत्र आवास योजनाओं के लिए अन्तरिम अनुमोदित परिव्यय 55.00 करोड़ रुपए है। इस बारे में 1974–75 तथा 1975–76 वर्ष के लिए अनुमोदित परिव्यय क्रमशः 4.25 करोड़ तथा 5.00 करोड़ रुपए हैं।

पश्चिम बंगाल में चावल मिलों द्वारा वसूल किया गया चावल

7742. **श्री रानेन सेन :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चावल मिलों ने पश्चिम बंगाल में भारतीय खाद्य निगम की तुलना में अधिक चावल वसूल किया है ;

(ख) इसको देखते हुए वर्ष 1973–74 में और वर्ष 1974–75 में चावल मिलों द्वारा कितना चावल दिया गया है ;

(ग) इसी अवधि में भारतीय खाद्य निगम में कितना चावल वसूल किया था ; और

(घ) उक्त अवधि में पश्चिम बंगाल में चावल मिलों और भारतीय खाद्य निगम ने किस मूल्य पर वसूली की थी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग). पश्चिमी बंगाल में भारतीय खाद्य निगम द्वारा मिल मालिकों पर लेवी के अधीन चावल के मिल मालिकों से चावल की अधिप्राप्ति की जाती है जबकि उत्पादकों पर लेवी के अधीन धान की अधिप्राप्ति किसानों से की जाती है । चावल के मिल मालिक चावल की अधिप्राप्ति नहीं करते हैं लेकिन वे लेवी के रूप में चावल देते हैं ।

खरीफ 1973–74 और 1974–75 के दौरान मिल मालिकों पर लेवी और उत्पादकों पर लेवी के अधीन क्रमशः चावल और धान की क गई अधिप्राप्ति का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

(आंकड़े हजार मीटरी टन चावल में)

	1973–74	1974–75 (18–4–75 तक)
मिल मालिकों पर लेवी	63	98
उत्पादकों पर लेवी	96	91
	159	189

(घ) भारतीय खाद्य निगम द्वारा धान और चावल दोनों की खरीदारी केन्द्रीय सरकार द्वारा पश्चिमी बंगाल के लिए निर्धारित किए गए अधिप्राप्ति मूल्यों पर की जाती है । भारतीय

खाद्य निगम द्वारा धान पर उत्पादक लेवी के लिए और चावल पर मिल मालिकों पर लेवी के लिए दिए गए मूल्य का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(रुपये प्रति क्विंटल)

	1973–74		1974–75	
	धान	चावल	धान	चावल
अमन साधारण (सर्दी की फसल)	70.00	112.20	74.00	118.20
बढ़िया	73.00	117.80	77.00	123.80
बहुत बढ़िया और एरोमैटिक	76.00	127.20	80.00	133.20
औस और बोरो	66.70	112.20	70.70	118.20

कपूरथला प्लाट

7743. **श्री आर० बालकृष्ण पिल्ले :**
श्री एन० श्रीकान्तन नायर :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य सरकार के 'कपूरथला प्लाट' को सौंपने का निर्णय कब लिया गया था ;

(ख) क्या इसे राज्य सरकार को सौंपने में कोई देरी है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग). इस प्लाट के भाग को केरल सरकार को सौंपने की स्वीकृति अप्रैल, 1967 में जारी की गई थी। मार्च, 1971 में केरल के मुख्य मंत्री को सूचित किया गया था कि प्लाट के शेष भाग को जैसे ही दिल्ली पुलिस लाइन्ज खाली कर देगी केरल सरकार को सौंप दिया जाएगा। दिल्ली पुलिस लाइन्ज को वहां से स्थानान्तरण करने के लिए वैकल्पिक आवास ढूंढा जा रहा है।

इंडियन डेयरी कारपोरेशन के कर्मचारियों के वेतनमानों का पुनरीक्षण

7744. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन डेयरी कारपोरेशन, बड़ौदा, के कर्मचारियों को, तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतनमान नहीं दिए गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) तथा (ख). अपने कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान देने के संबंध में भारतीय डेरी निगम के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है ।

महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू तथा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के नाम पर स्थापित संस्थाएं

7745. श्री समर गुह : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के नाम पर किन-किन संस्थाओं की स्थापना की गई है अथवा किन-किन संस्थाओं को सहायता दी जाती है ; और

(ख) उक्त संस्थाओं को वर्ष 1972–75 की अवधि के दौरान (एक) प्रत्यक्ष रूप से और (दो) सहायता के रूप में कितनी वित्तीय सहायता दी गई ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरूल हसन) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

वर्ष 1973 के दौरान उत्तरी जोन में भारतीय खाद्य निगम द्वारा छंटनी किये गये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी

7746. श्री छत्रपति अम्बेश : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1973 के दौरान उत्तरी जोन में भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों की छंटनी की थी, जिसके फलस्वरूप तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की सेवाओं को समाप्त कर दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो कितने कर्मचारियों की छंटनी की गई और उनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की श्रेणी-वार और पद-वार संख्या कितनी है और तृतीय श्रेणी के प्रत्येक वर्ग में, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कोटे का जहां तक सम्बन्ध हैं, उनमें अब तक कितनी कमी रही है;

(ग) इस संवर्ग में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए वर्तमान मामले में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को बनाये रखने संबंधी नियम पर विचार किया गया था; और

(घ) यदि उपर्युक्त भाग (ग) का उत्तर नकारात्मक है, तो क्या भारतीय खाद्य निगम अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उन कर्मचारियों को वापस ले लेगा, जिनकी छंटनी कर दी गई थी और यदि हां, तो किस तारीख से और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख). भारतीय खाद्य निगम ने उत्तरी क्षेत्र में श्रेणी 3 के 790 कर्मचारियों की सेवायें समाप्त कर दी थीं ।

ये कर्मचारी 1973 के दौरान मौसमी कार्य के लिए पूर्णतया अस्थायी आधार पर नियुक्त किए गए थे। इनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के 146 व्यक्ति थे जिनमें 124 क्लेरिकल ग्रेड और 22 तकनीकी ग्रेड में थे। खाद्य निगम के उत्तरी क्षेत्र में श्रेणी 3 में कुल मिला कर अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों की कोई कमी नहीं है। अलबत्ता अनुसूचित जनजातियों के कुछेक कर्मचारियों के बारे में कमी है क्योंकि उनके उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ). क्योंकि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों समेत छंटनी किए गए व्यक्तियों को उन रिक्त स्थानों के प्रति लगाया गया था जो कि पूर्णतया अस्थायी और मौसमी कार्य के लिए बनाए गए थे, इसलिए उनकी सेवायें तब समाप्त कर दी गई थीं जबकि कार्य समाप्त हो गया था और उनको वापिस लेने का प्रश्न ही नहीं उठता।

गांवों में नलकूपों और हैण्डपम्पों द्वारा जल सप्लाई

7747. **श्री नोनिराज सिंह चौधरी :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ऐसे कितने समस्याग्रस्त गांव हैं जिनमें नलकूपों और हैण्डपम्पों द्वारा जल सप्लाई की व्यवस्था की गई है ;

(ख) इनमें से कितने अथवा कितने प्रतिशत गांवों में नियमित जल सप्लाई की व्यवस्था है; और

(ग) नियमित जल सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है तथा प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Imposition of Land Development Tax in Hill Areas

7748. **Shri Pratap Singh Negi :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether the land in the hills is not fertile and neither pumps can be installed nor any irrigation facility can be made available in Tehri; and

(b) if so, the reasons why land development tax is imposed in hill areas?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Shah Nawaz Khan) (a) & (b). Certain types of minor irrigation schemes are feasible in Tehri Garhwal. Land development tax has been imposed by the State Government uniformly throughout the State irrespective of the fertility of land or availability of irrigation facilities.

अभाव राहत कार्य कार्यक्रम और सूखा प्रभावित होने वाले क्षेत्र कार्यक्रम

7749. **श्री शरद यादव :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभाव राहत कार्य कार्यक्रम और सूखा प्रभावित होने वाले क्षेत्र कार्यक्रमों के एकीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) और (ख). योजना आयोग द्वारा स्थापित कृषक दल ने सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में समेकित कृषि विकास विषयक अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि सामान्यतया सूखे से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों के विकास और राहत सम्बन्धी योजना को एकीकृत किया जाये । उन्होंने सिफारिश की है कि विकास की विशिष्ट योजनाओं का सूखा ग्रस्त क्षेत्रों के समेकित विकास के लिये दीर्घ–कालीन नीति तैयार की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, इनमें से प्रत्येक क्षेत्र के लिये मानुषंगिक योजनाओं के काफी बड़े क्षेत्र होने चाहियें, जिनमें सावधानी पूर्वक कार्य किया जा सके और आवश्यतानुसार इनको शुरू करने के लिये तैयार रखा जाना चाहिये। ये कार्य स्थानीय विकास की दीर्घकालीन नीति के अनुरूप होने चाहिएं। सरकार ने कृषक दल की रिपोर्ट को प्रायः स्वीकार कर लिया है। कृषक दल की सिफारिश के अनुसार, सरकार कार्य को शुरू करने वाले राज्यों को राहत कार्यों और सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम को एकीकृत करने के लिये, जल्दी में तदर्थ योजनायें शुरू करने की बजाय सूखा राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत भविष्य में किसी प्रकार के अभाव सम्बन्धी कार्यक्रम को शुरू करने के लिये सक्षम क्षेत्र की उचित योजनायें तैयार करने के लिये सुझाव दे रही है।

महिलाओं के कल्याण के लिए धनराशि का नियतन

7750. **श्री हरी किशोर सिंह :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 मार्च, 1975 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित उस प्रेस समाचार की ओर गया है जिसमें यह बताया गया है कि महिला संगठनों के प्रतिनिधियों, महिला संसद् सदस्यों तथा विभिन्न व्यवसायों की महिलाओं ने यह अनुभव किया है कि सरकार चालू वर्ष के दौरान, जिसे अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है महिलाओं के कल्याण सम्बन्धी योजनाओं के लिये पर्याप्त धनराशि आवंटित करने के सम्बन्ध में अपने बजट उपबन्धों में उदार नहीं रही; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरन्विद नेताम) : (क) तथा (ख). जी हां।

पहले ही योजनायें हैं जिन्हें क्रियान्वित किया जा रहा है। जहां कहीं भी सम्भव है उन्हीं योजनाओं को तीव्र किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, इस वर्ष महिलाओं के कर्त्तव्य तथा अधिकारों के बारे में जानकारी जागृत करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं।

S.C. and S.T. Officers in Directorate of Education.

†7751. **Shri Chandra Shailani:** : Will the Minister of **Education, Social welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether the posts reserved for Scheduled Castes in the Education Directorate, Delhi, have not been filled according to their reserved quota and total number of posts in the department and the number of Scheduled Caste employees/officers among them and the quota for Scheduled Caste employees/officers in Class I, Class II, Class III and Class IV;

(b) whether out of 18 posts of Deputy Directors there is only one officer working against the reserved posts;

(c) whether some of the Education Officers/Assistant Directors of Education belonging to Scheduled Castes are quite eligible for promotion to the post of Deupty Director of Education;

(d) reasons for which action is not taken by the Administration to fill up the reserved posts; and

(e) the time by which appointments against these vacancies will be?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav): (a) The posts in the Directorate of Education, Delhi have been filled from among Scheduled Caste candidates as and when such candidates are available. According to the latest Government orders 15 per cent of the posts are to be reserved for Scheduled Caste candidates. The number of posts and the number of Scheduled Caste employees among them in the Directorate is given in the statement attached.

(b) There are only eleven posts of Deputy Director of Education, out of which one has been filled by a Scheduled Caste officer.

(c) There are two Scheduled Caste officers in the seniority list of Assistant Director of Education/Education Officer. No promotion on regular basis has been made after November 1972 and as such their eligibility or otherwise for promotion to the post of Deputy Director of Education has not been assessed. Prior to November 1972 there was no reservation in promotion for Scheduled Caste/Scheduled Tribe candidates among Class I and Class II officers.

(d) & (e). The low percentage of appointment in respect of Scheduled Caste candidates is that adequate number of Scheduled Caste candidates to fill up the reserved vacancies were not available in most of the categories. Local Employment Exchange also could not sponsor the requisite number of candidates in certain cases. As regards Class IV staff there is a joint cadre of all the Ministerial staff working in the Delhi Administration and there is no separate cadre for

the Directorate of Education. However the unfilled vacancies are being carried forward for filling up subsequently from among the suitable Scheduled Caste candidates.

Statement

Sl. No.	Class	No. of posts	No. of S.C. employees	%of S.C. to the total No. of posts
1.	Class I . .	467	15	3%
2.	Class II . .	174	2	1%
3.	Class III (other than Ministerial) . . .	14865	458	3%
4.	Class IV . . .	2968	538	18%

सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिये आवासन योजनाएं

7752. **श्री शंकर राव सावन्त :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिये बनाये जाने वाले मकानों की कीमत क्या है ; और

(ख) इस योजना के अन्तर्गत मकान के लिये कौन-कौन से वर्गों के कर्मचारी हकदार हैं और मकानों की लागत अदा करने का ढंग क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) तथा (ख). केन्द्रीय सरकार दिल्ली प्रशासन के नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सरकार, दिल्ली प्रशासन, सार्वजनिक उपक्रमों, सांविधिक तथा स्थानीय निकायों और स्वायत्त संगठनों आदि में कार्य कर रहे वे व्यक्ति जो 1-4-72 से 31-3-75 की अवधि के दौरान सेवा निवृत्त हुए तथा जिन्होंने योजना के आरम्भ होने से पहले दिल्ली को अपना होम-टाऊन घोषित किया हुआ था तथा योजना के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण में अपना पंजीकरण करवाया हुआ था, वे इन फ्लैटों के आवंटन के लिए पात्र होंगे बशर्ते कि आवेदक अथवा उसके आश्रित का दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र के भीतर अपना कोई रिहायशी फ्लैट नहीं है।

सेवा निवृत्त हो रहे सरकारी कर्मचारियों को चार वर्गों में रखा गया है। वर्ग 'क' में वे आते हैं जिनकी वार्षिक आय 3,000 रुपये से अधिक नहीं है; वर्ग 'ख' में वे आते हैं जिनकी वार्षिक आय 7,200 रुपये से अधिक नहीं है; वर्ग 'ग' में वे आते हैं जिनकी वार्षिक आय 7,201 रुपये और 18,000 रुपये के बीच में हैं; तथा वर्ग 'घ' में वे आते हैं जिनकी वार्षिक आय सेवा निवृत्त होने से पहले 18,000 रुपये से अधिक थी लेकिन सेवा निवृत्ति के बाद मध्यम आय वर्ग के अन्तर्गत आएगी अर्थात् 7,201 रुपये से 18,000 रुपये तक ।

अभी तक फ्लैट केवल 'ख' तथा 'ग' वर्गों के लिए उपलब्ध है । वर्ग 'ख' के फ्लैट की लागत 37,000 रुपये से 39,700 रुपये के बीच जबकि वर्ग 'ग' के फ्लैट की लागत 63,400 से 65,700 रुपये के बीच होगी । वर्ग 'क' 'ख' तथा 'ग' के लिए भुगतान का तरीका यह है कि कुल लागत का 50 प्र० श० एक मुश्त तथा शेष 50 प्र० श० को 10 वर्षों की बराबर मासिक किस्तों में देना होता है । वर्ग 'घ' के मामले में, फ्लैट की कुल लागत आबंटन के समय अदा करनी होगी ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बनाये गये फ्लैट

7753. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास निगम ने 31 मार्च, 1975 तक मध्य आय समूह, निम्न आय समूह, जनता तथा सैनिकों के लिये फ्लैटों जैसी विभिन्न आवास योजनाओं के अन्तर्गत कितने फ्लैट बनाये गये हैं;

(ख) उपरोक्त आवास योजनाओं की लागत क्या है; और

(ग) उपरोक्त धन किन स्रोतों से प्राप्त किया गया ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न आवास योजनाओं के अन्तर्गत 31-3-1975 तक निर्मित फ्लटों की संख्या निम्नलिखित हैं :—

मध्यम आय वर्ग	9292
निम्न आय वर्ग	11031
जनता	5391
सामुदायिक सेवा कार्मिक	975
कुल	26689

(ख) 55.32 करोड़ रुपये।

(ग) आवास योजनाओं के लिए वित्त व्यवस्था केन्द्रीय सरकार आवास तथा नगर विकास निगम, जीवन बीमा निगम से प्राप्त ऋणों, फ्लैटों के इच्छुक खरीददारों से प्राप्त अग्रिम पंजीकरण जमा-राशि, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा चलाए गए बाण्डों तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण की अपनी निधियों से की जाती है।

सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से अभ्यावेश

7754. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को उत्तर प्रदेश राज्य को कुछ सिंचाई परियोजनाओं के बारे में मंजूरी शीघ्र देने हेतु वहां की सरकार से एक अभ्यावेदन मिला है।

(ख) यदि हां, तो ऐसी सिंचाई परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिनके सम्बन्ध में मंजूरी की आवश्यकता है; और

(ग) इस मामले में अब तक निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) और (ख). उत्तर प्रदेश सरकार ने जनवरी, 1975 में केन्द्रीय जल आयोग से अनुरोध किया था कि निम्नलिखित स्कीमों को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति दे दी जाए :—

(1) मध्य गंगा नहर
(2) मैजा बांध को ऊंचा करना
(3) घाघरा नहर का वाम तट
(4) रोहिणी बांध
(5) चित्तौड़ गढ़ जलाशय।

आयोग ने इन स्कीमों का जांच कार्य प्राथमिकता के आधार पर हाथ में ले लिया है।

(ग) इस समय यह बताना सम्भव नहीं है कि आयोग द्वारा राज्य सरकार से परामर्श करके, इन परियोजनाओं को अन्तिम रूप देना कब तक सम्भव होगा।

गुजरात में खाद्यान्न उत्पादन विषयक सम्भावनायें

7755. श्री प्रसन्न भाई मेहता : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य में खाद्यान्न उत्पादन की सम्भावनाओं में अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार खाद्यान्न के उत्पादन की स्थिति को सुधारने के लिये उस राज्य में कृषि विशेषज्ञों के एक दल को भेजने का है, यदि हां, तो उसे कब तक भेजा जाएगा;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इसी मौसम में खाद्यान्न उत्पादन को सुधारने के लिये राज्य सरकार की सहायता के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं; और

(घ) राज्य के सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिये राज्य सरकार को फ़रवरी और मार्च, 1975 में क्या सहायता दी गई और क्या सूखा से प्रभावित कुछ क्षेत्रों में भूख से मौतों के समाचार मिले हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी हां।

(ख) सम्बन्धित राज्य सरकारों से विशेष अनुरोध प्राप्त होने पर इस प्रकार के दल भेजे जाते हैं। गुजरात राज्य से अभी तक इस प्रकार का अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) 1975–76 वार्षिक योजना के कृषि क्षेत्र में विकास संबंधी कार्यक्रमों के प्रभावी रूप से क्रियान्वयन के कुछ पहलुओं पर विचार–विमर्श करने के लिए 2 और 3 अप्रैल, 1975 को महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश के पश्चिमी राज्यों का एक क्षेत्रीय बैठक बम्बई में हुई थी। इस बैठक में आगामी खरीफ़ मौसम के दौरान खाद्यान्न उत्पादन को तेजी से बढ़ाने के लिए उपायों पर विशेष रूप से जोर दिया गया था। गुजरात राज्य से खरीफ़ 1975 के लिए कृषि आदानों का खरीद और वितरण के लिए 5 करोड़ रुपये का अल्पावधि ऋण का औपचारिक अनुरोध प्राप्त हुआ है। इस पर विचार हो रहा है।

(घ) भारत सरकार ने सूखा राहत कार्यों के लिए वर्ष 1974–75 के दौरान गुजरात राज्य को योजना को अग्रिम सहायता के रूप में 14.14 करोड़ रुपये की धनराशि की मंजूरी दी है। राज्य सरकार ने सूखाग्रस्त क्षेत्रों में भूख के कारण हुई किसी मौत के संबंध में कोई सूचना नहीं दी है।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में चावल की नई किस्म का विकास

7756. श्री के० मालन्ना : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने चावल की नई किस्म का विकास किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा कुछ नये कल्चर विकसित किये जा रहे हैं, जो पहले रिलीज की गयी किस्मों से बेहतर सिद्ध हुए हैं।

(ख) पूसा 2-21 (कन्नगी) और उन्नत साबरमती किस्म के बाद भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा चावल की कोई नयी किस्म रिलीज नहीं की गयी है। पर संस्थान ने अभी हाल में चावल की कुछ महीन दानों वाली सुगंधित और महीन दानों वाली असुगंधित किस्मों का पता लगाया है। ये किस्में 105 से 110 दिनों में पक कर तैयार होती हैं। तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल, असम आदि राज्यों में सामान्य रूप से उगाने के लिए इनमें से दो किस्मों की उपज क्षमता और उपयुक्तता सम्बन्धी मूल्यांकन की दृष्टि से की जा रही जांच अन्तिम चरण में है।

Quantity of Wheat Sold by Farmers and Producers and Levy Wheat Procured by Government

7757. Shri Mulki Raj Saini: Will the Minister of **Agriculture and Irrigatio** be pleased to state:

(a) the quantity of wheat brought by farmers in mandis during 1974-75 state-wise;

(b) the quantity of levy wheat procured by Government at official rate;

(c) the quantity of wheat sold by traders in open market; and

(d) the extent of profit earned by traders from open market sale of wheat?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) and (b). A statement showing the required information is attached. [Placed in Library. See No. LT-9544/75.]

(c) A quantity of 1393.5 thousand tonnes of wheat was available with the traders for sale in the open market.

(d) It is not possible to estimate the profits made by the traders from open market sale of wheat. However, with a view to checking profiteering by the traders, the Government of India had fixed Rs. 150 per quintal as the maximum price of wheat for sale in the course of inter-State trade and commerce in the surplus States of Punjab, Haryana, Rajasthan, M.P., U.P. and the Union Territory of Chandigarh. Some of the State Governments had also fixed the maximum wholesale and retail price of wheat.

अन्य राज्यों द्वारा पश्चिम बंगाल को तिलहनों की अपर्याप्त सप्लाई

7758. श्री सरोज मुकर्जी : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा गुजरात से पश्चिम बंगाल को तिलहनों (सरसों) की सप्लाई काफी कम हो गई है क्योंकि इन राज्यों ने तेल निकालने के लिये अपनी मिलों में सरसों की पेराई आरम्भ कर दी है ;

(ख) क्या उक्त कारण से पश्चिम बंगाल में सरसों के तेल की कीमत आशानुकूल स्तर तक नीचे आ रही है, और

(ग) इस संबंध में पश्चिम बंगाल राज्य की सहायता करने के लिए उनके मंत्रालय का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) एक राज्य से दूसरे राज्य को सरसों के बीज/तेल लाने ले जाने पर कोई नियंत्रण नहीं है। सामान्यतया पश्चिम बंगाल को अन्य राज्यों से तिलहनों और तेलों की सप्लाई प्राइवेट तौर पर होती है।

(ख) चालू वर्ष के शुरू से ही पश्चिम बंगाल में सरसों के तेल की कीमतें में गिरावट नजर आई है। राज्य आई विभिन्न केन्द्रों में देश के अन्य क्षेत्रों की भांति ही मूल्यों में गिरावट आई है।

(ग) उपर्युक्त (क) को दृष्टि में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

राप्ती नदी पर बांध जलाशय का निर्माण

7759. **श्री वी० आर० शुक्ल** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राप्ती नदी के जल को एकत्र करने के लिए उसके ऊपरी क्षेत्र में बांध अथवा जलाशय के निर्माण के बारे में सरकार के पास कोई योजना है।

(ख) यदि नहीं, तो क्या एक दूसरे स्थान पर जल कुण्डों परियोजना अथवा एक वैसी ही परियोजना को त्याग दिया गया है; और

(ग) बहराइच, गोंडा तथा बस्ती जिलों में राप्ती नदी का उपयोग कैसे किया जायेगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह): (क) और (ख) भारत में बड़ी मात्रा में संचयन क्षमता वाले स्थल व्यवहार्य नहीं हैं। अध्ययनों से पता चला है कि नेपाल में संचयन स्थल, जिनमें जलकुण्डी भी शामिल है, व्यवहार्य प्रतीत होते हैं। नेपाल सरकार से दोनों देशों के लाभ हेतु सहयोग पूर्ण विकास कार्य करने के लिए अनुरोध किया गया है।

(ग) गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग ने राप्ती नदी की बाढ़ समस्याओं का विस्तृत अध्ययन किया है और राप्ती की बाढ़ समस्याओं से निपटने के लिए बाढ़ जलाशयों के निर्माण के अतिरिक्त उपांतिक तटबन्धों का निर्माण करने, राप्ती के बाढ़ जल का घाघरा में व्यपवर्तन करने, नदी सुधार कार्यों तथा गांवों को ऊंचा करने का सुझाव दिया है।

त्रिचि स्थित डालडा कारखाने में श्रमिकों की समस्या का समाधान

7760. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने 3 मार्च, 1975 को तारांकित प्रश्न संख्या 188 के उत्तर में बताया है कि ज्यों ही डालडा कारखाना, त्रिचि का प्रबन्ध मैसर्स पेरुमल एजेंसीज लिमिटेड को सौंप दिया जायेगा और कारखाने में उत्पादन आरम्भ होने लगेगा, श्रमिकों की समस्या हल हो जायेगी; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार को कोई आश्वासन दिये गये है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां, अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में।

(ख) कर्मचारियों की समस्याओं को हल करने के बारे में प्रमुखतः उन नये रोजगार संसाधनों के संदर्भ में उल्लेख किया गया था, जिनकी फ़ैक्ट्री के फ़िर से चालू होने के बाद पैदा होने की सम्भावना थी। जिस समय पीछे फ़ैक्ट्री चालू थी, उस समय कार्य कर रहे कर्मचारियों ने "स्वेच्छा से अलग होने की योजना" के अधीन कम्पनी की सेवा को छोड़ दिया था। इस योजना के अधीन प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए $1\frac{1}{2}$ महीने का वेतन देने की व्यवस्था थी। इसको ध्यान में रखते हुए और इसके अलावा भी, इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार को कोई आश्वासन देने का वास्तव में कोई प्रश्न ही नहीं उठता है।

डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र में बाढ़

7761. **श्री रोबिन ककोटी** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 अप्रैल, 1975 के 'आसाम ट्रिब्यून' में डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी में पानी का चढ़ना (ब्रह्मपुत्र राइजेज एट डिब्रूगढ़) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गाया है ;

(ख) यदि हां, तो इसमें की गई टिप्पणियों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) . असम सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 10 अप्रैल, 1975 को जबकि ब्रह्मपुत्र का जल स्तर अचानक ही बढ़ गया था नदी में बहाव के कारण डिब्रूगढ़ के निकट मथोला में आर० डी० 4800 पर विद्यमान ठोकर (स्पर) का मिट्टी का ओट्टा

बह गया था और उसके उपरी भाग के निकट थोड़ा सा हिस्सा ही शेष रहा था। ठोकर (स्पर) को हुई क्षति का 2.3 लाख रुपये तक होने का अनुमान लगाया गया है।

राज्य सरकार ने क्षतिग्रस्त ठोकर (स्पर) के स्थल पर लगभग 60 मीटर लम्बी पत्थर की ठोकर (स्पर, का निर्माण कार्य पहले ही हाथ में ले लिया है जो 58.59 लाख रुपये लागत पर स्वीकृत मथोला क्षेत्र में कटाव के प्रति सुरक्षा स्कीम का एक भाग है। इस ठोकर (स्पर) पर कार्य मई, 1975 के मध्य तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

Shifting of Hostel of Sanskrit Vidyapeeth in Vasant Vihar

7762. **Shri Hiralal Doda:** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state:

(a) whether orders were passed by the former Lt. Governor of Delhi to shift the hostel of Sanskrit Vidyapeeth being run in Vasant Vihar from that area; and

(b) if so, when the orders were given and action taken by the D.D.A. in the matter?

The Deputy Minister in the Ministry of Works and Housing (Shri Dalbir Singh): (a) Yes, Sir.

(b) The orders were passed on 11th September, 1974 and in pursuance of these orders Show Cause Notice was issud to the Sub-Lessee on 17th September, 1974. Meanwhile, on the representation of the Ministry of Education and Social Welfare submitted to the Lt. Governor, the orders were reviewed and the hostel has been allowed to continue in Vasant Vihar upto the 31st of December, 1975. They have been asked to shift to the new site allotted to it by the DDA for the purpose in Haus Khas by 31st December, 1975.

अहमदाबाद की बाह्य सीमा के गांवों को निगम की सीमा में शामिल करना

7763. श्री पो० जी० मावलंकर : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अहमदाबाद नगर निगम की सीमा को हाल ही में बढ़ाया गया है जिससे पूर्व कालीन दानी लिमडा गांव को नगर क्षेत्र में शामिल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूर्ण ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दानी लिमडा की ग्राम पंचायत ने इसके शामिल किये जाने का विरोध किया है तथा इसके विस्तार पर आपत्ति की है;

(घ) यदि हां, तो ग्राम पंचायत की मुख्य आपत्तियां क्या हैं और इसके क्या कारण हैं; इस सम्बन्ध में यदि सरकार की कोई प्रतिक्रिया है; तो वह क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार अहमदाबाद की बाहय सीमा पर स्थित ऐसे अन्य क्षेत्रों और गांवों को निगम की सीमा में शामिल करने का है और यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं तथा ऐसा कब किया जायेगा और ऐसा करने के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, दानी लिमडा गांव को, उस क्षेत्र से वस्तुओं की बड़े पैमाने पर तस्करी तथा चुगी की चोरी को रोकने के एक उपाय के तौर पर, अहमदाबाद निगम के क्षेत्राधिकार में शामिल किया गया था।

(ग) जी, हां।

(घ) ग्राम पंचायत की मुख्य आपत्ति यह थी कि दानी लिमडा क्षेत्र को निगम के सीमाक्षेत्र में शामिल करने से पूर्व पंचायत से परामर्श नहीं किया गया। पंचायत ने राज्य सरकार को यह भी अभ्यावेदन दिया कि उसके द्वारा इस क्षेत्र में आवश्यक नगरीय सुविधाएं प्रदान की जा रही थीं तथा लगभग 75 प्रतिशत लोग इस समावेश के विरुद्ध थे। राज्य सरकार ने आपत्ति पर विचार किया लेकिन उन्हें अस्वीकार कर दिया।

नगर निगम द्वारा सीवेज फार्म के शाहबादी के क्षेत्र, गियासपुर राजस्व सर्वेक्षण संख्या रानीपुर को समावेश करने का प्रस्ताव किया गया था। राज्य सरकार ने नगर निगम के इर्दगिर्द के क्षेत्रों में चल रही औद्योगिक तथा विकासीय गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए एक विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा है। इनके अलावा, राज्य सरकार का प्रस्ताव और क्षेत्रों को नगर निगम की सीमाओं में मिलाने का नहीं है।

एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालिज के प्रबन्ध विकास कार्यक्रम

7764. श्री शरद् यादव :

श्री मधु दण्डवते :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालिज द्वारा आयोजित प्रबन्ध विकास कार्यक्रम में साधारण व्यापार प्रबन्ध कर्मचारियों के भाग लेने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है; और

(ख) कम्पनी कानून के नियमों तथा संशोधनों में बार-बार हुए बहुत से परिवर्तनों का उचित रूप से पालन करने के लिये निम्न आयवर्ग के व्यापार कर्मचारियों की शिक्षा के लिए कम खर्च वाले साधन प्रस्तुत करने की सरकार की कोई योजनायें हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरूल हसन) :(क) और (ख). प्रशासनिक स्टाफ कालिज द्वारा आयोजित कार्यक्रम अपने स्वरूप में निजी तथा सरकारी क्षेत्र के बड़े उद्योगों द्वारा प्रवर्तित कार्मिकों के लिये होते हैं। ये पाठ्यक्रम लघु उद्योगों के कर्मचारियों के लिए नहीं होते हैं।

ऐसी कई अन्य विशिष्ट संस्थाएं तथा संगठन हैं जैसे राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, बम्बई, लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, नई दिल्ली तथा भारतीय प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद और कलकत्ता, जो लघु उद्योग क्षेत्र के व्यापार प्रबन्ध के कार्मिकों के लिये नियमित कार्यक्रम आयोजित करते हैं।

गुजरात में वसूल किया गया धान और गेहूं

7765. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले खरीफ मौसम में गुजरात में धान और गेहूं के लिये रखे गये वसूली लक्ष्य प्राप्त कर लिये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो धान और गेहूं की वसूल की गई मात्रा कितनी है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिंदे) : (क) और (ख). खरीफ विपणन मौसम 1974–75 के दौरान, चावल के हिसाब से 15,000 मी० टन के लक्ष्य के प्रति, गुजरात में अब तक चावल के हिसाब से लगभग 10,600 मी० टन धान की अधिप्राप्ति की गई है।

जहां तक गहूं का सम्बन्ध है, रबी विपणन मौसम 1974–75 के लिए अधिप्राप्ति का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था। तथापि, 20,700 मी० टन की अधिप्राप्ति की गई थी।

सिंचाई सुविधाओं के लिए गुजरात को केन्द्रीय सहायता

7766. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र ने वर्ष 1975–76 में गुजरात में सिंचाई सुविधाओं के विकास के लिए कोई सहायता दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) और (ख). राज्यों को केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में दी जाती है जो विकास के किसी विशेष क्षेत्र अथवा परियोजना से जुड़ी नहीं होती। गुजरात को 1975–76 वर्ष के लिए 32.17 करोड़ रुपये की ब्लाक केन्द्रीय सहायता स्वीकृत की गई है।

गुजरात के ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में आवास कार्यक्रम

7767. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या गुजरात राज्य के ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में आवास कार्यक्रमों के लिए वर्ष 1974–75 के दौरान कोई धनराशि आवंटित की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) तथा (ख). योजना आयोग ने गुजरात में आवास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए वर्ष 1974–75 के दौरान 175 लाख रुपये के परिव्यय का अनुमोदन किया है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को आवास स्थल देने के लिए इस राशि में 32 लाख रुपये की धनराशि शामिल है।

गुजरात में खाद्य वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि के लिये द्रुत कार्यक्रम।

7768. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में विभिन्न खाद्य वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिये कोई द्रुत-कार्यक्रम आरम्भ किया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

केरल के तट पर मत्स्य–पत्तन

7769. **श्री वयालार रवि** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के तट के साथ-साथ अनेक मत्स्य-पत्तनों का निर्माण करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना की मख्य बातें क्या हैं और इसकी क्रियान्विति की दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) पांचवीं योजना के दौरान इस दिशा में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग). इस परियोजना में कोचीन में गहन समुद्री मात्स्यकी बन्दरगाह का निर्माण, विझिंजम में मध्यम श्रेणी की मात्स्यकी बन्दरगाह और पोन्नानी, बलियापटनम्, बेपुर तथा कन्नानोर में सीमित मात्रा में माल उतारने की सुविधाओं की व्यवस्था है। कोचीन में कार्य हो रहा है और अधिकांश

अन्य कार्य पूरे हो गये हैं। नीन्दाकारा में मात्स्यकी बन्दरगाह संबंधी प्रस्ताव पर भी विचार हो रहा है। राज्य सरकार को इन योजनाओं के लिए निम्नलिखित धनराशि की स्वीकृति दी गई है :—

(लाख रुपए)

बन्दरगाह का नाम	स्वीकृत की गई कुल धनराशि	नियुक्त की गई राशि
	रु०	रु०
1. कोचीन	272.40	105.60
2. विझिगम	173.00	
3. पोन्नानी	7.50	
4. बलियापटनम	13.06	226.98
5. बेपुर	3.91	
6. कन्नानोर	29.65	

संस्कृत तथा पाली भाषाओं के संवर्द्धन के लिए वित्तीय सहायता

7770. **श्री नारायण चन्द पराशर : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संस्कृत तथा पाली भाषाओं के अलग-अलग संवर्द्धन के लिये सरकार ने वर्ष 1972–73, 1973–74 तथा 1974–75 के वित्त वर्षों के लिये किन-किन स्वयं सेवी संगठनों, अनुसन्धान संस्थानों तथा अकादमियों को वित्तीय सहायता दी; और

(ख) उपरोक्त वर्षों के दौरान इनमें से प्रत्येक निकाय को पृथक-पृथक कितनी-कितनी वित्तीय सहायता दी गई ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) : भारतीय विवेचनात्मक पाली शब्दकोष केन्द्र के मामले को छोड़ कर, संलग्न विवरणों [**ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए** संख्या एल०टी०–9545/75] में सूचीबद्ध संस्थाओं को दिये गये अनुदानों का उपयोग कुछ संस्थाओं द्वारा संस्कृत के अलावा पाली के अध्ययन हेतु किया जाता है। उपलब्ध सूचना के अनुसार संस्कृत और पाली को बढ़ावा देने के लिए अनुदानों के पृथक-पृथक रूप से ब्यौरे देना सम्भव नहीं है।

पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों के लिये सैल

7771. **श्री नारायण चन्द पराशर : क्या निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्वतीय क्षेत्र में सड़कों के निर्माण सम्बन्धी जरूरतों को पूरा करने के लिये उनके मंत्रालय के अधीन कोई सैल हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सैल की रचना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या ऐसा कोई सैल स्थापित किया जायेगा?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं। यह मंत्रालय मुख्यतया भवन-निर्माण से संबंधित है। अतः रोड सैल बनाने की आवश्यकता नहीं समझी गई।

मेराइन फिशरीज इंस्टीट्यूट, कोचीन के कर्मचारियों से ज्ञापन

7772. **श्री डी० पी० जदेजा :**

श्री अरविंद एम० पटेल :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेराइन फिशरीज इन्स्टीट्यूट, कोचीन के कर्मचारियों की एसोसिएशन ने अपनी इस मांग के सम्बन्ध में ज्ञापन पेश किया है कि उनके संस्थान का प्रबंध-कार्य केन्द्र सरकार द्वारा चलाया जाना चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार उनकी मांग पर विचार नहीं कर सकती, क्योंकि कृषि और पशु विज्ञान संबंधी अनुसंधान कार्य का उत्तरदायित्व भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् पर है। यह भी उल्लेखनीय है कि यह संस्था मान्यता प्राप्त निकाय नहीं है।

Supply of Improved Variety of Seeds to Farmers

7773. **Dr. Laxminarayan Pandeya**: Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether Government have failed in making arrangements for supply of improved varieties of seeds to farmers;

(b) whether Government are in a position to meet only 25 per cent of the demand; and

(c) if so, steps taken to increase this percentage?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Prabhudas Patel): (a) to (c). The State Governments are primarily responsible for organising production of improved seeds and distribution to the farmers. All-India Seed Producing Organisations like the National Seeds Corporation, the State Farms Corporation of India and the Tarai Development Corporation also produce improved seeds of hybrids and high-yielding varieties of various crops of all-India importance. Cooperative agencies and private seed producing organisations also undertake production of improved seeds. Requirements of improved seeds and the arrangements made for their production and distribution are reviewed in the half yearly Zonal Conferences held with the State representatives and the All India Seed Producing Organisations. The effective demand for improved seeds, after taking into account the exchange of seeds between farmers and the supplies aranged by private seed industry and also the periodicity of seed industry and also the periodicity of seed replacement, has, by and large, been met. In the case of bajra seeds, however, there was some shortage in 1974-75. Various steps have been taken both by the Central and State Governments for increasing the supply of high quality seeds. A National Seeds Project is also under formulation to set up Regional Seed Corporations which are to meet the much larger demand for seeds anticipated in the years to come. Under this Project, 6—8 State Seed Corporations would be set up as in the first phase. Compact areas will be developed and brought under seed production by the State Seeds Corporations and in this the National Seeds Corporation, the Agricultural Universities, the State Farms Corporation, the State Government and Governmental Agencies as also farmers located in the compact areas will participate.

Dairy Development in M.P. and Gujarat during Fifth Plan

7774. **Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state the amount of money allocated to Madhya Pradesh and Gujarat in the annual plan of the Fifth Five Year Plan for dairy development programme?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Prabhudas Patel): The financial allcations for dairy development programme in the States of Madhya Pradesh and Gujarat for the year 1974-75 of the Fifth Five Year Plan are as under:—

1.	Madhya Pradesh	Rs. 34.76 lakhs
2.	Gujarat	Rs. 51.40 lakhs

Proposal for opening New Central Schools in M.P.

†7775. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether some new Central Schools are proposed to be opened in Madhya Pradesh during 1974-75 and 1975-76; and

(b) if so, the locations thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav): (a) and (b). During 1974-75 suggestions were received by the Kendriya Vidyalaya Sangathan for opening Kendriya Vidyalayas at Singrauli Colliery, Jabalpur, Rewa, Dewas and Gwalior But as the preliminary arrangements for opening Vidyalayas were not completed in time, no Vidyalaya was opened in Madhya Pradesh during 1974-75.

Proposals to set up new Kendriya Vidyalayas during the year 1975-76 at Singrauli Colliery, Mhow and Bhopal have been received. The decision to open a Vidyalaya at Singrauli Colliery has been taken. The other two proposals are under examination.

Irrigation Projects for M.P.

7776. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether any irrigation projects have been included in the Fifth Plan to help the small farmers in Madhya Pradesh; and

(b) if so, the details in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Shah Nawaz Khan): (a) and (b). Information is being collected from the State Government and would be placed on the Table of the Sabha.

पूर्वोत्तर राज्यों में चरागाहों का विकास

7777. **श्री शक्ति कुमार सरकार :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में राज्यवार चारागाह विकास क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या है ;

(ख) इन राज्यों में इस बारे में राज्यवार क्या विशेष कार्यक्रम आरम्भ किया गया है ; और

(ग) इस कार्य के लिये पांचवीं योजना अवधि में कुल कितनी धनराशि नियत की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

मध्यम तथा निम्न आय वर्ग के फ्लैटों के लिये दिल्ली विकास प्राधिकरण में नाम दर्ज कराना

7778. **श्री सतपाल कपूर :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1975 तक दिल्ली विकास प्राधिकरण में कुल कितने लोगों ने मध्यम तथा निम्न आय वर्ग के लिये फ्लैटों के लिये अपने नाम दर्ज कराये ;

(ख) वर्ष 1975–76 तथा 1976–77 के दौरान उपरोक्त दो वर्गों के अन्तर्गत कितने फ्लैटों का आवंटन किये जाने की सम्भावना है ;

(ग) 31 मार्च, को समाप्त होने वाले गत तीन वर्षों के दौरान उपरोक्त दो वर्गों के अन्तर्गत वर्ष-वार कुल कितने फ्लैटों का आवंटन किया गया;

(घ) 31 मार्च, 1972 तक उपरोक्त दो वर्गों के अन्तर्गत कुल कितने लोगों ने अपने नाम दर्ज करा रखे थे ;

(ङ) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण का विचार नया रजिस्ट्रेशन खोलने का है; और

(च) यदि हां तो इसका क्या औचित्य है जब कि जिन लोगों ने पहले से ही अपने नाम दर्ज करा रखे हैं उन्हें अभी तक फ्लैटों की आवंटन हेतु पेशकश नहीं हुई है?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) उन पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या जिनकी मांग 31–3–75 तक पूरी की जानी है, निम्नलिखित है :—

मध्यम आय वर्ग	निम्न आय वर्ग	कुल
5,522	4,675	10,197

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण के अनुसार एक वर्ष में निर्मित किए जाने वाले फ्लैटों की संख्या निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है —

(i) इमारती सामान की उपलब्धता (ii) निधियों की उपलब्धता तथा (iii) फ्लैटों की बिक्री से धनराशि की मात्रा की प्राप्ति/पूर्वोक्त कारणों से यह निश्चित रुप से नहीं कहा जा सकता कि एक वर्ष में कितने फ्लैटों के प्रस्ताव दिए जा सकते हैं।

(ग) वर्षवार आवंटित फ्लैटों की संख्या निम्नलिखित है :—

	मध्यम आय वर्ग	निम्न आय वर्ग	कुल
1972–73	3395	2433	5823
1973–74	2410	4170	6580
1974–75	263	213	476
जोड़ :	6068	6816	12884

वर्ष 1974-75 में आवंटित किय गए 476 फ्लैटों के अलावा, महयम आय वर्ग के 730 फ्लैटों तथा निम्न आय वर्ग के 1144 फ्लैट मुक्त किए गए हैं तथा आवंटन की प्रक्रिया में हैं)

(घ) 31–3–72 तक मध्यम आय वर्ग तथा निम्न आय वर्ग श्रेणियों के अन्तर्गत पंजीकृत व्यक्तियों की कुल संख्या तथा जिनकी मांग अभी पूरी की जानी है, इस प्रकार हैं :—

मध्यम आय वर्ग	निम्न आय वर्ग	कुल
12414	8453	20867

(ङ) नया पंजीकरण आरम्भ करने के बारे में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

सिंचाई सुविधाओं का विकास करने के लिए उड़ीसा को केन्द्रीय सहायता

7779. **श्री अनादि चरण दास** : क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र ने सिंचाई सुविधाओं का विकास करने के लिए 1975–76 में उड़ीसा को सहायता दी है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) :(क) और(ख) : राज्यों को केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में दी जाती है जो विकास के किसी विशिष्ट शीर्ष अथवा परियोजना से जुड़ी नहीं होती। उड़ीसा के लिए 1975–76 हेतु स्वीकृत ब्लाक केन्द्रीय सहायता 32.70 करोड़ रुपये है।

चौथी योजना के दौरान पश्चिम बंगाल में मछली पालन के लिये नियतन

7780. **श्री टुना उरांव** : क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना अवधि में पश्चिम बंगाल राज्य में मछली पालन के लिये कुल कितनी धन-राशि नियत की गई ; और

(ख) इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्य किया गया है।

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) चौथी योजना के दौरान, राज्य, केन्द्रीय और केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत, पश्चिम बंगाल में मात्स्य का विकास के लिये क्रमशः 295 लाख, 2.57 लाख रुपये और 6.21 लाख रुपये का आवंटन किया गया था।

(ख) राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत किये गये कार्य के सम्बन्ध में जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी। केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत मुर्शिदाबाद जिले में अन्तर्देशीय मात्स्यकी संसाधनों का सर्वेक्षण प्रारम्भ करने, बर्दवान जिले में मत्स्य पालन विकास एजेंसियों

का कार्य शुरू करने और रायचौक में मात्स्यकी बन्दरगाह हेतु भूमि अधिग्रहण करने के लिये राशि निर्धारित की गई थी। यह सब कार्य पूरा हो गया है। केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत 6.21 लाख रुपये की अनुमानित लागत से नामखा में फ्लोटिंग जेट्टी के लिये स्वीकृति जारी कर दी गई है परन्तु विभिन्न कारणों की वजह से चौथी योजना के दौरान कोई विशेष प्रगति नहीं हो सकी। अभी कार्य जारी है।

पश्चिम बंगाल में ग्रामीण रोजगार के लिये द्रुत कार्यक्रम पर खर्च

7781. **श्री टुना उरांव :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में वर्ष 1973–74 में ग्रामीण रोजगार के लिये ट्रम कार्यक्रम पर 246.71 लाख रुपये का खर्च हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विशेष रूप से राज्य के सुन्दरवन क्षेत्र में जिलेवार किये गये कार्य की मुख्य बातें क्या हैं तथा इन जिलों में कितने जन-दिवसों के लिए रोजगार उपलब्ध हुआ ;

(ग) इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1974–75 में कुल कितनी राशि मंजूर की गई तथा कितनी राशि का उपयोग किया गया और इन जिलों में रोजगार के कितने अवसर पैदा किये गये ; और

(घ) राज्य में इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1975–76 के लिये दी गई मंजूरियों का तथा जिलेवार कार्यक्रम का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) :(क) से (घ) . सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

पदम नगर के समीप दिल्ली विकास प्राधिकरण का विवेकानन्दपुरी नामक कालोनी में दुकानें चलाना

7782. **श्री बरके जार्ज :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पदम नगर के समीप दिल्ली विकास प्राधिकरण की विवेकानन्दपुरी नामक कालोनी एक आवासीय कालोनी है;

(ख) यदि हां, तो उस कालोनी में कुछ लोग दुकानें (राशन की दुकान, ड्राई क्लीनर की दुकान, कोयले का डिपो तथा जनरल मरचेन्ट) तथा स्कूल क्यों चला रहे हैं ;

(ग) क्या सरकार का आवासीय कालोनी सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) विवेकानन्द-पुरी एक रिहायशी क्षेत्र है किन्तु यह दिल्ली विकास प्राधिकरण की कालोनी नहीं है।

(ख) से (घ) भवनों के उपयोग को बदलने अथवा दुरुपयोग करने के लिये, दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 347 के अधीन अभियोग चलाए हैं। बृहत्त योजना में निर्धारित भूमि उपयोग के उल्लंघन के लिए दिल्ली विकास निगम प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है तथा 8 मामलों में नोटिस जारी किए गये हैं।

पंजाब के लिये चीनी का अतिरिक्त कोटा

7783. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पंजाब के लिये चीनी के कोटे में वृद्धि कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो गत तिमाही के दौरान पंजाब को चीनी का कितना अतिरिक्त कोटा दिया गया ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). जनसंख्या के आंकड़ों और खपत संबंधी पिछले प्रतिमान को ध्यान में रखकर पंजाब सहित विभिन्न राज्यों के लिए लेवी चीनी के मूल मासिक कोटे को निर्धारित किया गया है। तथापि, वास्तव में प्रत्येक मास निर्मुक्त की गई लेवी चीनी के कुल मात्रा के संदर्भ में मासिक आवटनों में मामूली समायोजन किया जाता है। तदनुसार, पंजाब के मासिक कोटे को 2 लाख मी० टन की बढ़ी हुई अखिल भारत निर्मुक्ति के अनुपात में बढ़ाकर मई, 1975 के लिए, 6,756 मी० टन कर दिया गया है जबकि अप्रैल, 1975 तक 1.80 लाख मी० टन की अखिल भारत मासिक निर्मुक्ति के संदर्भ में जूलाई, 1974 से उसके बाद तक उनका मासिक कोटा 6080.05 मी० टन था।

पंजाब को वर्ष 1974–75 के दौरान सप्लाई किया गया रासायनिक उर्वरक

7784. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पंजाब को वर्ष 1974–75 के दौरान कितनी मात्रा में रासायनिक उर्वरकों की सप्लाई की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) तथा (ख). पंजाब राज्य को वर्ष 1974–75 (फरवरी, 1974 से जनवरी, 1975 तक) के दौरान केन्द्रीय उर्वरक पूल से कुल 1,80,390 मीटरी टन एन० पी० और के० वनस्पति पोषक तत्वों की सप्लाई की गयी थी।

खाद्यान्न चढ़ाने-उतारने के लिये पत्तनों पर कार्य कर रही मशीनें

7785. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्यान्न चढ़ाने-उतारने के लिये बड़े तथा छोटे पत्तनों पर कार्य कर रही बुहलर मशीनों, नियोमैटिक ग्रेन डिस्चार्जिंग मशीनों और अन्य सहायक मशीनों की संख्या कितनी है ;

(ख) पत्तनों पर आ रहे आयातित खाद्यान्नों से भरे जहाजों के जमा हो जाने की समस्या को दूर करने के लिये कितनी मशीनें अपेक्षित हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने भी कुछ मशीनें विदेशों से खरीदी हैं यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) बम्बई, मद्रास, कलकता और कांडला बंदरगाहों पर विभिन्न प्रकार की 146 खाद्यान्न निकासी-मशीनें और 'चेनकन्वेयर' के 15 सेट कार्य कर रहे हैं ।

(ख) और (ग) . जहाजों का जमाव न केवल खाद्यान्नों को उतराने वाली मशीनों की कमी के कारण हुआ है बल्कि इसके अन्य कई कारण भी हैं जिनमें चार्टर किये गये जलपोतों की टाइप, उनके पहुंचने का समय, घाटों की उपलब्धता और उपयुक्तता, उतारे गये खाद्यान्नों को सम्भालने और उनकी निकासी के लिये पर्याप्त प्रबंध शामिल हैं । भारतीय खाद्य निगम ने कुछ समय पहले बंदरगाहों पर खाद्यान्नों के उतारने से संबंधित व्यवस्था की समीक्षा की थी । 30 वैक्यूवेटर, 12 बुहलर मशीनों और चेन कन्वेयर' के 10 सेट खरीदने के लिये आर्डर दिये गये हैं । इनमें से, 17 वैक्यूवेटर और 7 बुहलर मशीने प्राप्त हो चुकी हैं और उन्हें चालू भी किया जा चुका है । आशा है कि शेष मशीनें अगले तीन महीनों के अन्दर प्राप्त हो जायंगी ।

सिंचाई सुविधाओं के विकास के लिए उड़ीसा के लिए केन्द्रीय सहायता

7786. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र ने सिंचाई सुविधाओं का विकास करने के लिए उड़ीसा को 1975 में कोई सहायता दी है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) और (ख). राज्यों को केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में दी जाती है जो विकास के किसी विशेष क्षेत्र या परियोजना से जुड़ी नहीं होती । 1975–76 के लिए उड़ीसा को 32.70 करोड़ रुपये की ब्लाक केन्द्रीय सहायता स्वीकृत की गई है ।

कलकत्ता विश्वविद्यालय के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समिति का प्रतिवेदन

7787. **श्री शंकर नारायण सिंहदेव :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री कलकत्ता विश्वविद्यालय सम्बन्धी निर्णय के बारे में 24 मार्च, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4551 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस प्रतिवेदन में की गई सिफ़ारिशों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय का पश्चिम बंगाल सरकार के पास यह प्रतिवेदन कब भेजा गया ; और

(ख) उनके विचार शीघ्र प्राप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) कलकत्ता विश्वविद्यालय के पुनर्गठन तथा विकास संबंधी समिति की रिपोर्ट 3 अक्तूबर, 1974 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कलकत्ता विश्वविद्यालय तथा पश्चिम बंगाल सरकार को भेज दी गई थी ।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अनुस्मारक भेजे हैं । कलकत्ता विश्वविद्यालय को अन्तिम अनुस्मारक 22 फ़रवरी 1975 को भेजा गया था जिसमें कलकत्ता विश्वविद्यालय से रिपोर्ट संबंधी टिप्पणियां यथाशीघ्र परन्तु, मई, 1975 तक अवश्य भेजने के लिए कहा गया है । पश्चिम बंगाल सरकार से रिपोर्ट संबंधी अपने विचार शीघ्र भेजने हेतु 5 मार्च, 1975 को अनुरोध किया गया था । राज्य सरकार को विचार शीघ्र भेजने के लिए अनुस्मारक भेजा जा रहा है ।

गुजरात में शिक्षा के क्षेत्र में की गई कार्यवाही

7788. **श्री एच० के० एल० भगत** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि संसद् के गत सत्र के पश्चात् सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में गुजरात में क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव): सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

Special Financial Assistance for Agricultural Projects to Madhya Pradesh and Gujarat

7789. **Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether keeping in view the drought conditions in Madhya Pradesh and Gujarat Government propose to make provision for some special financial assistance for the agricultural projects during 1975-76 under the annual plans for these States; and

(b) if so, the amount thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Prabhudas Patel): (a) and (b). The budgeted annual Plan outlay of Gujarat for 1975-76 is Rs. 187.65 crores which includes a provision of Rs. 23.33 crores for the agriculture sector and Rs. 37.50 crores for the irrigation sector. The Plan outlay includes also a specific provision of Rs. 15 crores for drought relief programmes.

The approved Plan outlay of Madhya Pradesh for 1975-76 is Rs. 215.36 crores, which includes Rs. 29.27 crores for the agriculture sector and Rs. 40.15 crores for the irrigation sector.

The annual Plans of these States for 1975-76 have been framed keeping in view their drought conditions. Apart from the provisions mentioned above, the States will also be receiving assistance from the Centre for agricultural programmes under the Central sector and Centrally Sponsored Schemes.

महिलाओं के दर्जे सम्बन्धी समिति

7790. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और सस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में महिलाओं के दर्जे सम्बन्धी समिति ने यह कहा है कि अधिकांश पुरुष परिवार में अपनी परम्परागत श्रेष्ठ स्थिति को त्यागना नहीं चाहते तथा घरेलू काम-काज में अपनी पत्नियों की कोई सहायता नहीं करते; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा सस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी हां ।

(ख) प्रश्न यह है कि पुरुषों और स्त्रियों के कार्य क्या क्या हैं और वे क्या होने चाहियें। इसे सामाजिक स्तर पर निपटाना होगा, जिसके लिये जनता के नेताओं और स्वैच्छिक संगठनों ने मुख्य कार्य करना होगा ।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा मूंगफली की खरीद

7791. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय की रिपोर्ट मिली है कि कुछ राज्यों में मूंगफली की खरीद के सम्बन्ध में भारतीय खाद्य निगम की भूमिका सन्तोषजनक नहीं रही;

(ख) क्या सरकार को यह शिकायत भी मिली है कि भारतीय खाद्य निगम के अधिकारी खुले बाजार में किसानों से मूंगफली खरीदने की बजाय गैर-सरकारी व्यापारियों से मूंगफली खरीद रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार किया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग) कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों पर मूंगफली की खरीदारी में अनियमितताएं करने के बारे में आरोप लगाए गए हैं । इन शिकायतों की जांच की जा रही है ।

Drinking Water for Rural Areas

7792. **Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state:

(a) the amounts allocated annually so far during the Fifth Five Year Plan for making arrangements for supply of drinking water to rural areas facing acute shortage of drinking water; and

(b) amounts to be given to Governments of Madhya Pradesh, Rajasthan and Gujarat for the purpose?

The Deputy Minister in the Ministry of Works and Housing (Shri Dalbir Singh): (a) During the Fifth Plan under the Minimum Needs Programme an

outlay of Rs. 44.85 crores during 1974-75 and Rs. 46.35 crores for 1975-76 (tentative) was approved by the Planning Commission for supply of drinking water to difficult and problem villages.

(b) The outlays for Madhya Pradesh, Rajasthan and Gujarat are given below:—

(Rs. in lakhs)

State	Outlay for 1974-75	1975-76 (Tentative)
Rajasthan	650	558
Madhya Pradesh	350	400
Gujarat	250	300

मिठाइयों के लिए दूध

7793. **श्री राम हेडाऊ :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उपलब्ध 70 प्रतिशत दूध का उपयोग मिठाइयां बनाने के लिये किया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो मिठाइयों के लिये उपयोग में लाये जाने वाले दूध को उन व्यक्तियों को उपलब्ध कराने के लिये, जिन्हें उसकी बहुत आवश्यकता है, सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी नहीं । मिठाइयां बनाने के लिये दूध का उपयोग करने के सम्बन्ध में ठीक-ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है । तथापि, उत्पादित दूध की लगभग 45 प्रतिशत मात्रा को तरल खपत, 33 प्रतिशत को घी बनाने और शेष 22 प्रतिशत मात्रा को मिठाई बनाने तथा अन्य दुग्ध उत्पादों के निर्माण के लिये काम में लाया जाता है ।

(ख) गर्मी के महीनों के दौरान अधिक तरल दूध की उपलब्धि को सुनिश्चित करने के लिये विभिन्न राज्य सरकारें दूध की मिठाइयां बनाने पर प्रतिबंध लगाने के लिये दुग्ध उत्पाद नियंत्रण आदेश को लागू करती हैं । इसके अतिरिक्त, तरल दूध की खपत के लिये दूध उपलब्ध करने के लिये देश के शहरों तथा नगरों में डेरी संयंत्र स्थापित किये जा रहे हैं। दुग्ध संयंत्रों की आवश्यकता को पूरा करने के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध अभिशीतित केन्द्र स्थापित किये जाते हैं, ताकि तरल दूध की खपत के लिये अधिक दूध को इकट्ठा किया जा सके ।

पश्चिम बंगाल में श्रम कल्याण केन्द्र

7795. **श्री शक्ति कुमार सरकार :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं योजनावधि में सरकार ने कृषि श्रमिकों के लिये पश्चिम बंगाल के 17 जिलों में सामान्य श्रम कल्याण केन्द्र खोलने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या गत वर्ष पश्चिम बंगाल स्थित चापाडांगा (हुगली), झारग्राम (मिदनापुर) कलियाचक (मालदा) और गंगारामपुर (पश्चिम दीनाजपुर), पश्चिम बंगाल में श्रम कल्याण केन्द्र खोलने का निर्णय किया था ;

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1974–75 में मंजूर की गई और खर्च की गई राशि से कितना कार्य हुआ है, प्रत्येक केन्द्र में, वर्गवार, कर्मचारियों की संख्या कितनी है ; और

(ङ) उक्त अवधि में इन केन्द्रों में हुए कार्य से लाभान्वित हुए कृषि श्रमिकों, विशेष रूप से भूमिहीन श्रमिकों, की संख्या क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) :(क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

पणजी में जल दूषण

7796. श्री राजदेव सिंह : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सेनकोले में जुआरी कृषि रसायन उद्योग समूह से निकल रही मल निस्राव पणजी में पेय जल कुंओं, सरिताओं, नदियों और धान के खेतों को दूषित कर रहा है ;

(ख) क्या उक्त उद्योग समूह विश्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त कर (जैड० ए० सी०) यूनाइटेड स्टील आफ पिट्टसवर्ग और टोयोज आफ़ जापान के सहयोग से चलता है ; और

(ग) यदि हां, तो जनता द्वारा सब तरह के इस जीवन को जोखिम का विरोध करने के बावजूद सरकार को इस बारे में चुप रहने के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) उपर्युक्त उर्वरक प्लांट को अन्तर्राष्ट्रीय वित निगम से (जो कि विश्व बैंक ग्रुप से सम्बद्ध है) 14,639, 630 डालर की सहायता प्राप्त हुई थी—11,000,000 डालर ऋण के रूप में तथा 3,639,630 डालर साम्य के रूप में । मैसर्स यूनाइटेड स्टील कार्पोरेशन आफ़ पिट्सवर्ग द्वारा इस में पूंजी लगाई गई है । मैसर्स टोयोज इंजीनियरिंग कार्पोरेशन, जापान ने इसमें पूंजी नहीं लगाई है लेकिन परियोजना के मुख्य ठेकेदार हैं ।

(ग) जिलाधीश गोवा ने कम्पनी को 29 मार्च, 1975 को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के अधीन नोटिस जारी किया था और प्रवन्धकों को कहा गया था कि बिस्सों रोज़वायर में अबोनिया/यूरिया मुक्त अपशिष्ट प्रवाहित न करें तथा वे इस प्रवाहित अपशिष्ट को 10 दिन के भीतर हटा लें । मामला जिलाधीश के सामने 19 अप्रैल, 1975 को पेश हुआ और यह मालूम हुआ है कि जिलाधीश ने फ़ैक्टरी को बन्द करने के आदेश दिये हैं । जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण के केन्द्रीय वोर्ड ने कम्पनी को यह भी निर्देश दिये हैं कि यदि वे भारतीय मानक संस्था के मानकों को अनुसरण करें तो अपशिष्ट को तभी समुद्र में प्रवाहित कर सकते हैं ।

राज्यों में केन्द्रीय राहत कार्य निधि का वितरण

7798. **श्री शक्ति कुमार सरकार :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों में केन्द्रीय राहत कार्य निधि के वितरण तथा राज्यों द्वारा उसके उपयोग के बारे में जांच करने के लिये मंत्रालय एक निष्पक्ष एजेंसी स्थापित करने के प्रश्न पर विचार कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐजेंसी के बारे में तथ्य क्या हैं और क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) तथा (ख). छटे वित्त आयोग की सिफ़ारिशों को ध्यान में रखते हुये प्राकृतिक संकटों से उत्पन्न खर्चे को पूरा करने के लिये राज्यों को गैर-योजना केन्द्रीय सहायता देने की पहली नीति को अप्रैल, 1974 को समाप्त कर दिया गया है वर्तमान नीति के अनुसार राज्य योजना के लिये या सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम आदि के लिये अग्रिम सहायता के रूप में राज्यों को आवश्यकतानुसार केन्द्रीय सहायता दी जाती है। ऐसी अग्रिम योजना सहायता पांचवीं योजनावधि में राज्य को मिलने वाली सामान्य योजना सहायता के प्रति दी जाती है। प्राकृतिक संकटों की उग्रता, राज्य की योजना के परिव्यय की मात्रा, राज्य की संसाधनों की स्थिति आदि के सम्बन्ध में केन्द्र द्वारा किये गये मूल्यांकन के आधार पर सहायता को निश्चित किया जाता है। इस नीति में कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है ।

उड़ीसा में सूखा राहत व्यय के बारे में प्रतिबन्ध

7799. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार उड़ीसा राज्य में स्थिति की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुये सूखा राहत व्यय पर लगाये गये प्रतिबन्धों और शर्तों पर पुन-विचार करने की स्थिति में है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) तथा (ख). छटे वित्त आयोग की सिफ़ारिशों के अनुसार राज्यों को प्राकृतिक आपदाओं के परिणामस्वरूप केन्द्र की ओर से दी जाने वाली गैर-योजना सहायता देने की पुरानी नीति 1 अप्रैल, 1974 से छोड़ दी गई है। 1974–75 से राज्यों को ऐसे प्रयोजनों के लिये केन्द्रीय सहायता केवल योजना के लिये अग्रिम सहायता के रूप में या सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम आदि के अन्तर्गत दी जायेगी। योजना के लिये इस प्रकार दी गई अग्रिम सहायता पांचवीं योजना के दौरान राज्य को देय योजना के लिये सामान्य सहायता में समायोजित कर ली जायेगी। इस नीति के पीछे यह सिद्धान्त निहित है कि जो राशि खर्च की जाये उसे समाज को स्थिर और उत्पादक निर्माण कार्यों का सृजन करके लाभ पहुंचाया जाये और राहत कार्यों की समग्र विकास योजना का अभिन्न अंग होने चाहिये। यह महसूस किया जाता है कि इस नीति की परिधि में प्राकृतिक आपदों से प्रभावित राज्यों को पर्याप्त केन्द्रीय सहायता देना सम्भव है। इस नीति में कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है।

उपर्युक्त नीति का अनुसरण करते हुये उड़ीसा राज्य को 1974–75 में योजना के लिये 7.91 करोड़ की अग्रिम सहायता दी गई थी।

"राइस प्रोक्योरमेंट मैस डिस्ट्रैस इन वैस्ट बंगाल" शीर्षक से समाचार

7800. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 24 मार्च, 1975 के "टाइम्स आफ इंडिया" के नई दिल्ली संस्करण में 'राइस प्रोक्योरमेंट मैस, डिस्ट्रैस इन वेस्ट बंगाल' शीर्षक से प्रकाशित लेख की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की विस्तार से टिप्पणी क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) राज्य सरकार से कहा गया है कि वे इस मामले की जांच करें और सही स्थिति बतायें, जोकि प्राप्त होने पर सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

तेल उत्पादक देशों को गेहूं और चावल का निर्यात

7801. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में उपमंत्री श्री डी० पी० यादव ने 9 मार्च, 1975 को कटिहार (बिहार) में यह बताया था कि भारत तेल उत्पादक देशों को गेहूं और चावल का निर्यात करके विदेशी मुद्रा अर्जित करने की स्थिति में है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) : बढ़िया बासमती चावल की थोड़ी मात्रा के निर्यात को छोड़कर भारत इस समय सरकारी वितरण प्रणाली की जरूरतों को पूरा करने के लिये खाद्यान्नों का आयात कर रहा है । श्री डी० पी० यादव द्वारा इस सम्बन्ध में कटिहार में यह वक्तव्य दिया गया था कि भारत में उपजाऊं भूमि के बहुत बड़े क्षेत्र और उपलब्ध जन शक्ति पर विचार करते हुये यदि खेती के वैज्ञानिक तरीके अपनाये जाते हैं तो भारत खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से अधिशेष देश होना चाहिये और इस समय खाद्यान्नों का आयात करने की बजाये निर्यात करने की स्थिति में आ सकता है ।

विश्वविद्यालयों और कालेजों में पुस्तकाध्यक्ष और कर्मचारियों के वेतन-मानों का पुनरीक्षण

7802. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 2/3 जून, 1974 को हुई अपनी बैठक में, विश्वविद्यालयों और कालेजों में पुस्तकाध्यक्षों और अन्य कर्मचारियों के वेतन-मानों के पुनरीक्षण के

मामले पर विचार करने के लिये आयोग द्वारा नियुक्त समिति के प्रतिवेदन पर, मद संख्या 32 के अनुसार, विचार किया था, और भारत सरकार को सिफारिश करने का निर्णय किया था कि पुस्तकाल्य सहायक, कालेज पुस्तकाध्यक्ष, तकनीकी सहायक आदि के वेतन 250–15–400 रुपये से बढ़ा कर 550–25–750–30–900 रुपये कर दिये जायें और सरकार ने उन्हें क्रियान्वित करने के लिये स्वीकार कर लिया था ; और

(ख) यदि हां, तो यदि इस सम्बन्ध में कोई अनुसरणात्मक कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) :(क) और (ख): विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कालेज पुस्तकाध्यक्षों, पुस्तकालय सहायकों और तकनीकी सहायकों आदि की अर्हताओं और वेतन-मानों के बारे में कुछ सिफारिश की है । सरकार उनकी जांच कर रही है ।

मंत्रालय में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अस्थाई कर्मचारी

7804. श्री पी० एम० सईद : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय तथा उससे सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में 31 जून, 1974 को श्रेणी एक, श्रेणी दो, श्रेणी तीन और श्रेणी चार के पदों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अस्थायी कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी थी ;

(ख) इन में से कितने कर्मचारियों ने उस तिथि को तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली थी ; और

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) में उल्लिखित कर्मचारियों को स्थायी घोषित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अस्थायी कर्मचारी

7805. श्री पी० एम० सईद : क्या **संसदीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) उनमें विभाग में 30 जून, 1974 को प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों पर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कुल कितने अस्थायी कर्मचारी थे ;

(ख) इनमें से उनकी संख्या कितनी है जिन्होंने उस तारीख को सेवा के तीन वर्ष पूरे कर लिये थे ; और

(ग) उपरोक्त भाग (ख) में वर्णित व्यक्तियों को स्थायी घोषित न करने के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) संसदीय कार्य विभाग में 30-6-1974 को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के अस्थायी कर्मचारियों की कुल संख्या (श्रेणीवार) नीचे दी गई है :—

श्रेणी—1	—
श्रेणी—2	3
श्रेणी—3	7
श्रेणी—4	4
जोड़	14

(ख)

श्रेणी—1	—
श्रेणी—2	1
श्रेणी—3	4
श्रेणी—4	2
जोड़	7

(ग) स्थायी पदों की अप्राप्यता के कारण ।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिये टाइप IV तक क्वार्टरों का आरक्षण

7806. **श्री पी० एम० सईद** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय टाइप I और II के सरकारी क्वार्टरों के 'जनरल पूल' में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति के सरकारी कमचारियों के लिए 5 प्रतिशत के आरक्षण की अनुमति है ;

(ख) क्या गत कुछ वर्षों में किसी समय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सरकारी कर्मचारियों की यह सुविधा टाइप IV तक बढ़ाने पर विचार किया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो उस प्रस्ताव को अभी तक क्रियान्वित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) ऐसे आरक्षण की प्रतिशतता दिल्ली/नई दिल्ली में 10 है ।

(ख) तथा (ग) जी, हां 1 मार्च, 1974 में एक सर्वेक्षण किया गया था लेकिन यह अभी पूर्ण नहीं हुआ है क्योंकि भारत सरकार के कुछ मंत्रालयों/विभागों से मांगे गए सांख्यिकीय आंकड़े अभी भी आने शेष हैं ।

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी

7807. **श्री पी० एम० सईद :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय तथा उसके सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में 30 जून, 1974 को श्रेणी एक, दो, तीन और चार के पदों पर नियुक्त अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अस्थायी कर्मचारियों की कुल संख्या क्या थी ;

(ख) इन में से कितने कर्मचारियों ने इस तिथि को तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली ; और

(ग) उन्हें स्थायी घोषित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

दिल्ली से चावल की तस्करी

7808. **श्री हरी सिंह :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता चला है कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र से बड़ी मात्रा में चावल चोरी छिपे बाहर ले जाया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसमें किन व्यक्तियों का हाथ है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) :(क) और (ख) दिल्ली प्रशासन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, केवल एक मामले में जिसमें दिल्ली से गुप्त रूप से एक वेगन चावल बुक किया हुआ पाया गया था, को छोड़ कर केवल चार अथवा पांच छोटे-छोटे मामले प्रशासन के ध्यान में आए हैं। 1-1-75 से 15-4-75 की अवधि में केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली में 4 मामलों में 9 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं ।

विश्व बैंक ऋण परियोजना के अन्तर्गत ट्रैक्टरों का आवंटन

7809. **श्री डी० पी० जदेजा :**
श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ऋण परियोजना के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों को ट्रैक्टर आवंटित किये जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य को कितने ट्रैक्टर आवंटित किये गये ; और

(ग) परियोजना के नियम और विनियम क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (विश्व बैंक से सम्बद्ध) द्वारा साहाय्यित निम्न राज्यों में ऋण परियोजनाओं में ट्रैक्टर घटकों को शामिल किया गया है । परियोजना में दिए गए ट्रैक्टरों की संख्या नीचे दी गई है :—

परियोजना का नाम	परियोजना में दिए गए ट्रक्टरों की संख्या
1. गुजरात अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ परियोजना	2,200
2. पंजाब अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ परियोजना	8,000
3. आन्ध्र प्रदेश अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ऋण परियोजना	1,500
4. हरियाणा अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ऋण परियोजना	6,000
5. तमिलनाडू अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ऋण परियोजना	1,500
6. कर्नाटक अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ऋण परियोजना	2,000

विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ऋण परियोजनाओं के अन्तर्गत ट्रक्टरों की अधिप्राप्ति के लिए फिलहाल अपनाई जा रही पद्धति के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा स्वीकृत आधार पर ट्रैक्टरों (देशी तथा आयातित) के नमूनों के संभरकों से दरें मांगी जाती हैं और लाभान्वित किसानों से ट्रैक्टरों के अलग-अलग नमूनों के लिए उनकी पसन्द ली जाती है । किसानों की कुल पसन्द के आधार पर अन्तिम आर्डर दिए जाते हैं ।

उड़ीसा में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में जमा मोटा अनाज

7810. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 15 मार्च, 1975 को उड़ीसा राज्य में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में कितना मोटा अनाज जमा था ; और

(ख) क्या उस राज्य में भारी कमी और सूखे की स्थिति को ध्यान में रखते हुए मोटे अनाज के यह भंडार किसी आपात स्थिति का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) : उड़ीसा में स्थित भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में कोई भी मोटे अनाज नहीं रखे गए हैं क्योंकि उस राज्य की ओर से मोटे अनाजों की कोई भी मांग नहीं है ।

भूमिहीन श्रमिकों की ऋणग्रस्तता

7811. **श्री अर्जुन सेठी :**

श्री हरि किशोर सिंह :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भूमिहीन श्रमिकों, विशेषकर अनुसूचित जन जातियों के भूमिहीन श्रमिकों को ऋणग्रस्तता से मुक्त करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या उपाय किए हैं या करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) :(क) व (ख) "साहूकार और साहूकारी ; कृषि ऋणग्रस्तता से अनुतोष" विषय भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची में मद संख्या 30 के रूप में सम्मिलित किया गया है और राज्य सरकारों से इस सम्बन्ध में उपयुक्त अधिनियम बनाने की आशा की जाती है ।

कृषक समुदाय के कमजोर वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए वित्तदायी संस्थाओं की नीतियों और पद्धतियों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है । जनजाति विकास एजेंन्सी परियोजना में कृषि ऋण से मुक्ति, भूमि संक्रामण तथा पुनर्नवीकरण सम्बन्धी अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और इसकी सिफारिशें सम्बन्धित राज्य सरकारों को उपयुक्त कार्यवाही के लिए भेज दी गई हैं । इनमें अन्य के साथ-साथ ये भी शामिल हैं---सहकारी ऋण संगठनों के माध्यम से जनजातियों की ओर से ऋण की अदायगी के काय शुरू करना और उदार ऋण सुविदायें प्रदान करके ऋण से मक्ति के बाद अनुवर्ती उपाय सुलभ करना; ऋण मुक्ति न्यायालाय स्थापित करना; और ऋण मुक्ति आदि के बारे में जनजातियों से सम्बन्धित विद्यमान विधियों को प्रभावी रूप से लागू करना ।

खेल-कूद एसोसिएशनों के तुलन-पत्र

7812. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों की तथा राष्ट्रीय खेल-कूद एसोसियेशनों के तुलन-पत्रों में उनकी गेट (द्वार) पर टिकटों की विक्री से आय और अन्य साधनों से आय का बहुधा कोई उल्लेख नहीं होता ।

(ख) कलकत्ता से हुई विश्व टेबुल टैनिस प्रतियोगिता के लिए गेट पर टिकटों की बिक्री से और अन्य साधनों से हुई आय के तुलन-पत्र में क्या आंकड़े दिखाये गये हैं तथा विक्रय खातों और अन्य सूत्रों में क्या आंकड़े दिखाये गये हैं तथा यदि वे परस्पर मेल नहीं खाते तो तुलन पत्र में क्या मदें सम्मिलित नहीं की गईं ; और

(ग) क्या सरकार ने केन्द्रीय स्तर पर खेल-कूद एसोसिएशनों के तुलन-पत्रों की प्रति वर्ष जांच पड़ताल करने के लिए लोक लेखा समिति के अनुरूप एक समिति स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर विचार किया है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) भारत सरकार केवल राष्ट्रीय स्तर के खेल संघों/संस्थाओं के साथ व्यवहार करती है । जब कभी भी इन राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं को राष्ट्रीय चैम्पियनशिप अथवा अन्य प्रतियोगिताओं को आयोजित करने के लिए अनुदान दिए जाते हैं तो सम्बन्धित खेल प्रतियोगिताओं आदि के आयोजन से हुई आय और उसके व्यय के सम्बन्ध में परीक्षित लेखे अनुदान प्राप्तकर्ताओं से निश्चित रूप से प्राप्त किये जाते हैं और उनकी जांच की जाती है। उन परीक्षित लेखा विवरणों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि टिकटों की बिक्री एवं अन्य स्रोतों से हुई आय जो यथाविधि उनमें दिखाया जाता है।

इस मंत्रालय के पास राज्य स्तर के खेल संघों से सम्बन्धित कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) भारतीय टेबल टैनिस संघ द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार कलकत्ता में फरवरी, 1975 से पूर्व हुई 33वीं विश्व टेबल चैम्पियनशिप के सम्बन्ध में हुई आय और व्यय के प्रारूप लेखे यह दर्शाते हैं कि चैम्पियनशिप संयोजक समिति को निम्नलिखित आय हुई :—

	रु०
1. टिकटों की बिक्री	32,59,054 (राज्य सरकार को देय करों को छोड़कर)
2. रायलटी (2,08,269/—रु० प्राप्त होने वाली राशि सहित)	3,52,308
3. परिवहन उपसमिति द्वारा प्राप्त होने वाला दान	2,500
4. स्मारिका विज्ञापन	2,03,156
5. बुलेटिन विज्ञापन	7,500
6. डायरेक्टरी विज्ञापन	2,000
7. स्टाल आय	2,06,041
8. झंडी आय	1,30,000
9. टाई बिक्री आय	1,895
	41,64,454

33वीं विश्व टेबल टैनिस चैम्पियनशिप आयोजित करने के लिए शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई थी। इन लेखों की जांच करना भारतीय टेबल टैनिस संघ के सक्षम प्राधिकारियों की जिम्मेदारी है ।

(ग) राष्ट्रीय खेल संस्थाएं स्वायत्त निकाय हैं। तथापि, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, सरकार द्वारा ऐसे निकायों को दिए गए अनुदानों से सम्बन्धित परीक्षित लेखों की सरकार द्वारा निश्चित रूप से जांच की जाती है । इसके अलावा, उक्त अनुदानों से सम्बन्धित सामान्य शर्तों के अनुसार, अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाओं के लेखों की भी भारत के नियंत्रक तथा महालेखा-परीक्षक द्वारा, उनके विवेक पर जांच की जा सकती है ।

कैम्ब्रिज स्कूल, श्रीनिवासपुरी, नई दिल्ली

7813. **श्री के० एम० मधुकर :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कैम्ब्रिज स्कूल से सम्बद्ध प्राइमरी स्कूलों के कुछ अध्यापकों को परेशान किये जाने के पश्चात् कैम्ब्रिज स्कूल, श्रीनिवासपुरी में विद्यमान स्थिति की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सबधी तथ्य क्या हैं और इस स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन के ध्यान में यह बात लाई गई है कि कैम्ब्रिज स्कूल की गैर-मान्यता प्राप्त नर्सरी और प्राइमरी शाखाओं के कुछ आध्यापक 25 फरवरी, 1975 से हड़ताल पर हैं। प्रबन्धकों द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि एक या दो अध्यापकों ने स्कूल के प्रिंसिपल को पीटा था तथा उसके फलस्वरूप प्रबधकों ने दो अध्यापकों को निलम्बित कर दिया, जिनमें से एक अध्यापक को शिक्षा निदेशक की स्वीकृति से निलम्बित किया गया था तथा दूसरा अध्यापक गैर-मान्यता प्राप्त स्कूल का था। प्रबंधक गैर मप्न्यता प्राप्त शाखाओं के अध्यापकों को भी सेवा-शर्तों में यथा पूर्व स्थिति लाने को तैयार हैं, बशर्ते कि वे अध्यापक अपने अशोभनीय आचरण के लिए क्षमायाचना करें, किन्तु, दो अथवा तीन अध्यापकों को रखने के लिए तैयार नहीं हैं। दिल्ली प्रशासन द्वारा मामले की जांच की जा रही है ।

सापेक्षता के सिद्धान्त का पढ़ाया जाना

7814. **श्री बी० वी० नायक :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व के किन-किन देशों में सापेक्षता के सिद्धान्त को मैट्रिक-पूर्व की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है ; और

(ख) भारत के मैट्रिक स्तर को सीनियर कैम्ब्रिज या विश्व के अन्य देशों की ऐसी ही समान कक्षाओं के बराबर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जहां तक सरकार का जानकारी है, मैट्रिक पूर्व स्तर पर सापेक्षता का सिद्धान्त किसी भी देश में एक विषय के रूप में नहीं पढ़ाया जाता है । सापेक्षता का सिद्धान्त अत्यन्त गणितीय दुरूहता का है इसलिये हाई स्कूल के छात्रों के लिये इसकी सिफारिश करना कठिन है । तथापि, अधिकांश देशों में बुनियादी संकल्पनाओं के गुणात्मक पहलुओं को अच्छे स्कूलों की उच्च कक्षाओं में स्कूल की भौतिकी पाठ्यचर्या में सम्मिलित किया गया है । 1960 में पैरिस में हुए भौतिकी शिक्षा संबधी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सापेक्षता को प्रारम्भिक रूप में लागू करने की सिफारिश की गई थी ।

(ख) स्कूल शिक्षा की 10+2 नई पद्धति के लागू हो जाने पर भारत में स्कूली शिक्षा का स्तर भी अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों के समकक्ष हो जाने की सम्भावना है ।

Drinking Water in Patna Town

7815. **Shri Ramavatar Shastri:** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state:

(a) whether shortage of drinking water in various mohallas of Patna Town, the Capital of Bihar, has been felt with the onset of summer season;

(b) if so, whether any assistance has been sought from the centre by the Government of Bihar to meet the crisis;

(c) if so, the particulars thereof; and

(d) the reaction of Government thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Works and Housing (Shri Dalbir Singh): (a) to (d). The information is being collected from the Government of Bihar and will laid on the Table of the Sabha on receipt.

Loss due to Hailstorm in U.P.

7816. **Shri Ramavatar Shastri:**
Shri Mahadeepak Singh Shakya:

Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether severe storm and hailstorm lashed some districts of Uttar Pradesh in the last week of March, 1975;

(b) if so, the names of the districts so affected and the extent of foodgrains damaged; and

(c) step taken to help the affected peasants,

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Prabhudas Patel): (a) and (b). As informed by the State Government crops in the following districts of U.P. have been affected by hailstorm in the month of March, 1975:—

Azamgarh, Gorakhpur, Deoria, Ghazipur, Mirzapur, Jaunpur Manipuri; Allahabad, Banda, Shahjahanpur, Bahraich, Etah, Dehrad State; Moradabad; Meerut, Nainital, Ballia, Bijnor, Sultanpur, Fatehpur; Pilibhit;; Bareilly; Gondo Jeleun; Khari, Muzaffarnagar, Saharanpur, Chemoli, Lalitpur, Agra; Mathura; Bulandsehar, Jhansi, Kanpur and Etawah.

About 19,000 villages of these districts were affected, of which crops in nearly 600 villages suffered damages to the extent of 50 per cent or more.

(c) The State Government have placed funds for gratuitous relief and Taccavi loans at the disposal of districts authorities for providing relief to the farmers where necessary. The State Government will also provide relief by way of remission suspension of land revenue according to rules. No coercive action is being taken by them in realisation of Government dues in the affected areas.

पश्चिम बंगाल में कृषि योग्य/उत्पादन योग्य भूमि

7817. **श्री एच० एन० मुकर्जी:** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बगाल में कुल कितने क्षेत्र में खेती की जाती है ;

(ख) गत तीन वर्षों से वहां कुल कितना कृषि उत्पादन हुआ; और

(ग) पश्चिम वगाल में कुल कितने मूल्य की विभिन्न सामग्रियां कृषि में प्रयुक्त की गई ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल): (क) भूमि उपयोग सम्बन्धी आंकड़ों के अनुसार, 1971-72 के दौरान, पश्चिम बंगाल में लगभग 57 लाख हैक्टेर क्षेत्र में खेती की गई थी ।

(ख) खाद्यान्नों में चावल और गेहूं और वाणिज्यिक फसलों में पटसन महत्वपूर्ण फसले हैं । 1971–72, 1972–73, और 1973–74 के दौरान इन फसलों के उत्पादन का ब्यौरा नीचे दे दिया गया है :

उत्पादन लाख मीटरी टनों में

फसल	चावल	गेहूं	कुल खाद्यान्न	पटसन†
1	2	3	4	5
1971–72 .	65.08	9.21	78.56	34.69
1972–73	57.15	6.88	67.72	27.12
1973–74 . . .	57.99	6.30	68.65	36.73

(†180 किलोग्राम की लाख गांठे)

(ग) 1971–72 के दौरान, धान के बारे में वास्तविक और श्रम संबंधी आदानों की कुल लागत (जोकि कुल फसल क्षेत्र की लगभग 90 प्रतिशत है) लगभग 385 करोड़ रुपये आई है । भूमि (स्वामितत्व युक्त अथवा पट्टे वाली) लगान, उपकर और कर भू-राजस्व, उपस्कर और फार्म के भवनों पर होने वाले मूल्य ह्रास तथा प्रदत्त पूंजी के ब्याज को शामिल करके धान की खेती की कुल लागत लगभग 625 करोड़ रुपये आई है ?

रासायनिक उर्वरक का उपयोग

7818. **श्री एच० एन० मुकर्जी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971–72 से 1974–75 तक कृषि के लिए कुल कितने रासायनिक उर्वरकों का उपयोग किया गया ; और

(ख) उपरोक्त अवधि में कृषि क्षेत्र में खाद बीज आदि की लागत में कितनी वृद्धि हुई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल): (क) वर्ष 1971–72 से 1974–75 तक वर्ष-वार कृषि के लिए उपयोग की गई रासायनिक उर्वरकों की कुल मात्रा इस प्रकार है :—

(लाख मीटरी टनों में)

वर्ष	खपत			
	एन	पी	के	एन+पी+के
1971–72 . . .	17.98	5.58	3.00	26.56
1972–73 . . .	18.40	5.81	3.48	27.69
1973–74 . . .	18.29	6.50	3.60	28.39
1974–75 . . .	18.37	5.37	3.56	27.30

(ख) वर्ष 1971 से 1974 तक अलग-अलग वर्षों में कृषि क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण आदानों के थोक मूल्य के औसत सूचकांक का विवरण संलग्न है ।

विवरण

थोक मूल्यों के अखिल भारतीय सूचकांक का वार्षिक औसत (नई सीरिज) आधार 1961–62=100

वर्ष	डीजल तेल	बिजली	औजार तथा उपस्कर	सीमेंट	उर्वरक	कीटनाशी दवाएं
1971 . . .	126.4	152.9	171.9	158.3	136.3	129.0
1972 . . .	130.5	157.7	188.4	165.5	141.0	139.3
1973 . .	139.0	161.4	202.2	168.4	146.7	156.8
1974 . . .	286.7	186.5†	280.1	205.6	240.0	226.9

†दिसम्बर 1974 का औसत

श्रीनगर में आयोजित किया गया आवास मंत्रियों का सम्मेलन

7819. **श्री गदाधर साहा** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 5 जुलाई से 7 जुलाई 1974 तक श्रीनगर में आयोजित हुए आवास मंत्रियों के सम्मेलन ने कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें की थीं ;

(ख) यदि हां, तो वे सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) इन सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) से (ग): आवास तथा नगर विकास के राज्य मंत्रियों का सम्मेलन श्रीनगर में 5 से 7 जुलाई, 1973 में हुआ था न कि 1974 में। सम्मेलन द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें तथा उन पर की गई कार्यवाही का एक विवरण-पत्र संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल टी—9546/75]

उर्दू शब्दकोष 'परहंग असाफिया'

7820. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** **श्री सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :**
श्री वीरेन्द्र सिंह राव : **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त : **श्री प्रबोध चन्द्र :**

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उर्दू शब्दकोष 'परहंग असाफियां में कश्मीरियों और उनकी भाषा के बारे में कथित आपत्तिजनक बातों के उल्लेख की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रियां है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख): "फरहंग असाफियां" नामक उर्दू शब्द कोश का 19 वीं शताब्दी की समाप्ति पर स्वर्गीय मौलवी सैयद अहमद देहलवी द्वारा संकलन किया गया था। उर्दू विद्यवानों द्वारा इस शब्द कोश को एक मानक कृति के रूप में माना जाता है। क्योंकि काफी अर्से से यह उपलब्ध नहीं है इसलिये विद्यवानों के तथा साथ ही उर्दू भाषी जनता के लाभार्थ, तरक्की-ए-उर्दू बोर्ड ने इसका पुनः मुद्रण करने का निर्णय किया था।

सरकार इसे दुर्भाग्य पूर्ण समझती है कि इस शब्द कोश के स्वर्गीय संकलनकर्ता ने 'काश्मीरी' प्रविष्टी के अन्तर्गत इसमें कुछ अपात्तिजनक सामग्री सम्मिलित की है। इस बात को ध्यान में रखते हुप पुनः मुद्रित अनबिकी सम्पूर्ण प्रतियों को रोक दिया गया है ताकि शब्दकोष की विषय-वस्तु की समाक्षा की जा सके।

दिल्ली के स्कूलों में पुस्तकाध्यक्षों (लाइब्रेरियनों) के ग्रेड

7821. **श्री अचल सिंह :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा निदेशालय, दिल्ली में सरकारी स्कूलों के लाइब्रेरियनों को 150–320 रु० का वेतनमान 1 अप्रैल, 1974 से दिया गया था और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के लाइब्रेरियनों को 18 जुलाई, 1963 से उक्त ग्रेड दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस त्रुटि को सुधारने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय और संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) राजकीय स्कूलों के पुस्तकाध्यक्षों को 150—320 रुपये का ग्रेड 1-4-1964 से मंजूर किया गया था तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के पुस्तकाध्यक्षों को वही वेतनमान 18-7-1963 से मंजूर किया गया था ।

(ख) और (ग) : पुस्तकाध्यक्षों से सम्बन्धित भर्ती नियमों को 18-7-1963 को संशोधित तथा आर्धसूचित किया गया था । इन नियमों के अनुसार 150—320 रुपये के वेतनमान वाले पुस्तकाध्यक्षों के पदों के प्रवरण पद के रूप में घोषित किया गया है जिन्हें 118—225 रुपये के वेतनमान में तीन वर्ष का कार्य अनुभव रखने वाले पुस्तकाध्यक्षों में से भरा जायेगा । राजकीय स्कूलों के पात्र जूनियर पुस्तकाध्यक्षों का चयन, इस मामले को विभागीय पदोन्नति समिति के सम्मुख प्रस्तुत करने के पश्चात् किया गया था तथा उन्हें वेतनमान 1-4-1964 से दिया गया था, जब कि सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के पुस्तकाध्यक्षों को यह वेतनमान 18-7-1963 से दिया गया था । तथापि स्थिति का पुनरीक्षण किया जा रहा है ।

भारत सरकार मुद्रणालय, कोयम्बतूर में कर्मचारियों को स्थायी बनाना

7822. **श्रीमती पार्वती कृष्णन् :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयम्बतूर स्थित भारत सरकार मुद्रणालय में 115 कर्मचारी अस्थायी हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें स्थायी बनाने के लिये सरकार ने कोई निर्णय किया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) इस प्रेस में लगभग 600 अस्थायी कर्मचारी हैं ।

(ख) तथा (ग) : मुद्रणालय में 365 स्थायी पद उपलब्ध हो गये हैं जिन पर मुद्रणालय पात्र अस्थायी कर्मचारियों की पुष्टि करेगा ।

सरकारी मुद्रणालय, कोयम्बतूर के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता और नगर प्रतिपूर्ति भत्ते की मंजूरी

7823. **श्रीमती पार्वती कृष्णन् :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार मुद्रणालय, कर्मचारी यूनियन, कोयम्बतूर ने मंत्री महोदय को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था, जिसमें कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता और नगर प्रतिपूर्ति भत्ता मंजूर करने के लिये कहा गया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी संक्षिप्त ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस मुद्रणालय के कर्मचारियों को छोड़कर कोयम्बतूर स्थित अन्य सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता और नगर प्रतिपूर्ति भत्ता मिल रहा है :

(घ) क्या जीवन निर्वाह व्यय की अधिक लागत को ध्यान में रखते हुये तमिलनाडु सरकार ने कोयम्बतूर नगर पालिका की सीमा से 16 किलोमीटर दूरी तक स्थिति उपबनगरों में तैनात अपने कर्मचारियों को भी मकान किराया भत्ता और नगर प्रतिपूर्ति भत्ता देने का निर्णय किया है ;

(ड़) क्या कोयम्बतूर स्थित अपने प्रेस कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता और नगर प्रतिपूर्ति भत्ता मंजूर करने के बारे में सरकार निर्णय करेगी ; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) यूनियन ने अनुरोध किया था कि भारत सरकार मुद्रणालय, कोयम्बतूर के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ते तथा नगर प्रति-कर भत्ते का लाभ उसी प्रकार से स्वीकार किया जाय जिस प्रकार इसका लाभ तमिलनाडु सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को दिया जाता है ।

(ग) मकान किराया भत्ता तथा नगर प्रतिकर भत्ता उन केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को देय है जो कोयम्बतूर शहर से 8 किलोमीटर की दूरी के भीतर नौकरी कर रहे हैं ।

(घ) हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

(ङ) तथा (च). मामले पर विचार किया गया तथा यह निर्णय किया गया कि मुद्रणालय के कोयम्बतूर शहर से 8 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित होने के कारण, मुद्रणालय के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता तथा नगर प्रतिकर भत्ते का लाभ नहीं दिया जा सकता ।

शहरी क्षेत्रों में आयकर दाताओं को सांविधिक राशनिंग से वंचित करना

7825. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरी क्षेत्रों में आय कर दाताओं को सांविधिक राशनिंग के क्षेत्राधिकार से बाहर रखने के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रस्ताव के समर्थन में क्या तर्क दिये गये हैं ; और

(ग) क्या सार्वजनिक बितरण व्यवस्था के क्षेत्र को संकुचित कर देने से खाद्यान्नों में चोर-बाजारी को बढ़ावा नहीं मिलेगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग). सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्नों का वितरण करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित राज्य सरकारों की होती हैं । इस समय सांविधिक राशन व्यवस्था चावल और गेहूं के बारे में केवल पश्चिमी बंगाल के कलकत्ता शहर और औद्योगिक नगरों के दुर्गापुर—आसनसोल ग्रुप और चावल के बारे में महाराष्ट्र के बम्बई शहर में लागू है । देश के शेष भागों में उचित मूल्य की दुकानों का जाल बिछाया गया है जो कि निर्धारित मूल्यों पर सरकारी खाद्यान्नों का वितरण कर रही हैं । यह बात राज्य सरकारों पर छोड़ दी गई है कि वे स्थानीय परिस्थितियों और उनके पास उपलब्ध खाद्यान्नों की मात्रा को ध्यान में रख कर इस बात का निर्णय करें कि इस व्यवस्था के अधीन किन वर्गों के लोगों को लाया जाना चाहिये ।

कर्नाटक में मूंगफली की सघन खेती

7826. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक के कुछ जिलों में मूंगफली की सघन कृषि के लिये कर्नाटक ने कोई योजना भेजी थी ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस योजना के कब तक मंजूर हो जाने की सम्भावना है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) से (ग). पांचवीं योजना अवधि के दौरान तिलहनों के विकास का एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना कर्नाटक सरकार से जुलाई, 1974 में प्राप्त हुई थी। 1974–75 के दौरान 4,38,500 रुपये का लागत से इस योजना को क्रियान्वित करने के लिये भारत सरकार की मंजूरी 21–9–1974 को राज्य सरकार को भेज दी गई थी। इस योजना को 1975–76 के दौरान जारी रखने हेतु मंजूरी जारी रखने के लिये कार्य-वाही, राज्य सरकार से विशेष प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही की जाएगी।

राष्ट्रीय वन नीति

7827. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान वन क्षेत्र का विकास करने और वृक्ष उगाने के बारे में क्षैक्षणिक दृष्टिकोण में सुधार करने के लिये भारत की राष्ट्रीय वन नीति के बारे में सरकार द्वारा कोई योजना बनाई गई है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातों का राज्य वार ब्योरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय मे उप मंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) तथा (ख). केन्द्रीय वन मंडल और राष्ट्रीय विकास परिषद् ने राज्य सरकारों को सिफारिश की है कि वे उपयुक्त बेकार भूमि, पंचायत भूमि आदि में वन रोपण और पौद रोपण सम्बन्धी क्रिया कलाप प्रारम्भ करके राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार वन क्षेत्र में वृद्धि करें। इन क्रिया-कलापों को प्रोत्साहन देने के लिये (1) बेकार भूमि, पंचायत भूमि और वन-क्षेत्रों में मिश्रित किस्म के पेड़ लगाना और (2) काटे गये बनों में फिर से वन लगाना। सामाजिक वानिकी के विकास के लिये क्रमशः 700 लाख रुपये तथा 900 लाख रुपये की लागत की दो केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें पचंम पंच वर्षीय योजना में शामिल की गई हैं। पहली योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार का राज्य वन विभागों को 100 प्रतिशत अनुदान देने का विचार है और दूसरी योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार 50 प्रतिशत अंशदान राज्य सरकार करेंगी। इन योजनाओं के अतिरिक्त, राज्य वन विभाग राज्य क्षेत्र में विभिन्न पौद-रोपण तथा वन-रोपण योजनाओं को भी प्रारम्भ करेंगे। इन योजनाओं में शीघ्र उगने वाली किस्मों का वन रोपण करना, औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उपयोगों के लिये मिश्रव्ययी वन आरोपण करना, फार्म वानिकी, विस्तार वानिकी कार्यक्रम आदि शामिल हैं। ये वन-रोपण सम्बन्धी कार्य वन-क्षेत्रों के अन्तर्गत या उनसे बाहर किया जायेगा और इसके फलस्वरूप वनों के क्षेत्र में वृद्धि होगी।

फार्म वानिकी कायक्रम तथा सामाजिक वानिकी का क्रियान्वयन गांव के व्यक्तियों तथा पंचायतों के सहयोग से राज्य के वन विभागों के विस्तार संगठनों द्वारा किया जायेगा। ये विस्तार संगठन वन प्रचार के माध्यम से तथा वन महोत्सव के समारोहों के प्रचार के अलावा जनता को शिक्षा देने एवं उनमें वृक्षों के सम्बन्ध में जागरूकता पैदा करने के लिये बनाये गये हैं।

राजाबागान गोदी, कलकत्ता का विकास और ट्रालरों का देश के अन्दर निर्माण किया जाना

7828. **श्री टुना उरांव :**
श्री शंकर नारायण सिंह देव :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्रालरों के निर्माण के लिये देश के अन्दर ही क्षमता का विकास करने के लिए नार्वे की सहायता योजना के अन्तर्गत राजाबागान गोदी कलकत्ता का विकास करने और उसे सुदृढ़ बनाने की कोई योजना है,

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या है और इस योजना को किस तारीख से शुरु किया जायेगा,

(ग) इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है और इसका क्या परिणाम प्राप्त हुआ, और

(घ) देश के अन्दर ट्रालरों के निर्माण के लिये अब क्या कार्यवाही की गई है और देश में ट्रालरों का उपयोग करने संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) जी हां।

(ख) योजना की मुख्य बातें ये हैं—(1) नार्वे से उपकरण प्राप्त करके मछली पकड़ने वाले जलयानों के निर्माण के लिए राजाबागान गार्डन डाकयार्ड कलकत्ता तथा गोवा शिपयार्ड को सुदृढ़ करना (2) नार्वे से मछली पकड़ने वाले जलयानों के कुछ पुर्जे, डिजाइन तथा नक्शे आदि प्राप्त करके सर्वेक्षण तथा प्रशिक्षण के शिपयार्डों में 8–9 मछली पकड़ने वाले जलयानों का निर्माण करना (3) मछली पकड़ने वाले जलयानों के निर्माण के लिए नार्वे के विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त करना। अभी इस योजना को शुरू करने की तारीख के बारे में नार्वे के प्राधिकारियों से सूचना नहीं मिली है।

(ग) नार्वे के प्राधिकारियों के पास अपेक्षित ब्यौरा भेज दिया गया है। नार्वे के एक विशेषज्ञ ने भी भारत का दौरा करके नार्वे के प्राधिकारियों को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। उनसे सूचना मिली है कि इस संबंध में सरकार के पास शीघ्र ही एक करार का प्रारूप भेजा जा रहा है जिसका इंतजार किया जा रहा है।

(घ) वर्ष 1965 में मजागांन डाक लिमिटेड बम्बई ने 72 फुट का एक ट्रालर बनाया था। इसकी सहायता से समन्वेषी मत्स्य परियोजना, बम्बई मात्स्यकी सर्वेक्षण का कार्य

करेंगी। सरकारी क्षेत्र में वर्ष 1968 से अब तक पूर्वी तथा पश्चिमी तटों के 9 भारतीय शिपयार्डों में 57 फुट लम्बे 36 ट्रालर तैयार किए गए हैं। सरकार को मिली सूचना के अनुसार प्राइवेट क्षेत्र में मैसर्ज यूनियन कारबाइड (इंडिया लिमिटेड) के लिए मैसर्स मैजागोंन लिमिटेड द्वारा लगभग 28 मीटर लम्बे 6 ट्रालर तैयार किए जा रहे हैं। मैसर्ज कोंकन फिशरीज लिमिटेड गोवा ने गोवा स्थित शिपयार्ड द्वारा बनाए हुए एक 72 फुट वाले ट्रालर को पानी में उतारा है। 57 फुट और उससे लम्बे देश में बने ट्रालरों (जो पहले ही उपयोग में लाए जा रहे हैं) का राज्यवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

गुजरात	3
गोवा	4
केरल	9
तमिलनाडु	7
उड़ीसा	2
महाराष्ट्र	4
कर्नाटक	4
अंडेमान	2
आंध्र प्रदेश	2

उपर्युक्त ट्रालरों में से 19 ट्रालर समन्वेषी सर्वेक्षणों में, 2 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में और शेष वाणिज्यिक कार्यों में लगे हुए हैं। मैसर्ज चौगुलेज एण्ड कम्पनी ने लाइसेंस प्राप्त करके ट्रालरों के बनाने के लिए गोवा में एक शिपयार्ड स्थापित किया है। उनको विदेश से एक ट्रालर का डिजाइन खरीदने की भी इजाजत दे दी गई है। मैसर्ज हिन्दुस्तान शिपयार्ड, विशाखापत्तनम को भी विदेश से ट्रालर का डिजाइन खरीदने की इजाजत दे दी गई है। ट्रालर कंसट्रक्शन यार्डों के स्थापना के संबंध में केरल मात्स्य निगम, कोचीन तथा तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम, मद्रास को आशय पत्र भेज दिए गए हैं।

वर्ष 1968 तथा 1973 में ट्रालर का आयात करने के लिए शुरु की गई योजनाओं के अन्तर्गत सरकार द्वारा यह निर्णय किया गया है कि 1968 की योजना के अन्तर्गत आयात होने वाले प्रत्येक 2 ट्रालरों की तुलना में एक ट्रालर और 1973 की योजना के अन्तर्गत आयात होने वाले प्रत्येक ट्रालर की तुलना में 1 ट्रालर सम्बन्धित नियत भागियों द्वारा देश में तैयार किया जाना चाहिए। आयातित ट्रालरों की लागत के 27.50 प्रतिशत भाग तक देशीय ट्रालरों के निर्माण पर राज सहायता स्वीकृत करने की भी व्यवस्था है। आशा है कि इन उपायों से देसी ट्रालरों के निर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा और इस संबंध में समय-समय पर पुनरीक्षण किया जाता है।

दिल्ली किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक

7829. **श्री शशि भूषण :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली किराया नियंत्रण संशोधन विधेयक में किये जाने वाले संशोधनों के बारे में सम्बद्ध मंत्रालयों से इस बीच परामर्श कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी क्या राय है और उक्त विधेयक के कब तक पुरःस्थापित होने की सम्भावना है?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) विधेयक के निकट भविष्य में पेश किए जाने की सम्भावना है।

Symposium by Rajya Shiksha Sansthan

†7830. **Shri Hukam Chand Kashwai:** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) the number of long-term art symposia held by the Rajya Shiksha Sansthan, Delhi during the last two years; and

(b) the expenditure incurred by Government on such symposia and whether these had resulted in any improvement in the field of education and if so, facts thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav): (a) and (b). No long-term art symposia was held by the Rajya Shiksha Sansthan (State Institute of Education) during the last two years. However, four long term courses for teachers of Art and Geometrical and Mechanical Drawing was organised by the Sansthan during 1971-72 and 1972-73 in which 150 teachers participated. The total expenditure incurred thereon was about Rs. 28,000. The courses were meant for the teachers for making up their deficiency in imparting skill to their students and these have been found beneficial to the teachers.

Sugar Recovery from Sugarcane by Khandsari Mills in Indore Division and Realisation of Levy

7831. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether sugar recovery from sugarcane by the Khandsari mill in Indore division is only 5-6 per cent whereas sugar recovery in other sugar mlls is 11 per cent;

(b) if so, whether Government will look into the reasons for this low recovery of sugar and place the findings on Table of the House;

(c) whether it is possible to realise levy of sugar from the millowners of the said mill by Government; and

(d) if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Shah Nawaz Khan): (a) and (b). Khandsari units have an inherently less efficient milling process for sugarcane juice extractions than large sugar mills. Further, they follow the open pan boiling process whereas the sugar mill adopt the vacuum pan process. Therefore, sugar recovery is inevitably less in all khandsari units.

(c) and (d). There is no proposal to collect khandsari sugar by levy from the khandsari unit in Indore Division.

महाराष्ट्र के भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति

7833. **श्री मधु दण्डवते :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1972 के दौरान महाराष्ट्र विधान सभा द्वारा पारित और राष्ट्रपति की अनुमति के लिये भेजे गये भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी विधेयक पर महाराष्ट्र सरकार और केन्द्रीय सरकार के बीच मतभेदों का कब तक समाधान हो जाने की सम्भावना है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : मतभेदों पर उच्च स्तर पर विचार-विमर्श किया जा रहा है और यह आशा है कि उनका समाधान करने का निर्णय शीघ्र ही कर लिया जाएगा।

तिराली नदी पर बांध

7834. **श्री मधु दण्डवते :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के सावन्त वाड़ी तालुक में तिराली नदी पर बांध की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बांध का सीमेंट और पत्थर से निर्माण करने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय लिया गया है, और

(ख) यदि हां, तो निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : शायद यह प्रश्न तिलारी परियोजना के बारे में है। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि अभी यह निश्चय नहीं किया गया है कि यह बांध किस प्रकार का होगा और इस समय परियोजना के पूर्ण होने की तिथि नहीं बतायी जा सकती।

दिल्ली के अध्यापकों की मांगें

7835. **श्री मधु दण्डवते :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के ढांचे के अंतर्गत दिल्ली के अध्यापकों की कुछ मांगों पर विचार करने का सरकार का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली के अध्यापकों द्वारा उठाये गये किन-किन मुद्दों पर विचार किया जा रहा है; और

(ग) ऐसे विचार विमर्श का क्या अन्तिम परिणाम निकला है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग). दिल्ली के अध्यापकों द्वारा उठाए गए प्रश्नों पर सरकार ने, तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के ढांचे के अन्तर्गत पहले से ही विचार कर लिया है तथा अध्यापकों के सामान्य वर्गों के सम्बन्ध में वेतनमान अधिसूचित कर दिए गए हैं। कुछेक अन्य बचे हुए अध्यापकों के वर्गों के वेतनमान, तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के ढांचे के अन्तर्गत, विचाराधीन हैं तथा यथाशीघ्र अधिसूचित कर दिये जायेंगे।

पंजाब की मंडियों से गेहूं की खरीद न करने के लिए भारतीय खाद्य निगम से कहा जाना

7836. **सरदार महेन्द्र सिंह गिल** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस मौसम के दौरान पंजाब की मंडियों से गेहूं की वसूली न करने के लिए पंजाब सरकार ने भारतीय खाद्य निगम से कहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) :(क) और (ख). पंजाब सरकार ने भारत सरकार को सूचित किया है कि भारतीय खाद्य निगम को इस सीज़न में गेहूं की अधिप्राप्ति करने के लिए जो भूमिका सौंपी जानी है, उसे उन्होंने अभी अन्तिम रूप देना है।

पांचवीं योजना में नये केन्द्रीय विद्यालयों का खोला जाना

7837. **श्री नारायण चन्द्र पराशर** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना में नये केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए सरकार ने कोई प्रावधान किया है ;

(ख) यदि हां, तो पांचवीं पंचवर्षीय योजना में इन स्कूलों को खोलने के लिए कुल कितनी धनराशि नियत की गई है और उसका वर्षवार ब्यौरा क्या है ;

(ग) योजना की अवधि के दौरान कुल कितने स्कूल खोले जाने की सम्भावना है और तत्सम्बन्धी राज्यवार ब्यौरा क्या है ; और

(घ) वर्तमान केन्द्रीय विद्यालयों की कुल संख्या कितनी है और उनका राज्य वार और संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग). केन्द्रीय विद्यालय योजना एक योजनेतर योजना है। इसलिये पांचवीं पंचवर्षीय योजना में इसके लिए कोई विनिधान नहीं किया गया है। तथापि, मौजूदा निर्णय के अनुसार 12 नए केन्द्रीय विद्यालय--4 ऐसे स्थानों पर जहां केन्द्रीय सरकार के स्थानान्तरणीय सिविल कर्मचारियों का बड़ा जमाव हो और 8 ऐसे स्थानों पर जहां रक्षा सेवाओं के वर्दीधारी स्थानान्तरणीय

कर्मचारियों का जमाव हो, आगामी तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष खोले जायेंगे। प्रत्येक वष खोले जाने वाले नए केन्द्रीय विद्यालयों के लिए शिक्षा मंत्रालय के योजनेतर बजट में व्यवस्था की जाती है।

(घ) इस समय 187 केन्द्रीय विद्यालय हैं। राज्यवार ब्यौरा संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी.9547/75.]

राज्यों में जल ससाधनों का संरक्षण

7838. **श्री के० लकप्पा :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में विभिन्न राज्यों से इस आशय का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है कि जल संसाधनों के संरक्षण की संभावनाओं का पुनर्विलोकन करने में राज्य सरकारों को सहायता देने हेतु केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के विशेषज्ञ भेजे जायं ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) से (ग). असम तथा जम्मू और काश्मीर सरकारों ने अनुरोध किया है कि उनके सिंचाई कार्यक्रमों के सम्बन्ध में सहायता देने के लिए अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया जाए। यथा आवश्यक सहायता दी जाएगी।

अपर्याप्त सिंचाई योजना

7839. **श्री के० लकप्पा :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि उत्पादनों की अधिक उपज देने वाली किस्मों के अन्तगत रकबे के शीघ्र विकास को ध्यान में रखते हुए सिंचाई योजना अभी भी अपर्याप्त चल रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) उत्पादनशील किस्मों की फसलें उगाने के लिए कुछ नहरों में अक्सर सिंचाई जल की सप्लाई अपर्याप्त रही है। यह सप्लाई नदी के अपवाह पर निर्भर करती है।

(ख) इस सम्बन्ध में निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

(1) पूरक सिंचाई की व्यवस्था करने के लिये सिंचाई प्रणालियों के कमांड क्षेत्रों में कुओं तथा नलकूपों के निर्माण को प्रोत्साहन देना।

(2) ऐसी परियोजनाओं के कमांड क्षेत्रों के अन्तिम भागों में सिचाई के जल की सप्लाई करने के लिये नदियों तथा नालों से उठाऊ सिंचाई योजनाओं का निर्माण करना।

(3) इन प्रणालियों की सप्लाई बढ़ाने के लिए भंडारण परियोजनाओं के निर्माण की संभाव्यताओं का पता लगाना ।

(4) सप्लाई के जल को सुरक्षित रखने के लिये जल वितरण की नालियों को पक्का बनाना तथा जल प्रबन्ध की अन्य उन्नत विधियों को अपनाना ।

समेकित खाद्य उत्पादन कार्यक्रम

7840. **श्री के० लकप्पा** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समेकित विस्तृत खाद्य उत्पादन कार्यक्रम बनाया है ;

(ख) क्या सप्लाई तथा उर्वरकों की उसके मल्य निर्धारण अनुसन्धान की आवश्यकता तथा वसूली के तरीकों के बारे में कोई निर्णय लिया गया है ; और

(ग) सरकार द्वारा सम्पूर्ण देश के लिये खाद्य उत्पादन कार्यक्रम के सम्बन्ध में लिया गया निर्णय क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी हां । वर्ष 1966-67 से देश में कृषि विकास की एक नई नीति को अपनाया जा रहा है । अधिक उत्पादनशील किस्में इस नीति का मुख्य अंग हैं ।

(ख) भारत में वितरित होने वाले उर्वरक दो स्रोतों से अर्थात् आयात और देशी उत्पादन से प्राप्त होते हैं । सभी आयातित उर्वरक को इस मंत्रालय द्वारा चलाए जाने वाले केन्द्रीय उर्वरक पूल के माध्यम से मंत्रालय द्वारा निर्धारित किए गए मल्यों पर वितरित किया जाता है। राज्य सरकारों को निदेश दिए गए हैं कि वे अपने सम्बद्ध राज्यों में इन उर्वरकों को सहकारी समितियों या अन्य संस्थात्मक एजेंसियों के माध्यम से या विभागीय रूप से वितरित करें ।

जहां तक देश में तैयार होने वाले उर्वरकों का सम्बन्ध है, ये विभिन्न राज्यों को आवंटित किये जाते हैं और सम्बद्ध विनिर्माता उन राज्यों में उन्हें अपनी पसन्द की एजेन्सियों के माध्यम से वितरित कराने के लिए स्वतन्त्र हैं ।

केन्द्रीय सरकार उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1957 के अन्तर्गत आयातित और देश में तैयार हुए यूरिया, अमोनियम सल्फेट तथा कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट आदि तीन मुख्य नाइट्रोजन-युक्त उर्वरकों के अधिकतम खुदरा मूल्य निर्धारित करती है, उससे अधिक मूल्य पर उन्हें किसानों को नहीं बेचा जा सकता । आयातित उर्वरकों के खुदरा मल्य भी केन्द्रीय सरकार द्वारा निश्चित किये जाते हैं । केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत फारमूला क अनुसार फर्टीलाइजर एसोसिएशन आफ इंडिया प्रत्येक कारखाने के लिए सिंगल सुपर फासफेट का मूल्य निश्चित करता है । जहां तक देश में तैयार होने वाले एन पी तथा एन पी के का सम्बन्ध है, उनके विक्रय मूल्य स्वयं विनिर्माताओं द्वारा निश्चित किए जाते हैं, किन्तु सरकार द्वारा निश्चित किए गए आयातित उर्वरकों के स्थिर मूल्यों का इन उर्वरकों के मूल्य पर प्रभाव पड़ता है ।

उर्वरकों के उपयोग के सम्बन्ध में अनुसन्धान करने की आवश्यकता महसूस की गई है । देश में लगभग सभी फसलों/मृदा किस्मों के लिए उर्वरक सम्बन्धी सिफारिशें तैयार की गई हैं और देश भर में मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना कर दी गई है ताकि किसान मृदा परीक्षण के आधार पर उर्वरकों का उपयोग कर सकें । जिन फसलों में उरर्वकों का उपयोग काफी अच्छे ढंग से होता है उनका विकास कर के खेती के लिए उन्हें निर्मुक्त किया जाता है । नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों को धीरे निर्मुक्त करने और उर्वरकों को लाभदायक बनाने के सम्बन्ध में अनुसन्धान कार्य तेज़ी से किया जा रहा है ।

(ग) 1973-74 में खाद्यान्नों का उत्पादन 1140 लाख मीटरी टन था । पांचवीं पंच-वर्षीय योजना के प्रारूप में इसे बढ़ा कर 1978–79 तक 1400 लाख मीटरी टन करने का उद्देश्य है । पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान फसल उत्पादन को (जिसमें खाद्यान्न भी शामिल है) बढ़ाने के लिए कार्यक्रमों की मुख्य बातें ये हैं :—फसलों की बवाई के क्षेत्र में विस्तार, अधिक उत्पादनशील किस्मों की खेती का विस्तार, सिचाई सुविधाओं का विस्तार, रासायनिक उर्वरकों, उन्नत बीजों तथा कीटनाशी दवाओं के प्रयोग में पर्याप्त वृद्धि करना, कमान्ड क्षेत्र का विकास, समस्या मूलक अनुसन्धान कार्य को तीव्र करना और ऋण, विपणन तथा आदान सप्लाई हेतु अधिक प्रयत्न तथा संस्थात्मक प्रबन्धों को सुदृढ़ करना ।

गत तीन वर्षों के दौरान उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि

7841. श्री एन० आर० बेकारिया :
श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या कृषि और सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार तथा किस्म-वार, उर्वरकों की विभिन्न किस्मों का मूल्य कितना रहा है ;

(ख) क्या मूल्यों में प्रति दिन वृद्धि हो रही है ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इनको रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि और सिचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) सरकार आयातित तथा देशी यूरिया, अमोनियम सल्फेट और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट के अधिकतम खुदरा मूल्यों तथा आयातित उर्वरकों के खुदरा मूल्यों का निर्धारित करती है ।

गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न किस्मों के कुछ प्रमुख आयातित उर्वरकों के खुदरा मूल्य नीचे दिये जा रहे हैं :—

रुपये प्रति मीटरी टन

उर्वरक का नाम	1972–73	1973–74 10–10–73 से	1974–75 1–6–74 से तथा चालू
1. यूरिया (46 प्रतिशत एन) . .	959	1050	2000
2. अमोनयमि सल्फेट (50 कि०ग्रा० के पैकिंग) .	560	600	935
3. कैलशियम अमोनियम नाइट्रेट (26 प्रतिशत एन)	594	645	1145
4. डाई-अमोनियम फास्फेट (18–46–0) .	1246	1335	3005
5. अमोनियम नाइट्रो-फास्फट (20–20–0) .	909	1200	1855
6. यूरिएट आफ पोटास (100 कि० ग्रा० के पैकिंग)	543	670	1220
7. एन० पी० के० (15–15–15) . .	942	1375	1705

यूरिया, अमोनियम सल्फेट तथा कैलशियम अमोनियम नाइट्रेट के उपर्युक्त खुदरा मूल्यों को उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1957 के अन्तर्गत अधिकतम खुदरा मूल्यों के रूप में निर्धारित किये गये हैं ।

(ख) तथा (ग). आयातित उर्वरकों के मूल्य गत तीन वर्षों के दौरान केवल दो बार, अर्थात् एक बार 10 अक्तूबर, 1973 से और बाद में 1 जून, 1974 को संशोधित किये गये थे । दिनांक 10–10–73 से मूल्य में वृद्धि आंशिक रूप से नैफ्था के मूल्यों में दो बार वृद्धि होने तथा 1973 में ईंधन तेल के मूल्य में वृद्धि होने के कारण किया गया था । विश्व मंडियों में मूल्यों तथा समद्री भाड़े की लागत में वृद्धि होने के कारण आयातित उर्वरकों के मूल्यों और कच्ची सामग्री, पैकिंग सामग्री, मजदूरी, बिजली की दरों, आदि में वृद्धि होने के कारण घरेलू उत्पादन की लागत में तेजी से वृद्धि होने के कारण 1 जून, 1974 से उर्वरकों के मूल्यों में और वृद्धि करनी पड़ी ।

(घ) उर्वरकों के मूल्यों में तभी वृद्धि की जाती है जब कि ऐसा करना अपरिहार्य हो । इन मूल्यों को निर्धारित करते समय प्रयास किया जाता है कि ये मूल्य उन्हीं स्तरों पर निर्धारित किये जायें कि ये किसानों के लिए अलाभकारी न हों । उर्वरकों के देशी उत्पादन को अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए भी प्रयास किये जा रहे हैं, ताकि आयात पर अधिक निर्भर न रहना पड़े ।

नई दिल्ली के डी०आई०जेड० एरिया के सेक्टर 'डी' में क्वार्टरों के लिए पानी तथा बिजली की पुनरीक्षित दर

7842. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्पदा कार्यालय ने नई दिल्ली के डी०आई० जेड० एरिया के सेक्टर 'डी' में क्वार्टरों के अलाटियों से पानी तथा जीने की बिजली के लिए वसूल किए जाने वाले दरों का पुनरीक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका औचित्य क्या है तथा जीने की बिजली के लिए वसूल किये जाने वाले शुल्क को 80 पैसे प्रति महीने से बढ़ा कर 2 रुपये 35 पैसे प्रति महीने किस आधार पर किया गया;

(ग) क्या पानी के मीटर लगभग सभी फ्लैटों में लगे हुए हैं तथा पानी के मीटरों की रीडिंग नहीं ली जा रही है और अलाटियों से वास्तविक खपत के अनुसार शुल्क न लेकर अभी भी समान दर पर शुल्क लिया जा रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) पिछले वर्ष की वास्तविक खपत के आधार पर प्रभार वसूल किए जाते हैं। सीढ़ियों की बत्ती के लिए 80 पैसे प्रति माह की दर अस्थाई तौर पर थी, जबकि 2.35 रुपये प्रति माह की दर वास्तविक खपत के आधार पर है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) नई दिल्ली नगरपालिका, वितरण सम्बन्धी कार्य तथा प्रत्येक आवंटी से मीटर रीडिंग के अनुसार प्रभार लेने के कार्य को हाथ में लेने पर सहमत नहीं हुई अतः जल-प्रभारों की वसूली समान दरों पर जारी रखी गई है । ऐसे प्रभारों की वसूली मीटर-रीडिंग के आधार पर करने का प्रश्न केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के विचाराधीन है ।

परामर्शदात्री समिति की बैठकों की उपयोगिता

7843. **श्री राम हेंडाऊ :** क्या **संसदीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों से सम्बन्धित परामर्शदात्री समितियों की उपयोगिता का मूल्यांकन करने हेतु कोई अध्ययन किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या यह भी विचार है कि परामर्शदात्री समितियों की बैठकों में सम्वाददाताओं को भी प्रवेश दिया जाये; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) और (ग). भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के सम्बद्ध सलाहकार समितियां, उनके गठन और कार्यचालन को विनियमित करने के लिये संसद् ने विभिन्न विरोधी दलों के परामर्श से बनाई गई **मार्गनिदेशिका** के अनुसार सन्तोषजनक कार्य कर रही हैं । तथापि, इन समितियों के कार्यचालन का मूल्यांकन करने के लिये कोई अध्ययन नहीं किया गया है ।

(ग) और (घ). जहां तक प्रेस को जानकारी दिये जाने का सम्बन्ध है, विभिन्न दलों के मुख्य सचेतकों के परामर्श से यह निर्णय किया गया था कि सलाहकार समितियों की बैठकों में चर्चा स्वतन्त्र और स्पष्ट होनी चाहिये और कोई भी जानकारी जो समिति के विचार से गोपनीय हो वह प्रेस को नहीं दी जानी चाहिये । इस निर्णय को ध्यान में रखते हुये, सलाहकार समितियों की बैठकों में संवाददाताओं को प्रवेश दिए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

Exemption of Levy on Small Irrigated Land Holdings

7844. **Shri Lalji Bhai:** Will the **Minister of Agriculture and Irrigation** be pleased to state whether with a view to provide relief to small farmers and to impose due levy on big farmers, Government are considering a proposal to exempt upto 5 acres of irrigated land and to impose levy at the rate of 20 kilo per acre on the remaining irrigated land?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Annasaheb P. Shinde): The question of granting levy exemption to small farmers and deciding the rate of levy etc. is the concern of the State Governments though Government of India lays down some general guidelines for them. No such proposal is under the consideration of the Government of India at present.

Malviya Regional Engineering College, Jaipur

†7845. **Shri Lalji Bhai:** Will the Minister of **Education, Social Welfar eand Culture** be pleased to state:

(a) whether the pay scales of the employees of Malviya Regional Engineering College, Jaipur, being run jointly by the Centre and Rajasthan Governments have not been revised for the last twelve years whereas they have been revised several times in other institutions;

(b) if so, the reasons therefor and whether Government propose to revise them in the near future; and

(c) if so, the salient features of the proposed revision?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan): (a) to (c). On the basis of the revision of pay scales of teachers in the universities as announced in Parliament during March 1974, the State Ministers in Charge of Technical Education were addressed on the 23rd April, 1974 requesting that the revised University Grants Commission scales of pay be made applicable to the teaching staff in the Regional Engineering Colleges.

The Central assistance to the State Governments for adopting the revised scales would be 80 per cent of the States' share of the additional cost of expenditure for a period of five years for posts in existence on January 1, 1973.

The acceptance of the State Government of Rajasthan for the adoption of the revised scales is awaited.

Ation against Messers Shri Ram Urea

7846. **Shri Lalji Bhai: Will the Minister of Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) action taken by Government against Messers Shri Ram Urea for lesser percentage of nitrogen being found in the fertilizer manufactured by that company; and

(b) the directions given by Government to the company for manufacturing fertilizers containing requisite quantity of nitrogen in the urea fertilizer in future?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Prabhudas Patel): (a) The Government of India have not received any complaint that the Urea supplied by M/s Shri Ram Chemicals contained lesser percentage of nitrogen than has been prescribed. The question of taking action against M/s. Shri Ram Chemicals for sale of sub-standard nitrogenous fertilisers does not, therefore, arise.

(b) The question does not arise.

शिक्षा प्रौद्योगिकी केन्द्र

7847. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री श्रीकिशन मोदी :

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :

क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने शिक्षा प्रौद्योगिकी केन्द्र की स्थापना की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस केन्द्र की स्थापना अनौपचारिक शिक्षा के तरीकों के प्रभावी उपयोग के लिये की गई है ;

(ग) क्या प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करने के लिये नये कार्यक्रम में अनौपचारिक शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है ; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (घ) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् ने भारत सरकार की सहायता से एक शैक्षिक प्रौद्योगिकी केन्द्र की स्थापना की है। उक्त केन्द्र शिक्षा के सभी स्तरों पर शैक्षिक प्रौद्योगिकी के विकास को प्रोत्साहित करने के लिये है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कक्षा की विषयवस्तु तथा गैर-औपचारिक शिक्षा के लिये काम में लाया जायेगा। पांचवीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिक शिक्षा के विस्तार की नई नीति में बहु-प्रवेश तथा अंशकालिक और गैर-औपचारिक शिक्षा पर जोर दिया जाएगा। परवर्ती में 11—14 आयु वर्ग पर विशेष जोर दिया जाएगा।

शैक्षिक प्रौद्योगिकी केन्द्र में कार्यक्रम अनुदेशीय सामग्री, कनसेप्ट पिलों, शैक्षिक खिलौने टैलीविजन कार्यक्रम, रेडियो कार्यक्रम तथा 6--14 आयु वर्ग के बच्चो के लिये गैर-औपचारिक शिक्षा देने हेतु स्वयं शिक्षक विज्ञान किटों का विकास किया जाएगा। यह केन्द्र अगस्त, 1975 में आरम्भ होने वाले उपग्रह अनुदेशीय टेलिविजन प्रायोग में आकाशवाणी की भी सहायता करेगा। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, 2400 ग्रामीण विद्दाल टैलीविजन प्रसारण लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा चावल मिलों का आधुनिकीकरण

7848. **श्री पी० गंगादेव :** क्या कृषि और सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम द्वारा चावल मिलों के आधुनिकीकरण की योजना को देश में सभी मिलों पर लागू किया गया है ;

(ख) ऐसी योजना द्वारा कुटे हुये धान की वर्तमान मात्रा से चावल की उपलब्धता में कितनी शुद्ध वृद्धि होने की सम्भावना है ; और

(ग) क्या इस योजना से तेल की अधिक प्रतिशतता वाली धान की भूसी प्राप्त करने में भी सहायता मिली है ?

कृषि और सिचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) चावल मिलिंग उद्योग (विनियमन) अधिनियम तथा उसके अधीन बने हुये नियमों में कुछ वर्ष पूर्व उपयुक्त संशोधन किए गए हैं ताकि देश भर में चावल मिलिंग उद्योग का आधुनिकीकरण करने में बढ़ावा दिया जा सके। तकनीकी और प्रबन्धकीय कार्मिकों को प्रशिक्षण देने, देश में उन्नत औजारों का विकास करने और चावल मिलिंग उद्योग का आधुनिकीकरण करने के बारे में तकनीकी जानकारी सुलभ करने के बारे में व्यवस्था की गई है। भारतीय खाद्य निगम विभिन्न राज्यों में आधुनिक चावल मिलें स्थापित कर तथा तकनीकी जानकारी का प्रसार कर तथा सेमिनार गठित कर इस कार्यक्रम में सहायता प्रदान कर रहा है।

इन कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप विभिन्न राज्यों में कई एक वर्तमान चावल मिलों का आधुनिकीकरण किया गया है और नय आधुनिक चावल मिलें स्थापित की गई हैं।

(ख) आधुनिकीकृत अथवा आधुनिक चावल मिलों में चावल की अतिरिक्त वसूली 1 से 6 प्रतिशत तक होती है और वह कुटी गई धान की किस्म, सेलीकरण तथा अपनायी गई अन्य प्रक्रिया और इस्तेमाल की गई मिलिंग मशीनरी की किस्म पर निर्भर करेगी।

(ग) जी हां। आधुनिक चावल मिल में प्राप्त चावल की भूसी में तेल की अधिक प्रतिशतता आयी गयी है।

राष्ट्रीय अभिलेखागार में पुस्तकों आदि का स्टाक

7849. **श्री रामसहाय पांडे :**

श्री प्रबोध चन्द्र :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्थान की उचित सुविधाओं के अभाव के कारण राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली में पुस्तक आदि के भारी स्टाक के गुम होने का खतरा पैदा हो गया; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने क्या उपचारात्मक कार्यवाही की है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख). भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा प्रकाशित अधिकांश प्रकाशन, प्रकाशन नियंत्रक, सिविल लाइन्स, दिल्ली द्वारा रखे तथा बेचे जाते हैं। भारतीय अभिलेखागार पत्रिका तथा कुछ छोटे प्रकाशन, भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा रखे तथा बेचे जाते हैं। वे भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार के परिसर में ठीक तरह से रखे जाते हैं।

शहरीकरण के बारे में राष्ट्रीय नीति

7850. **श्री रामसहाय पांडे :**

श्री प्रबोध चन्द्र :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शहरीकरण के बारे में राष्ट्रीय नीति बनाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब लिया जाएगा ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) तथा (ख). मद्रास में 31 मई से 2 जून, 1974 तक हुये आवास तथा नगर विकास के राज्य मंत्रियों के सम्मेलन ने मुख्य नगर आयोजकों के सम्मेलन की इस सिफारिश का समर्थन किया है कि राष्ट्रीय नगरीकरण तथा नगर वि.ास नीति के अंग बनाने के लिये निर्माण और आवास मंत्रालय एक उच्चस्तरीय समिति अथवा आयोग का गठन करें। इस दिशा में प्रथम प्रयास के रूप में, केन्द्रीय नगर तथा ग्राम आयोजना संगठन द्वारा राष्ट्रीय नगरीकरण की एक नीति बनाने पर विचार करने के लिये 28 जनवरी, 1975 को नई दिल्ली में विशेषज्ञों की बैठक बुलाई गई। बैठक में अपनाया गया संकल्प हाल ही में प्राप्त हुआ है तथा इसमें उल्लिखित सिफ़ारिशों पर विचार किया जा रहा है।

छात्रवृत्तियों के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की घोषणा

7851. **श्री एच० के० एल० भगत** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और वैज्ञानिक अनुसन्धान परिषद् ने अनुसन्धान छात्रवृत्तियों की राशि 250 रुपये प्रति मास से बढ़ा कर 450 रुपये प्रति मास करने की सिफारिश की है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) और (ख). विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् से प्राप्त सूचना के अनुसार छात्रवृत्ति/अधिछात्रवृत्ति की दरें निम्न प्रकार से परिशोधित की गई :—

वि०अ०आ० द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति/अधिछात्रवृत्ति

I. मानविकी (सामाजिक विज्ञान सहित) और विज्ञान

(i) सीनियर अनुसंधान अधिछात्रवृत्ति

सीनियर अनुसन्धान अधिछात्रवृत्ति की राशि 500 रुपये प्रति मास से 600 रुपये प्रति मास तक बढ़ा दी गई है ।

(ii) जूनियर अनुसंधान अधिछात्रवृत्ति

अधिछात्रवृत्ति के पहले दो वर्षो के दौरान जूनियर अनुसन्धान अधिछात्रवृत्ति की राशि प्रति-मास 300 रुपये से प्रति मास 400 रुपये तक बढ़ा दी गई है और अध्येयताओं के कार्य का मुल्यांकन करने और उसे सन्तोषजनक पाये जाने के बाद, दो वर्षो के लिये प्रति मास 500 रुपये की राशि की अधिछात्रवृत्ति प्राप्त करने के पात्र होंगे ।

II. इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी

(i) सीनियर अनुसन्धान अधिछात्रवृत्ति

अधिछात्रवृत्ति के पहले दो वर्षो के दौरान सीनियर अनुसन्धान अधिछात्रवृत्ति की राशि प्रतिमास 400 रुपये से प्रति मास 500 रुपये तक बढ़ा दी गई है और अध्येयताओं के कार्य का मूल्यांकन करने और उसे सन्तोषजनक पाये जाने के बाद, वे शेष दो वर्षो के लिये 600/—रुपये की राशि अधिछात्रवृत्ति प्राप्त करने के पात्र होंगे ।

(ii) स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति

स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति की राशि प्रति मास 250 रुपये से प्रति मास 400/— रुपये तक बढ़ी दी गई है ।

परिशोधित दरें 1—7—1974 से लागू की गई हैं ।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा प्रदत्त अनुसंधान अधिछात्रवृत्तियां

(I) जूनियर अनुसन्धान अधिछात्रवृत्ति की राशि प्रति मास 300 रुपये से 400 रुपये तक बढ़ा दी गई है ।

(II) सीनियर अनुसन्धान अधिछात्रवृत्ति की राशि प्रति मास 400 रुपये से 500 रुपये तक बढ़ा दी गई है ।

(III) उत्तर डाक्टरी अनुसन्धान अधिछात्रवृत्ति की राशि प्रति मास 500 रुपये से 600 रुपये तक बढ़ा दी गई है ।

परिशोधित दरें 1–4–1974 से लागू की गई हैं ।

राज्यों द्वारा गेहूं की वसूली के लिए बोनस योजना को अनुमोदन दिया जाना

7853. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने प्रति क्विंटल 105 रुपये की निर्धारित दर से अधिक दर पर गेहूं की वसूली के लिये बोनस योजना का अनुमोदन किया है अथवा अधिकतम वसूली के लिये अन्य सुझाव दिये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख). रबी विपणन मौसम 1975–76 के दौरान अधिप्राप्ति में वृद्धि करने की दृष्टि से 24 मार्च, 1975 को संसद् में घोषित की गई गेहूं की नई नीति में उचित बोनस योजना शुरु करने की व्यवस्था है ।

बोनस योजना को अब अन्तिम रूप दिया जा चुका है और वह राज्य सरकारों को बता दी गई है । केन्द्रीय पूल को दी गई गेहूं की मात्रा पर बोनस देय होगा । बोनस क्रमिक आधार पर है । क्योंकि यह भारत सरकार की योजना है, इसलिये राज्य सरकारों की अनुमति लेना आवश्यक नहीं समझा गया था ।

आलूओं के मूल्य में कमी

7854. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974–75 के मौसम में आलुओं की अनुमानित फसल कितनी हुई है ;

(ख) क्या सरकार को इसके मूल्यों में भारी गिरावट का पता है जिससे कि आलू उत्पादकों में भय व्याप्त हो गया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ; और

(घ) बहुत ही कम मूल्यों पर आलुओं की बिक्री को रोकने के लिये तथा आलू उत्पादकों में विश्वास बनाये रखने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभु दास पटेल): (क) 1974–75 में आलू की फसल के सरकारी आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) कुछ मंडियों में चालू मौसम में आलुओं के मूल्यों में कमी होने के बारे में सरकार को मालूम है ।

(ग) 1974–75 के दौरान महत्वपूर्ण केन्द्रों में आलुओं के मूल्यों के विषय में विवरण संलग्न है । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०––9548/75]

(घ) देश के आलू उत्पादकों में विश्वास बनाये रखने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

(1) एन०एफ०ई०डी० ने देश की मंडियों के लिये और निर्यात करने हेतु आलुओं की खरीद करनी शुरु कर दी है । उन्होंने पहले ही फरुखाबाद से लगभग 1800 बोरियां और हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले से 1000 बोरियां खरीद ली हैं और इससे मंडियों पर काफी प्रभाव पड़ा है

(2) 500 मीटरी टन आलू मोरीशश को निर्यात किये गये हैं ।

(3) उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध किया गया है कि फरुखाबाद में पुटेटो डिहाईड्रेशन प्लान्ट स्थापित करें ।

(4) राँज्य सरकार से यह भी अनुरोध किया गया है कि वह अतिरिक्त शीत भण्डारों के निर्माण के लिये आवश्यक कदम उठायें ।

(5) आलू को वैकल्पिक प्रयोग में लाने के लिये अध्ययन किये जा रहे हैं ।

राज्यों में खाद्यान्नों की तस्करी

7855. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्यान्नों की तस्करी के सम्बन्ध में राज्यों में कुछ गिरफ्तारियां की गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

स्कूलों में खेल-कूद को अनिवार्य विषय बनाना

7856. **श्री भागीरथ भंवर :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा, आयोग ने वर्ष 1966 में स्कूलों में खेल–कूद को एक विषय बनाने की सिफारिश की थी तथा सरकार ने वर्ष 1968 में राष्ट्रीय नीति संकल्प में इस सिफारिश का पुष्टि की थी;

(ख) यदि हां, तो देश के स्कूलों में खेल–कूद को अनिवार्य विषय बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या सरकार का विचार इस उद्देश्य को प्राप्त करने, तथा खेल के मैदान, खेल–कूद के सामान तथा खेल शिक्षकों तथा इसी प्रकार की अन्य कमियों को दूर करने में सहायता देने हेतु राज्यों को वित्तीय सहायता देने का हैं; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख). विवरण संलग्न हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

शिक्षा आयोग (1964–66) ने इस बात की सिफारिश की थी कि स्कूलों में कक्षा V–X में शारीरिक शिक्षा एक पाठ्यचर्या का विषय होना चाहिये। सरकार का यह विचार है कि शिक्षा आयोग की इस सिफारिश को कार्यान्वित किया जाना चाहिए और इस संदर्भ में राज्य सरकारों से इस सिफारिश को कार्यान्वित करने के लिए अपेक्षित कदम उठाने हेतु समय–समय पर अनुरोध किया गया है। कुछ राज्य सरकारों ने वास्तव में इस सिफारिश को पहले से ही कार्यान्वित कर दिया है।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने भी उससे सम्बद्ध स्कूलों में शारीरिक शिक्षा, व खेल कूद को 1 मई, 1975 से अनिवार्य बनाने का निर्णय किया है। इन स्कूलों में केन्द्रीय विश्वविद्यालय भी शामिल हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् ने "दस वर्षीय स्कूलों के लिए पाठ्यचर्या" नामक एक प्रस्ताव पत्र तैयार किया है जिसमें स्कूलों में "स्वस्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा" को एक अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है। उक्त प्रस्ताव पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् द्वारा उसे राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रदेशों को भेज दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् उक्त प्रस्ताव पत्र में किये गये सुझावों पर सम्मति प्राप्त करने के लिए मई, 1975 में राज्य सरकारों आदि के प्रतिनिधियों के एक सम्मेलन का भी आयोजन कर रही है।

सिंचाई परियोजनाएं बनाना

7857. **श्री एम० एस० पुरन्दरे :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गंगा, कोसी, सरयू, गंडक, सोन, नर्मदा, ताप्ती और पार्वती नदियों पर कोई बड़ी सिंचाई परियोजनाए बनाने का निर्णय किया है, और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) और (ख). इन नदियों पर जारी प्रस्तावित वृहत् परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया जाता है [**ग्रंथालय म रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी०—9549/75]

ग्रामीण क्रीड़ा परिषद् की स्थापना

7858. **श्री राजदेव सिंह :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में केवल शहरी क्षेत्रों को ही खेल-कूद सम्बन्धी प्रशिक्षण की सुविधाए दे रही है ;

(ख) 90 प्रतिशत स्कूल और कालेज ग्रामीण क्षेत्रों में होने के कारण क्या ग्रामीण युवा तथा विद्यार्थी, अच्छे खिलाड़ी साबित हो सकते हैं बशर्ते कि उनकी शहरी क्षेत्रों के यवाओं और विद्यार्थियों को मिलने वाले अवसरों के समान अवसर दिये जायें; और

(ग) क्या सरकार का विचार देश में सामुदायिक विकास खंडों के आधार पर ग्रामीण क्रीड़ा परिषद् की स्थापना करने का है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) से (ग). ग्रामीण क्षेत्रों की शैक्षिक संस्थाओं में छात्रों में खेल-कूद के कार्य-कलापों की देखभाल करने के लिए सामान्यतया शारीरिक शिक्षा-अध्यापकों की सेवाए सुलभ होती हैं। तथापि, सरकार देश के छात्र और गैर-छात्र ग्रामीण और जन-जातीय युवकों को शामिल करके खेल-कूदों के कार्यकलापों को व्यापक बनाने की आवश्यकता के प्रति जागरूक है। राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों में नियुक्त किये गये विशेषज्ञ प्रशिक्षकों के आधीन ग्रामीण युवकों को खेल-कूदों में प्रशिक्षण देने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। ग्रामीण और जन-जातीय क्षेत्र में खेलकूदों का प्रवर्धन करना भी नेहरू युवक केन्द्रों के कार्यक्रमों का एक प्रमुख भाग है, जिनमें इस प्रायोजन के लिए प्रशिक्षित प्रशिक्षकों की व्यवस्था की गई है। 1970-71 से ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता का एक राष्ट्र-व्यापी कार्यक्रम चल रहा है और इस सम्बन्ध में, ग्रामीण खिलाड़ियों के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किये जाते हैं। पांचवीं योजनावधि में इन प्रयासों को और तेज किया जाएगा ताकि इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक ब्लाक में सक्रिय खेलों

में लगभग 1500 युवक भाग ले सकें और राज्य सरकारों के सहयोग से इस योजना के अन्त तक इनमें लगभग 80 लाख युवक और युवतियों द्वारा भाग लेना सुनिश्चित किया जा सके।

अखिल भारतीय खेलकूद परिषद्, देश में खेकूदों के प्रवर्धन के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में तथा इस सम्बन्ध में शुरू किये गये सभी उत्साहवर्धक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए सरकार को सलाह देती है। राज्य खेलकूद परिषदें, जो कि अधिकांश राज्यों में स्थापित की गई हैं, राज्य स्तर पर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसी प्रकार के कार्य करती हैं।

विभिन्न राज्यों में चीनी का उत्पादन

7859. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डेक्कन शूगर टैक्नोलोजिस्ट एसोसिएशन के अनुसार महाराष्ट्र ने इस वर्ष पहले ही चीनी उत्पादन, गन्ना पेराई तथा चीनी की प्राप्ति में सर्वोच्च रिकार्ड स्थापित किया है और इस बात के संकेत हैं कि राज्य में चीनी का उत्पादन इस महीने पेराई के मौसम के अन्त तक 13.5 लाख टन तक पहुंच जायेगा।

(ख) यदि हां, तो चीनी उत्पादन करने वाले अन्य राज्यों की क्या स्थिति है, और

(ग) क्या उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की चीनी प्राप्ति का प्रतिशत अन्य स्थानों से कम है क्योंकि वहां पुरानी मशीनरी तथा पुरानी व्यवस्था को नहीं बदला गया है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां। महाराष्ट्र में 15 अप्रैल, 1975 तक, 13.70 लाख मीटरी टन चीनी का उत्पादन हुआ था और राज्य में 36 चीनी फैक्ट्रियां अभी भी कार्य कर रही थीं।

(ख) तीन विवरण सलग्न हैं [ग्रंथालय में रखा गया देखिये सख्या एल० टी० 9550/75] जिनमें 1960-61 से 1973-74 तक और 1974-75 में 31-3-1975 तक (1) पेरे गए गन्ने की मात्रा, (2) चीनी का उत्पादन और गन्ने से चीनी की औसत प्रतिशत वसूली का ब्यौरा दिया गया है।

(ग) यद्यपि उत्तर प्रदेश में महाराष्ट्र की अपेक्षा फैक्ट्रियों की चीनी की वसूली की प्रतिशतता कम है और अखिल भारतीय औसत से भी कम है लेकिन यह बिहार, असम, पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा और मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों से अधिक है। गन्ने से चीनी की वसूली न केवल संयंत्र और मशीनरी की दशा पर निर्भर करती है बल्कि जलवायु, गन्ने की किस्म आदि जैसे अन्य कई तथ्यों पर भी निर्भर करती है।

खाद्य वसूली कार्यों के लिए बैंक सार्थ संघ से दिये जाने वाले ऋण में भारी वृद्धि

7860. **श्री राजदेव सिंह :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी खाद्य वसूली कार्यों के लिए धन देने वाले बैंक सार्थ संघ ने भारतीय खाद्य निगम को हाल ही में आयातित खाद्यान्नों के लिए 212 करोड़ रुपये का अतिरिक्त ऋण दिया है;

(ख) क्या इस राशि सहित, भारतीय खाद्य निगम तथा राज्य सरकारों और उनकी एजेंसियों को सरकारी खाद्य वसूली कार्यों के लिए दिया गया कुल बैंक ऋण 615 करोड़ रुपये हो जाता है जबकि एक वर्ष पूर्व यह केवल 376 करोड़ रुपये था; और

(ग) यदि हां, तो इस भारी अथवा अकस्मात वृद्धि होने के क्या विशेष कारण है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख). जी हां।

(ग) बैंक-ऋण में जो वृद्धि की गई है वह मुख्यत: भारतीय खाद्य निगम को अतिरिक्त वित्तीय सहायता सुलभ करने के उद्देश्य से की गई है ताकि वह आयातित खाद्यान्नों, जोकि पिछले कुछ महीनों के दौरान प्राप्त हुए थे, से संबधित भुगतान कर सके।

केरल में भूकटाव से बांधों को गंभीर खतरा

7861. **श्री बरके जार्ज :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 29 मार्च, 1975 के मलयालम 'मनोरमा' में प्रकाशित इस सम्पादकीय लेख की ओर दिलाया गया है कि केरल में अधिकांश बांधों को भू-कटाव से गंभीर खतरा पैदा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार का क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी।

सहकारी कृषि समितियों के लिए फालतू भूमि

7862. **श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक राज्यों ने सहकारी कृषि समितियों को फालतू भूमि देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इन राज्यों के नाम क्या हैं; और

(ग) सहकारी कृषि समितियों को कुल कितनी फालतू भूमि मिल चुकी है तथा उसके राज्य-वार आंकड़े क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभापटल पर रख दी जाएगी ।

चावल में लगने वाले कीड़ों के प्रति कार्यवाही

7863. **श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिकों ने बहुत क्षेत्रों में चावल में लगने वाले एक प्रमुख कीड़े 'गाल मिज' के बारे में चिन्ता व्यक्त की है जिसने फसलों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा आदि कुछ राज्यों में 'गाल मिज' चावलों का एक भयंकर कीड़ा है । यह कीड़ा कर्नाटक, केरल तथा पश्चिम बंगाल आदि कुछ अन्य राज्यों में भी दिखाई दिया है, किन्तु वहां वह बहुत अधिक नहीं हैं । इस कीड़े के कारण 10–50 प्रतिशत तक हानि हुई है और कुछ खेतों में अधिक हानि होने की सम्भावना है । गत कुछ वर्षों के दौरान महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में इस कीड़े का आक्रमण बहुत कम हुआ है ।

(ख) इस कीड़े की रोक थाम करने के लिए रासयनिक उपाय किए गए हैं । नियंत्रण के प्रभावी तथा मितव्ययी उपाय ढूंढने के लिए अनुसंधान कार्य किया जा रहा है । उन क्षेत्रों में जहां कीड़े तथा रोग महामारी रूप धारण किए हुए हैं उनको नष्ट करने के लिए तैयार की गई केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत 1974–75 के दौरान 3.2 लाख एकड़ क्षेत्रों में रसायनिक उपाय किए गए हैं । धान की कुछ ऐसी किस्मों को भी विकसित किया गया है जिन पर इस कीट का प्रभाव नहीं पड़ता । कुछ राज्य सरकारों ने इन किस्मों की अधिक क्षेत्र में बुवाई करने लिए कदम उठाए हैं ।

राजौरी गार्डन में निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग के फ्लैटों के निर्माण के लिये दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहीत की गई भूमि

7864. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजौरी गार्डन, नई दिल्ली में निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग के फ्लैटों का निर्माण करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के किस दर पर भूमि अधिगृहीत की थी ;

(ख) भूमि के विकास पर दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कितनी राशि खर्च की थी; और

(ग) फ्लैटों के एलाटियों से उसकी क्या दर वसूल की गई थी ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) दिल्ली प्रशासन ने भूमि का अधिग्रहण कर लिया है तथा इसने इस अविकसित भूमि का मूल्य 7 रुपये प्रति वर्ग गज की दर से अस्थायी रूप से निर्धारित किया ।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण इस समय इस राशि को बताने की स्थिति में नहीं है क्योंकि दिल्ली नगर निगम ने कतिपय विकास लागतों का निर्धारण करना है ।

(ग) ग्रुप हाऊसिंग पाकेट के लिये 45 रुपये प्रति वर्ग गज की दर से वसूल किया गया ।

Visit of Foreign Cricket Team

†7865. **Shri Shankar Dayal Singh:** Will the **Minister of Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether any dates have been fixed for the visit of any foreign cricket team to India this year;

(b) whether Indian Cricket Team is also going abroad to play test matches this year;

(c) if so, the highlights of such terms; and

(d) whether some of the tours fixed previously have been cancelled and if so, the main reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri Arvind Netam): (a) to (c). According to information available in the Ministry of Education and Social Welfare no foreign Cricket team is scheduled to play test matches in India during 1975. An Indian Cricket team is scheduled to play in the World Cup Cricket Tournament in UK during June, 1975. There is also a proposal under consideration of the Board of Control for Cricket in India to send a Cricket team to Pakistan during 1975-76.

(d) No other proposal either for the visit of Indian Cricket team abroad or visit of a foreign Cricket team to India has been received in this Ministry from the Board of Control for Cricket in India.

राज्यों द्वारा चावल की वसूली

7866. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खरीफ वर्ष 1973–74 के लिए चावज की वसूली का लक्ष्य 41 लाख मीट्रिक टन से अधिक हो गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या मार्च, 1973 के अन्त तक 30 लाख मोट्रिक टन से अधिक चावल की वसूली की थी; जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 32 लाख टन की वसूली की गई थी ;

(ग) यदि हां, तो वे राज्य कौन कौन से हैं जिन्होंने चावल की वसूली के निर्धारित लक्ष्य से अधिक वसूली कर ली है और ऐसे राज्य कौन-कौन से हैं जिन्होंने चावल की वसूली के लक्ष्य से आधी वसूली भी नहीं की हैं ;

(घ) यदि हां, तो इन राज्यों द्वारा चावल की कम वसूली करने के क्या मुख्य कारण थे; और

(ङ) क्या तामिल नाडु राज्य में सूखे अकाल की स्थिति को देखते हुए और चावल की अच्छी वसूली होने के कारण वहां पर चावल की कमी को पूरा करने के लिए सप्लाई सुनिश्चित की जायेगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पो० शिन्दे) : (क) 41 लाख मीटरी टन चावल की अधिप्राप्ति का लक्ष्य खरीफ विपणनमौसम 1974–75 न कि 1973-74 मौसम के लिए निर्धारित किया गया है । 1973–74 मौसम के लिए अधिप्राप्ति लक्ष्य 50 लाख मीटरी टन था जिसके प्रति अनुमानतः 39 लाख मीटरी टन चावल अधिप्राप्त किया गया था । चालू खरीफ मौसम 1974–75 के दौरान अब तक अनुमानतः 32 लाख मीटरी टन चावल अधिप्राप्त किया गया है जबकि 41 लाख मीटरी टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था ।

(ख) मार्च, 1973 के अन्त तक हुई चावल की अधिप्राप्त विपणन मौसम 1972–73 से सम्बन्धित है जोकि 21.3 लाख मीटरी टन की गई थी जबकि मार्च, 1972 के अन्त तक 27.2 लाख मीटरी टन अधिप्राप्ति की गई थी । चालू खरीफ मौसम 1974–75 के दौरान, मार्च, 1975 के अन्त तक 30.3 लाख मीटरी टन की अधिप्राप्ति की गई थी जबकि पिछले वर्ष उसी अवधि के दौरान 32.6 लाख मीटरी टन की अधिप्राप्ति की गई थी ।

(ग) चालू खरीफ विपणन मौसम 1974–75 के दौरान जिन राज्यों ने अधिप्राप्ति लक्ष्य से अधिक अधिप्राप्ति की हैं वे बिहार और तमिलनाडु हैं, जबकि हरियाणा, जम्मू एवं काश्मीर और पंजाब राज्यों ने लगभग निर्धारित लक्ष्य तक अधिप्राप्ति कर ली है । कर्नाटक, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल राज्य अधिप्राप्ति लक्ष्य का आधा हिस्सा भी अधिप्राप्त नहीं कर सके थे ।

(घ) सूखे और बाढ़ों से फसलों के क्षतिग्रस्त होना ही प्रमुख कारण हैं जिससे कुछेक राज्यों में धीमी गति से अधिप्राप्ति हुई । इस क्षति के परिणामस्वरूप कम उत्पादन हुआ, सभी खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि हुई, सामान्यतः मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति पैदा हुई और आवश्यक वस्तुओं की कमी की मनोभावना पैदा हुई ।

(ङ) तमिलनाडु, जोकि चावल के बारे में सामान्यतया अधिशेष राज्य है, ने सूखे की स्थिति के कारण इस वर्ष केन्द्रीय पूल से अधिक मात्रा में चावल मांगा है । तथापि, केन्द्रीय पूल में चावल की सीमित उपलब्धता, चावल की खपत करने वाले अन्य अत्यधिक कमी वाले राज्यों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तमिलनाडु को अप्रैल, 1975 के लिए केन्द्रीय पूल से केवल 7,500 मीटरी टन चावल आवंटित किया जा सका था । मई मास के लिए 7,500 मीटरी टन और चावल आवंटित करने के लिए रखा गया है ।

तथापि, तमिलनाडु की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए गेहूं के कोटे को अक्तूबर और दिसम्बर, 1974 के 5,000 मीटरी टन प्रति मास से बढ़ाकर जनवरी के लिए 16,000 मीटरी टन, फरवरी के लिए 41,000 मीटरी टन, मार्च के लिए 51,000 मीटरी टन, अप्रैल के लिए 53,500 मीटरी टन और मई, 1975 के लिए 63,500 मीटरी टन कर दिया गया है । इसके अतिरिक्त, तमिलनाडु को रोलर आटा मिलों को सप्लाई करने के लिए प्रति मास 9,000 मीटरी टन गेहूं का भी आवंटन किया जा रहा है ।

वन विकास

7867. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन्** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार देश में वनों के विकास के लिये नये तरीकों पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय कृषि आयोग ने वनों पर अपनी रिपोर्ट में इस प्रयोजन के लिये नये तरीकों का सुझाव दिया है ;

(ग) क्या वर्ष 1974–75 में 424 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है ;

(घ) यदि हां, तो इन नये तरीकों को किस सीमा तक स्वीकार किया गया है ; और

(ङ) इस बारे में वर्ष 1975–76 में वनों के विकास के लिये किन नये तरीकों को अपनाये जाने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभु दास पटेल): (क) तथा (ख). राष्ट्रीय कृषि आयोग ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में वन निगमों की स्थापना करने, राज्यों में ईंधन की लकड़ी के वृक्ष लगाने के लिये सामाजिक वानिकी के कार्यक्रमों को प्रारम्भ करने और केन्द्र तथा राज्य में वानिकी संबंधी अनुसंधान को तीव्र करने के लिये वन अनुसंधान तथा शिक्षा परिषद् की स्थापना करने आदि नये क्रिया-कलापों के संबंध में सिफारिश की थी। भारत सरकार ने प्रायः आयोग की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं। विभिन्न राज्य सरकारों ने वन निगमों की स्थापना कर दी है या उनकी स्थापना का कार्य काफी प्रगति कर चुका है । उद्योगमुखी वृक्ष उगाने के लिये निगमों को संस्थागत धन मिलेगा और ये निगम सक्षम वनों का उपयोग करेंगे। ईंधन की लकड़ी को उगाने के लिये पांचवीं योजना में (1) बेकार, भूमि आदि पर मिश्रित किस्म के पेड़ लगाने और (2) काटे गये वनों में फिर से वन-रोपण करने तथा सामाजिक वानिकी के विकास के लिये क्रमशः 700 लाख रुपये तथा 900 लाख रुपये की लागत की दो केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं शामिल की गई हैं।

वन अनुसंधान तथा शिक्षा संबंधी योजना के अन्तर्गत देश के विभिन्न अनुसंधान केन्द्र स्थापित किये जायेंगे। वन अनुसंधान को बढ़ाने के लिये केवल केन्द्रीय क्षेत्र में पांचवीं योजना का परिव्यय 10.50 करोड़ रुपये है, जबकि चौथी योजना की अवधि के दौरान 1.35 करोड़ रुपये का परिव्यय था।

(ग) तथा (घ). वर्ष 1974–75 के लिये 424 करोड़ रुपये की धनराशि का आवंटन नहीं किया गया है । पांचवीं योजना की अवधि के दौरान वानिकी के विकास के लिये कुल 222.30 करोड़ रुपये की धनराशि का आवंटन किया गया है । इसका ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है :—

(रुपये करोड़ों में)

1.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की वानिकी योजनाएं . .	173.00
2.	केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं . . .	16.00
3.	केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं . . .	33.30
		222.30

222.30 करोड़ रुपये की धनराशि में से वर्ष 1974–75 के लिये 26.81 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था।

(ङ) जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, वन निगमों, सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों और वन अनुसंधान को मज़बूत बनाने के नये क्रिया-कलाप वर्ष 1975–76 के दौरान प्रारम्भ किये जायेंगे। वर्ष 1975–76 के लिये राज्य, केन्द्रीय प्रायोजित और केन्द्रीय योजनाओं के लिये अनन्तिम रूप से 30 करोड़ रुपये की धनराशि का आवंटन किया गया है।

लेवी चीनी का वितरण

7868. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लेवी चीनी के वितरण की मात्रा काफी कम कर दी गई है; और

(ख) वर्ष 1972–73, वर्ष 1973–74 और वर्ष 1974–75 में उपभोक्ताओं को बेची गई लेवी चीनी की मात्रा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) 1973–74 के दौरान चीनी का अपर्याप्त उत्पादन होने और अधिक से अधिक निर्यात करने की तात्कालिक आवश्यकता के कारण लेवी चीनी का मासिक आवंटन जून, 1974 के 2.0 लाख मीटरी टन से घटाकर 1.90 लाख मीटरी टन और इसके बाद 1.80 लाख मीटरी टन कर दिया गया था। तथापि, मई, 1975 के लिए यह आवंटन 2.00 लाख मीटरी टन है।

(ख) केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को लेवी चीनी के मासिक कोटों का आवंटन करती है जोकि अपने-अपने राज्य में उपभोक्ताओं में वितरण करने के प्रबन्ध करती है। चीनी वर्ष (अक्तूबर से सितम्बर) 1972–73, 1973–74 और 1974–75 (मई, 1975 तक और मई समेत) राज्यों को आवंटित लेवी चीनी की मात्रा इस प्रकार है :–

(लाख मीटरी टन में)

वर्ष	मात्रा
1972–73	23.27
1973–74 . . .	23.20
1974–75 (8 मास के लिए मई, 1975 समेत और उस तक)	14.60

सिंचाई परियोजनाओं के लिए आवंटित की धनराशि

7869. **श्री समर गुह :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1972–75 के वर्षों के लिए बड़ी, मध्यम और छोटे दर्जे की सिंचाई परियोजनाओं का, राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई ह; और

(ग) इन परियोजनाओं को प्राथमिकता देने के पीछे आधार क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री केदार नाथ सिंह): (क) सिंचाई राज्य विषय है और राज्यों द्वारा प्रस्तावित केवल बड़ी/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को ही योजना आयोग का स्वीकृति हेतु केन्द्रीय सरकार को भेजा जाना अपेक्षित होता है। 1972–73, 1973–74 और 1974–75 के तीन वर्षों में से प्रत्येक के दौरान चालू और नई स्कीमों का राज्य वार विवरण संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०–9551/75**]

लघु सिंचाई कार्यों के अन्तर्गत सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में कुओं, उथले-गहरे नलकूपों, तालों और छोटे व्यपवर्तन कार्यों का निर्माण करना शामिल है। चूंकि इनकी संख्या बहुत अधिक है इनके ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) 1972–75 के वर्षों के लिए (सरकारी क्षेत्र) में बड़ी, मध्यम और लघु स्कीमों के लिए परिव्यय लगभग 1586 करोड़ रुपये का था।

(ग) सिंचाई सुविधाओं के विकास में दोनों बृहत्/मध्यम और लघु सिंचाई स्कीमों का योगदान अनुपूरक रूप में होता है। इन स्कीमों को तकनीकी तथ्यों, जैसे जल की उपलब्धता, उपयुक्त स्थलों, कमान क्षेत्र की उपलब्धता, धनराशि की उपलब्धता, विशिष्ट क्षेत्र में सिंचाई की आवश्यकता आदि पर गहराई से विचार करके तैयार किया जाता है।

इंजीनियरिंग और मेडिकल कालेजों तथा अन्य संस्थाओं में नये छात्रों को परेशान करना (रैगिंग)

7870. **श्री समर गुह :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नये प्रवेश पाने वाले छात्रों को भद्दी किस्म की रैगिंग से बचाने के लिये इंजीनियरिंग तथा मैडिकल कालेजों तथा अन्य संस्थाओं को अनुदेश दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या संस्थाओं के अध्यक्षों को नये प्रवेश पाने वाले छात्रों के लिये पृथक् छात्रावासों की व्यवस्था करने को कहा जायेगा जैसा कि प्रधान मंत्री ने उन मिलने वाले प्रतिनिधिमण्डल को सलाह दी थी; और

(घ) नये प्रवेश पाने वाले छात्रों के संरक्षण के लिये क्या अन्य कार्यवाही करने का सुझाव दिया गया ह अथवा दिया जायेगा ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन): (क) से (घ). प्रधान मंत्री नये छात्रों के रैगिंग की घटनाओं के प्रति चिन्तित हैं और उन्होंने इस अवांछनीय व्यवहार को रोकने के लिए उपाय ढूंढ निकालने के लिये उपयुक्त प्राधिकारियों से कह दिया है। प्रत्येक संस्था के अधिकारी इस प्रकार के अभद्र व्यवहार अथवा शारीरिक चोट पहुंचाने वाले रैगिंग को रोकने के लिए उपाय काम में लाते हैं, जिन्हें वे उचित समझते हैं तथा केन्द्रीय और राज्य सरकारें इन प्राधिकारियों को समय-समय पर यथा अपेक्षित सहायता देते हैं।

बड़े शहरों में गंदी बस्ती तथा पटरियों में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या

7871. **श्री समर गुहः** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बड़े शहरों में गंदी बस्तियों और गंदी बस्तियों में रहने वाले व्यक्तियों की, राज्यवार, संख्या क्या है; और

(ख) इन शहरों में पटरी पर रहने वाले व्यक्तियों के नवीनतम आंकड़े क्या हैं?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) बड़े शहरों में गन्दी बस्तियों और गन्दी बस्तियों में रहने वाले व्यक्तियों की राज्यवार संख्या मालूम नहीं है। जहां तक दिल्ली संघ राज्य का संबंध है गन्दी बस्ती क्षेत्र (सुधार तथा सफाई) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन 5408 एकड़ भूमि गन्दी बस्ती अधिसूचित की गई है। अधिसूचित गन्दी बस्तियों में रह रही जनसंख्या का अनुमान 13.2 लाख है।

(ख) बड़े नगरों में पटरियों पर रहने वालों की संख्या निम्नलिखित है :—

दिल्ली .	7,000 लगभग
बम्बई . . .	59,000
कलकत्ता	49,000
मद्रास	9,000

राजकीय प्रौढ़ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बदरपुर, दिल्ली के अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों द्वारा अभ्यावेदन

7872. **श्री छत्रपति अम्बेश** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री राजकीय प्रौढ़ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बदरपुर, दिल्ली के अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों द्वारा अभ्यावेदन के बारे में 18 नवम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 982 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच सूचना एकत्र कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, हां।

(ख) राजकीय प्रौढ़ उच्चतर माध्यमिक स्कूल, बदरपुर, दिल्ली के छात्रों तथा उक्त स्कूल के प्रभारी मुख्याध्यापक द्वारा की गई शिकायत पर प्राथमिक पूछताछ के आधार पर, सम्बन्धित अध्यापक के विरुद्ध दिल्ली प्रशासन ने विभागीय कार्यवाही आरम्भ की है। पूछताछ अभी प्रगति में है। इसी बीच में सम्बन्धित अध्यापक का उस स्कूल से स्थानान्तरण कर दिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Theft in the Government Higher Secondary Co-educational School, Badarpur

†7873. **Shri Chhatrapati Ambesh:** Will the **Minister of Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether one television set and 20 ceiling fans have been stolen from the Government Higher Secondary Co-educational School, Badarpur, New Delhi during the last two months;

(b) if so, the action taken in the matter; and

(c) if no action has been taken, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav): (a) According to the information furnished by Delhi Administration fourteen fans were stolen during the last two months. In addition, two fans and one TV Set were also stolen earlier from this school.

(b) The Principal of the School has lodged report with the Police who are investigating the case. The P.W.D. has been requested to undertake repair works of the doors and windows and also to get a boundary wall constructed. The chowkidar of the school has also since been transferred.

(c) Does not arise.

दिल्ली बाढ़ नियंत्रण विभाग के कर्मचारियों के संशोधित वेतनमान

7874. **श्री फूलचन्द वर्मा :** क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरे वेतन आयोग के अनुसार कार्य प्रभारित (वर्कचार्ज) कर्मचारियों को छोड़ कर दिल्ली बाढ़ नियन्त्रण विभाग के प्रायः सभी वर्गों के लिए वेतनमानों का संशोधन कर दिया गया है; और

(ख) इस बारे में पूरे तथ्य क्या हैं और कार्य प्रभारित (वर्कचार्ज) कर्मचारियों को भी संशोधित वेतनमान सम्बन्धी सुविधाएं कब तक प्रदान की जायेंगी और किस प्रकार ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदारनाथ सिंह) : (क) और (ख). दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि श्रेणी-तीन और श्रेणी-चार के नियमित कर्मचारियों के सम्बन्ध में तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशें पहले ही लागू की जा चुकी हैं। निम्नलिखित वर्गों के अलावा जिनके

संशोधित वेतनमानों के सम्बन्ध में भारत सरकार से पत्र-व्यवहार किया जा रहा है, वर्कचार्ज कर्मचारियों के संशोधित वेतनमानों को 29 मार्च, 1975 को अधिसूचित किया जा चुका है:—

1. फोरमैन—ग्रेड दो
2. ड्रिलर इंचार्ज
3. प्रचालक—ग्रेड–एक
4. मैकेनिक ग्रेड—चार
5. बिजली मिस्त्री ग्रेड—दो
6. प्रचालक ग्रेड—चार
7. बिजली मिस्त्री—ग्रेड—तीन
8. टर्नर ग्रेड—तीन
9. लौहार ग्रेड—तीन
10. वेल्डर ग्रेड—तीन
11. फीटर ग्रेड—तीन
12. लौहार ग्रेड—चार/हथोड़िया
13. वैल्डर ग्रेड—चार
14. डीज़ल मैकेनिक/फीटर
15. टाइम मुकरम

वर्कचार्ज कर्मचारियों के पहले से अधिसूचित वेतनमानों को लागू किया जा रहा है।

श्रेणी—एक और श्रेणी—दो पदों (इंजीनियरों) के सम्बन्ध में वेतनमानों को अभी तक संशोधित नहीं किया गया है और इस मामले पर दिल्ली प्रशासन तथा गृह मन्त्रालय के बीच पत्र व्यवहार किया जा रहा है।

विवेकानन्दपुरी, दिल्ली का विकास

7875. **श्री आर० वी० बड़े :** क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली स्थित सराय रोहिल्ला क्षेत्र की सहकारी समितियों ने विवेकानन्दपुरी के विकास के लिये दिल्ली नगर निगम के पास 13 लाख रुपये की राशि जमा कराई थी;

(ख) इस राशि में कितनी राशि खर्च की गई है और कितनी राशि निगम के पास शेष है;

(ग) क्या विवेकानन्दपुरी का स्थायी रूप से विद्युतीकरण करने के लिये दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान के पास 80,000 रुपये की राशि जमा कराई गई थी और बिजली लगाने सम्बन्धी यह कार्य अभी शुरू होना है;

(घ) क्या विद्युतीकरण सम्बन्धी कार्य पूरा करने के लिये 80,000 रुपये की एक अन्य किस्त दी जानी है और क्या सरकार भाग (ख) में उल्लिखित निगम के पास पड़ी हुई सहकारी समितियों द्वारा जमा बड़ी राशि में से इस किस्त के भुगतान करने पर विचार करेगी; और

(ङ) इस बारे में पूरे तथ्य क्या हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ङ) तक सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

लाख का मूल्य

7876. श्री मुख्तियार सिंह मलिक : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छड़ लाख की कीमतों में गत चार या पांच महीनों में तेजी से गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इसकी कीमत में गिरावट के परिणामस्वरूप देश के लाख के उत्पादक, जो अधिकतर जनजाति लोग हैं, बहुत कठिनाई का सामना कर रहे हैं और लाख का उत्पादन अलाभप्रद काम हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार छड़ लाख की कीमत को लाभप्रद स्तर पर स्थिर करने के लिये उपयुक्त उपाय करने का है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी हां ।

(ख) 1974–75 के दौरान अधिक उत्पादन होने और वैसाखी फसल, जो कि शीघ्र ही होने वाली है, अच्छी होने की आशा से देश में लाख के भावों में गिरावट आई है । वर्तमान उत्पादन के परिमाण के अनुपात में लाख की निर्यात की मांग में वृद्धि नहीं हुई है ।

(ग) जी हां ।

(घ) इस प्रश्न पर वाणिज्य तथा कृषि मन्त्रालयों के बीच परस्पर विचार-विमर्श हो रहा है । वाणिज्य मंत्रालय ने अपनी लाख विषयक स्थायी समिति को इस पर विचार करने के लिए कहा है । इसकी सिफारिशें शीघ्र ही प्राप्त होने की आशा है ।

उपकुलपतियों की बैठक

7877. श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में हाल ही में हुई उपकुलपतियों की बैठक में यह बताया गया है कि विश्वविद्यालय अध्यापकों का कार्यभार अपर्याप्त है और कुछ भागों में ये भार विश्व में न्यूनतम है ;

(ख) क्या बैठक में विश्वविद्यालयों में व्याप्त छात्र अशान्ति में विश्वविद्यालय अध्यापकों के वेतनमान के बारे में भी विचार व्यक्त किए गए थे; और

(ग) यदि हां, तो क्या विचार व्यक्त किए गए थे और सरकार का उस मामले में क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (डाक और तार) 1973–74 के विनियोग लेखे—डाक और तार तथा सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचना

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणबकुमार मुखर्जी) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अन्तर्गत भारत के नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक के वर्ष 1973–74 के प्रतिवेदन संघ सरकार (डाक और तार) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति । [ग्रन्थालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०—9525/75]

(2) वर्ष 1973–74 के विनियोग लेखे, डाक और तार (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति । [ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी०—9526/75]

(3) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सां० आ० 935 जो दिनांक 29 मार्च, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सां० आ० 936 जो दिनांक 29 मार्च, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन । [ग्रन्थालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०—9527/75]

भारतीय संग्रहालय न्यासधारी बोर्ड और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का वार्षिक प्रतिवेदन

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (क) निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) की एक एक प्रति :—

(एक) भारतीय संग्रहालय न्यासधारी बोर्ड, कलकत्ता का वर्ष 1968–69 का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(दो) भारतीय संग्रहालय न्यासधारी बोर्ड, कलकत्ता का वर्ष, 1969–70 का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(2) उपर्युक्त प्रतिवेदनों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । [ग्रन्थालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०—9528/75)

(3) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के वर्ष 1973–74 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति । [ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—9529/75]

राज्य सभा से सन्देश
MESSAGES FROM RAJYA SABHA

महासचिव : महोदय, मैं राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित सन्देशों की सूचना देता हूं :—

(एक) कि राज्य सभा ने 26 अप्रैल, 1975 की अपनी बैठक में एक प्रस्ताव स्वीकार किया है जिसके द्वारा खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन) विधेयक, 1974 सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने की अवधि राज्य सभा के 93वें सत्र के प्रथम दिन तक और बढ़ायी गयी है ।

(दो) कि राज्य सभा ने 26 अप्रैल, 1975 की अपनी बैठक में भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबन्धों के अनुसार संविधान (38वां संशोधन) विधेयक 1975 जो लोक सभा द्वारा 23 अप्रैल, 1975 को पास किया गया था, बिना किसी संशोधन के पास कर दिया है ।

(तीन) कि राज्य सभा ने 26 अप्रैल, 1975 की अपनी बैठक में भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबन्धों के अनुसार संविधान (37वां संशोधन) विधेयक 1975 जो लोक सभा द्वारा 23 अप्रैल, 1975 को पास किया गया था, बिना किसी संशोधन के पास कर दिया है ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

पंजाब सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम को राज्य की अनाज मंडियों से गेहूं खरीदने की अनुमति न दिये जाने का समाचार

श्री हरी सिंह (खुर्जा) : मैं कृषि और सिंचाई मन्त्री का निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाता हूं और उनसे इस पर एक वक्तव्य देने का अनुरोध करता हूं :—

"9 करोड़ रुपये के बिक्री कर के भुगतान के न लिये जाने के कारण पंजाब सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम को राज्य की अनाज मण्डियों से गेहूं खरीदने की अनुमति न दिये जाने का समाचार ।"

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : समाचार पत्रों में कुछ रिपोर्टें प्रकाशित हुई हैं कि पंजाब की राज्य सरकार ने दावा किया है कि भारतीय खाद्य निगम

[अण्णा साहिब पी० शिन्दे]

ने उनको बिक्री कर के बकायों का भुगतान करना है और जब तक भारतीय खाद्य निगम उनका निपटारा नहीं करता है, तब तक निगम को चालू विपणन मौसम के दौरान पंजाब में गेहूं की अभिप्राप्ति का कोई हिस्सा नहीं दिया जाएगा। तथापि, इस सम्बन्ध में पंजाब सरकार से कोई सरकारी पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। चालू मौसम (1975–76) के दौरान पंजाब में गेहूं की अधिप्राप्ति के बारे में भारतीय खाद्य निगम को जो काम सौंपा जाना है उसका निर्णय उपर्युक्त सरकार द्वारा अभी किया जाना है। जिस बिक्री कर का उल्लेख किया गया है उसका भुगतान किया जाना है अथवा नहीं, इस प्रश्न से सम्बन्धित रिट याचिका पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में लम्बित है और यह मामला न्यायाधीन है।

Shri Hari Singh: Sir, Corruption is rampant in Food Corporation of India at a large scale. Various kinds of complaints in regard to bongling going on in this corporation are being received. The minister seems to have no grip over it as I brought number of cases to his notice and he used to say that F. C. I. was an autonomous body and so he was helpless and could not do anything.

The Food Corporation of India was constructing godowns in my district and the land they chose was not suitable and also costly. We interrupted in the matter and helped them to get a suitable land, and the deal which was finalised was also cheap and the govt. this saved in this deal Rs. 8 lakhs.

I will stress again that F. C. I. has become a den of corruption and its employees have amassed wealth to the tune of lakhs of rupees through corruption.

The Food Minister of Punjab has made complaints many a time about this corporation. The Govt. there was not in favour that F. C. I should take the work of procurement. The Central Govt. should decide and solve the grievances of that Govt.

My suggestion is that this corporation should be wounded up. It is not taking any interest in the foodgrains of the country. I want to know from Government the steps being taken to bring efficiency in this department.

श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे : मैं यह कहना चाहता हूं कि इससे अनाज की वसूली में कोई अन्तर नहीं आयेगा क्योंकि राज्य सरकार की वसूली की अपनी एजेन्सी है और उन्हों ने पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न एकत्रित कर लिया है। पंजाब सरकार ने अपना सिविल सप्लाई निगम निर्मित कर लिया है और वह इसके माध्यम से वसूली करना चाहते हैं। खाद्य निगम भी पर्याप्त मात्रा में अनाज की वसूली करना चाहता है अतः हम पंजाब राज्य सरकार से इस सम्बन्ध में बातचीत कर रहे हैं।

चावल खरीद पर बिक्री कर देना बकाया है। यह मामला न्यायालय में चल रहा है। यह मामला विवाद का विषय बना हुआ है। भारतीय खाद्य निगम भी एक कानूनी इकाई है और इसे कानूनी सलाह के अनुसार चलना होता है।

चूंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है इसलिये मैं कोई अपनी राय नहीं दूंगा। हम इस मामले को पंजाब और हरियाणा सरकार से निबटाना चाहते हैं। इस मामले का निर्णय आने वाला है अतः अभी से इस सम्बन्ध में कुछ निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं होगा।

माननीय सदस्य ने निगम के बारे में और भी बातें उठाई हैं जैसे बिहार में गोदानों की बात। हमें स्थिति का पता है। किन्तु इस पर अलग से चर्चा की जा सकती है।

श्री प्रबोध चन्द्र (गुरदासपुर) : माननीय मन्त्री ने मामले को न्यायालय में निर्णयाधीन कह कर टालने का प्रयत्न किया है। पंजाब सरकार उन्हें कहती रही है न्यायालय में मामले को न लेजाया

जाये और भारत सरकार कोई समझौता कर ले। उन्होंने कहा है कि मामला विवाद का विषय है। मैं यह जानना चाहता हूं कि स्थिति क्या है ? क्या निगम पंजाब से गेहूं खरीद सकता है अथवा नहीं।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मैं मामले को टालने का प्रयास नहीं किया है मैं ने यह कहा है कि यह कानूनी विवाद है और मामला न्यायालय में है अतः भारत सरकार कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकती। यह कहना भी गलत है कि हमने मामला सुलझाने का कोई प्रयास नहीं किया। श्री जगजीवन राम ने पंजाब के खाद्य मन्त्री के साथ इस मामले के बारे में बातचीत की है मैंने भी उनके साथ तथा हरियाणा के मुख्य मन्त्री के साथ इस मामले पर चर्चा की है, दोनों राज्य चाहते हैं कि मामले में समझोता हो जाये। न्यायालय का निर्णय आने के बाद सरकार इसे सुलझाने का प्रयत्न करेगी।

Shri Ram Sahai Pandey (Rajnandgaon): Mr. Speaker, Sir, in the minister's statement, it is said that the Food Corporation of India has not been given orders for the procurement of wheat for 1975-76. Secondly the question whether Food Corporation will pay Sales Tax to Punjab Govt. or not is also undecided, the case is pending in the court. It is a very important question. We have great hopes from Punjab. Punjab is that state which is called the california of India—the granary of the country. It is the only state which feeds the millions of the country in time of crisis. It is the state which fights with guns whenever the sovereignty of the country is threatened.

Shri Darbara Singh (Hoshiarpur): But when the question of setting up of a big inlustry arises, it is not allottel to that State.

SHRI RAM SAHAI PANDAY: If it is so, I sympathise with the honourable member. But Punjab has made progress in the field of agriculture though it is not industrially developed.

The Food Corporation of India is proving a white elephant 15 per cent of the foodgrains procured from Punjab and Haryana is wasted. Moreover, much corruption is rampant in this corporation.

The Punjab Government have given the figures of wheat procurement. The hon'ble Minister has stated that the Food Corporation of India has not been given orders for wheat procurement and they have not yet formulated any policy in this regard. Does it mean that wheat is not being procured there. He says that the matter is sub-judice, what is meant by it? If the Food Corporation of India has to pay any money, it should be immediately paid. If it has not to pay, it should tell to the Punjab Government. The management of the Corporation is not in order. Whenever, the wheat arrives at ports from abroad, it gets destroyed in fire and it gets rotten there. Sometimes the wheat is stolen or the rate eat away. The country is facing shortage of foodgrains but the wheat produced by Punjab gets rotten. This is the management of F.C.I. Instead of praising the farmers who toils to produce wheat, we create difficulties for them.

It seems that Government want to confuse the issue while they say that they have not yet given orders to F.C.I. for procurement. There seems to be some bungling in it. The honourable Minister should explain.

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : अध्यक्ष महोदय, आप भी पंजाब से सम्बन्धित हैं और मन्त्रालय पंजाब के उत्पादन के बारे में यह जानता है और मैंने भी अपने भाषण में पंजाब और हरियाणा के किसानों के योगदान की प्रशंसा की है। पंजाब के किसानों के हितों की रक्षा होनी चाहिये इसमें दो राय नहीं हो सकती। खाद्य निगम मण्डियों में कार्य के लिये तैयार है। इस कारण से वसूली में कोई हानि नहीं

[श्री अण्णा साहिब सी० शिन्दे]

होगी। खाद्य निगम वसूली के प्रयासों में सहायक है। 14.50 करोड़ रुपये बिक्री कर की राशि पर विवाद है। पंजाब के मुख्य मन्त्री भी इस मामले को निपटाने के इच्छुक हैं। भारत सरकार और पंजाब सरकार दोनों ही इस मामले को निपटाने के इच्छुक हैं। यह मामला तकनीकी और कानूनी बातों के आधार पर उठाया गया है। मैंने पहले भी कहा है कि वह न्यायालय के निर्णय के बाद भी इस मामले पर समझौता करने के इच्छुक हैं। खाद्य निगम में भी कमजोरियां हो सकती हैं किन्तु देश में इस सम्बन्ध में इस प्रकार की धारणा नहीं बनानी चाहिये यह निगम बिल्कुल बेकार है। जो बातें तथ्यों पर आधारित नहो उन्हें नहीं कहा जाना चाहिये।

लोक लेखा समिति
PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

141वां, 150वां, 153वां, तथा 166वां प्रतिवेदन

श्री ज्योतिर्मय बसु : (डायमण्ड हार्बर) : महोदय मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन पेश करता हूं :—

(1) आयकर के सम्बन्ध में भारत के नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक के वर्ष 1971–72 के प्रतिवेदन, संघ सरकार (सिविल), राजस्व प्राप्तियां, खण्ड 2, प्रत्यक्ष कर के अध्याय 3 पर समिति के 119वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 141वां प्रतिवेदन।

(2) लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल), राजस्व प्राप्तियां, 1970 के अध्याय 4 तथा आयकर के सम्बन्ध में भारत के नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक के वर्ष 1969–70 के प्रतिवेदन, केन्द्रीय सरकार (सिविल), राजस्व प्राप्तियों पर समिति के 51वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 150वां प्रतिवेदन।

(3) निगम कर के सम्बन्ध में भारत के नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक के वर्ष 1971–72 के प्रतिवेदन, संघ सरकार (सिविल), के राजस्व प्राप्तियां, खण्ड 2, प्रत्यक्ष कर के अध्याय 2 पर समिति के 128वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 153वां प्रतिवेदन।

(4) पुर्तगाल के साथ व्यापार पर प्रतिबन्ध और बी०ओ०ए०सी० सोने की तस्करी सम्बन्धी मामले पर 166वां प्रतिवेदन।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

66वां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

श्री नवल किशोर शर्मा (दौसा) : मैं सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का निम्नलिखित प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं :—

(एक) राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड पर 66वां प्रतिवेदन।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन के सम्बन्ध में समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश।

नियम 377 के अधीन मामले

दिल्ली महानगर परिषद् की कार्यकारी परिषद् से श्री मांगे राम के त्यागपत्र से उत्पन्न राजनीतिक और संवैधानिक प्रश्न

Shri Madhu Limaye (Banka): Shri Mange Ram, a member of the Executive Council of Delhi who has recently resigned has raised several constitutional and political questions. In his resignation I want that the Home Minister should clarify the position. The ultimate responsibility of the administration of Delhi is that of the Centre and of this Parliament. When the Delhi Administration Bill was passed in 1966, the powers and the functions of Lt. Governor and the Executive Council had been specifically laid down therein. According to that scheme except the law and order and the N.D.M.C, which has been entrusted to the Administrator, all other powers has been given to the Executive Council. In case of any difference of opinion, between the Administrator and the Executive Council, the matter is to be referred to the President *i.e.*, the Central Government.

Now, what has happened? Shri Mange Ram has raised four points in the statement, namely

(1) श्री मांगे राम की राय के विरुद्ध एक निजी फर्म को शराब की सप्लाई का ठेका दिया गया है। (2) श्री मांगे राम की राय के विरुद्ध एवं जनता के विरोध के बावजूद शहादरा में मस्जिद के पास सिनेमा हाल की स्वीकृति देने के मामले में उप-राज्यपाल का बीच में हस्तक्षेप। (3) कार्यकारी पार्षद द्वारा निश्चित की गई शर्तों की सर्वथा अवहेलना करके 35 लाख रुपये की राशि दिल्ली लघु उद्योग निगम को स्थानान्तरित करना और ऐसा इस तथ्य के बावजूद किया गया जबकि रोजगार योजना के लिये रखे गये 2 करोड़ रुपये इस्पात खरीदने के लिये दे दिये गये और वह राशि फंसी पड़ी है और तथा उससे हानि होने की सम्भावना है और (4) उप-राज्यपाल ने सिल्क व्यापारियों द्वारा ग्राहकों से लिये गये बिक्री कर को वसूल करने के मामले में अत्यधिक हस्तक्षेप किया। बिक्री कर की यह राशि 5 करोड़ रुपये से अधिक है। परन्तु उप राज्यपाल ने हस्तक्षेप करके व्यापारियों को इससे बरी कर दिया। मेरी सूचना के अनुसार ऐसा इसलिये किया गया क्यों कि व्यापारियों ने सत्ताधारी दल को 50 लाख रुपये देने का वायदा किया है। श्री मांगे राम ने इस पर भी आपत्ति की है।

श्री मांगे राम ने दिल्ली नगर निगम में दलबदली के गोलमाल और फिर उसे समाप्त करने के ऊपर भी आपत्ति उठाई है।

ऊपर उठाये गये चारों मामले पूरी तरह से कार्यकारी परिषद के अधीन है। यदि उप-राज्यपाल ने उनमें हस्तक्षेप किया है तो यह एक ऐसी बात है जिसे सहन नहीं किया जा सकता है। इसकी जांच की जानी चाहिये। गृह मन्त्री इसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें। इस बीच राज्यपाल को हटा दिया जाना चाहिये।

मद्रास और मदुरै नगरों में पीने के पानी की कमी

SHORTAGE OF DRINKING WATER IN MADRAS AND MADURAI CITIES

श्री आर० वी० स्वामीनाथन् (मदुरई) : मैं मद्रास और मदुरई में पीने के पानी की अत्यधिक कमी के कारण उत्पन्न हुई स्थिति के महत्वपूर्ण मामले को उठाना चाहता हूं। मद्रास में स्थिति स्थानीय सरकार और निगम अधिकारियों की शक्ति के बाहर है। बहुत से लोगों को लगातार तीन चार दिन तक पानी नहीं मिलता है। भारत सरकार इस स्थिति को तुरन्त और गम्भीरता से हल करे और राज्य सरकार से उस सम्बन्ध में रिपोर्ट मांगे।

उत्तर प्रदेश के एक छात्र को पांडिचेरी में हुई एक शैक्षणिक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर प्रोत्साहन देने की आवश्यकता

NEED FOR ENCOURAGING A STUDENT FROM U. P. WHO TOPPED IN AN ACADEMIC TEST IN PONDICHERRY

SHRI SWAMI BRAHMANANDJI (Hamirpur): Sir, there is a student named Chhaki Lal Indivar Yadav, He belongs to Uttar Pradesh and to my constituency. He has stood first in matric, Inter and some other examinations in whole of Uttar Pradesh. He also topped in an academic test in Pondicherry. He is very intellingent. He should be honoured by Government. Students like him are honoured in other countries. He belongs to a very poor family. Kabir and Guru Nanak Dev were also born in poor families but they became great persons. Likewise this boy can also be a great man.

MR. SPEAKER: What is the question which arises out of it.

अनुदानों की मांगें, 1975–76—जारी

DEMANDS FOR GRANTS, 1975-76—Contd.

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

अध्यक्ष महोदय : सभा अब उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय की मांग संख्या 58 से 61 चर्चा और मतदान के लिये लेती है : –

जो माननीय सदस्य कटौती प्रस्ताव देना चाहते हैं वह टेबिल आफिस में 15 मिनट में इन्हें भिजवा दें। उन्हें सभा में प्रस्तुत किया गया माना जायेगा। उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय की वर्ष 1975-76 की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गई :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
		राजस्व	पूंजी
		रु०	रु०
58.	उद्योग और नागरिक आपूर्ति मन्त्रालय	50,40,000	—
59.	उद्योग	2,04,02,000	31,25,58,000
60.	ग्राम और लघु उद्योग	4,66,80,000	6,21,94,000
61.	नागरिक पूर्ति और सहकारिता	88,27,000	4,46,12,000

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सिरमपुर) : अगर श्री पाई यहां होते तो मुझे प्रसन्नता होती : . . .

श्री श्यामनन्दन मिश्र : बजट पर चर्चा के दौरान भी मन्त्री उपस्थित नहीं रहते । मंत्री के लिये सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि वे बजट चर्चा के समय सभा में उपस्थित रहें ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : मंत्रालय ने ज इतना मोटा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है उसमें परम्परा के तौर पर बहुत ही उत्साहवर्धक स्थिति दिखाई है । पर उत्पादन में केवल 3 प्रतिशत की वास्तविक प्रगति हुई है । उत्पादन दर इतनी कम रहने पर भी बड़े उद्योगपतियों को कोई हानि नहीं हुई । उन्होंने तो उतना ही व्यय अर्जित कर लिया जितना कि उत्पादन में वृद्धि होने से उन्हे लाभ होता । यह सब कुछ सरकार द्वारा अपनाई जा रही पूंजीवादी नीति के कारण ही हो रहा है ।

गैर-सरकारी क्षेत्र में निश्चित परिसम्पत्तियां 13 वष में बढ़कर चौगनी हो गई हैं । 1960–61 और 1973–74 के बीच में 3,600 करोड़ रुपये से बढ़ कर 15,000 करोड़ रुपये की हो गई है । इसका अधिकांश भाग बड़े व्यापारियों के हाथों में गया है । फलतः उत्पादन के साधन कुछ ही हाथों में संक्रेन्द्रित हो गये हैं इससे देश में भयंकर अभाव व बेरोजगारी की स्थिति पैदा हो गई है ।

लाइसेंस देने के सम्बन्ध में सरकार अपने औद्योगिक नीति संकल्प से हट गई है । उद्योगों में अनिश्चितता दूर करने के नाम पर उसने फरवरी 1977 में नई लाइसेंस नीति की घोषशा की थी । बड़े उद्योग समूहों, एकाधिकारियों और उनकी सहायक तथा विदेशी कम्पनियों को सब प्रकार की रियायत दी गई है । एकाधिकार प्राप्त कम्पनियों को पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने तथा और अधिक निर्यात करने की शर्त पर गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में भी उत्पादन शरू करने के लिये लाइसेंस दिये गये । इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि भारत में एकाधिकारी गृह इन वर्षो में सम्पन्न होते रहे हैं । फलतः स्थापित क्षमता और प्रयुक्त क्षमता में बहुत बड़ा अन्तर आ गया है । केवल 50 से 70 प्रतिशत क्षमता का उपयोग किया जा रहा है ।

बेरोजगारी की समस्या सारे देश में व्याप्त है । उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार में सबसे अधिक बेरोजगारी फैली है । कारखानों में या तो पारियां बन्द कर दी गई हैं या मशीनें काम नहीं कर रही हैं । कुछ कर्मकारों की छंटनी कर दी गई हैं तथा भारी संख्या में कर्मकारों को जबरी छुट्टी दे दी गई है । अनेक मामलों में उन्हें कानूनी तौर पर देय मुआवजा नहीं दिया जा रहा है । इस संकट को हम अस्थायी नहीं कह सकते । यह दिन पर दिन बढ़ता जायेगा । सरकार को अपन इस नीति में तुरन्त परिवर्तन करना चाहिए ।

निर्यात के नाम पर ये बड़े-बड़े व्यापार गृह हमारी वित्तीय संस्थाओं को चूस रहे हैं । जीवन बीमा निगम, बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं की 70 प्रतिशत पूंजी सहायता या ऋण के रूप में इनके पास चली जाती है । इनको जो मुनाफा होता है ये उसे उद्योगों में नहीं लगाते हैं परिणाम-स्वरूप कई मशीनें 3–4 वर्ष में ही बेकार हो जाती हैं । जे० के० रेयान फैक्टरी की स्थापना 1958 में हुई थी तथा 1960 में उसने उत्पादन आरम्भ किया । अब वे कहते हैं कि हम फैक्टरी नहीं चला सकते क्योंकि इस की मशीनें बदलनी पड़ेंगी । यह फैक्टरी पिछले दो महीनों से बन्द पड़ी है । उनको इसे खोलने के लिये कहा गया तो वे कहते हैं कि हमारे पास धन नहीं है । यह बात केन्द्रीय और राज्य सरकारों के ध्यान में लाई गई पर उन्होंने कुछ भी नहीं किया है ।

[श्री दीनेन भट्टाचार्य]

पटसन उद्योग की स्थिति बड़ी चिन्ताजनक है । माल इकट्ठा होता जा रहा है । 4–5 मिलें शीघ्र ही बन्द होने वाली हैं । क्या सरकार ने इस बारे में जानकारी प्राप्त की है ? कहा जा रहा है कि इसके लिए विदेशों से आर्डर नहीं मिल रहे हैं, पर स्थिति यह हो गई है कि हजारों श्रमिक बेकार हो रहे हैं तथा पश्चिम बंगाल की सारी अर्थ व्यवस्था में ठहराव सा आ गया है । मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इस उद्योग का समुचित अध्ययन कर स्थिति का समाधान करें ।

हमारे क्षेत्र में राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने 14 कपड़ा मिलें अपने हाथ में ले ली हैं । पर ये सब अच्छी तरह नहीं चल रही हैं । लेखा-जोखा गलत तरीके से रखा जा रहा है । कपड़े और धागे की बिक्री में भी अनियमितता बरती जा रही है । इन मिलों के प्रबन्ध के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को कपड़ा मिलों के कार्यकरण और तकनीक का अनुभव नहीं है । अगर यही स्थिति रही तो वह दिन दूर नही जब इनमें से कुछ मिलें बन्द हो जायेंगी । इससे सरकारी क्षेत्र के उद्यमों पर गलत प्रभाव पड़ेगा ।

बहुत से इंजीनियरी उद्योग, विशेषकर मोटर-गाड़ी उद्योग बड़ी विकट स्थिति में हैं । इसका कारण मांग कम होना है और इसके लिए सरकार की वित्तीय नीति तथा कर ढांचा जिम्मेदार है । पट्रोल का लागत मूल्य रु० 1.17 प्रति लिटर है और हमें यह 3.38 रुपये प्रति लिटर पड़ता है । यदि पैट्रोल पर यह शुल्क न लगता तो इसका मूल्य इतना अधिक नहीं होता । इसलिये सरकार को इस शुल्क ढांचे में आमूल परिवर्तन करना चाहिए ।

सरकार सभी कार फैक्टरियों को अपने हाथ में ले ले । हिन्दुस्तान मोटस का कहना है कि वे अब प्रतिवर्ष एक हजार से अधिक कारें नहीं बना सकते । जब कि छः महीने पहले वे 2,500 कारें बना रहे थे । इस उद्योग की जांच होनी चाहिए । इसका प्रभाव न सरकार पर पड़ेगा और न बिड़ला बन्धुओं पर इसका बोझ तो श्रमिकों पर पड़ेगा । उनकी छंटनी होगी, उन्हें जबरी छुट्टी दी जायेगी ।

वैगन उद्योग की भी यही स्थिति है । यदि रेल विभाग वैगनों के लिए आर्डर नहीं देगा तो 60,000 कामचारी बेरोजगार हो जायेंगे । वैगनों की विक्रय दरों में भी संशोधन होना चाहिए । तीन-चार साल पहले निश्चित की गई दर पर फक्टरी को माल सप्लाई करने को नहीं कहा जा सकता क्योंकि सभी प्रकार की सामग्री के मूल्य बढ़ गये हैं ।

जब पश्चिम बंगाल में संयुक्त मोर्चा सरकार थी तो हम पर यह आरोप लगाया जाता था कि हमारे कारण एक के बाद एक फैक्टरियां वहां से स्थानान्तरित हो रही हैं । पर अब क्या हो रहा है ? गत तीन वर्षों में, जब श्री सिधार्थशंकर राय सत्ता में हैं, वहां एक भी नई फैक्टरी नहीं लगी है । आज एक के बाद एक फैक्टरियां महाराष्ट्र या अन्य स्थानों को शिफ्ट हो रही हैं । नई फैक्टरियां स्थापित करने की बजाय पहले स्थापित फैक्टरियां भी बन्द हो रही हैं । गत तीन माह में 30,000 इंजीनियरिंग कर्मचारियों को जबरी छुट्टी पर भेजा गया है । हजारों पटसन कर्मकार छुट्टी पर भेजे गये हैं । वहां भी लगभग 200 बल्ब फैक्टरियों में से 186 फैक्टरियां बन्द हो गई हैं । लगभग 30,000 कर्मचारियों की छंटनी कर दी गई है । लघु उद्योग का अस्तिव खतरे में पड़ गया है । इसलिए मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि पश्चिम बंगाल और देश के अन्य भागों को इस बाबत कुछ ठोस सहायता दें ।

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
58	1	श्री रामावतार शास्त्री	आवश्यक वस्तुओं के मुनाफाखोरों, जमाखोरों और काले बाजारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये ।
,,	54	,,	सरकार की वर्तमान औद्योगिक नीति के फलस्वरूप देश में इजारेदार पूंजीवाद के विकास में सहायता ।	,,
,,	55	,,	सरकार की वर्तमान औद्योगिक नीति में आमूल परिवर्तन करने में असफलता ।	,,
,,	56	,,	देश के पिछड़े राज्यों में औद्योगिक विकास पर प्राथमिकता देने में विफलता ।	,,
,,	57	,,	जिन सूती मिलों को नेशनल टेक्सटाइल कापोरेशन चला रहा है उनके पहले के बकाया वेतन को उनके मजदूरों को दिलवाने में असफलता ।	,,
,,	58	,,	देश के सभी कार बनाने वाल कारखानों का राष्ट्रीयकरण करने में विफलता ।	,,
,,	59	,,	औद्योगिक कारखानों की विशेषकर इंजीनियरी माल बनाने वाले कारखानों की पूरी क्षमता का पूरा उपयोग करने के लिये ठोस एवं प्रभावकारी कदम उठाने की आवश्यकता ।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
58	60	श्री रामावतार शास्त्री	सार्वजनिक वितरण प्रणाली को ठोस एवं कारगर बनाने के लिए राशन की दुकानों में पर्याप्त मात्रा में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई करने तथा उनके वितरण के लिए लोकप्रिय समितियों के गठन की आवश्यकता ।	राशि घटा कर 1 रूपया कर दी जाए ।
,,	61	,,	सार्वजनिक क्षेत्र के सभी कारखानों में व्यवस्थापकों के बोर्डों में मजदूरों एवं कर्मचारियों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कराने में असफलता ।	,,
,,	62	,,	सभी सरकारी कारखानों में केन्द्रीय श्रम कानूनों को लागू करने में असफलता ।	,,
,,	63	,,	सरकार राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से कज लेकर कारखाना नहीं खड़ा करने तथा संपूण राशि को पचा जाने वाले उद्योगपत्तियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करने में विफलता ।	,,
,,	64	,,	देश के 75 इजारेदार घरानों के कलकारखानों का राष्ट्रीयकरण करने की आवश्यकता ।	

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
58	65	श्री रामावतार शास्त्री	सार्वजनिक क्षेत्रों के कारखानों में पूंजीपतियों को हिस्सा खरीदने का अधिकार देकर उसे राष्ट्रीय क्षेत्र बनाने की राष्ट्रघाती नीति अंगीकार करने की वकालत करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने की आवश्यकता ।	राशि घटा कर 1 रु० कर दी जाये ।
,,	66	,,	देश में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को बांधने तथा उनके वर्तमान मूल्यों में कमी करने की आवश्यकता ।	
,,	67	,,	सभी सरकारी कारखानों में काम करने वाले मजदूरों एवं कर्मचारियों के लिए समान वेतनमान तय कर के असमानता के कारण उनमें व्याप्त असंतोष दूर करने में असफलता ।	,,
,,	68	,,	फतूहा (पटना) में निर्मित होने वाले स्कूटर कारखाने में जिनसे जमीन ली गयी है उन्हें तथा स्थानीय लोगों को नियुक्त करने में असफलता ।	राशि में से 100 रु० घटा दिये जायें ।
,,	69	,,	फतूहा (पटना) में ट्रैक्टर और स्कूटर फैक्टरी के निर्माण के लिए जिन तीन सौ किसानों से जमीन ली गयी है उनमें से केवल 13 व्यक्तियों को ही स्कूटर कारखाने में काम देना तथा 42 मजदूरों एवं कर्मचारियों को जिले तथा राज्य से भी बाहर से बुलवाकर भर्ती करना और स्थानीय 13 मजदूरो से निम्न कोटि तथा बाहरी मजदूरों से उच्चकोटि का काम लेने के फलस्वरूप मजदूरों एवं स्थानीय लोगों में असंतोष तथा विस्फोटक स्थिति ।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
58	70	श्री रामावतार शास्त्री	पटना (बिहार) स्थित फतूहा ट्रैक्टर एवं स्कूटर कारखानों के लिए निकट के किसानों से अर्जित जमीन का पूरा मुआवजा अब तक अदा नहीं करने में असफलता ।	राशि में से 100 रु० घटा दिये जायें ।
,,	71	,,	फतूहा (पटना) स्थित ट्रैक्टर कारखाने के निर्माण में विलम्ब और उसे किसी अन्य राज्य में ले जाने के षड़यंत्र का भण्डाफोड़ करने की आवश्यकता ।	,,
,,	72	,,	आर्थर बटलर कम्पनी, मुजफ्फर-पुर को बहुत पहले सरकारी नियंत्रण में लिये जाने पर भी अभी तक केवल 309 मजदूरों को काम देकर उत्पादन वृद्धि को रोकने की नीति को बदलने की आवश्यकता ।	,,
,,	73	,,	आर्थर बटलर कम्पनी, मुजफ्फर-पुर में व्यवस्था पर होने वाले अधिक खर्च में कमी करने में असफलता ।	,,
,,	74	,,	आर्थर बटलर कम्पनी, मुजफ्फरपुर द्वारा उसकी कार्यप्रणाली की जांच के लिए गठित इन्वेस्टी-गेशन कमेटी की सिफारिशों को क्रियान्वित करने में असफलता ।	,,
	75	,,	पटना जिलान्तर्गत फतूहा में निर्मित होने वाली ट्रैक्टर फैक्टरी के निर्माण में अनावश्यक विलम्ब ।	,,
	76	,,	आर्थर बटलर कम्पनी, मुजफ्फर-पुर के वित्तीय नियंत्रक को दिये जाने वाले वेतन में कटौती करने की आवश्यकता ।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
58	77	श्री रामावतार शास्त्री	आर्थर बटलर कम्पनी, मुजफ्फरपुर के जनरल मैनेजर (वर्क्स) को दिये जाने वाले वेतन में कटौती करने की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रु० घटा दिये जायें ।
,,	78		आर्थर बटलर कम्पनी, मुजफ्फरपुर की चार पहियों वाले रेल डिब्बों की वार्षिक क्षमता 2,000 होने के बावजूद भी आठ महीने से अधिक समय के भीतर केवल 8 माल डिब्बों का उत्पादन ।	,,
,,	79	,,	आर्थर बटलर कम्पनी, मुजफ्फरपुर के मजदूरों को इंजीनियरी वेतन परिषद् की सिफारिशों के अनुसार सुविधायें प्रदान करने में विफलता ।	,,
,,	80	,,	आर्थर बटलर कम्पनी, मुजफ्फरपुर के पास स्टील फैब्रिकेशन, ग्रे आयरन कास्टिंग, रफ फार्जिंग एण्ड प्रेसिंग की क्षमता के बावजूद इनका उत्पादन करने में असफलता ।	,,
,,	81	,,	आर्थर बटलर कम्पनी, मुजफ्फरपुर द्वारा बिहार सरकार तथा चीनी मिलों से उक्त वस्तुओं की सप्लाई के लिए आर्डर लेने में असमर्थता ।	,,
,,	82	,,	आर्थर बटलर कम्पनी, मुजफ्फरपुर में व्याप्त अव्यवस्था एवं सार्वजनिक संपत्ति के दुरुपयोग की नीति को समाप्त कर उसे स्वस्थ लाइन पर चलाने में असफलता ।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
58	83	श्री रामावतार शास्त्री	आर्थर बटलर कम्पनी, को भारत सरकार द्वारा 10 अगस्त, 1974 को अपने हाथ में लेने के बाद भी सभी मजदूरों (सन् 1965 में 1349) को काम पर लेने में असफलता ।	राशि में से 100 रु० घटा दिये जायें ।
,,	3	श्री दीनेन भट्टाचार्य	कार निर्माण करने वाले उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने की आवश्यकता ।	,,
,,	4	,,	औद्योगिक संयंत्रों, विशेष रूप से इंजीनियरिंग माल बनाने वाले संयंत्रों का पूर्ण क्षमता का उपयोग करने हेतु उचित कदम उठाने की आवश्यकता ।	,,
,,	22	श्री एम० एम० बनर्जी	उन कपड़ा मिलों के, जिन्हें राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने अपने अधिकार में ले लिया था, कर्मचारियों को पिछले वेतन देने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये ।
,,	23	,,	लक्ष्मी रतन काटन मिल्स, कानपुर को अधिकार में लेने में असफलता ।	,,
,,	24	,,	सभी सरकारी उपक्रमों में एक-समान वेतन देने की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रु० घटा दिये जायें ।
,,	25	,,	सरकारी उपक्रमों के बोर्ड में श्रमिकों के प्रतिनिधि सम्मिलित करने की आवश्यकता ।	,,
,,	26	,,	सरकारी उपक्रमों में केन्द्रीय श्रम कानून लागू करने की आवश्यकता ।	,,
,,	27	,,	म्यूर मिल्स और विक्टोरिया मिल्स, कानपुर को पर्याप्त वित्तीय सहायता देने में असफलता ।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
58	28	श्री सी० के० चन्द्रप्पन	सरकारी क्षेत्र में नौकरशाही की दुर्व्यवस्था और तानाशाही रोकने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रू० कर दी जाये ।
,,	29	,,	सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में निर्णय करने के सभी स्तरों पर कर्मचारियों को प्रतिनिधित्व दिलाने में असफलता ।	,,
,,	30	,,	नारियल जटा बोर्ड के सभापति के रूप में किसी गैर-सरकारी व्यक्ति को नियुक्त करने में असफलता ।	,,
,,	31	,,	नारियल जटा उद्योग के सभापति को, केरल में इस उद्योग के विकास से सम्बन्धित मामलों में राज्य सरकार की घोषित नीति के विरुद्ध राजनीतिक पद स्वीकार करने से रोकने में असफलता ।	,,
,,	32	,,	केरल को, उस राज्य में औद्योगिक विकास सम्बन्धी मामलों में, उचित महत्व देने में असफलता ।	,,
,,	33	,,	पूरे देश में सरकारी वितरण प्रणाली का प्रभावी रूप से संगठन करने में असफलता ।	,,
,,	34	,,	सरकारी क्षेत्र के अधिकांश प्रबन्धकों द्वारा अच्छे श्रमिक सम्बन्ध स्थापित करने का वातावरण तैयार करने में असफलता ।	,,
,,	35	,,	सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में उच्च अधिकारियों की मिली-भगत से गैर-सरकारी ठेकेदारों द्वारा मचाई जा रही लूट रोकने में असफलता ।	,,

1	2	3	4	5
58	36	श्री सी० के० चन्द्रप्पन	गैर-सरकारी क्षेत्र के अत्यावश्यक क्षेत्र में स्थित उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करके एकाधिकार रोकने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रु० कर दी जायें ।
,,	37	,,	तथाकथित राष्ट्रीय क्षेत्र सम्बन्धी नीति, जो सरकारी क्षेत्र को दूसरों के हाथ बेचने के अतिरिक्त कुछ नहीं है ।	,,
,,	38	,,	आलोक उद्योग सीमेंट कारखाने का तुरन्त राष्ट्रीयकरण करने की आवश्यकता, जहां भारी कुप्रबन्ध व्याप्त है ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें ।
,,	39	,,	आलोक उद्योग सीमेंट कारखाने के निदेशक-मंडल के सदस्यों पर तुरन्त मुकदमा चलाने की आवश्यकता क्योंकि उन्होंने कम्पनी के धन को बिना सोचे-समझे खर्च किया है जिससे पूंजी ह्रास हुआ है और कम्पनी तबाह हो गई है ।	,,
,,	40	,,	आलोक उद्योग कम्पनी समूह के सभी मामलों की पूरी जांच कराने की आवश्यकता जिनके विरुद्ध अनेक गम्भीर आरोप हैं ।	,,
,,	41	,,	मैसर्स एस्ट्रेला बैटरीज़ लिमिटेड, बम्बई के आर्थिक मामलों और प्रबन्ध की जांच कराने की आवश्यकता ।	,,
,,	42	,,	मैसर्स एस्ट्रेला बैट्रीज़ लिमिटेड की तीव्रता से बिगड़ रही स्थिति और इस उद्योग तथा इसके कर्मचारियों की रक्षा करने के लिये सरकार द्वारा उठाये जाने वाले कदम ।	,,

1	2	3	4	5
58	43	श्री सी० के० चन्द्रप्पन	मैसर्स एस्ट्रेला बैट्रीज़ लिमिटेड के कर्मचारियों की छंटनी के खतरे को दूर करने के लिये तुरन्त हस्तक्षेप करने की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें ।
,,	44	,,	मैसर्स एस्ट्रेला बैट्रीज़ लिमिटेड का जहां इस समय कुप्रबन्ध व्याप्त है, राष्ट्रीयकरण करने की आवश्यकता ।	,,
,,	45		मैसर्स एस्ट्रेला बैट्रीज़ लिमिटेड के कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने की आवश्यकता जिन्हें इस समय भारी छंटनी का खतरा है ।	,,
,,	46	,,	नारियल-जटा बोर्ड का पुनर्गठन करने की आवश्यकता ताकि वहां नारियल-जटा उद्योग विशेषकर कर्मचारियों के विभिन्न हितों को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके ।	,,
,,	47	,,	नारियल-जटा बोर्ड के कर्मचारियों को बोनस देने की आवश्यकता ।	,,
,,	48	,,	नारियल-जटा उद्योग का पुनर्गठन करने के लिये पर्याप्त वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता ताकि वह आर्थिक रूप से सुचारु बन सके ।	,,
,,	49	,,	केरल में नारियल-जटा उद्योग में संगठनात्मक परिवर्तन लाने के लिये पर्याप्त केन्द्रीय वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता, जैसा कि केरल सरकार का प्रस्ताव है ।	

1	2	3	4	5
60	50	श्री सी० के० चन्द्रप्पन	ग्रामीण और लघु उद्योगों के सम्वर्धन के लिये पर्याप्त वित्तीय रुपया और तकनीकी सहायता जुटाने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 कर दी जाये
61	51	,,	जनता में वितरण के लिये उचित दर की दुकानों पर पर्याप्त मात्रा में आवश्यक वस्तुय उपलब्ध कराने में भारी असफलता ।	,,
,,	52	,,	सरकारी वितरण प्रणाली के लिये पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक वस्तुयें जुटाने में असफलता ।	,,
,,	53	,,	सहकारी समितियों और सहकारी क्षेत्र से भ्रष्टाचार को समूल नष्ट करने में असफलता ।	,,

श्री वाई० एस० महाजन : (बुलडाना) : यह सन्तोष की बात है कि अभी समाप्त हुये वर्ष में औद्योगिक उत्पादन में कुछ उल्लेखनीय सुधार हुआ है । 1974-75 में प्रगति दर 3.5 प्रतिशत रही जब कि 1973-74 में केवल 0.7 प्रतिशत वृद्धि हुई थी । सरकारी क्षेत्र की इकाइयों में सन्तोषजनक उत्पादन हुआ । इस्पात, कोयला और ऊर्जा क्षेत्रों में प्रशंसनीय वृद्धि हुई । सरकारी क्षेत्र के 15 उपक्रमों में से अधिकांश ने अपना निर्धारित उत्पादन लक्ष्य प्राप्त किया, कुछेक ने तो इस लक्ष्य से भी अधिक उत्पादन किया । इस वर्ष उन्हें 31 करोड़ रुपये का मुनाफा होने की आशा है । गैर-सरकारी क्षेत्र में मुद्रास्फीति, मूल्य वृद्धि आदि कारणों से आशानुकूल उत्पादन नहीं हो सका ।

सप्लाई से मांग अधिक होने पर भी कुछ उद्योग अपनी क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग नहीं कर पाये हैं ।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

Mr. Deputy-Speaker *in the Chair*

इस्पात कास्टिंग, पारेषण टावर, तांबा, पैट्रोल इंजिन, रेल वैगन आदि कुछ उद्योगों में क्षमता का 50 प्रतिशत से भी कम उपयोग हुआ । लाइसेंस क्षमता का पूरा उपयोग करने और उत्पादन बढ़ाने के लिये मंत्री जी ने लाइसेंस देने की प्रक्रिया को सरल और अधिक लचीला बना दिया है । विलम्ब और कठिनाइयों को दूर करने तथा उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से औद्योगिक नीति संकल्प के अधीन नियमों और प्रक्रियाओं में काफी परिवर्तन किये गये हैं ।

उत्पादन के प्रति क्रान्तिकारी रुख एवं निष्ठा रखने के कारण ही मंत्री जी ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के ढांचे में परिवर्तन किया है जैसे कि स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड में प्राइवेट लोगों को अल्पसंख्यक शेयर दिये गये हैं। इस परिवर्तन को सीमेंट, कागज और चीनी जैसे उद्योगों में भी आजमाया जाएगा। नीति में इस प्रकार के परिवर्तन से सरकार निजी क्षेत्र में बचत कर सकेगी, इससे सरकारी उपक्रमों को होने वाले मुनाफे व हानि में जनता भागीदार बन सकेगी तथा मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने में सहायता मिलेगी। आवश्यक अंकुश और सुरक्षा की व्यवस्था होने से इस प्रकार के प्रयोग से औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि होने की आशा की जा सकती है।

रोजगार और औद्योगीकरण के लाभ के समान वितरण के उद्देश्य से लघु उद्योगों का विस्तार, उनकी वृद्धि महत्वपूर्ण है। इससे न केवल ग्रामीण क्षेत्र का औद्योगीकरण नहीं होगा वरन् वह क्षेत्रीय असन्तुलन भी समाप्त होगा जो हमारे समाज को पनपने नहीं दे रहा है।

पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करने के लिये हमने बहुत सी रियायतें और सुविधायें दी हैं। पर व्यापारिक दृष्टिकोण और उद्यमशीलता के अभाव के कारण इन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिये लोग आगे नहीं आ रहे हैं। अतः अधिक से अधिक युवकों को उद्यमियों के रूप में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये।

49 चुने हुये जिलों में जो ग्रामीण उद्योग परियोजना कार्यक्रम आरम्भ किये गये हैं उन्हें योजना के शेष चार वर्षों में अधिक से अधिक जिलों में लागू किया जाना चाहिये। जिलों का विस्तृत तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण का काम तथा कर्मचारियों और छोटे उद्यमियों को प्रशिक्षण देने का काम शीघ्र पूरा किया जाना चाहिये। भारी जनसंख्या और जनसंख्या की ऊंची वृद्धि दर को देखते हुये हमारी आर्थिक नीतियां रोजगारोन्मुख होनी चाहिये यह उद्देश्य तभी सिद्ध हो सकता है जब हम ऐसे उत्पादन तकनीक अपनायें जो श्रम प्रधान हों।

सरकार बड़े उद्योगों द्वारा छोटे उद्योगों को संरक्षण प्रदान किये जाने के लिये आवश्यक विधान बनाने पर लम्बे समय से विचार कर रही है। यह कार्य शीघ्रता से किया जाना चाहिये अन्यथा औद्योगीकरण के हमारे सारे प्रयत्न बेकार हो जायेंगे। पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगीकरण हेतु हमें प्राक्कलन समिति द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन में की गई सिफारिश के अनुसार पिछड़े क्षेत्र औद्योगिक विकास निगम जैसी किसी विशेष संस्था की स्थापना करनी चाहिये। इसके अच्छे परिणाम हो सकते हैं।

श्रीमती रोजा देशपांडे (बम्बई मध्य) : उद्योग मंत्री जी ने हाल ही में कहा है कि सरकारी उपक्रमों को राष्ट्रीय उपक्रमों में बदला जायेगा) जिसमें सरकार जनता और श्रमिक भागीदार होंगे राजकीय औद्योगिक विकास निगमों को एक परिपत्र जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि वे कारखाने में उत्पादन आरम्भ हो जाने के बाद अपने शेयर बेच सकते हैं। मंत्री जी इस सम्बन्ध में स्थिति को स्पष्ट करें।

बड़े-बड़े एकाधिकारवादी और पूंजीपति हमेशा ही औद्योगीकरण के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते रहे हैं। सन 1971 के बाद इन्होंने वास्तव में उत्पादन में वृद्धि नहीं होने दी। उनकी इस प्रवृत्ति को राजनीतिक संरक्षण प्रदान था। सरकार और गैर-सरकारी उद्योगों और एकाधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर सकी। जब संकट पैदा हुआ तो श्रमिकों की मज-

[श्रीमती रोजा देश पांडे]

दूरी वृद्धि पर रोक लगा दी गई। वस्तुतः मजदूरों को ही सबसे अधिक नुकसान हुआ। एक प्रेस रिपोर्ट के अनुसार टाटा सहित 30 बड़े एकाधिकारियों ने इस बात को लेकर बहुत शोर मचाया कि उन्हें प्रयाप्त मात्रा में ऋण नहीं मिल रहा है ; अतः वे अपनी उत्पादन क्षमता नहीं बढ़ा सकते हैं और उद्योगों का विस्तार अकरने में समर्थ हैं। इसके बावजूद, टाटा की परिसम्पत्तियां 535 करोड़ रुपये से बढ़ कर 600 करोड़ रुपये तथा बिड़ला की 487.11 करोड़ रुपये से बढ़ कर 601.76 करोड़ रुपये हो गई है। जिस अनुपात में उनकी परिसम्पत्तियां बढ़ी हैं उसी अनुपात में उत्पादन नहीं बढ़ा है। स्पष्ट है कि ये उद्योग अपना उत्पादन जानबूझ कर कम कर रहे हैं। साथ ही नौकरशाही को भ्रष्ट करने के अपने प्रयासों में सफल हो रहे है। 'टिस्को' की पूंजी का 38 प्रतिशत भाग सरकारी वित्त संस्थाओं द्वारा दिया गया ऋण है। वित्तीय संस्थाओं द्वारा गैर-सरकारी उद्योगपतियों को दिये गये ऋण को इक्विटी पूंजी में क्यों परिवर्तित नहीं किया जा रहा है। आरम्भ में निजी क्षेत्र को चीनी, सीमेंट, कपड़ा आदि उद्योगों में पूरी स्वतन्त्रता मिली है, कपड़ा उद्योग में उन्होंने न केवल उपभोक्ता को अपितु सरकार को भी धोखा दिया है। उन्होंने सरकारी धन हड़प लिया है। और अब अन्त में मिलों को बन्द कर दिया है।

प्राक्कलन समिति ने चीनी उद्योग पर टिप्पणी की है कि इसका गन्ना उत्पादकों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं की कीमत पर कुछेक मिल मालिकों के हित में उपयोग किया जा रहा है। गन्ना उत्पादकों को कम कीमत दी जाती है पर चीनी का मूल्य बहुत अधिक वसूला जाता है। समिति ने इस उद्योग के तुरन्त सरकरीकरण की सिफारिश की है। सीमेंट उद्योग भी सरकार नियंत्रण में लिया जाना चाहिये।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के नौकरशाह एकाधिकारियों के साथ हैं और वे सरकारी क्षेत्र में तोड़-फोड़ करने के प्रयास कर रहे हैं। निश्चय है कि इस क्षेत्र में उत्पादन तभी बढ़ सकता है जब श्रमिकों का विश्वास प्राप्त हो जाये तथा उनकी मांगें निपटा दी जायें। क्या सरकार नौकरशाही से, जो एकाधिकारियों के साथ है, सरकारी क्षेत्र की रक्षा कर सकती है ? श्रमिकों ने यह दिखा दिया है कि सरकारी क्षेत्र में लाभ हो सकता है तथा उत्पादन बढ़ सकता है बशर्ते कि उन्हें प्रबन्ध व्यवस्था और नीति निर्धारण सम्बन्धी मामलों में शामिल होने के अधिकार दिये जायें।

हम लघु उद्योग को संरक्षण देना चाहते हैं। पर लघु उद्योग की परिभाषा में कौन से उद्योग आते हैं ? बीड़ी पर उत्पादन कर में वृद्धि कर दी गई है। इस उद्योग में 75 प्रतिशत महिलायें कार्य करती हैं। सिगरेट उद्योग बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथों में है। बीड़ियों पर लगभग 60 प्रतिशत शुल्क बढ़ाया गया है जब कि सिगरेटों पर बहुत थोड़ा कर लगाया गया है। स्पष्ट है कि आप इस उद्योग को बन्द करना चाहते हैं। इस उद्योग की रक्षा के लिये गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाये। यदि आप वास्तव में धन जुटाना चाहते हैं तो इसके अनेक अन्य साधन हैं। शक्तिचालित करघों और हथकरघों पर कर लगाकर धन नहीं जुटाया जाना चाहिये, बल्कि इन उद्योगों को तो पूरा संरक्षण मिलना चाहिये।

सारा औषधि उद्योग बहु-राष्ट्रिक कम्पनियों के हाथों में है। अब इन कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये। पिम्परी और ऋषिकेश स्थित सरकारी क्षेत्र के कारखाने बड़े पैमाने पर दवाओं का निर्माण करने में सक्षम हैं। हम एकाधिकारी औषध निर्माता कम्पनियों के साथ लोहा ले सकते हैं। पता नहीं सरकार अपने उद्योगों में विदेशी पूंजी लगाने में क्यों दिलचस्पी रखती है।

सूती कपड़ा मिलों को राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अधीन रखा जाना चाहिये। मंत्री जी को कपड़ा मिलों, चीनी और सीमेंट उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की बात पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये। सरकारी वितरण व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिये। सभी 75 एकाधिकारी गृहों का राष्ट्रीयकरण किया जाये। कर लगाने और मजदूरी पर रोक लगाने से कीमतें कम नहीं होंगी। मैं मंत्री जी को अगाह कर देना चाहती हूं कि वे सरकारी क्षेत्र के शेयरों को निजी क्षेत्र को बेच कर देश में प्रगति के पहियों को पीछे धकेलने का प्रयास न करें।

Shri M. C. Daga (Pali): There is no doubt that the net work of small scale industries in the country has progressed well, but there is hardly any coordination among various agencies and departments under the State as well as Central Government functioning in the field of small scale industry. For instance, in Rajasthan, as many as 14 departments under the State and Central Government are functioning. But there is no coordination among them. This causes a lot of inconvenience to those interested in setting up small industries. There should be only one department and under one roof for this purpose,

"Half-a-Million Jobs" and "Choose Your Own Industry" are very good slogans. But proper attention has not been paid to see how far the programmes undertaken under these schemes have been successful. In my view, they have been a total failure. A person who wants to set up industry has to run about here and there for different things. There are problems of electricity, water and raw-materials which an entrepreneurs has to face. There are different departments for all these things. They should be merged into one single department and housed under one roof. The lack of coordination among them has been one of the reasons for slow progress in this field. I asked about the data of Half-a-Million Jobs Programme, I went from one office to another but no body could give me the requisite information. There are five-six departments dealing with small scale industries and there is no coordination among them. There should be coordination among them and they should be under one roof.

Shri Pai says that we want to help industries but it is not so. The youngmen setting up new industries have to knock at so many departments. The officers there are neither good guides nor philosophers or technocrats. They only create obstacles.

What has happened to "Haif-a-Million Jobs", "Choose Your Industry" and Rural Artisan Programme! Unless there is a single Industries department, there cannot be any progress because the roads, etc. are to be constructed. In 1959 Shri Manu Bhai Shah inaugurated Falna Industrial State. But there are no roads, light and quarters there and there is exploitation of labourers. They get raw material with great difficulty. I would, therefore, suggest that before setting up small scale industries there should be a single department therefor. The Estimate Committee have also noted with regret that except four or five States others do not attach much importance to it and funds are diverted. The Committee have laid stress on giving high priority, particularly in backward areas.

Even infra-structure have not come up in backward areas. The northern, southern, eastern and western regions of Pali, which is my constituency, are backward but they are not given any concession without assigning any reason.

You have stated that we would go to villages. It is good that there should be no concentration in the cities but how far this idea has been implemented? What assistance by way of loans has been given to gold-smiths, blacksmiths, etc. The

[Shri M C. Daga]

fact is that Central Government blames the State Government for lack of co-operation whereas the State Government blames the Members of Parliament for not taking up the issue with Central Government. In this way Rajasthan does not get funds. If you go through the lists of loans of the financial institutions you will find that Rajasthan has been given the smallest amount of funds and Maharashtra has received the maximum amount. Backward areas are not getting loans. Villages are without roads and electricity. You should bring out a book embodying all the labour laws and terms and conditions for getting loans.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Your ten minutes are over and you should finish.

SHRI M. C. DAGA (Pali): Those setting up new small industries have to face many difficulties. They do not get licences and have to undergo difficulties in registration, modernisation etc. There should be separate cell in the Ministry for their assistance. No licence was given for setting up cement factory in Pali when a huge quantity of cement is sold in black market. Raw material is available in Pali and a cement factory can easily be set up there.

From the point of view of heavy industries Rajasthan is the most backward State and I would request that heavy industries should be set up there.

श्री वीरेन्द्र अग्रवाल (मुरादाबाद) : भारतीय अर्थ व्यवस्था में 1974–75 के दौरान अधिक से अधिक एक प्रतिशत की वृद्धि हुई है। गत तीन और चार वर्षों के दौरान औद्योगिक उत्पादन वस्तुतः शून्य स्तर पर रहा है किन्तु इस मंत्रालय के गत वर्ष के प्रतिवेदन 1974–75 के लिये औद्योगिक विकास में आठ से दस प्रतिशत की वृद्धि की भविष्यवाणी की गई है। इससे मालूम होता है कि मंत्रालय के वचन तथा वास्तविक कार्य में कितना अन्तर है।

हमारे दो राष्ट्रीय उद्देश्य हैं जिनमें एक है, रोजगार की सम्भावनायें बढ़ाना। आज प्रतिदिन 11,000 बेरोजगारों की वृद्धि होती है। इस प्रकार बोरोजगारी की समस्या की जटिलता का अन्दाजा लगाया जा सकता है।

दूसरा राष्ट्रीय उद्देश्य आर्थिक स्वराज प्राप्त करना है। किन्तु गत 27 वर्षों में हमारी ऋणग्रस्तता में 10,000 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। सरकार के अनुसार निर्यात में 40 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है किन्तु वस्तुस्थिति यह है कि व्यापार में अन्तर प्रतिवर्ष 1000 करोड़ रुपये की दर से बढ़ रहा है। अतः सरकार को गम्भीरतापूर्वक इस पर विचार करना चाहिये। मेरे विचार से अर्थव्यवस्था उन्नति की बाजय प्रति दिन बिगड़ती जा रही है।

सरकारी क्षेत्र तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के बारे में बहुत विवाद चल रहा है। यद्यपि सरकारी क्षेत्र में कुछ लाभ हुआ है किन्तु इसे पूंजी के साधनों का भारी श्रम तथा संचालन अकुशलता के कारण अपेक्षित सफलता नहीं मिली है। गैर-सरकारी क्षेत्र में भी जानबूझकर अपनाई गई निर्बन्धकारी नीति के कारण, उन्नति नहीं हो पायी है। सरकारी क्षेत्र तथा गैर-सरकारी क्षेत्र एक दूसरे के पूरक हैं किन्तु सरकार उन्हे एक दूसरे का प्रतिद्वन्दी बना रही है। जब कि वास्तव में उन्हें एक दूसरे के साथ सहयोग करना चाहिये।

मिश्रित अर्थ व्यवस्था एक आदर्श अर्थव्यवस्था है और इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही की जानी चाहिये। पूंजीवादी देशों ने आज समाजवादी ढांचा अपनाया है तथा साम्यवादी देशों ने

पूंजीवादी औजार और तकनीक अपनाया है। यह गलत है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था को सफलता नहीं मिली है तथा यह धारणा भी गलत है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था समाप्त हो जायेगी। इसकी असफलता का कारण इसकी अव्यवस्था है।

गत 5 वर्षों में औद्योगिक उत्पादन में दो तिहाई की कमी आयी है बेरोजगारी में 50 लाख की वृद्धि हुई है और रुपये की क्रय शक्ति में 40 प्रतिशत की कमी आई है तथा राष्ट्रीय आय स्थिर रही है प्रति व्यक्ति आय में ढाई प्रतिशत की कमी आयी है।

प्रधान मंत्री आर्थिक संकट के लिए विरोधी पक्ष को दोषी ठहराती हैं। विरोधी पक्ष गरीबों की कठिनाइयों को देख कर चुप नहीं रह सकता। मेरे निर्वाचन क्षेत्र मुरादाबाद में उद्योग लगाने की बात तो दूर रही वहां बिजली भी नहीं है। यह एक प्रजातंत्र देश है। मैं समझता हूं कि प्रधान मंत्री विरोधी पक्ष की भूमिका को समझेंगी। अच्छा यह है कि वे विरोधी पक्ष को गरीब लोगों के लिए आवाज़ उठाने के लिए प्रोत्साहित करें बजाय इसके कि विरोधी पक्ष को आर्थिक गड़बड़ी पैदा करने के लिए दोषी ठहराए।

प्रधान मंत्री ने कहा है कि यदि विकास समाजिक न्याय को समाप्त कर होता है तो वे उसका विरोध करेंगी किन्तु विकास से ही सामाजिक न्याय प्राप्त होता है। सरकार इस बात को समझ नहीं पायी है। सरकार की उत्पादन विरोधी नीतियां ही आज उत्पादन की स्थिरता के लिए जिम्मेदार हैं।

इस समय यह धारणा है कि सत्ताधारी दल का गरीबी, बेरोजगारी और गुटों में निहित-स्वार्थ है। इसी कारण सरकार के प्रति अविश्वास बढ़ रहा है। सरकार का दावा है कि दो वर्षों में मुद्रास्फीति विरोधी उपायों से मूल्यों में 3 से 8.2 प्रतिशत गिरावट आई है किन्तु केवल मुद्रा सप्लाई के विनियमन से मूल्यों में अल्पकालिक स्थिरता आ सकती है। किन्तु सप्लाई की दिशा में उपाय किये बिना मूल्यों में स्थिरता नहीं आ सकती है। जब तक विकास की दर में वृद्धि नहीं होती तथा उत्पादन अधिक से अधिक नहीं होता है मूल्यों में स्थिरता अधिक देर तक नहीं रह सकती है।

विभिन्न उद्योगों में स्टाक जमा है। इस्पात मिलों में 400,000 टन स्टाक जमा है। एल्यूमीनियम, सीमेंट और तांबे की मांग गिर रही है। इससे यह प्रदर्शित होता है कि मन्दी चल रही है। पूंजीगत माल की मांग नहीं है। यहां तक कि उपभोक्ता माल उद्योग जैसे पटसन रुई और चीनी आदि भी अच्छी हालत में नहीं हैं।

सूती वस्त्र तथा मोटर कार, ये दो उद्योग हैं जो औद्योगिक मोर्चे पर उन्नति एंव अवनति निर्धारित करते हैं। कुल राष्ट्रीय उत्पादन का 12 प्रतिशत मोटरकार उद्योग के अन्तर्गत आता है और इससे 2000 करोड़ रुपये की राजस्व की प्राप्ति होती है और 95 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। अकेले एक मोटरकार यूनिट की 30,000 कार प्रति वर्ष उत्पादन करने की क्षमता है जबकि यह केवल 1400 कार का प्रति मास ही उत्पादन कर रहा है किन्तु यह 900 से अधिक कार की बिक्री नहीं कर सकता है इस प्रकार इसे प्रति मास 50 लाख रुपये का घाटा हो रहा है।

पश्चिम बंगाल मे हालत इतनी खराब है कि 400 से भी अधिक कारखाने अपने कर्मचारियों को काम से अलग कर रहे हैं किन्तु केन्द्रीय सरकार चुप है। इसके कारण क्या हैं? मेरे विचार से राजकोष नीति इसके लिए मुख्यतः जिम्मेदार है।

[श्री वीरेन्द्र अग्रवाल]

केवल कार पर कुल कर 17,000 रुपये है जब की इसका मूल्य 34,000 रुपये है। इस पर रखरखाव का खर्च लगभग 2000 रुपये है क्योंकि पेट्रोल पर कर बढ़ कर 500 प्रतिशत हो गया है। सरकार कार और पेट्रोल उत्पादन शुल्क कम करने के लिए कुछ नहीं कर रही है। इस प्रकार इस क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को सुधारा नहीं जा सकता है। देश में एक ओर क्षमता बेकार पड़ी हुई है दूसरी ओर उत्पादन की भरमार है। श्री पाई के विचार से तेज औद्योगिक विकास होने जा रहा है और अगले वर्ष औद्योगिक विकास में 7 से 8 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

औद्योगिक विकास की धीमी प्रगति के लिए परिवहन, कोयला तथा अन्य इन्फ्रा-ढांचे की कमी उत्तरदायी है। विद्युत् की पर्याप्त मात्रा में कमी भी विकास में बाधा है। विद्युत् सप्लाई कम ही नहीं है किन्तु इसकी सप्लाई भी अस्थिर है। उद्योग की आज सबसे बड़ी समस्या दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन पूंजी की उपलब्धि है इसका उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ा है।

प्रधान मंत्री ने ऋण की उदारता का घाटे को वित्त व्यवस्था के साथ तुलना की है। वास्तव में सट्टेबाजी के प्रयोजन से जमाखोरी तथा जहां बड़ी वस्तुसूची है, उनके लिए ऋण की उदारता की सिफारिश नहीं की जा सकती है। यदि ऋण उदारता का चयन किया जाये तो औद्योगिक विकास की गति तेज होगी।

उद्योग के क्षेत्र में अर्थव्यवस्था सशक्त करने के लिए पांच उपाय आवश्यक हैं :—ब्याज की दर कम करना अधिक ऋण समानता अनुपात, लाभांश पर लगे प्रतिबन्ध को वापस लेना, ऋण बाजार और दोहरी मूल्य नीति को फिर से लागू करना।

इस समय की सबसे बड़ी आवश्यकता मध्यम दर्जे की प्रौद्योगिकी है। इसी से देश की बेरोजगारी तथा अन्य समस्याएं हल हो सकती हैं। यदि सरकार मध्यम दर्जे की प्रौद्योगिकी का अखिल भारतीय स्तर पर विकास करना चाहती है तो उसे आसान किस्तों पर ऋण, सस्ता कच्चा माल, सस्ती दरों पर बिजली देना चाहिए। ऐसा कोई कारण नहीं है कि आम आदमी मध्यम दर्जे की प्रौद्योगिकी स्थापित न कर सके।

मुद्रास्फीति की चुनौती का सामना करने के लिए उपभोक्ता माल का बड़े पैमाने पर उत्पादन करना आवश्यक है। उपभोक्ता माल का उत्पादन मध्यम दर्जे के उद्योगों के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए। मध्यम दर्जे के उद्योगों का विकास इतनी तेजी से होना चाहिए कि हम यह कहने की स्थिति में हो सकें कि देश में बेरोजगारी की समस्या हल हो जायेगी। इस देश की आज वास्तविक समस्या शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दिलाना है।

बड़े पैमाने पर और तेजी से औद्योगिकीकरण ही समृद्धि का प्रतीक है। यदि देश की अर्थ-व्यवस्था प्रति वर्ष 8 से 10 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी तो औद्योगिक विकास भी प्रति वर्ष 18 से 20 प्रतिशत बढ़ेगा। हमारी दीर्घकालिक दृष्टि होनी चाहिए।

आधुनिक प्रौद्योगिकी उत्पादन पर कोई सीमा नहीं लगाती है। उचित मूल्य वाले उत्पादों का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने से मांग बढ़ेगी और पुनः उत्पादन बढ़ेगा और इस प्रकार उत्पादन और मांग वृद्धि की शृंखला बन जायेगी। यह समस्त जनसंख्या असीमित माल की खरीद की मंडी बन जायेगी तथा देश निश्चित रूप से खुशहाली की ओर बढ़ेगा। यदि ऐसा किया जाये तो कोई कारण नहीं है कि हम राष्ट्रीय उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर सकेंगे।

श्रीमती वी० जयलक्ष्मी (शिवकामी) : मैं देश को औद्योगिक गतिविधि के लघु उद्योग क्षेत्र की समस्याओं के बारे में अपने विचार व्यक्त करूंगी।

माचिस बनाने की 90 प्रतिशत फैक्टरियां मेरे चुनाव क्षेत्र में हैं। इनसे दो लाख परिवारों को रोजी चलती है। परन्तु दुर्भाग्य से यह उद्योग दो कारणों से समाप्त होने को है। पहला कारण यह है—अधिकारियों की इस उद्योग के प्रति उदासीनता तथा दूसरे कच्चे माल की कमी।

माचिस उद्योग में, जिसमें पूंजी निवेश केवल 5 करोड़ रुपये का है, 3 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ है जब कि रेलवे में जो सरकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा उपक्रम है 5,000 करोड़ के निवेश पर केवल 15 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ है। इससे 18 करोड़ रुपये प्रति वर्ष का राजस्व मिलता है।

देश की माचिस की 60 प्रतिशत मांग छोटे पैमाने पर माचिस का उत्पादन करने वालों से पूरी की जाती है और वे इन वर्षों तक एकाधिकारी यंत्रीकृत क्षेत्र के साथ प्रतियोगिता करते आये हैं।

माचिस उद्योग की सबसे बड़ी आवश्यकता पोटाशियम क्लोरेट का 75 प्रतिशत उत्पादन "विमको' करता है। उत्पादन के बड़े भाग का उपयोग वे स्वयं कर लेते हैं। देश की 60 प्रतिशत आवश्यकता की पूर्ति करने वाले लघु उद्योग मैसूर केमिकल्स और ट्रावनकोर केमिकल्स, अलवाई द्वारा उत्पादित 25 प्रतिशत पोटाशियम क्लोरेट पर निर्भर है। तमिलनाडु में बिजली की अत्यधिक कमी के कारण मैसूर केमिकल्स इसका उत्पादन नहीं कर सका।

दूसरा आवश्यक कच्चा माल लाल फोस्फोरस है। देश के उत्पादक 50 प्रतिशत से अधिक मांग की पूर्ति नहीं कर सकते हैं और पिछले दो वर्षों में इसकी भारी कमी के कारण इसकी कीमतें अत्यधिक बढ़ गईं। अतः आवश्यक मात्रा में इसके आयात करने की आवश्यकता है।

हाथ से माचिस बनाने वालों की माचिस के नीले कागज के लिए 5000 टन की मांग है। सरकार को चाहिए कि बड़े उत्पादकों द्वारा इसकी सप्लाई की सांविधिक व्यवस्था की जाये अथवा सरकार लघु क्षेत्र के लिए इसकी मात्रा नियत कर स्वयं सप्लाई करे।

लघु उद्योग को मुलायम लकड़ी की उपलब्धि में भी कठिनाई होती है।

मंत्री महोदय सत्तूर लघु माचिस उत्पादक संघ और माचिस उद्योग संगठन शिवकासी तथा अन्य पांच छोटे उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन पर विचार करें और उनके अरोनुश पर शीघ्र कार्यवाही करें। उद्योग मंत्री वित्त मंत्री के सहयोग से मशीन से माचिस बनाने और हाथ से माचिस बनाने पर लगने वाले शुल्क के अन्तर को 30 पैसे से बढ़ाकर 2 रुपये कर दें जिससे लघु उद्योग पनप सकें। इसी प्रकार निर्यात के प्रोत्साहन के लिए प्रयत्न किया जाये।

19–8–74 को उद्योग मंत्रालय के संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में लघु माचिस निर्माताओं, कच्चा माल उत्पादकों और तमिलनाडु सिडको के निदेशक की एक बैठक हुई थी। लघु माचिस निर्माताओं के हित की दृष्टि से कच्चा माल उत्पादक एक सामान्य प्रक्रिया अपनाने का सहमत हो गये। परन्तु अभी तक उनकी समस्याएं हल नहीं हुई हैं। मंत्री महोदय इस ओर ध्यान दें और देखें कि मामला कहां रुका पड़ा है।

[श्रीमती व० जयलक्ष्मी]

एक लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना की जाये जिसकी शाखाएं सभी राज्यों की राजधानी में हों जिससे लघु उद्योग अपनी वित्तीय और कच्चे माल सम्बन्धी समस्याओं को हल कर सके। राष्ट्रीयकृत बैंकों में औद्योगिक विभाग अच्छी प्रकार काम नहीं कर रहा है।

देश में सर्वत्र विद्युत् की कमी है और कहा जाता है कि बिजली का संकट एक दशक तक बना रहेगा। इस संकट से उबरने के लिए सरकारी क्षेत्र में जेनेरेटर बनाने का एक कारखाना स्थापित किया जाये जिससे कि लघु उद्योगों को समाप्त होने से बचाया जा सके।

यह प्रसन्नता की बात है कि मंत्री महोदय ने देश की समस्याओं के समाधान के लिए एक विशेष कक्ष बनाया है और मालूम हुआ है कि हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स को बिजली की कटौती नहीं की जायेगी। मुझे यह भी मालूम हुआ है कि सरकार माचिस तथा अन्य उद्योगों की माल डिब्बों की मांग भी पूरी करेगी।

मेरा सुझाव है कि जब तक वर्तमान एककों की समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता तब तक नये एकक स्थापित न किये जायें।

1974–75 के छोटे पैमाने के उद्योगों के परियोजना कार्यक्रम के प्रतिवेदन के अनुसार गत 11 वर्षों में 49 परियोजना क्षेत्र हैं। दिसम्बर, 1970 में यह निर्णय किया गया कि इसका 15-20 वर्षों में समस्त देश में विस्तार किया जाये। पांचवीं योजना के लिए 57 जिले लिये गये हैं। समस्त देश में विस्तार करने के लिए इस परियोजना के अन्तर्गत 57 और जिले लिये जाने चाहिए। किन्तु इस दिशा में जैसी प्रगति हो रही है उससे समस्त देश में इसका विस्तार करने के लिए और 50 से 100 वर्ष लगेंगे।

तमिलनाडु में तिरूनेवेली, सलेम और चिंगलपट जिलों को ग्रामीण उद्योग परियोजना के अन्तर्गत शामिल किया गया है। अगली बार रामनाथपुरम और धर्मपुरी जिलों को लिया जायेगा। मंत्री महोदय इन दो जिलों में ग्रामीण उद्योग परियोजनाएं स्थापित करने के लिए शीघ्र कदम उठाएं क्योंकि ये बार-बार सूखा-ग्रस्त हुए हैं। मंत्री महोदय कृपया यह बताएं कि क्या पिछड़ा क्षेत्र घोषित किये गये 27 तालुकों को ग्रामीण उद्योग परियोजना के अन्तर्गत लिया जायेगा?

हम ने समाजवादी समाज, गरीबी दूर करने तथा आय की विषमता कम करने के लक्ष्य रखे हैं। सहकारी आन्दोलन मूलत: समाजवादी आकांक्षाओं एवं लोकतांत्रिक सामाजिक व्यवस्था का द्योतक है अत: हमारी सफलता सहकारी आन्दोलन पर निर्भर करती है। सामाजिक राजनीतिक दृष्टि से सहकारी आन्दोलन एक स्वतंत्र तथा समान सामाजिक व्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण प्रयास है। किन्तु खेद है कि माचिस उद्योग में तथा अन्य उद्योगों में सहकारी औद्योगिक सेवा समितियों को सरकार ने संरक्षण नहीं दिया है।

योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में सहकारी आन्दोलन की महत्वपूर्ण भूमिका है। वास्तव में यह एक अधिक प्रत्यक्ष, उद्देश्यपूर्ण, कारगर राष्ट्रीय प्रयास है। मुझे प्रसन्नता है कि गत दो दशकों में बड़े पैमाने के उद्योगों को छोड़ कर सहकारी संस्थाओं की गतिविधियों का सर्वत्र विस्तार हुआ है। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय छोटे पैमाने के उद्योगों की विभिन्न समस्याओं का समाधान करेंगे।

श्री वी० माधवन (चिदाम्बरम्) : उपाध्यक्ष महोदय, औद्योगिक विकास को विनियमित करना विकास मंत्रालय का काम है । अब तक किये गये विनियमों से देश के विभिन्न भागों में उद्योगों को कठिनाई का सामना करना पड़ा है तथा उनके केन्द्रीयकरण को बढ़ावा मिला है जिससे केन्द्र में भ्रष्टाचार बढ़ा है । यह प्रसन्नता की बात है कि हाल ही में कुछ अच्छे परिवर्तन किये गये हैं । उद्योग और नागरिक संम्भरण मंत्री ने वास्तविकता को समझा है तथा एक करोड़ तक के लाइसेंस के लिए कन्याकुमारी जितनी लम्बी दूरी से आने की आवश्यकता नहीं रही है । मुद्रास्फीति 30 प्रतिशत बढ़ी है । औद्योगिक लागत सीमा से बाहर बढ़ गई है । अतः मंत्री महोदय यह घोषणा करें कि 15 करोड़ रुपये तक का लाइसेंस राज्य सरकार दे सकती हैं । इससे देश के विभिन्न भागों में उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा । उन सभी उद्योगों को लाइसेंस लेने की आवश्यकता से बरी कर दिया जाये जिसमें देश में उपलब्ध जानकारी और मशीनरी तथा 15 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा लगेगी ।

लिमा सम्मेलन में यह विचार व्यक्त किया गया कि उद्योग और कृषि पर समान ध्यान दिया जाये । उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु में बिजली की कटौती लाग् की गई है । इस स्थिति के लिए केन्द्र जिम्मेदार है । यदि उन्होंने साधनों को विद्युत परियोजनाओं में लगाया होता तो हमारी स्थिति ऐसी नहीं होती । यदि औद्योगिक उन्नति के लिए सब से आवश्यक बिजली के उत्पादन के लिए समेकित प्रयत्न न किये गये तो औद्योगिक विकास एक कल्पना मात्र रह जायेगा ।

तमिलनाडु सरकार ने सर्वसम्मति से एक संकल्प पास किया जिसमें केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया गया कि नेवेली में दूसरी खान की खुदाई की जाये । किन्तु केन्द्र सरकार के निर्णय न लेने से तमिलनाडु सरकार को 400 करोड़ रुपये के निर्मित माल की हानि हुई ।

समाचार पत्रों में छपा है कि औद्योगिक विकास मंत्री ने पेट्रोलियम और रसायन मंत्री से बिजली उत्पादन के लिए जेनेरेटरों के चलाने हेतु अधिक डीजल देने का अनुरोध किया है । यह एक अच्छा कदम है । वे अधिक से अधिक डीजल इंजनों को प्राप्त कर उपभोक्ताओं का किराया खरीद आधार पर दें । इससे उद्योगों में सुधार होगा ।

श्री पाई के सरकारी क्षेत्र के बारे में व्यवहारिक रुख का स्वागत है । सरकारी क्षेत्र में निजी पूंजी लगाने की उनकी योजना का भी स्वागत है । इसमें राज्यों से सहयोग लिये जाने की भी आवश्यकता है । जिन राज्यों में उपक्रम स्थापित हो उनका वित्तीय हित इसमें होना आवश्यक है । राज्यों के औद्योगिक वित्त निगमों को केन्द्रीय उपक्रमों में निवेश करने की अनुमति दी जानी चाहिए ।

9 अप्रैल को एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया कि केन्द्रीय सरकार ने न राज्य सरकारों को कोई धनराशि निवेश करने के लिए कहा और न राज्य सरकारों ने सरकारी क्षेत्र में निवेश किया है । राज्य सरकारों को भविष्य में निवेश करने के लिए कहा जाना चाहिए । साथ ही क्षेत्रीय विकास के लिए राज्य सरकारों के साथ बातचीत की जानी चाहिए । यह पहला मौका है जब कि केन्द्रीय सरकार की औद्योगिक नीति सम्बन्धी संकल्प को कुछ सीमा तक लागू किया गया है । यदि औद्योगिक विकास और विनियमन अधिनियम को वर्तमान औद्योगिक

[श्री वी० मायावन]

स्थिति की अवहेलना कर लागू किया जाता है तो देश में औद्योगिक असन्तुलन बढ़ेगा। महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में सब से अधिक उद्योग हैं। आंध्र प्रदेश, केरल, मैसूर और तमिलनाडु में बहुत ही कम केन्द्रीय उपक्रम हैं। पालघाट में स्थापित किया जाने वाला एकक अभी भी शुरू नहीं हुआ है। साधारण व्यक्तियों के लिए ऋण की सुविधा नहीं है जब कि बिड़ला, टाटा के लिए विशेष प्रबन्ध किया गया है। महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए सरकारी वित्तीय संस्थानों से धन राशि स्वीकृत की जानी चाहिए।

पेराम्बूर में इन्टीगरल कोच फैक्टरी है। पता नहीं रेलवे बंगलौर में पुर्जे बनाने का एक कारखाना क्यों स्थापित कर रही है। क्या यह उचित नहीं होता यदि इसे पेराम्बूर में ही स्थापित किया जाता ?

पहली योजना से ही सरकारी उपक्रमों ने कोई लाभ नहीं दिखाया है। उद्योग मंत्री के कार्यभार संभालने के बाद से लगभग 50–60 प्रतिशत उपक्रमों ने 150 करोड़ रुपये का लाभ कमाया है। यह एक अच्छा रुख है। इन्हें प्रोत्साहन दिया जाये जिससे ये और लाभ कमा सकें।

औद्योगिक प्रार्थनापत्र सम्बन्धी सचिवालय का हमेशा प्रतिकूल रुख रहा है। मामूली कमी पर वह प्रार्थनापत्र रद्द कर देता है। मंत्री महोदय उनके इस रुख में परिवर्तन करें। प्रार्थनापत्रों को स्वीकार करने में इस सचिवालय को उदार होना चाहिए।

औद्योगिक प्रार्थनापत्र सम्बन्धी सचिवालय और तकनीकी विकास महानिदेशालय की समीक्षा के लिए एक समिति नियुक्त की जानी चाहिए।

कार उद्योग में 16,000 से 17,000 मजदूर बेकार हो गये हैं। कार की कीमत बढ़ रही है। स्कूटर घटिया किस्म के बनते हैं और अच्छी सेवा नहीं देते हैं। वितरक अच्छे पुर्जे निकाल देते हैं। स्कूटर के सहायक उद्योग भी घटिया पुर्जे बनाते हैं। मंत्री महोदय इस ओर ध्यान दें।

कागज का मूल्य बढ़ गया है। इससे पाठ्य पुस्तकों का मूल्य भी बढ़ गया है और किताबें गरीब विद्यार्थियों की पहुंच से बाहर हो गई हैं। अतः इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही की जानी चाहिए।

मंत्री महोदय ने जब कार्यभार संभाला तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि सीमेंट की 80 प्रतिशत क्षमता का उपयोग किया जायेगा। तीन महीने तक यह चलता रहा किन्तु उसके बाद सीमेंट आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया। इस्पात के सम्बन्ध में भी आम आदमी को काफी कठिनाई हो रही है।

सुपर बाजार ने चालू करते समय अच्छी प्रगति दिखाई थी किन्तु दिल्ली का सुपर बाजार असफल हो गया है। इसमें व्याप्त भ्रष्टाचार की ओर ध्यान दिया जाये।

सरदार स्वर्ण सिंह सोखी (जमशेदपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उद्योग तथा नागरिक पूर्ति को, मंत्रालय के अधीन चल रहे 15 सरकारी उपक्रमों ने उल्लेखनीय रूप से अच्छा काम किया है, बधाई देता हूं। उत्पादन बढ़ा है और जो लोग कहते हैं कि उत्पादन नहीं बढ़ा है वे गलत कहते हैं।

मोटर-गाड़ी उद्योग में इस समय ट्रेक्टर, वाणिज्यिक गाड़ियां, स्कूटर, मोपेड और मोटर साइकिल बनने में प्रगति हुई है। परन्तु इसकी मूल्य नीति की ओर सरकार को तुरन्त ध्यान देना चाहिए। लखनऊ स्थित स्कूटर इंडिया ने उत्पादन शुरू कर दिया तथा यह कारखाना अच्छा काम कर रहा है। उसके पास 2 करोड़ रुपये के निर्यात क्रयादेश हैं। और उनके स्कूटर भी अच्छे हैं।

कारों के मूल्य लगभग दुगुने हो गये हैं। सरकार इस पर नियंत्रण लगाए अथवा इन कारखानों का प्रबन्ध सरकार अपने हाथ में ले ले।

लघु उद्योगों से यह आम मांग है कि निर्मित माल पर लगे एक प्रतिशत के उत्पादन शुल्क को वापस ले लिया जाए। अन्यथा सरकार की आय बढ़ने के बजाय इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा। मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में वित्त मंत्री से बात करें।

लघु उद्योग की पूंजी की सीमा को कीमतों में हुई वृद्धि को देखते हुए $7\frac{1}{2}$ लाख रुपये से बढ़ा कर 10 लाख रुपये किया जाना चाहिए। राष्ट्रीयकृत बैंक अपने अपने राज्यों में वास्तविक पंजीयित लघु उद्योगों को ऋण दें।

इंडियन स्टेन्डर्ड वेगन एण्ड बर्न कम्पनी में नये व्यक्तियों की भर्ती कर सुधार किया जाना चाहिए।

यह प्रसन्नता की बात है कि पांचवीं पंच वर्षीय योजना के अन्त तक प्रत्येक सात गांवों में एक लघु उद्योग स्थापित किया जायेगा। बिहार प्राकृतिक साधनों से ही सम्पन्न नहीं है वरन् उसमें लघु उद्योगों के लिए बड़ी मात्रा में कच्चा माल उपलब्ध है। इसमें बहुत सी जनशक्ति बेकार है परन्तु अभी तक वहां लघु उद्योगों की स्थापना नहीं हो सकी है। सरकार इस ओर ध्यान दे और उचित कदम उठाए।

किसी भी सरकारी अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योग को तब तक विस्तार करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जब तक वह कुछ समय तक अपनी निर्धारित क्षमता के अनुरूप उत्पादन नहीं करते।

देश के पिछड़े वर्ग के लोगों को सरकारी क्षेत्र के कारखानों में रोजगार दिया जाना चाहिए क्योंकि उन्हें न्याय नहीं मिलता है।

सरकार को चाहिए कि समस्त देश में शिक्षण संस्थाओं में व्यापार प्रबन्ध के पाठ्यक्रम चालू करे तथा विद्यार्थियों को ऐसा प्रशिक्षण दे कि वे अपना ही काम आरम्भ करें।

सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हैं और यह आवश्यक है कि वहां सभी प्रकार के कारखाने खोले जायें। आरम्भ में वहां लघु उद्योग खोले जायें और बाद में बड़े उद्योग खोले जायें।

गैर-सरकारी क्षेत्र में कई ऐसे कारखाने हैं जो अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हैं। जमशेदपुर की टेल्को जैसे कारखानों में दो की बजाय तीन पारियों में काम चलाना चाहिए।

[सरदार स्वर्ण सिंह सोखी]

बिहार जैसे पिछड़ा राज्य केन्द्र की पहल के बिना प्रगति नहीं कर सकता है। केन्द्र सरकार को चाहिए कि राज्य सरकार को उचित प्रकार के लघु उद्योगों की स्थापना के सम्बन्ध में उचित दिशा निर्देश करे। लघु उद्योगों को राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण भी नहीं मिलता है। उन्होंने लघु उद्योगों को वे सभी सुविधाएं देना बन्द कर दिया है जो उन्हें पहले मिलती थीं। इस प्रकार उद्योग नहीं चल सकते हैं।

देश में बहुत से जाली उद्योगों का पंजीयन किया गया है परन्तु सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की है।

संसद् में कोका कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन के बारे में, जो कि शत प्रतिशत एक अमेरिकन कम्पनी है, प्रश्न उठाए गये हैं यह कम्पनी करोड़ों रुपये देश से बाहर भेजती है। सरकार इस पर रोक क्यों नहीं लगाती। इस पर तुरन्त गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय की वर्ष 1975–76 की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

Shri Janeshwar Misra (Allahabad): Mr. Deputy Speaker, Sir, in their report the Ministry have claimed that industrial production this year has been more as compared to the production made last year. The Ministry is also hopeful that production will increase in the coming months. But it is to be seen whether the production has increased commensurate with the rising demand of the people.

Secondly, we have also to see as to what has been our production as compared to the production in the neighbouring countries. Viewing from these two angles it appears that our production is going at a very slow peace. Industries are not being located in the neighbourhood of the requisite raw material but are being located at far away distances. This should be looked into.

When Britishers came to India they set up industries in the areas where they first came. The result was that industries came into being in the south and northern Inlia remained industrially backward. This imbalance still continues and the people there are still suffering. No effort has been made to improve the lot of these areas and they still remain backward.

There are reports of starvation deaths in a village named Daharia in Allahabad, Chhatisgarh, Gujarat, Orissa etc. This is all due to industrial imbalance. There has been no industrial development in these areas.

In our country both private and public sector industries are identical in many respects. There is exploitation in private sector industries because their motive is to earn profit. In public sector industries there is lot of mismanagement and wasteful expenditure. In public sector industries there are reports of cases of thefts. In Allahabad there is Triveni Structurals at Naini, zinc worth Rs. 20 lakhs has been stolen from that factory. There is mismanagement in that factory and such thefts take place there. Demands of the workers are not met. When they make demands for equal wages for equal work, bonus etc. they are dismissed. Therefore, there does not appear to be any difference in the public and private sector in so far as these demands are concerned.

There has been a dispute in the management of Bharat Pump Compressors four months back. There was a tussel between certain officers on the basis of regionalism. In such undertakings regionalism should not be allowed to have its influence.

The prices of the products prepared by public undertakings are not fixed properly by the Bureau of Industrial Costs. The approach of profiteering which we see in private industries can also be seen in public undertakings. This can be seen in the prices of certain drugs. In fact the price of any commolity produced in public sector undertaking shoull not be more than 1-1/2 times of the cost of production.

In regard to cement, it has been stated that the production would not be commensurate with the target fixed due to want of power. But it is the responsibility of government to ensure full supply of power.

In the market books and exercise books of controlled variety are not available. Birla group of paper mills instead of manufacturing controlled paper are manufacturing wrapping paper in order to make profit. We would like to know the names of the paper mills which are not producing controlled paper according to the quota of such paper which they promised to produce.

Khadi Gramodyog Board has also similar position. The institution is only ment for providing employment to Congress workers.

There has been a reference to cold storages in the report. The Hon'ble Minister should tell us whether the Ministry would be in a position to meet the requirements of the country so far as cold storages are concerned.

There is no implementation of the programmes. Foundation of a fertilizer factory was laid by the Prime Minister at Phulpur but now the foundation stone even is not seen there. There is also no coordination between the Ministries. The Ministry of Industry is responsible for creating large number of jobs for unemployed persons. But the report of the Ministry has made no mention about the jobs which are to be created for unemployed persons. A reference has also been made of introducing machines in place of workers. I would request that it is not good to do so at the cost of the employment of poor workers.

श्री वसन्त साठे पीठासीन हुए

Shri Vasant Sathe in the Chair

श्री डी० डी० देसाई (कैरा): मैं उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्री को उनकी सफलता के लिए बधाई देना चाहता हूं। मैं आशा करता हूं कि इस वर्ष विकास की दर बढ़ कर ८ प्रतिशत हो जायेगी।

सरकारी क्षेत्र में, चाहे इस्पात के कारखाने में हो या अन्य कारखाने में, काम बहुत अच्छा रहा है और आशा है कि प्रगति होती रहेगी। यद्यपि इस दिशा में स्थिति कुछ बिगड़ी है किन्तु वर्तमान मन्त्री महोदय ने इसे सम्भाला है। इसका कारण और अच्छा आयोजन, नियन्त्रण उत्पादन कार्यक्रम है। मेरा निवेदन है कि ऊर्जा, इस्पात और खान रेलवे आदि मन्त्रालय अपनी आवश्यकताओं की योजना तैयार करें ताकि उद्योग मन्त्रालय उन्हें पूरी कर सकें। इस्पात कारखाने भी ठीक काम कर रहे हैं और इस्पात की

[श्री डा० डा० देसाई]

उपलब्धता है। हमारे निर्यात लक्ष्य ऊंचे हैं किन्तु हमारी स्थापित क्षमता तथा उपकरणों की उपलब्धता इन लक्ष्यों को तब तक प्राप्त नहीं कर सकती है जब तक हमारे पास और अच्छे उपकरण तथा सामग्री नहीं है।

इस समय जो कठिनाई है वह सीमित वित्त के कारण है। उन पूंजीगत उपकरणों का जिनका आंशिक मूल्य विदेशी मुद्रा में है, और अधिक उपयोग किया जाना चाहिए। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए ऋण सम्बन्धी आयोजन किया जाना चाहिए और यह कार्य शीघ्र आरम्भ किया जाना चाहिए।

तैयार माल की खपत भी बड़ी समस्यायें खड़ी कर रही है। जिन वस्तुओं की कमी होती है, उनकी जमाखोरी शुरू हो जाती है। उपभोक्ता वस्तुओं के क्षेत्र में धन लगाना अनिवार्य है, क्योंकि इसके द्वारा ही लोगों को आवश्यक वस्तुयें उपलब्ध होती हैं। अतः ग्रामीण जनता, मूल रूप से, किसानों को अपनी उपज, अपनी फसलों के उचित दाम मिलने चाहियें। इसके लिये कृषि मूल्य आयोग को सभी बातों पर ध्यान देना चाहिये।

हमारे अधिकांश उपादान कृषि क्षेत्र से हैं। यदि हमें इनकी कीमत को कम करना है तो कृषि क्षेत्र के लिये कम दर पर उपादानों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। उदाहरण के लिये लम्बे रेशे वाली कपास को ले लीजिये। कपड़ों का मूल्य निर्धारित करते समय इस बात पर विचार किया जाना चाहिये कि रूई के उत्पादन पर कितनी लागत आती है। दुर्भाग्यवश कृषि मूल्य आयोग के पास इस प्रकार के आंकड़े नहीं हैं।

उद्योगों के बारे में भी अनेक कठिनाइयां हैं——जैसे बिजली, परिवहन, इस्पात, कोयला आदि। इन सब बातों पर विचार करना होगा और हल निकालना होगा। बिजली के बारे में हमें यह मालूम करना है कि पंजाब तथा तमिलनाडु जैसे प्रगतिशील राज्य भी अधिष्ठापित क्षमता के 30—40 प्रतिशत भाग का उपयोग क्यों नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि या तो उपकरणों में त्रुटि है अथवा कहीं किसी जगह कोई कमी है, जिसके कारण विद्युत् सन्यन्त्र अधिकतम उत्पादन नहीं कर सकता।

एक और कठिनाई रेलवे माल डिब्बों की उपलब्धि के बारे में है। हमारे देश में लगभग 25 करोड़ माल डिब्बों की क्षमता है। इस क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग किया जा सकता है।

इस्पात के क्षेत्र में भी अन्तर है। इस्पात का उत्पादन कुछ बढ़ा है। परन्तु सन्यन्त्र की क्षमता बहुत अधिक है। हमने इस्पात सन्यन्त्रों की स्थापना और विस्तार में काफ़ी धन लगाया है। तैयार किया गया इस्पात या तो कारखानों में बन्द रहा या भण्डारों में। कठिनाई इंडेंटों की व्यवस्था करने और अन्य उत्पादकों को इस्पात उपलब्ध कराने की रही। इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिये। इन इस्पात कारखानों को इस्पात का नियतन और इसकी सप्लाई करनी चाहिये।

मैं चाहता हूं कि मन्त्रालय को क्षमता के उपयोग में कड़ाई बरतने के लिये किये गये प्रयास में सफ़लता मिले। वर्तमान कारखानों का उपयोग करना पर्याप्त नहीं है। बढ़ती हुई आबादी और जीवन-स्तर के परिणामस्वरूप अधिक माल और सेवाओं की मांग को पूरा करने के लिये नई क्षमतायें उत्पन्न करनी होंगी। नये सन्यन्त्रों के लिये न तो बैंकों के पास धन है और न ही वित्तीय संस्थाओं के पास। यह बड़ा गम्भीर मामला है, जिसे मन्त्री महोदय को हल करना होगा। उन्हें धनराशि देनी चाहिये अथवा रिजर्व बैंक से धन दिलाना चाहिये।

Prof. S. L. Saksena (Maharajganj): Mr. Speaker, Sir, I am happy to learn that the public sector undertakings which have so far been showing losses, have now started giving profits. This is really very heartening, because we have invested thousands of crores of rupees in these enterprises. It will be indeed an achievement if the Minister can make the steel plants function profitably and remove the impression in the mind of the people that the public sector is just useless.

There are 230 sugar factories in the country today. Although the wages of the workers in the industry have gone up, these are still much less than what workers in other industries such as steel, textile, coal and cement are getting. The workers in the sugar industry, which is giving maximum production today, should also be given wages at par with those workers in other industries.

The Union Labour Minister had convened a conference in December, 1964 wherein he had declared that a tripartite conference will soon be called to decide what should be the wages of sugar industry workers. But no such conference has been called till this day.

In 1969 a resolution for the nationalisation of the sugar industry was passed in the Congress Session at Bombay. Since then mill-owners are not investing any money in the factories. They are not making even annual repairs. As a result, major break-downs are taking place every day causing immense harm to workers and growers. Either the government should declare that it is not going to nationalise the industry, so that the mill-owners can invest in their mills or the government should take it over. Sugar industry is the second biggest industry in the country. It should be nationalised as early as possible, so that the cane grower, the consumer and the industry are benefited.

The khandsari industry is also finding itself in great difficulty. They levy on khandsari is being raised to 50 per cent. This is atrocious. A number of khandsari units have closed down and a huge quantity of sugarcane is going waste. The levy on khandsari should be withdrawn.

The problem of houses for the sugar industry workers is very serious. During seasons, the workers live in horrible conditions. The government must make it compulsory for the mill-owners to build suitable houses for the workers.

Cement factories should be set up in places where the necessary raw material is available. This is not being done at present. More factories should be opened in such areas where the raw material is available.

Steps should be taken to improve the paper industry, so that we do not have any shortage of paper.

I hope that the problems of our industry will be solved during the time of the honourable Member and our country will make progress in the matter of industry.

Shrimati Premalabai Chavan (Karad): Mr. Chairman, Sir, there is no doubt that the country has made progress in the industrial field. The bigger countries might have made progress but a poor as we are, we have made considerably good progress.

I want to draw the attention of the honourable Minister towards the small scale industries. Small scale industries can play a big role in the development of our country's economy. These industries need proper help and incentives. Although government give so many facilities for setting up small scale industries, the people, who want to set up these industries, find it difficult to get financial assistance from the banks or other agencies. If a separate finance corporation is set up for small scale industries, it will be of great help to them in the matter of providing loans etc.

Women can be very usefully employed in the small scale industries. In Maharashtra several small scale industries training centres for women are opened, in which women take a very active part. Similar centres can be opened in the other towns also, which will give very useful training to women. This is the International Women's year and we can do a lot for women in this field.

In industries like bidi and matches, some reservation should be made for women who can do these jobs in a much better way.

Sahyadri hills in our area are very rich in natural resources. If some research is done and these resources are exploited, we will be very much benefited.

In the field of electronics also, women's contribution can be much more. Even today women are working in the electronics industry. There is a lot of scope for the expansion of this industry in the country which will help in giving employment to women.

Bigger factories should be set up in the rural or backward areas also.

I hope that the Ministry will do some wonderful job during the International Women"s Year and the honourable Minister will give satisfactory reply to the points raised by me here.

सभापति महोदय : विरोधी पक्ष की ओर से केवल दो सदस्यों को बोलना है । अत: मैं पहले दो सदस्यों को इस पक्ष से बुलाऊंगा और एक सदस्य को उस पक्ष से ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : महोदय, कानपुर में कपड़ा संकट चल रहा है । अत: मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप हमें 5 मिनट का समय दीजिये ।

सभापति महोदय : मैं विचार करूंगा । श्री रामसिंह भाई ।

SHRI RAM SINGH BHAI (Indore): Mr. Chairman, Sir, the Ministry of Industry has done a commendable job under the able guidance of the Minister and his colleagues. Our industrial production in 1974 was higher as compared to the production in 1973 and projects for the year 1975 are bright.

Our newsprint production has also increased and the additional demand of newsprint on account of elections will also be met. National Newsprint, Nepanagar is now earning profit. In 1956-57 this factory had suffered a loss of Rs. 1 crore and 15 lakhs while in 1973-74 it had earned net profit of Rs. 79 lakhs and 68 thousands.

Workers in the public sector are getting higher wages than those in the private sector. Also their service conditions are better. Victimisation of workers is also less in the public sector than in the private sector.

There is shortage of resources with the government for industrial development. Either the government can raise resources by imposing taxes on the people or they can ask the people to invest their capital. Therefore the concept of the jonit sector with 51 per cent shares of the government has been evolved. This is a welcome step.

Nationalisation alone will not solve our problems. Before going in for nationalisation proper public opinion has to be created. What we find is that workers do less work after nationalisation of a particular industry than what they did when it was in private hands.

In the public sector undertakings it so happens that Managing Directors and other high officials bring in people of their own caste or language. The result is that local people do not get employment. This practice should be checked. Also there is a need for keeping a watch on the purchases made in the public sector, so that quality does not deteriorate.

The government have taken over 103 textile mills with 100 years old machinery. These mills will not run profitably if controlled cloth is produced in them. Fine and super fine cloth should be manufactured in these mills. Controlled cloth should be manufactured in private mills, which have already earned huge profits. These 103 textile mills should be modernised. Only then they will be able to stand in competition with other mills.

The National Newsprint Nepanagar pays 32 per cent as production bonus. What happens is that the Managing-Director gets about Rs. 5 thousand as production bonus in a year, while a worker gets about Rs. 400 a year. Workers are responsible for increasing production and not the Managing-Director. Workers should be given bonus at a higher rate than the rate for the officials.

Production and profit of the National Newsprint Nepanagar have gone up. It is hoped the factory will work to full capacity next year and the profit will go up still higher. But attention should be paid towards improving the quality of the paper.

श्री के० ए० चावड़ा (पाटन) : सभापति महोदय, प्रारम्भ में मुझे यही कहना चाहिये कि उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय का कार्य बिल्कुल सन्तोषजनक नहीं है। अधिकांश अधिकारियों ने उद्योग विकास और विनियमन अधिनियम तथा नियमों और विनियमों को अपने व्यक्तिगत लाभ का साधन बनाया हुआ है। यही अधिकारी विदेशी कम्पनियों को उद्योग विकास और विनियमन अधिनियम तथा नियमों और विनियमों का उल्लंघन करने के लिये प्रोत्साहन देने के लिये जिम्मेदार हैं। और यही अधिकारी औषध उद्योग, पेय उद्योग, सिगरेट उद्योग आदि जैसे सभी उपभोक्ता उद्योगों का नियन्त्रण विदेशी फर्मों को देने के लिये जिम्मेदार हैं।

ऐसा प्रतीत होता है कि उद्योग विकास और विनियमन अधिनियम और नियम तथा विनियम केवल भारतीय कम्पनियों के लिये ही बनाये गये हैं, विदेशी कम्पनियों के लिये नहीं। इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी को भी बिना लाइसेंस के नई ब्रांड की सिगरेट बनाने की अनुमति नहीं है, परन्तु विदेशी सिगरेट निर्माता लाइसेंस के बिना नई ब्रांड की सिगरेट बना रहे हैं। परन्तु उनके विरुद्ध अभी तक कोई दण्डात्मक कार्यवाही नहीं की गई है।

[श्री के० एस० चावड़ा]

कोका कोला निर्यात निगम को भारत सरकार का संरक्षण प्राप्त है। इस निगम ने 1970 में 44 लाख रुपये का लाभ कमाया था और एक करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि विदेश भेजी थी। निगम के पास न तो कोई पंजीकरण प्रमाणपत्र है और न ही उद्योग विकास और विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत औद्योगिक लाइसेंस है। फिर भी इस निगम ने 1971 में 10.1 लाख रुपये का सामान डेनमार्क को निर्यात किया और सेवा प्रभार के रूप में 15.75 लाख रुपये विदेश भेजे। इसका मतलब है कि लाभ की अपेक्षा विदेशी मुद्रा को हानि अधिक हुई है। इस निगम के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जानी चाहिये तथा इस निगम की गैर-कानूनी गतिविधियों की रक्षा करने वाले अधिकारियों को दण्ड दिया जाना चाहिये और इस निगम द्वारा धनराशि स्वदेश भेजे जाने पर रोक लगायी जानी चाहिये।

तकनीकी विकास महानिदेशक ने अधिकांश विदेशी औषध निर्माता कम्पनियों को उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम तथा लाइसेंस समिति के नियमों और निर्णय का उल्लंघन करके कच्चे माल की अनुमति दी है। परन्तु भारतीय फर्म को कच्चे माल की अनुमति नहीं दी जाती है। मैं तत्काल और पूरी जांच करने के लिये माननीय मन्त्री और सभा को कुछ मामले बतलाऊंगा। जिन मामलों में अनावश्यक जल्दी की गई है, उनकी शीघ्र जांच करने और उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने की आवश्यकता है। मेसर्स सी० ई० फुल फोर्ड की पूर्ण जांच करने की आवश्यकता है। वास्तव में यह राष्ट्र विरोधी निर्णय है और इसकी समाचारपत्रों में आलोचना हुई हैं।

मेरी दूसरी बात यह है कि ऐसे सभी मामलों की, जिनमें औद्योगिक लाइसेंस लाइसेंस समिति को भेजे बिना जारी किये गये हैं, तुरन्त और पूरी जांच होनी चाहिये। उदाहरण के लिये मेसर्स सैन्डोज़ का मामला ऐसा ही है। मेसर्स होइचस्ट की भी जांच किये जाने की आवश्यकता है।

अनुपूरक लाइसेंस समिति एक अनावश्यक निकाय है। इस समिति के गठन के प्रयोजन की पूरी जांच करने की आवश्यकता है।

मैं निम्नलिखित सुझाव दे रहा हूं। मन्त्री महोदय को इन्हें लागू करना चाहिये। (1) भारतीय मध्यम पैमाने के उद्योग को, जिनका मद-वार उत्पादन प्रतिवर्ष 3 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है। अपनी ही समग्र क्षमता के भीतर और आयातित माल पर प्रतिबन्ध लगाये बिना विविधीकरण को अनुमति दी जानी चाहिये। (2) भारतीय मध्यम पैमाने के उद्योगों का पंजीयन स्वतः होना चाहिये। (3) भारतीय मध्यम पैमाने के उद्योगों को लाइसेंस समिति में प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिये। (4) पिछड़े क्षेत्रों के स्थित एककों को औद्योगिक लाइसेंस प्रार्थनापत्र देने पर लाइसेंस समिति को भेजे बिना स्वतः मिलने चाहियें।

श्री के० रामकृष्ण रेड्डी (नलगोंडा): सभापति महोदय, मैं इस मन्त्रालय के सफल अभिनव प्रयासों और औद्योगिक विकास दर में सुधार करने के कार्य के लिये बधाई देता हूं।

कृषि उपादानों की पर्याप्त उपलब्धि है। चीनी का और भी काफी मात्रा में उत्पादन हो सकता था, जूट का काफी निर्यात किया जा सकता था तथा कपास की देश में और निर्यात के लिये मांग को पूरा किया जा सकता था परन्तु औद्योगिक क्षमता उपयोग और क्षमता वृद्धि में कमियां होने के कारण ऐसा नहीं किया जा सका। कृषि उपादानों के भारी मात्रा में उपलब्ध होने पर भी राष्ट्रीय संसाधन, कर राजस्व तथा विदेशी मुद्रा संसाधनों की समुचित वृद्धि नहीं हुई है। उद्योगों की असफलता के कारण देश और उत्पादकों पर बड़ा गम्भीर प्रभाव पड़ा है। कृषि-उत्पादन को गम्भीर खतरा उत्पन्न हो गया है। कृषि औद्योगिक उत्पादन को ध्यान में रखते हुए मन्त्रालय को अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयों के साथ समन्वय स्थापित कर इस स्थिति में सुधार करना चाहिये और ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होनी दी जानी चाहिये।

खेद की बात है कि निर्बाध गति से बढ़ रही मुद्रास्फीति की स्थिति के कारण उपभोक्ता उद्योगों पर अधिकतम क्षमता की कोई अनिवार्यता नहीं है और सीमित उत्पादन से वे अधिकतम मुनाफा कमाते हैं। यद्यपि मुद्रास्फीति की स्थिति को नियन्त्रित कर लिया गया है लेकिन यह अभी कुछ समय तक रहेगी फिर भी निबंन्धात्मक प्रक्रिया को नियन्त्रित करने के लिये वित्तीय उपाय करने पड़ेंगे और पूर्ण क्षमता का उपयोग करने तथा नई क्षमता स्थापित करने हेतु प्रोत्साहन देने के लिये कदम उठाने होंगे।

इसी तरह से पिछड़े क्षेत्रों में नई औद्योगिक क्षमता स्थापित करने के मामले में हमें ठोस और उद्देश्यपूर्ण कदम उठाने होंगे, क्योंकि हम इस सम्बन्ध में क्षेत्रीय असन्तुलन दूर नहीं कर पाये हैं।

आन्ध्र प्रदेश में सीमेंट उत्पादन करने के लिये काफी गुंजाइश है परन्तु खेदजनक बात यह है कि अनेक परिचित स्थलों में आवश्यक कच्चे माल के निक्षेपों का पता लगाने के लिये प्रयास नहीं किये गये हैं। असाधारण विलम्ब के बाद आदिलाबाद और एराकुन्तल परियोजनाओं में कोई प्रगति नहीं हुई। इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिये प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक सहायता दी जानी चाहिये।

हैदराबाद में एक ट्रेक्टर, स्कूटर और टायर-निर्माण उद्योग की स्थापना के लिए प्रयास किये जाने चाहिये। मुझे आशा है कि श्री टी०ए०पाई० के योग्य मार्गदशन में यह उद्योग प्रगति करेगा। इन शब्दों के साथ मैं मांगों का समथन करता हूं।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : सभापति महोदय, सबसे पहले मुझे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, विशेषरूप से भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, हरिद्वार, हैवी इलेक्ट्रिकल्स, भोपाल, तथा अन्य सरकारी उपक्रमों में देनदारियों और घाटे को समाप्त करने के लिये मन्त्री महोदय और उनके मन्त्रालय को बधाई देनी चाहिये। इससे मुझे विश्वास होता है कि सरकार उपक्रम कुशलता के साथ चलाये जा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं,, जिन पर उन्हें तुरन्त ध्यान देना चाहिये। मैं इस सदन में यह कहता रहा हूं कि सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों के लिये समान वेतननीति निर्धारित की जानी चाहिये, जिससे श्रमिकों में कोई असन्तोष न होने पाये।

मैं सदन में यह भी कहता आ रहा हूं कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के श्रमिकों को केन्द्रीय श्रम विधान के अन्तर्गत लाया जाना चाहिये। मन्त्री महोदय को इस पर विचार करना चाहिये कि क्या इन सरकारी उपक्रमों को जो सभी प्रयोजनों के लिये स्वायत्तशासी निगम हैं, केन्द्रीय श्रम विधानों के अन्तर्गत नहीं लाया जाना चाहिये और क्या केन्द्रीय सेवाशर्तें उन पर लागू नहीं की जानी चाहिये। मैं ऐसा इसलिये कह रहा हूं क्योंकि केन्द्रीय मन्त्रियों द्वारा दिये गये निर्णय इसी कठिनाई के कारण लागू नहीं किये जा सकते।

इसके बाद मैं बोर्ड में श्रमिकों के प्रतिनिधियों को शामिल करने की बात करता हूं। माननीय मन्त्री ने विभिन्न समितियों में यह बिलकुल स्पष्ट कर दिया है कि श्रमिकों का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, अपितु संयंत्र स्तर पर भी होना चाहिये। जब तक श्रमिकों के प्रतिनिधियों को संयंत्र स्तर पर शामिल नहीं किया जायेगा, तब तक उत्पादन नहीं बढ़ेगा। मैं इन श्रमिकों की ओर से आपको आश्वासन देता हूं कि श्रमिक न केवल घाटा पूरा करने के लिये, अपितु सरकारी उपक्रम की मानमर्यादा बनाये रखने के लिये भरसक कोशिश करेंगे और जो लोग सरकारी उपक्रमों की आलोचना कर रहे हैं, उनके लिये यह मुहतोड़ उत्तर होगा। यदि इन्हें संयंत्र स्तर पर प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया और उनको विश्वास में लिया गया तो वे उपक्रम की प्रसिद्धि बनाये रखेंगे।

[श्री एस० एन० बनर्जी]

अब मैं कपड़ा मिलों को लेता हूं। माननीय मन्त्री ने बताया है कि म्योर मिल और विक्टोरिया मिल को, जो राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अन्तर्गत आते हैं धन की कमी के कारण हानि नहीं उठानी पड़ेगी। केवल धन का ही प्रश्न नहीं है। हमने कहा है कि इन्हें मजूरी की बकाया राशि, उपदान आदि का भुगतान करने के लिये ढाई करोड़ रुपये की आवश्यकता है। किन्तु यह देने से पहले मिलों के कार्यकरण की भलीभांति जांच होनी चाहिये कि क्या प्रशासक, नियंत्रक अथवा प्रशासकीय अध्यक्ष इस धन का मिलों के हित में उपयोग कर रहे हैं। मैंने यह सुझाव दिया है कि एक जांच समिति बनायी जाये जो यह सुनिश्चित करे कि धन का प्रयोग विशेष मिलों के आधुनिकीकरण के अलावा किसी और प्रयोजन के लिये न किया जाये।

मुझे माननीय मन्त्री श्री बी०पी० मौर्य को टैनरी और फुटवियर निगम की स्थापना का निर्णय लेने के लिये बधाई देनी चाहिये। मैंने कई बार कहा है कि सरकार को ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन से फ्लैक्स यूनिट को अपने हाथ में लेना चाहिये। अब यह राष्ट्रीयकृत मिल है। मन्त्री महोदय ने एक अनुभव-प्राप्त तकनीकी व्यक्ति को इसका प्रबन्ध-निदेशक बनाया है। यदि इस एकक ने काय ठीक किया तो इसे अधिक निर्यात क्रादेश प्राप्त होंगे। अब यह रूस, चेकोस्लोवाकिया और अन्य देशों को जूते सप्लाई कर रहा है। हमारे पास बहुत से क्रादेश पड़े हैं। अतः हम चाहते हैं कि यह एकक कुशलता के साथ कार्य करे।

स्कूटर्स (इण्डिया) लिमिटेड पर मुझे गर्व है कि इसने समय से पूर्व उत्पादन करना आरम्भ कर दिया है। मैंने वहां देखा है कि कैसे नवयुवक स्कूटरों का निर्माण करते हैं। इन नवयुवकों को बोनस क. प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये।

इस महीने की 25 तारीख को मैंने सभा में लक्ष्मी रतन काटन मिल्स, कानपुर के बारे में बताया है। श्री टी०ए० पाई ने उत्तर दिया कि कुछ जांच क गई है और प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है। मैं कहता हूं कि यदि सरकार ने तुरन्त इसे अपने हाथ में नहीं लिया तो श्रमिकों को बड़ी कठिनाई होगी। जांच रिपोर्ट सभा पटल पर रखी जानी चाहिये और इस मिल का शीघ्र ही सरकार द्वारा अपने हाथ में लिया जाना चाहिये।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा रुग्ण कपड़ा मिलों को अपने हाथ में लेने सम्बन्धी विधेयक पर चर्चा के दौरान मुझे इस बात की खुशी हुई थी कि माननीय मंत्री श्री बी०पी० मौर्य ने इस आशय के कुछ संशोधन स्वीकार कर लिये थे कि श्रमिकों की मजूरी या उपदान के भुगतान को प्राथमिकता दी जायेगी। इसके बाद भी मजूरी नहीं दी गई है। मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इस बारे में कुछ करें।

सूती कपड़ा मिलों में लगभग 11,000 श्रमिकों को क्षति पहुंच रही है। मिल मालिक मिलों को बन्द कर रहे हैं। उनका कहना है कि बिजली की कटौती कर दी जाती है। अतः श्रमिकों को वेतन नहीं मिलेगा। उद्योग मन्त्री और श्रम मन्त्री को एक संयुक्त बैठक बुलानी चाहिये और उसमें नियोजकों तथा कर्मचारियों को भी बुलाया जाना चाहिये तथा इस मामले को निपटाने के लिये आवश्यक कदम उठाये जाने चाहियें। यदि एक सप्ताह के भीतर इस समस्या को हल नहीं किया गया, तो श्रमिक ज़बरदस्ती से मिलों पर कब्ज़ा करेंगे और मिल मालिकों को भारत रक्षा नियमों या "मीसा" के अन्तर्गत गिरफ्तार करने के लिये सरकार को मजबूर कर देंगे।

श्री चपले भट्टाचार्य (गिरिडीह) : सभापति महोदय, मैं इस मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करने के लिये खड़ा होता हूं। गत कुछेक महीनों में हमारी अर्थव्यवस्था को भारी धक्का पहुंचने के बावजूद इस मंत्रालय का कार्य अच्छा रहा है।

औद्योगिक विकास के ठोस कारणों के फलस्वरूप अक्तूबर, 1947 से मुद्रास्फीति की दर घटी है और क्षमता का अधिक उपयोग हुआ है।

हम आर्थिक और प्रौद्योगिकी स्वतन्त्रता प्राप्त करने जा रहे हैं। किन्तु कल्पना और वास्तविकता के बीच एक परछाईं आ गई है और वह परछांई है विदेशों से सभी तरह की मशीनों का आयात। जिस तेज़ गति से विदेश विकास कर रहे हैं उस गति से 10 वर्षों में हमारे संयंत्रों के लिये कल पुर्ज़ों की कमी होने लगेगी और हमें उनके डिज़ाइन में परिवर्तन करना पड़ेगा। प्रौद्योगिकी स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिये हमें कठोर कदम उठाने होंगे। उदाहरण के तौर पर जापान में जब कोई मशीन आयात की जाती है तो वे उसे बिल्कुल खोल लेते हैं। उनका एक विशाल डिज़ाइन, ड्राइंग, विकास और अनुसंधान स्कन्ध है। वे मशीन के पुर्ज़ों के डिज़ाइन बनाते हैं। फिर उस संयंत्र को पुनः जोड़ते हैं और चलाते हैं। जब तक हमारे यहां एक विशाल डिज़ाइन और विकास स्कन्ध नहीं होगा, तब तक कल पुर्ज़ों के आयात पर आधारित हमारी प्रौद्योगिकी निर्भरता बढ़ती जायेगी। हमें अब इसके विपरीत स्थिति लानी है। हमने अब अपने आयात को उदार बना दिया है। भुगतान संतुलन अन्तर 1,000 करोड़ रुपये है। हमें अपनी निर्यातक्षमता बढ़ाने के लिये यह देखना है कि आयातित माल की खपत देश में न की जाये, बल्कि इसका उपयोग निर्यात बढ़ाने के लिये किया जाये, जिससे 1,000 करोड़ रुपये का अन्तर हमारे प्रयासों से ही समाप्त हो जाये। यही आत्मनिर्भरता है।

इसके बाद मैं भारत के विकास के लिये मशीनों और कलपुर्ज़ों के मानकीकरण और प्रौद्योगिकी अभिनवीकरण का सुझाव देता हूं।

मुझे खुशी है कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, भोपाल में प्रौद्योगिकी आधुनिकतम बनती जा रही है। सरकारी क्षेत्र का जो निगम महत्वपूण कार्य कर रहा है उसकी विशेष सराहना की जानी चाहिये। परन्तु जब तक हम सतत प्रयास नहीं करेंगे तब तक हमारे सामने आधुनिकीकरण और साज़ समान की समस्या बनी रहेगी।

इसके बाद आने वाले वर्षों में हमारे सामने मशीनों के देशीकरण की समस्या है। निर्यात के मामले में भी हम यह जानना चाहते हैं कि इस दिशा में हम क्या कुछ कर रहे हैं। सीरिया, मिश्र, कुवैत और ईरान जैसे देश इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही कर रहे हैं। हमें इस मामले की ओर ध्यान देना है। ये देश द्विपक्षीय समझौते करने जा रहे हैं। अमरीका तथा पूर्वी यूरोप के देश भी ऐसा ही कर रहे हैं। लेकिन इस दिशा में हमारी गति धीमी है। इस स्थिति में हम पेट्रो डालर की मार्केट कभी भी नहीं पकड़ सकेंगे, जिसकी हमें बड़ी आवश्यकता है।

यह खेद की बात है कि जमशेदपुर स्थित राष्ट्रीय धातुविज्ञान प्रयोगशाला सीधी कमी की प्रक्रिया का उपयोग नहीं कर रही है। एक मार्गदर्शी संयंत्र को स्थापित करने हेतु धन लगाने के लिये कोई उद्योग सामने नहीं आ रहा है। यदि इस प्रक्रिया से काम लिया गया, तो हम काफी प्रगति कर सकते हैं।

भारत में इस्पात का मूल्य 1,300 रुपये प्रति टन है जबकि इसका अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य 3,000 रुपये प्रति टन है। हमारे देश में मूल्य जोड़ने की प्रक्रिया है, जिसके द्वारा यदि हम इंजीनियरी मशीनरी को बना कर निर्यात करें तो निर्माता को 3,000 रुपये प्रति टन देना पड़ेगा। इस प्रक्रिया पर पुनः विचार करना होगा।

[श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य]

मंत्री महोदय को उन मापदंडों पर विचार करना होगा जिनके अन्तर्गत योजना आयोग ने पिछड़े क्षेत्रों का वर्गीकरण किया है। मेरा क्षेत्र छोटा नागपुर पठार है। यह क्षेत्र सरकारी क्षेत्र के निगमों के प्रभाव में लड़खड़ा रहा है।

हमारी दो-क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था है--जिसमें से एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें लोग गंदगी, अज्ञान, गरीबी और बैचेनी के वातावरण में रह रहे हैं। हमारे पास सहायक उद्योग भी होने चाहिएं क्योंकि भारी उद्योगों के साथ इनका होना आवश्यक है।

सौभाग्यवश औद्योगिक सम्बन्ध अच्छे हैं। उद्योगों में श्रमिकों को भागीदार बनाया जाना चाहिए। यह भागीदार सैद्धान्तिक नहीं व्यवहारिक होनी चाहिए। किन्तु आजकल प्रबन्धक तो नये सरमायादार बने हैं वह नहीं चाहते कि श्रमिकों की सलाह भी ली जाये। किन्तु अगर हम कर्मचारियों को विश्वास में लें तो हम उत्पादन में 15 से 20 प्रतिशत तक की वृद्धि कर सकते हैं। इसके लिये हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि उद्योगिक प्रबन्धक निष्पक्षता बरते। सरकारी क्षेत्रों में सुधार हुआ है किन्तु अभी इसे और सुधारा जा सकता है।

हमें क्षमता उपयोग सम्बन्धी बोनस की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि अदायगी कर्मचारियों को की जा सके। यदि अधिकारियों को भी कुछ बोनस दिया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, आपत्ति इस बात में होगी यदि कर्मचारियों और अधिकारियों के बोनस में बहुत भारी अन्तर रखा जायेगा।

समय से पहले पदोन्नतियां नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार की पदोन्नतियों से सारे कारखाने के कर्मचारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अच्छे औद्योगिक सम्बन्धों का बनाया जाना जरूरी है। इसके लिए इस मंत्रालय के नागरिक पूर्ति विभाग को सुपर बाजारों द्वारा कपड़े, साबुन तथा अन्य जरूरी चीजों के वितरण के लिये शीघ्र कदम उठाने चाहिएं।

रांची में अन्तर्राष्ट्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना की जानी चाहिए।

श्री एस० एल० पेजे : (रतनगिरि) : पिछले कई वर्षों के दौरान बहुत सी राशि लगाये जाने के बावजूद भी सरकारी उपक्रम सन्तोषजनक प्रगति नहीं कर सके हैं किन्तु जब से श्री पाई मंत्री बने हैं तब से इस $1\frac{1}{2}$ वर्ष के बीच कुछ सरकारी उपक्रम प्रगति करने लग गये हैं। यह बात उत्साहवर्धक है।

हमारे सामने बेरोजगारी की विकट समस्या है। शिक्षित बेरोजगारी दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है। इस समस्या का समाधान अधिकाधिक उद्योग स्थापित करके ही किया जा सकता है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रम ही इस समस्या को हल नहीं कर सकते। इस हेतु उचित पिछड़े क्षेत्रों के प्रबन्ध सम्बन्धी योग्यता तथा अनुभव वाले लोगों को ही उद्योग स्थापित करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

सरकार की संयुक्त क्षेत्र सम्बन्धी नीति का स्वागत किया जाना चाहिए। इस नीति के अनुसार उपक्रमों में लोगों तथा सरकार दोनों के शेयर होंगे। संसाधन जुटाने का तरीका कराधान है किन्तु कर लगाने से लोग कर की चोरी करने लगते हैं किन्तु अगर नई कम्पनियां और नये उद्योग स्थापित किये जायें तो लोग धन लगाने के लिये जल्दी सामने आते हैं। मंत्री महोदय को इस नीति के साथ आगे बढ़ना चाहिए।

योजना आयोग ने 229 जिलों को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिले घोषित किये हैं। प्रोत्साहन देने मात्र से उद्योग आकर्षित नहीं होंगे। क्योंकि इन पिछड़े जिलों में कोई बुनियादी ढांचे नहीं हैं। इसमें सन्देह नहीं कि कुछ लाइसेंस भी दिये गये हैं। लेकिन वहां बहुत कम लोग उद्योग स्थापित करने गये हैं। महाराष्ट्र तथा गुजरात में ऐसे बहुत से जाली उद्योग हैं जिनके बारे में सरकार को बाद में जांच करनी पड़ी। इस प्रकार की जांचों से पता चला है कि बहुत से लोग लाभ और सुविधायें प्राप्त करने के उद्देश्य से सामने आते हैं। मंत्रालय को इस सम्बन्ध में नियंत्रण रखना चाहिए अन्यथा इस प्रकार की बातें जारी रहेंगी।

पिछले 10–15 वर्षों में यह हुआ है कि वित्तीय संस्थान उन लोगों को धनराशि अथवा सहायता देते हैं जिनका प्रभाव होता है। पिछड़े क्षेत्रों को दी जा रही सहायता का वहां के लोगों को लाभ नहीं पहुंच रहा है क्योंकि लाइसेंस वगैरह नहीं ले सकते और न ही उसके लिये दिल्ली आ सकते हैं अथवा न ही महाराष्ट्र की राजधानी बम्बई में वित्तीय सहायता लेने जा सकते हैं।

मेरे जिले में बहुत से लवण पटल हैं। लवण पटल के मालिक की मृत्यु के पश्चात् किरायेदारी अथवा स्वामित्व के अधिकार समय पर उत्तराधिकारी को नहीं हस्तांतरित किये जाते। नमक तैयार होने पर भी मालिकों को समय पर पास जारी नहीं किये जाते जिसके फलस्वरूप उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सरकार को उनकी कठिनाइयों की ओर ध्यान देना चाहिए।

छोटे उद्योगों को अपना माल बेचने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उनकी मुख्य समस्या यही है। सबसे बड़ी कठिनाई परिवहन की है। हिमाचल, आसाम और अन्य राज्यों में सरकार परिवहन के लिये राज सहायता देती है। यह राज सहायता कोंकण जिले के लिए भी दी जानी चाहिए।

सहकारी औद्योगिक सम्पदा स्थापित करते हुए लाखों रुपये भवनों के निर्माण हेतु व्यय किया जाता है। रत्नगिरि में बहुत बड़ी राशि व्यय करके एक औद्योगिक सम्पदा बनायी गयी। 17-18 एककों में से केवल 10-12 ही काम कर रहे हैं। अन्य इस कारण काम नहीं कर रहे कि उन्हें समय पर कच्चा माल नहीं मिला तथा समय पर ऋण नहीं मिला। सरकार को इस बात का पता लगाना चाहिए कि ये औद्योगिक सम्पदाएं क्यों प्रगति नहीं कर रहीं।

***श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : (तिरुनल्वेली) : सरकारी क्षेत्र के 101 उपक्रमों में 20,000 करोड़ रुपये की राशि लगायी गयी है जिसके बीच रेलवे में लगायी गयी 5,000 करोड़ रुपये की राशि भी शामिल है। गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में 11,000 करोड़ रुपये की राशि लगाई गई है। हम ने गैर-सरकारी क्षेत्र से 4,000 करोड़ रुपये की अधिक राशि लगाई है किन्तु सरकारी क्षेत्र के कारखानों से कितना लाभ होता है। इन 101 उपक्रमों में से 64 उपक्रमों ने 104 करोड़ रुपये का लाभ दिखाया है और शेष उन उपक्रमों को घाटा ही हुआ है। इन उपक्रमों को प्रोत्साहित करने के लिये बोनस की व्यवस्था की जानी चाहिए।

इन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के घाटे का कारण कुप्रबन्ध ही है। इन उपक्रमों से सम्बन्धित अधिकारियों ने यह बात अनुभव नहीं की कि देश के लोगों के प्रति उनका भी कुछ कर्तव्य है जिन्होंने

तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

Summarised Translated version based on English Translation of the speech delivered in Tamil.

[श्री एस० ए० मुरुगनन्तम]

इन उपक्रमों में पैसा लगाया है। कुप्रबन्ध के लिये जब तक इन प्रबन्धकों को सजायें नहीं दी जातीं उस समय तक इस दिशा में सफलता की कोई आशा नहीं है।

तमिलनाडु की वालजबाद कपड़ा मिल को सरकार ने अपने अधिकार में इस कारण नहीं लिया कि लोकनाथन् समिति ने इस बारे में कोई सिफारिश नहीं की थी। इस मिल के 4000 कर्मचारी बेरोजगार हैं। सरकार को इस मिल को अपने अधिकार में ले लेना चाहिए।

स्कूटर्ज इंडिया ने अब वाणिज्यिक दृष्टि से उत्पादन आरम्भ कर दिया है। बेरोजगार स्नातकों को तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षित युवकों को इसमें शेयर खरीदने की अनुमति दी जानी चाहिए। इन व्यक्तियों को देश भर में स्कूटरों की एजेन्सियां दी जायें। ससद् सदस्यों को भी इसमें शेयर खरीदने की अनुमति दी जानी चाहिए।

ग्रामीण उद्योग परियोजना 56 करोड़ रुपए लगाकर 13 वर्ष पहले चलायी गई थी जिसके फलस्वरूप देश भर में 4,60,000 औद्योगिक एकक स्थापित किये जा चुके हैं तथा 2.1 लाख लोगों को रोजगार दिया जा चुका है। 1974–75 के वार्षिक प्रतिवेदन में 45 करोड़ रुपए लगाकर 40,000 औद्योगिक एकक स्थापित करने का उल्लेख था। इस ग्रामीण उद्योग परियोजना के अन्तर्गत 2 लाख लोगों को रोजगार दिलाने की क्षमता थी। यदि 13 वर्षों में सरकार 56 करोड़ रुपये की राशि से 46,000 एककों के अन्तर्गत केवल 21 लाख व्यक्तियों को रोजगार दे सकी तो 45 करोड़ रुपये की राशि से दो लाख लोगों को 5 वर्ष के अन्दर रोजगार दिलाना कैसे सम्भव है। अतः यह योजना सफल होगी ऐसी कोई सम्भावना नहीं है।

देश के पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु एक कार्यक्रम है। केन्द्रीय सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिक विकास हेतु एक निगम स्थापित करने का निर्णय लिया है। छोटे उद्योग सम्बन्धी प्रतिवेदन में कहा गया है कि केन्द्रीय स्तर पर एक संस्था स्थापित करने की दिशा में कोई भी प्रगति नहीं की जा सकी है। पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिक दृष्टि से विकसित करने के लिए यदि सरकार का योगदान इस प्रकार का है तो पिछड़े क्षेत्र हमेशा ही पिछड़े रहेंगे। पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिक विकास के लिए शीघ्र ही सरकारी क्षेत्रों में निगम की स्थापना की जानी चाहिए।

छोटे छोटे औद्योगिक क्षेत्र अपनी आवश्यकता को लगभग 50 प्रतिशत भाग केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों तथा सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं से पूरा करते हैं। अपनी आवश्यकता की 50 प्रतिशत राशि से वे अपना काम किस प्रकार चला सकते हैं। उन्हें पैसा कहां से मिलेगा इसी कारण से पिछड़े क्षेत्रों के लिये औद्योगिक विकास निगम का स्थापित किया जाना जरूरी हो गया है, जिसमें केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें भी अपनी राशि लगाएं।

बिजली की कमी देश भर में है। केन्द्रीय सरकार द्वारा सरकार क्षेत्र में छोटे जैनरेटर तैयार करने के लिए एक कारखाना खोलना अनिवार्य है, ताकि इन जेनरेटरों को देश भर में छोटे उद्योगों को सप्लाई किया जा सके।

विदेशी सहयोग से चलने वाले उपक्रम देश की औद्योगिक शक्ति को सचमुच चूस रहे हैं। गैर-सरकारी क्षेत्र के एकाधिकार गृह हमारे देश में विदेशी सहयोग से 1200 उपक्रम चला रहे हैं। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के एकाधिकार गृह देश के हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने सम्बन्धी प्रधान मन्त्री के प्रयासों को

विफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आशा है कि कांग्रेस दल तथा देश के प्रगतिशील तत्व अन्तर्राष्ट्रीय तथा भारतीय एकाधिकार गुटों के प्रयासों को विफल बना कर देश की आजादी और प्रभुसत्ता की रक्षा करेंगे। दुर्भाग्यवश केन्द्रीय सरकार एकाधिकार की प्रवृत्ति का दमन करने के बजाये इन्हें प्रोत्साहन दे रही है। यह अच्छी बात नहीं है क्योंकि मुझे डर है कि ये लोग सरकारी क्षेत्र के अन्दर ही अन्दर तहस नहस कर रहे हैं।

1967 से पहले श्री सी० सुब्रहमण्यम् और श्री अशोक मेहता अन्तर्राष्ट्रीय कुचक्रों के शिकार हो गये और उन्होंने विश्व बैंक और अमरीकी सरकार के कहने पर रुपये का अवमूल्यन कर दिया। सत्ताधारी कांग्रेस दल को इसका मूल्य चुकाना पड़ा जब 4 राज्यों में कांग्रेस सत्ताच्युत कर दी गई। कांग्रेस यह सबक भूल गई लगती है। अब पुनः 1976 के चुनाव आने वाले हैं और श्री सी० सुब्रहमण्यम और श्री टी० ए० पाई हमारे देश में गैर-सरकारी क्षेत्र के एकाधिकार उद्योगपतियों के चक्र में फंसने लगे हैं और उन्हें सरकारी क्षेत्र में घुसने दे रहे हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी जो जनता कांग्रेस के साथ 1976 में भी यही व्यवहार करेगी किन्तु कांग्रेस में प्रगतिशील तत्वों पर आशा बंधी है। वह देश के हितों की अवश्य ही रक्षा करेंगे और देश के औद्योगिक विकास को सुनिश्चित करेंगे।

SHRI SHRIKISHAN MODI (Sikar): The problem of dearness can be solved by increasing production. This has been proved by the production of potatoes this year. The prices of potatoes have gone down considerably. But Government have failed to give the farmers the fair price of their production. The Government should have paid attention to this aspect. There is scarcity of cement in the country. Five licences have been given for setting up cement factories in Rajasthan but the Railway Ministry has not yet given its clearance. The Minister should use his good offices and get clearance from the Railway Ministry. Setting up of cement factories would not only help in increasing production of cement but would also help in removing backwardness of Rajasthan.

Cement bags are not of good quality. The result is that consumers get 30 per cent to 40 per cent less quantity in a bag. Attention should be paid to this matter.

There was a proposal to set up a mini cement plant. The Minister should tell us the progress made in this regard.

Sometime back cement was freely available in Delhi. But now the position is very bad. Consumers have to pay Rs. 18 per bag more in the black market. The Minister should look into this matter.

There are huge deposits of rock phosphate and iron pyrite in Rajasthan and sulphur could be prepared by them. Some factories could be set up there for this purpose. The Government are spending Rs. 200 crores a year on import but factories are not being set up. There are two projects pending and clearance is not being given by Government. This is really a sorry state of affairs. Attention should be paid to this matter.

It is always said that the Government wanted to encourage small scale industries, but on the other hand certain steps were taken which would ruin small scale industries. The new excise duty that has been imposed is one such step.

In Khurja, people belonging to minority community depended on ceramic industry. But this industry has been completely ruined. No attention is being paid to this matter. In Ferozabad glass articles of good quality are being prepared. But there is no big glass factory in Ferozabad. A ceiling of 50 workers in a unit has been imposed by the government. This restriction is not desirable, because it would lead to unemployment.

In Rajasthan, there are 60 factories preparing snuff. Women, harijans and persons belonging to minorities are employed in these factories. But Government have imposed there 10 per cent sales tax and also increased the tariff. Such steps ruined small scale industry.

Small scale industries are paying 24 per cent interest on the credit which have been given to them. How could small scale units afford to pay such a high rate of interest?

Today there is no quality control in our country. The result is that goods of inferior quality were produced. Consumer Committees in States should be set up to keep a watch on the quality of goods of daily use.

Efforts should be made to wipe out the backwardness of Rajasthan, Raw material should be provided to small scale industries. Tariff imposed on them should be changed and excise duty should be reduced.

Shri Rajdeo Singh (Jaunpur): There are regional imbalances in the development of our country. The main reason for this is that the Industrial Policy Resolution has not been properly implemented.

Mr. Chairman: Please now resume your speech tomorrow.

*सुपर बाजार दिल्ली को हुआ घाटा
LOSS SUFFERED BY SUPER BAZAR, DELHI

सभापति महोदय : अब हम आधे घंटे की चर्चा लेते हैं:—

Shri M. C. Daga (Pali): The Super Bazar of Delhi was opened with a very pious intention of making consumer goods available at fair price with a view to holding the price line. But the main question is whether it is working as a cooperative store or not. But Government is not committing that. In fact, it has become a Government shop and it is not a cooperative store. 96 per cent of its capital is invested by the Government and therefore it is quite wrong to say that it is a cooperative store. It has incurred a loss of Rs. 66.41 lakhs during the period 1966 to 1970. The Super Bazar was being run to feed certain bureaucratic officials. The Estimates Committee has mentioned in their Report the causes that led to such heavy losses. They said that large scale pilferage is one of the main reasons for the heavy losses. The Government imposes heavy taxes on the people and collect money and give it for running Super Bazar. In Super Bazar, they resort to overstaffing and pilferage is going on on large scale but the thieves are not punished. Have any enquiry been ever held into these things? In fact, the Super Bazar has been turned into a grazing

*आधे घटे की चर्चा

*Half an hour discussion.

ground for a handful of highly placed Government officials. The most funny thing was that neither any enquiry was ever held nor any guilty official has ever been punished for all these irregularities. However, their overhead expenses have been rising despite heavy losses. The Minister should state as to how many officials were punished or what was the value of goods stolen or the value of the goods that have to be thrown away, due to their uselessness. Government should also state how much interest they were charging on their capital invested in Super Bazar of Delhi. It is wrong to say that Super Bazar has earned a profit of Rs. 51,000 for the first time. It is a ficticious figure.

श्री बी० वी० नायक (कनारा): महोदय, सुपर बाजार से क्या लाभ हो रहा है तथा एक वर्ष में इसमें कितने ग्राहक आकर इससे लाभ उठा रहे हैं ? इसके अतिरिक्त मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या आप सुपर बाजार के पूरे प्रबन्ध को सहकारी क्षेत्र में देने का विचार रखते हैं ? वहां के कर्मचारियों की सेवा शर्तें अच्छी नहीं हैं उन्हें वेतन कम दिया जाता है। जब तक आप सुपर बाजार के कर्मचारियों बल्कि समूचे देश के कर्मचारियों की सेवा शर्तों में सुधार नहीं करते तब तक आप उनसे यह आशा नहीं कर सकते कि उठाई-गिरी समाप्त हो अथवा गबन बन्द होंगे।

सरकार ने लगभग सारी पूंजी अपनी ओर से लगा रखी है। शेष शेयरों की राशि बहुत कम है। मुझे सुपर बाजार में हो रहे घाटे पर चिन्ता नहीं है किन्तु क्या यह घाटा वास्तविक घाटा है ? अगर यह घाटा वास्तविक है तो उस घाटे को माफ़ कर दें क्योंकि किसी भी नये काम में आरम्भ में घाटा हो सकता है। किन्तु अगर यह प्रबन्धकों की चाल है तो इस प्रकार की संस्थाएं चलाने का सरकार को कोई अधिकार नहीं है।

छोटे से छोटा दुकानदार, पानवाला भी लाभ कमाता है किन्तु इस इतने बड़े संस्थान में घाटा हो रहा है सरकार को अपनी प्रबन्ध व्यवस्था में सुधार करना चाहिये। उसे मात्र सचिवों पर नहीं डाला जाना चाहिये। कुछ विशेषज्ञों को यह कार्य सौंपना चाहिये। अगर आप इस कार्य को करना चाहते हैं तो प्रबन्ध क. व्यवस्था इस प्रकार करिये कि शुरू कार्य में घाटा न हो और जनता के पैसे की बरबादी न हो।

Shri Ramavatar Shastri (Patna): Mr. Chairman, the aim for which Super Bazars were established in Delhi and throughout the country was very pious. I want to know whether Government have been successful in achieving that object. Moreover, whether the opening of Super Bazars in the country has proved helpful in controlling the price line. If it has helped, in what way? I want to know whether the loss incurred in Super Bazar is due to the heavy expenditure being incurred on administration or on the expenditure incurred on the employees. We want to know the administrative expenditure and the expenditure incurred on the employees.

I also want to know the action taken by them as a result of which a profit of Rs. 51,000 has been earned, during the year 1972-73. What action has been taken to ensure that the required goods are made available in these bazars? I want to know whether there is a need to regulate the working hours of the employees by giving them over-time allowance for earning more profits and whether Government propose to open more Super Bazars in Delhi? I want to know that who are the pilferers, whether they are among the officers or among the employees. It seems that the pilferers are not just petty employees. They seem to belong to officers' categories. What punishment has been given to these guilty persons?

सरदार स्वर्ण सिंह सोखी (जमशेदपुर) : सुपर बाजार में 66.67 लाख रुपये का घाटा होने के क्या कारण हैं। इतना सालों में घाटा होता रहा है किन्तु उसे इन सारे वर्षों में इकट्ठा दिखाया गया है प्रत्येक वर्ष क्यों नहीं दिखाया गया जब हर वर्ष इतना घाटा होता रहा है तो सरकार उन्हें राज-सहायता क्यों देता है । जब 51,000 रुपये लाभ हुआ तब भी उसे सहायता दी गई। अब 10 लाख लाभ दिखाया गया है फिर भी सहायता दी गई है। सुपर बाजार में प्रबन्ध सही नहीं है सरकार को चाहिये कि वह ऊपर से लेकर नीचे तक सारे प्रबन्ध को ठीक करे और जितनी भी खामियां हैं उन्हें दूर करने का प्रयास करे। जिन लोगों की वजह से यह घाटा हुआ है उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिये।

श्री एस० ए० मुरुगनन्तम : मुझे विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि सुपर बाजार के लिये जो खरीदारी की जाती है वह बिचौलियों के माध्यम से की जाती है। मैंने सुपर बाजार के कर्मचारियों से यह सुना है कि वहां के प्रत्येक प्रबन्धक की राजधानी की शानदार बस्तियों में भव्य इमारतें हैं । अभी किदवाई नगर सुपर बाजार में हड़ताल हुई थी वहां के कर्मचारी दो भ्रष्ट प्रबन्धकों की नियुक्ति नहीं चाहते थे ।

सुपर बाजार आम आदमी की सहायता करने के स्थान पर निहित हितों का अखाड़ा बन गये हैं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि सुपर बाजारों का पुनर्गठन करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : सुपर बाजार ने शुरू शुरू में घाटा दिखाया। 1966–67 में 458 लाख रुपये का व्यापार हुआ था किन्तु 1968–69 में घट कर यह 387 लाख रुपये रह गया। 1972–73 के बाद स्थिति में कुछ सुधार होने लगा और कुल 453 लाख रुपये का व्यापार हुआ। 1973–74 के दौरान वार्षिक व्यापार बढ़कर 7.33 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। हमें आशा है कि 1974–75 के दौरान 8.5 करोड़ रुपये का वार्षिक व्यापार होगा। 1973–74 के दौरान 10 लाख रुपये का लाभ हुआ। 1974–75 के दौरान भी यह निश्चित है कि हमें 10 लाख रुपये का लाभ होगा।

इसके 10,156 हिस्सेदारों में से 3,000 हिस्सेदार 1973–74 के दौरान बने। जिसका अर्थ यह है कि कम से कम वर्ष 1973–74 से इसमें कुछ सुधार हो रहा है। बात यह नहीं है कि यह सरकार का ही कोई विभाग हो।

कुप्रबन्ध के लिये तीन प्रबन्धकों को नौकरी से निकाला गया है और गत तीन वर्षों के दौरान 15 अन्य छोटे कर्मचारियों को भी नौकरियों से निकाला गया है। गबन के लिए प्रबन्धक सहित 6 कर्मचारियों के विरुद्ध मुकदमे चल रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि हम तुरन्त कार्यवाही कर रहे हैं।

मैं इस बात को नहीं मानता कि कर्मचारियों को अच्छा वेतन देने से उठाईगिरी नहीं होगी। बड़े बड़े लोग भी ऐसा करते हैं। दिल्ली सुपर बाजार के कर्मचारियों के वेतन देश के सभी विभागीय स्टोरों से अच्छे हैं। उन्हें केन्द्रीय दर पर महंगायी भत्ता दिया जाता है और 8.33 प्रतिशत बोनस दिया जाता है। अतः उनकी सेवा शर्तों में काफ़ी सुधार किया गया है। सुपर बाजार तथा अन्य संस्थाओं में प्रतिनियुक्ति पर लोग लिए जाते हैं ताकि उन संस्थाओं का काम ठीक ढंग से चले ? इस संस्था में 1972–73 के बाद काफ़ी सुधार हो रहा है। अब घाटे इतने अधिक नहीं होते। लेकिन हमें अभी और सुधार लाने हैं। हम माल तैयार करने का एकक स्थापित करने पर विचार कर रहे हैं। एकक तथा संस्था

के बीच सम्बन्ध रखने की हम आवश्यक व्यवस्था करेंगे । हम कोल्ड स्टोर की व्यवस्था करने पर भी विचार कर रहे हैं । हम दिल्ली विकास प्राधिकरण से दुकानें खोलने हेतु जगह देने का अनुरोध भी कर रहे हैं । ताकि हम सरकारी दफ़्तरों तथा कारखानों के कर्मचारियों को भी लाभ उपलब्ध कर सकें ।

हमने अभी हाल में "होम डिलीवरी" नामक कार्यक्रम चलाया है जिसके द्वारा हम अपने काम को घरों तक भी पहुंचा सकते हैं । हम विभिन्न स्तरों पर कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के इच्छुक हैं । हमने मार्केट इन्टेलिजेंस सेल भी चलाया है जो बाजार के उतार-चढ़ाव की सूचना देता रहेगा ?

सुपर बाजार ने विश्वविद्यालयों तथा महत्वपूर्ण कालिजों को अनिवार्य वस्तुओं की थोक सप्लाई शुरू कर दी है जिसके परिणाम अच्छे रहे हैं ।

हमने "चैक यूवरवेट" नामक कार्यक्रम भी चलाया है । हमने वजन करने की स्टेन्डर्ड मशीन सुपर बाजार के महत्वपूर्ण केन्द्रों में रखी हैं ताकि ग्राहक स्वयं जांच कर सकें कि क्या वजन बिल्कुल ठीक है ।

इसके पश्चात लोकसभा मंगलवार 29 अप्रैल, 197 /9 वैसाख, 1897 (शक) के 11 बजे तक के लिये स्थागित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, the 29th April, 1975/Vaisakha 9, 1897 (Saka).

GMGIPND—Job I— 1234 LS—1890—9-9-75—200